बुधवार, 11 मार्च 1981

20 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 18, बुधवार, 11 मार्च, 1981/20 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 309, 312 से 316	1—32
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 310 और 317 से 329	33—41
अतारांकित प्रश्न संख्या 3001 से 3007, 3010 से 3030, 3032 से 3035, 3037 से 3060, 3062 से 3075, 3077 से 3166, 3168 और 3170 से 3200	41—188
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	189—193
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	193—200
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन	200
याचिका समिति दूसरा प्रतिवेदन	200
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	200
हरियाणा और देश के अन्य भागों में बिजली की भारी कमी और बिजली की दरों में वृद्धि	200—214
श्री रामविलास पासवान	200
श्री विक्रम महाजन	201
श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी	206
श्री मनोहरलाल सैनी	208
श्री आर०पी० गायकवाड़	210
श्री जैनुल बशर	211
समिति के लिए निर्वाचन नारियल जटा बोर्ड	214
नियम 377 के अधीन मामले	215—221
(एक) सूरतगढ़ तहसील (राजस्थान) के गाँवों में पानी इकट्ठा हो जाना (श्री मनफूलसिंह चौधरी)	215
(दो) राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या (श्री वृद्धि चन्द्र जैन)	216

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) केरल में सुगन्धि द्रव्य उद्योग समूह की स्थापना करने की आवश्यकता (श्री वी० एस० विजयराघवन)	216
(चार) पश्चिमी विनोद नगर, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों को गिराए जाने का समाचार (श्री एच०के०एल० भगत)	217
(पाँच) विजहिनजम मत्स्य पत्तन परियोजना (श्री ए० नीललोहितदासन नाडार)	218
(छः) सरकारी क्षेत्र के सेवा अधिकारियों की नियुक्तियाँ और उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना (श्री नीरेन घोष)	218
(सात) मध्य-प्रदेश के झबुआ जिले के भावरी गाँव में दो आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार (श्री सत्यनारायण जटिया)	220
सामान्य बजट, 1981-82—सामान्य चर्चा	221—294
श्री रवीन्द्र वर्मा	221
श्री मगनभाई बारोट	227
श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय	236
श्री टी०एस० नेगी	241
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	244
श्री मूलचन्द डागा	248
श्री दिगम्बरसिंह	253
श्री आर०एस० स्पैरो	259
श्री इन्द्रजीत गुप्त	264
श्री कमालुद्दीन अहमद	277
श्री टी०आर० शमन्ना	279
श्री आर०आर० भोले	281
श्री कृपासिंधु भोई	287
श्री गुलाम रसूल कोचक	291
श्री पी०वी०जी० राजू	2[illegible]3
आधे घंटे की चर्चा	295—307
टाटा ट्रक और बस चेसिस की बुकिंग के लिए नकद धनराशि जमा कराया जाना	
श्री दिलीप सिंह भूरिया	295
श्री चरणजीत चानना	297
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	301
श्री रामावतार शास्त्री	302

लोक सभा

बुधवार, 11 मार्च, 1981, 20 फाल्गुन 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियों को जमा न कराया जाना

*309. श्री अजय बिश्वास : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कम्पनियों ने श्रमिकों की और कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंशदान की राशि जमा नहीं कराई है और यह राशि कितनी है; और

(ख) जिन कम्पनियों ने अंशदान राशि जमा नहीं कराई उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) : विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

31.12.80 की स्थिति के अनुसार, 6270 प्रतिष्ठानों ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदान जमा नहीं करवाएं । बकाया राशि 4191.42 लाख रुपये थी ।

भविष्य निधि प्राधिकारियों ने छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में देय राशियों की वसूली करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की हैं :—

(क) दोष के सभी मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं, ताकि दोषी प्रतिष्ठानों द्वारा देय राशियों का निर्धारण किया जा सके और उनके विरुद्ध डिमांड नोटिस जारी किए जा सके । 1-4-80 से 31-12-80 की अवधि के दौरान 5638 मामलों में धारा 7 'क' के अधीन कार्यवाहियां पूरी की गई ।

(ख) उन मामलों में, जिनमें प्रतिष्ठान डिमांड नोटिसों के प्रत्युत्तर में राशि जमा नहीं कराते हैं, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। 1.4.80 से 31.12.80 की अवधि के दौरान, 1254 प्रमाण-पत्र जारी किए गए। 31-12-80 की स्थिति के अनुसार 19165 प्रमाण-पत्र राज्य सरकारों के जिला राजस्व प्राधिकारियों के पास कार्यान्वयन के लिए लंबित पड़े थे।

(ग) तीन मास या इससे अधिक की लगातार अवधि के लिए दोषी रहने संबंधी मामलों में और उन मामलों में, जिनमें बकाया राशि 10,000/- से अधिक है, धारा 14(क) या 14(कक), जैसी स्थिति हो, के अधीन अभियोजन भी चलाए जाते हैं। 1-4-80 से 31-12-80 की अवधि के दौरान 1039 मामलों में अभियोजन चलाए गए। 31-12-80 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में 27589 मामले लम्बित पड़े हैं।

(घ) उन मामलों में, जिनमें नियोजकों ने कर्मचारियों के मजदूरी बिल से अंशदान काटने के पश्चात् उस राशि को भविष्य निधि में जमा नहीं कराया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दायर की जाती है। 1-4-1980 से 31-12-80 की अवधि के दौरान पुलिस प्राधिकारियों के पास 126 शिकायतें दायर की गई। 31-12-80 की स्थिति के अनुसार पुलिस प्राधिकारियों के पास 1130 शिकायतें जांच के लिए लम्बित पड़ी थीं।

(ङ) उन मामलों में, जिनमें राशि देय तारीखों के पश्चात् जमा कराई जाती है, धारा 14(ख) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। और यदि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो दंडात्मक हर्जाने लगाए जाते हैं। 31-12-80 की स्थिति के अनुसार, दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा लगाए गए हर्जाने के परिणामस्वरूप 1261.96 लाख रुपये की राशि बकाया थी।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के मामले में न्यासी बोर्ड में भविष्य निधि अंशदानों का हस्तांतरण न करने के लिए दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध धारा 14(2) (क) के अधीन अभियोजन दायर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध भारतीय दंडसंहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें भी दायर की जाती हैं, जो कर्मचारियों की मजदूरी से अंशदान की कटौती करने के पश्चात् उस राशि को न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित नहीं करते हैं। 1-4-80 से 31-12-80 की अवधि के दौरान 147 मामलों में अभियोजन चलाए गए और सात मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस के पास शिकायतें दायर की गई।

श्री अजय विश्वास : मैंने विवरण पढ़ा है। विवरण में यह कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7क के अधीन 5638 मामलों में कार्यवाही पूरी कर ली गई है; 1254 प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं; 27589 मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं और 1130 शिकायतें जांच के लिए पुलिस के पास पड़ी है, लेकिन विवरण

में यह नहीं कहा गया है कि सरकार ने दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है या कि नियोक्ताओं को किसी न्यायालय ने दण्ड दिया है···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिए ।

श्री अजय विश्वास : महोदय, आप यह मानेंगे कि यह नियोक्ताओं द्वारा किया गया दाण्डिक अपराध है; उन्होंने भविष्य निधि के लिए काटी गई राशि में जमा नहीं कराया है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है। कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कितने मुकदमों में सजा मिली है और वह सजा कितनी है·····

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न कीजिए । अन्य सदस्यों को भी अवसर दीजिए ।

श्री अजय विश्वास : मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में कम्पनियों को बरी कर दिया गया और क्या ऐसा भविष्य निधि प्राधिकारियों की असफलता के कारण हुआ है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : स्टेटमेंट में कहा गया है कि अब तक 6270 इस्टैब-लिशमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राविडेंट फण्ड की कंट्रीब्यूशन्स डिपाजिट नहीं की हैं। वे कर्म-चारी भविष्य निधि में पैसा जमा कराने में असफल रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कितनी प्राजीक्यूशन्स पेंडिंग हैं, कितने एक्वीटल हुए हैं और कितनों को सजा हुई है तो मैं बतलाना चाहती हूं कि 31 मार्च 1979 को लम्बित पड़े मुकदमों की कुल संख्या···

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपने बता दिया है स्टेटमेंट में। सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितनों को सजा हुई ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : इनमें से 27 मामलों में अभियुक्तों को अनिवार्य कारावास मिला । 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक 276 मामलों में बरी कर दिया गया ।

श्री अजय विश्वास : यह एक गम्भीर बात है। कुल मामलों में से केवल 27 में सजा हुई।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। विवरण में केवल कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि जमा न कराने के मामलों की संख्या बताई गई है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कितने मामलों में नियोक्ताओं ने भविष्य निधि में अपना भाग जमा नहीं कराया है और राशि कितनी है और क्या सरकार ने उन नियोक्ताओं की सम्पति कुर्क करने का प्रयत्न किया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं सवाल नहीं समझ सकी ।

अध्यक्ष महोदय : कितने लोगों की प्रोपर्टी अटैच की गई ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इसके लिए तो नोटिस चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह नया नोटिस दे सकते हैं ...(व्यवधान) निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा नहीं । यह बिल्कुल सीधी बात है ।

श्री अजय बिश्वास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यायालय ने दोषी कंपनियों की सम्पत्ति कुर्क करने का कोई आदेश दिया है । इसका तो उत्तर दिया जा सकता है ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने पहले ही बताया है कि दोषी संस्थाओं द्वारा देय राशि का निर्धारण करने और डिमांड नोटिस जारी करने सम्बन्धी सभी प्रकार की कार्यवाही कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 क के अधीन की जाती है । 1-4-80 से 31-12-80 की अवधि के दौरान धारा 7 क के अधीन 5638 मामलों में कार्यवाही पूरी कर ली गई है और जहां संस्थाओं द्वारा पैसा जमा नहीं कराया जाता, वहां प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और कार्यवाही की जाती है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं । महोदय, इन्होंने कहा है कि लगभग 6270 संस्थाओं ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में पैसा जमा नहीं कराया है । मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने राज्य सरकारों के उपक्रम हैं और कितने केन्द्र सरकार के उपक्रम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना लिखित उत्तर में दी गई है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पढ़ी है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : इस बात का उल्लेख नहीं है कि इनमें से कितने सरकारी उपक्रम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हां, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : महोदय, मुझे अपना प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए । कितने मामलों में उन्होंने भविष्य निधि में राशि जमा कराई है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मेरे पास राज्य-वार ब्यौरा नहीं है । यह कठिन काम है और मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह एक नया नोटिस दें । मैं उन्हें संतोष-जनक उत्तर दे दूंगी ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : कितने मामलों में उन्होंने पैसा जमा कराया है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक अन्य प्रश्न का नोटिस दीजिए ।

श्री जेवियर अराथकल : इस समस्या की जांच करने के लिए एक पुनरीक्षा समिति

बनी हुई है और उसने कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे सिफारिशें क्या हैं। इस पुनरीक्षा समिति का गठन अभी हाल में किया गया है।

(ख) एक सुझाव क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोलने का है। मैंने स्वयं कोचीन में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था।

इन दो बातों के बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी एक पुनरीक्षा समिति थी जिसके अध्यक्ष श्री रामानुजम थे। महोदय, इस समिति ने कई सिफारिशें की थीं और उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रपाल शैलानी.....

श्री रामगोपाल रेड्डी

'टर्न-की' परियोजनाओं की स्थापना

*312. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकासशील देशों में 200 'टर्नकी' परियोजनाएं स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि 'जी नहीं' क्यों ? महोदय, हमारा देश दस औद्योगीकृत देशों में से एक हैं और हम अनेक विकासशील देशों की काफी सहायता करते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई 'टर्नकी' परियोजना आरम्भ की गई है। यदि नहीं तो क्यों नहीं और क्या किसी देश ने हमें अपने यहां 'टर्नकी' परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कहा है ?

मुझे पता चला है कि कुछ गैर-सरकारी फर्में 'टर्नकी' परियोजनाएं चला रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है।

श्री चरणजीत चानना : अच्छा है कि माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न बदल दिया है क्योंकि उत्तर 'जी नहीं' उनके द्वारा एक विशिष्ट संख्या अर्थात् 200 'टर्नकी' परियोजनाओं के बारे में पूछे गए प्रश्न का था। वस्तुतः अनेक 'टर्नकी' परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बातचीत भी चल रही है। माननीय सदस्य का कहना सही है कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में काम हो रहा है किन्तु मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं

का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि अलग-अलग मन्त्रालय और साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र इससे सम्बन्धित हैं अतः मेरे पास समन्वित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिन पर गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। टर्नकी परियोजना का अर्थ है किसी परियोजना का सम्पूर्ण निष्पादन और यदि माननीय सदस्य विदेशों में चलाई जा रही प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं अथवा मैं उनकी सूची सभा पटल पर रख देता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आप पढ़ दें।

श्री चरणजीत चानना : एक कुवैत में निर्माण परियोजना है। इसके अंतर्गत एक बस्ती और रक्षा शिविर का निर्माण किया जाना है। इनकी सम्विदा राशि 230.00 करोड़ रुपये और 18.00 करोड़ रुपये हैं। लिबिया में 'टर्नकी' परियोजनाओं मकानों और बांधों के निर्माण से सम्बन्धित हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एक सूची प्रस्तुत कर दें।

श्री चरणजीत चानना : मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मन्त्री महोदय सदस्यों की जानकारी के लिए इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री चरणजीत चानना : मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी पूंजी का निवेश किया जा रहा है और उससे हमें लाभ कितना होगा।

श्री चरणजीत चानना : जहां तक धन का प्रश्न है, उसके लिए हमें गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की 'टर्नकी' परियोजनाओं का पता लगाना होगा।

जहां तक पूंजीनिवेश का सम्बन्ध है, प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित पूंजी निवेश का एक कालम होता है। उसमें परियोजनावार दिया जाता है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न होने वाले लाभ के बारे में है। वह तो परियोजनाओं के निष्पादित होने और तुलन-पत्र तैयार करने के बाद ही पता चल सकता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कुछ संकेत दे दें।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य को यही विश्वास दिला सकता हूं कि 'टर्नकी' या कोई अन्य परियोजना लाभ की आशा के साथ आरम्भ और निष्पादित की जाती है।

मध्य प्रदेश को मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस

*313. **डा० वसंत कुमार पंडित :**

श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किस उद्योग की स्थापना की जाएगी;

(ख) उपरोक्त में से कितने और कौन-कौन से उद्योग गैर-सरकारी, संयुक्त और सरकारी क्षेत्र में है;

(ग) उन लाइसेंसों के अधीन वास्तव में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(घ) अन्य उद्योग अभी तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी शीघ्र स्थापना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन वर्ष 1978 से 1980 के दौरान उद्योगों की स्थापना करने के लिए 33 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे । इन औद्योगिक लाइसेंसों का उद्योग वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(ख) क्षेत्र	वर्ष 1978 से 1980 तक की अवधि में स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
निजी क्षेत्र	29
राज्य औद्योगिक विकास निगम	3
सरकारी क्षेत्र (केन्द्र और राज्य) ।	

(ग) बिनौले का तेल/अन्य तिलहनों का तेल, बेयर कापर (तांबा)/अल्यूमिनियम की पट्टियाँ, खंडों आदि, रेलवे सिग्नल की केबलों सहित पावर केबलें, जूतों के ऊपरी हिस्से, पावर केपेसिटर्स, एमोडियाथ्कवन हाइड्रोक्लोराइड आई० पी०/बी०पी०/यू०एस०पी० तथा

फिनायल की गोलियों का उत्पादन करने के लिए 7 औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित किया गया है।

(घ) और (ङ) एक आशयपत्र की प्रारंभ में वैध अवधि 1 वर्ष की होती है, जबकि एक औद्योगिक लाइसेंस की वैध अवधि 2 वर्षों की होती है। कभी-कभी आशय-पत्रों अथवा औद्योगिक लाइसेंसों के धारक वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए कहते हैं जिनके अनुरोध को यदि वह तर्कसंगत होता है तो उसे वैध रूप से स्वीकार किया जाता है तथा गुणावगुणों के आधार पर मामले-वार मंजूरी दी जाती है। अतः एककों की स्थापना करने के लिए सामान्यतः उपयुक्त अवधि की अनुमति देनी पड़ती है।

किन्तु, सभी मंत्रालयों को सामान्य रूप से यह अधिसूचित कर दिया गया है कि उन्हें विस्तार के लिए जारी किए गए सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की समीक्षा करनी चाहिए तथा समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए यदि कोई वैध कारण मौजूद न हो तो उन्हें 31-3-81 तक समाप्त कर देना चाहिए।

अनुबंध

1978 से 1980 की अवधि में मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए दिए गए 33 औद्योगिक लाइसेंसों का उद्योग वार ब्यौरा बताने वाला विवरण।

अनुसूचित उद्योग/जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या/ पार्टी का नाम	बनाई जाने वाली वस्तु तथा क्षमता	औद्योगिक लाइसेंस की संख्या एवं तिथि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज			
1978 1979 1980			
1 — 2			
1. मै० मध्य प्रदेश इलैक्ट्रिकल्स लि०	बेयर कौयर/अल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, सेक्शन्स, प्लेट्स आदि = 600 मी० टन	सी०आई०एल० 162/78 दिनांक 24-8-78	कार्यान्वित
2. मै० केन० इलैक्ट्रिकल्स प्रा० लि०	कोम्युटेटर कौयर स्ट्रिप्स प्रोफाइल्स सेगमेंट्स बेयर कायर स्ट्रिप्स = 1500 मी० टन	सी०आई०एल० 228/80 दिनांक 21-8-80	
3. स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लि०	बिलेट्स = 55300 मी० टन हैवीरेल्स = 40,000 मी० टन स्ट्रेयर्स = 10,000 आदि (किस्तार के पश्चात्)	सी०आई०एल० 253(80) दिनांक 22-9-80	

1	2	3	4
विद्युत उपकरण			
1978 1979 1980			
1 1 —			
4. मै० यूनीवर्सल केबल्स लि०	रेलवे सिगनेलिंग केबल्स सहित विद्युत केबल्स 2285 किलो मीटर्स (1985 किलो सी० आफ पी०आई०एल०सी०/थरमोप्लास्टिक/एक्स. एल०पी०ई० केबल्स प्लस 300 किलो मीटर्स आफ ट्रेलिंग एण्ड फ्लेक्सिबल्स केबल्स (एक्सिस) = 6500 किलो मीटर्स (विस्तार के पश्चात)	सी०आई०एल० 273(78) दिनांक 29-12-78	वर्तमान एकक की क्षमता विद्यमान क्षमता के विनियमित किए जाने के लिए थी।
5. मै० यूनीवर्सल केबल्स लि०	पावर केबेसिटेर्स = 150 एम०बी०ए०आर० (एडील) = 250 एम०वी०ए०आर०	सी०आई०एल० 74/79 दिनांक 6-4-79	कार्यान्वित
औद्योगिक सूक्ष्म यंत्र			
1978 1979 1980			
— — 1			
6. ज्योति वेइंम सिस्टम्स लि०	लोको बेलेंसिंग एण्ड वेइंम टेबल्स = संयंत्र एवं मशीनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित है।	सी०आई०एल० 40/80 दिनांक 2-2-80	

1	2	3	4
रसायन (उर्वरक से भिन्न)			
1978 1979 1980			
2 1 3			
7. मै० ग्वालियर एयर प्रोडक्टस लि०	घुली हुई एसेटिलीननेस ≅ 0.10 एम०सी०एम० (अतिरिक्त) ≅ 0.20 एम०सी०एम० (विस्तार के पश्चात)	सी०आई०एल० 9/78 दिनांक 17.4.78	
8. मै० ईस्टर्न एयर प्रोडक्ट्स लि०	1. हाईप्यूरिटी नाइट्रोजन गैस 2.2 एम०सी०एम० 2. लो प्यूरिटी नाइट्रोजन गैस ≅ 6.6 एम०सी०एम० 3. आक्सीजन गैस ≅ 1.8 एम०सी०एम०	सी०आई०एल० 242/78 दिनांक 17-11-78	
9. मै० इस्टर्न एयर प्रोडक्टस लि०	घुली हुई एसेटिलीन गैस ≅ 0.288 एम०सी०एम० (अतिरिक्त) ≅ 0.576 एम०सी०एम० (विस्तार के पश्चात)	सी०आई०एल० 77/78 दिनांक 18-4-79	
10. मै० एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कं० लि०	नाइट्रोजन गैस ≅ 0.50 एम०सी०एम०	सी०आई०एल० 210(80) दिनांक 5.5.80	
11. के०सी० सेठी	1. पोल्यामाइड रेजीन्स ≅ 800 मी०टन 2. डिमर एसि० ≅ 600 मी०टन	सी०आई०एल० 220(80) दिनांक 5-8-80	
12. रेक्सीनेट केमिकल कं०	फिनाइल कर मोलियां ≅ 1.040 मी०टन	सी०आई०एल० 73/80 दि० 22.10.80	क्रियान्वित

1	2	3	4
भेषज एवं औषधें			
1978 1979 1980			
1 1 —			
13. मै० शां लीनर लि०	1. जिलेटिन आफ फार्माच्यूटिकल एण्ड फोटोग्राफिक ग्रेड = 1800 मी० टन 2. ग्रोसीन = 500 मी० टन 3. डाईकैल्शियम फॉस्फेट = 10,800 मी० टन० 4. हड्डी का चारा (नोन मील) = 3000 मी०टन	सी०आई०एल० 275/78 दिनांक 30-12-78	
14. सुनीता लेबोरेट्रीज लि०	एमोडायक्विन हाइड्रोक्लोराइड आई०पी०/बी०पी०/ यू०एस०की० = 6 मी०टन (विद्यमान) = 30 मी० टन (विस्तार के पश्चात)	सी०आई०एल० 266/76 दि० 5-12-79	(क्रियान्वित)
वस्त्र (रंगे, छपे अथवा अन्यथा परिधद वस्त्रों सहित)			
1978 1979 1980			
1 1 1			
15. मै० मंडेला वूलन्स लि०	वूलन वेस्ट शोडी, काटन वेस्ट तथा सिन्थेटिक वेस्ट के लिए उपयुक्त पूर्ण कार्डिंग सैट = 72 संख्या	सी०आई०एल० 233/78 दि० 4-11-78	

1	2	3	4
16. मै० दुर्गा वूलन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	शोडी यार्न = 600 तकुए	सी०आई०एल० 102/79 दिनांक 15-5-79	
17. स्टेंडर्ड मिल्स कं० लिमिटेड	सूती धागे = 50,000 तकुए (विस्तार के बाद)	सी०आई०एल० 318/80 दि० 22-10-80	
कागज उत्पादों सहित कागज कागज और लुगदी			
1978 1979 1980			
— — 2			
18. सांई पेपर मिल्स लि०	आफ सैट, कार्पिंग, डुप्लीकेटिंग और फिल्टर कागजों सहित अच्छी किस्म का कागज = 7500 मी०टन (अतिरिक्त क्षमता)	सी०आई०एल० 310/80 दि० 13-10-80	
19. बैगी पेपर मिल्स लि०	1. लुग्दी—10,000 मी० टन 2. कागज—10,000 मी०टन	सी०आई०एल० 311/80 दि० 13-10-80	

1	2	3	4
चीनी			
1978	1979	1980	
1	—	1	
20. मैं० दि जीवाजीराव शूगर कं० लिमिटेड	चीनी—700 टी०सी०डी० (प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता) —1250 टी०सी०डी० (विस्तार के बाद)		आई०एल० 25/78 दि० 31-5-78
21. दी ग्वालियर शूगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी—1500 टी०सी०डी० (विस्तार के बाद)		आई०एल० 20/80 दि० 18-4-80
खाद्य परिष्करण उद्योग			
1978	1979	1980	
—	—	3	
22. मध्य प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	1. केसीन—30 मी० टन 2. मक्खन—180 मी०टन (सह उत्पाद) 3 घी —500 मी० टन		सी०आई०एल० 50/80 दि० 20-2-80

1	2	3	4
23. मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1. केसीन—20 मी०टन 2. मक्खन—180 मी०टन (सह उत्पाद आदि)	सी०आई०एल० 50/80 दि० 20-2-80	
24. मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	स्किम्ड मिल्क पाउडर आदि—3,000 मी०टन	सी०आई०एल० 166/80 दि० 13-7-80	

वनस्पति तेल और वनस्पति

1978	1979	1980		
1	2	—		
25. जनरल फूड्स प्रा० लिमिटेड	बिनौले का तेल/अन्य तिलहन 30,000 मी० टन	सी०आई०एल० 40/78 दि० 27-2-78	कार्यान्वित	
26. मै० भोपाल शूगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	वनस्पति तेल विलेयक निसारण प्रक्रिया—30,000 मी० टन खल अथवा 19,500 मी०टन चावल की भूसी	आई०एल० 14/79 दि० 25-4-79		
27, नर्मदा सहकारी तेल प्रक्रिया समिति, मर्यादित	बिनौले का तेल—बीज के अनुसार 30,000 मी० टन	सी०आई०एल० 280/79 दि० 24-12-79		

1	2	3	4
उर्वरक			
1978 1979 1980			
— — 1			
28. धर्मसी मोरारजी केमिकल कंपनी लि०	सिंगल सुपरफास्फट = 95,000 टनीज = 1,61,000 (विस्तार के बाद)	सी०आई०एल० 69/80 (विद्यमान) दिनांक 17-3-80	
चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स			
1978 1979 1980			
— 1 —			
29. मै० टाटा एक्सपोर्टस लि०	शू अपर्स = 7,20,000	सी०आई०एल० 1/79 दि० 15-1-79	कार्यान्वित
सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद			
1978 1979 1980			
— — 2			
30. बिरला जूट मैन्यू० कं० लि०	पोर्टलैन्ड सीमेंट = 13.81 लाख टनीज (विस्तार के बाद)	सी०आई०एल० 186/80 दि० 25-7-80	
31. संदर्न एसबेस्टस सीमेंट लि०	एसबेस्ट्स सीमेंट प्रैशर पाइप = 30,000 मी० टन	सी०आई०एल० 334/80 दि० 5-11-80	

1	2	3	4
लकड़ी उत्पाद			
1978 1979 1980			
— — 2			
32. मैसूर प्लाईवुड लि•	डेकोरेटिव तथा नान डेकोरेटिव वैनीर्स (टी चेस्ट प्लाइवुड को छोड़कर) ≃ 30 लाख वर्ग मीटर	सी०आई०एल० 29/80 दि० 24-1-80	
33. बास्तर वुड प्रोडक्ट लि०	1. डेकोरेटिव वेनीर्स—34 लाख वर्ग मी० 2. टी० चेस्ट प्लाईवुड को छोड़कर विभिन्न किस्म के प्लाईवुड—15 लाख वर्ग मी०	सी०आई०एल० 33/80 दि० 22-3-80	

सभी औद्योगिक लाइसेंसों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूजलेटर" में प्रकाशित किया जाता है जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

डॉ० वसंत कुमार पंडित : महोदय, उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है । इसलिए कि दिए गए 53 औद्योगिक लाइसेंसों में से केवल सात उद्योगों की स्थापना की गई है । सीधा सवाल यह है कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं की गई ? राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने एक वर्ष के लिए लाइसेंसों की वैधता बढ़ाने के लिए के समय कारण जानने के लिए क्या प्रयत्न किये । केवल समय बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी दिया गया है । वे कारण का पता लगाते हैं । वे कारण पूछते हैं ।

डॉ० वसंत कुमार पंडित : और इसके बाद वे समय बढ़ा देते हैं । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें उन कारणों का पता लग गया है कि औद्योगिक लाइसेंस लेने के बाद उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं की जाती है । क्या कारण हैं कि लाइसेंस दे दिए जाने के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं किए गए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है कि क्यों उद्योग नहीं लगाए गए; क्या बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं, या कोई वित्तीय कठिनाई तो नहीं । क्या कारण हैं ? अन्यथा मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से कभी प्रगति नहीं कर सकेगा ।

मेरा सीधा सवाल है कि क्या सरकार कोई पुनरीक्षा समिति बनायेगी जो पता लगाए कि क्यों उद्योग स्थापित नहीं किए गए ।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य के पहले प्रश्न को समझ रहा हूं । वह मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना न होने से चिन्तित हैं जब मैं भोपाल गया था तो मैंने मुख्य मंत्री और अन्य सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे मुझे

(1) उन आवेदनों की सूची दें जो अनिर्णित पड़ी हैं ताकि उन पर तत्काल कार्यवाही की जा सके, यदि कुछ कमियां हैं तो वे हमें बता दें कि उन्हें कैसे दूर किया जाए ।

(2) हमने भी उनसे वही प्रश्न किया था जो माननीय सदस्य ने किया है कि लाइसेंस लेने के बाद भी उद्योग क्यों नही चलाए जाते हैं ।

(3) माननीय सदस्य यह मानेंगे कि औद्योनिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के तुरन्त बाद हमने प्रत्येक लाइसेंस पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी कक्ष की स्थापना की है और प्रत्येक सम्बन्धित संयुक्त सचिव निगरानी रखता है और बताता रहता है कि जारी किए गए किसी लाइसेंस विशेष की स्थिति क्या है ।

(4) जैसाकि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को कहा गया है कि यदि 31-3-1981 तक यदि इन लाइसेंसों के बदले उद्योग नहीं लगाए जाते हैं या यदि आरक्षण पत्रों के बदले लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं तो वे हमें बतायें कि (एक) विलम्ब का क्या कारण है और (दो) इन लाइसेंसों को रद्द क्यों न कर दिया जाए ।

डा० वसंत कुमार पंडित : महोदय, मैंने मद संख्या 3 का हवाला देता हूं। यह वह उद्योग था जो स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) द्वारा स्थापित किया जाना था। कम से कम सरकार को इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि सेल मध्य प्रदेश में कोई उद्योग क्यों नहीं स्थापित कर सका ? मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित मद संख्या 22,23 और 24 को भी देखें। जब माननीय मंत्री जी ने भोपाल का दौरा किया था तब सरकार ने निश्चय ही अपने उन उद्योगों के बारे में बताया होगा जो स्थापित नहीं किए जा सके। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वे राज्य से पूछताछ करेगी कि क्यों ये उद्योग स्थापित नहीं हो सके। ये प्राइवेट उद्योग नहीं हैं।

श्री चरणजीत चानना : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को दिए गए उनके पहले प्रश्न के अपने उत्तर में पुष्टि की है कि "सेल" के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ कि वे हमें यह बतायें कि यह प्राइवेट सैक्टर में है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में; लाइसेंसों के कियान्वयन में देरी के कारण और किस स्तर तक कियान्वयन हो चुका है।

दूसरे, जहां तक राज्य औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वे उनके सामने आने वाली समस्याओं को मानीटर कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक हमें इन परियोजनाओं से सम्बन्धित कठिनाइयों के बारे में सूचित नहीं किया है।

श्री चक्रधारी सिंह : मैं आप के माध्यम से उद्योग मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में कोकर सक्शन्स के साथ-साथ आदिवासियों और हरिजनों को लघु उद्योग धन्धे स्थापित करने के लिए आप ने कोई रियायतें दी हैं और यदि दी हैं, तो वे कौन-कौन सी रियायतें हैं ?

श्री चरणजीत चानना : इस प्रकार की जो रियायतें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं, वे रियायतें स्टेट गवर्नमेंट देती है।

श्री नीरेन घोष : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहुत बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में पक्षपात किया जाता है तो क्या हमेशा के लिए इस पक्षपातपूर्ण रवैए को समाप्त करने के लिए लाइसेंस मंजूर करने की शक्तियां राज्य सरकार को दे देना अच्छा न होगा ? उदाहरणार्थ, मैं जानता हूं कि फिलिप इण्डिया को कलकत्ता में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें पूना जाने के लिए कहा गया।

श्री चरणजीत चानना : लाइसेंस देने में कोई पक्षपात नहीं किया जाता। इसलिए, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

1976 के बाद सेवा निवृत्त हुए सेना कर्मचारियों की पेंशनों में असंगति

को दूर किया जाना

*314. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :

श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1977 और 1979 में दी गई रियायतों की तुलना में सेना के 1976 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन लाभों में असंगति को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को सेवा-निवृत्ति के समय लागू नीति के अनुसार विनियमित किया जाता है। 30-9-1977 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को अस्थायी वृद्धि, तदर्थ वृद्धि, तदर्थ राहत और समय-समय पर पर मिलने वाली राहत मिलेगी। इस प्रकार इस सम्बन्ध में उनके तथा इसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच असंगति को कम कर दिया गया है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : महोदय, मेरे द्वारा दिए गए मूल प्रश्न में थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया गया है। मैंने पाया है कि सरकार अस्थायी वृद्धि, तदर्थ वृद्धि, तदर्थ राहत और समय-समय पर मिलने वाली राहत देती है। किसी सीमा तक विसंगति को कम कर दिया गया है किन्तु समाप्त नहीं किया गया है। चूंकि सैनिकों की सेवा की शर्तों में विशिष्ट होती हैं और उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस विसंगति को समाप्त करने के लिए कुछ और करेगी और इस प्रकार पूरे प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम इन मुद्दे पर काफी सहानुभूति रखते हैं और ऐसे कदम उठाते समय प्रत्येक बात हम यह देखते हैं कि हमारे जवान सरकार से कुछ राहत अथवा सहायता प्राप्त कर सकें। यह सत्य है कि कुछ विसंगति है और हमने इस विसंगति को कम करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। निश्चय ही हमारा यह प्रयास रहेगा कि यह विसंगति उत्तरोत्तर कम होती जाए।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह

इन कदमों को कब तक उठायेंगे ताकि रिटायर्ड जवान इस अच्छे समाचार को सुनकर खुश हो ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ राहत तो दी है लेकिन इसके बावजूद भी असमानता बनी हुई है । इन्होंने अपने जवाब में कहा—"इस प्रकार इस सम्बन्ध में उनके तथा इसके बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के बीच असंगति को कम कर दिया गया है ।" इस जवाब से यह लगता है कि इस असंगति को कम कर दिया गया है, बिल्कुल समानता अब भी नहीं है । दोनों के बीच में डिस्पेरिटी है । जब स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन का मामला आया था तो आपने नियमों में संशोधन करके भी उनके लिए समानता ला दी थी । सेना हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है और वे भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी भी महत्ता है । इनकी महत्ता को देखते हुए इनके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने में सरकार को क्या आपत्ति है ? जब आपने स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में किया है तो फिर सेना के मामले में आपको यह करने में क्या आपत्ति है, इसमें सरकार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह जो डिस्पेरिटी है इस के लिए 1977 में कदम उठाए गए थे उसके बाद यह बढ़ गयी थी । उसके बाद इनको बहुत कम करने का हमने प्रयास किया और इन्हें बहुत कम भी किया है । आज भी सदन के अन्दर मैंने प्रश्न के जवाब में बताया है कि जवानों के साथ हमारी सहानुभूति है और जो कुछ हम उनके लिए कर सकते हैं वह करने के बारे में हम सोच रहे हैं ।

मगर जो आप यह पूछ रहे हैं कि इसमें क्या आपत्ति है, तो आपत्ति पैसे की होती है और सौ डेढ़ सौ करोड़ रुपए का सवाल भी इसमें पैदा हो जाता है । मगर जवानों के लिए सारा जो करने को है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : एक तरफ सरकार की उनये सिम्पैथी भी है और दूसरी सरकार यह कहती है कि पैसे का मामला है । आप यही कह दीजिए कि इसमें पैसे का मामला है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं । यह रक्षा कर्मचारियों का मामला है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि हमारी सहानुभूति है । पहले भी हमने किया है । बाद में भी हम करने के बारे में सोच रहे हैं इससे ज्यादा आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री आर० के० महालगी : वर्तमान बजट में रक्षा व्यय 400 करोड़ रु० बढ़ा दिया गया है । इस विसंगति को समाप्त करने के लिए सरकार क्या निश्चित कदम उठा रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह नेचर ही ऐसा है कि इसमें डिस्पेरिटी है । इसमें कोई छोटा है, कोई मोटा है ।

श्री राम विलास पासवान : एक तरफ कर्मचारियों के वेतन को कम किया जा रहा है दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई मोटा है, कोई छोटा है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत ही गंभीर मामला है । (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरा पूरा जवाब सुनने से पहले ही माननीय सदस्य उठकर खड़े हो गए । (व्यवधान) हमारी गवर्नमैंट सर्विस में भी पूरी तरह से इक्वेलिटी है, यह कहने की स्थिति में अभी हम नहीं हैं । अलग-अलग स्थानों में काम करने वाले लोग या जो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, जिनकी जिम्मेदारी कम है, ये नैसर्गिक परिस्थितियां उसके अन्दर हैं । इन नैसर्गिक परिस्थितियों को भुलाया नहीं जा सकता । इसके बाद भी हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है, उसमें जितनी कमी कर सकें, उतनी कमी करें । इस ओर हमारे प्रयास जारी हैं, लेकिन यहां पर इतना समय नहीं है कि सारी चीजें रखी जा सकें ।

स्पिरिट घोटाला

*315. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल और तमिलनाडु सरकारों ने स्पिरिट घोटाले के मामले में पृथक-पृथक रूप से न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय स्तर पर जांच किए जाने का विचार किया गया है और यदि हां, तो कैसे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने इन मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं । केरल सरकार ने भी न्यायिक जांच कराने को निर्णय किया है ।

(ग) मामला सरकार के विचारधीन है ।

श्री के० लकप्पा : जहां तक मुझे याद आता है स्पिरिट घोटालों में से यह सबसे बड़ा घोटाला है । जो कुछ सूचित किया गया है वह केवल संकेत मात्र ही है । इसमें दो सरकारें शामिल हैं एक मार्कसवादियों द्वारा चलाई जा रही केरल सरकार और आल इण्डिया द्रविड़ मुनेत्र कगजम (ए० आई० डी० एम० के०) द्वारा चलाई जा रही तमिलनाडु सरकार । मार्कसवादी सरकार प्राप्ति की ओर है और तमिलनाडु सरकार प्रेषण की ओर । ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं और सभी कार्यवाहियां गैर-कानूनी हैं । यहां तक कि उत्पादन शुल्क मंत्री और सम्पूर्ण मार्कसवादी सरकार इस घोटाले में शामिल हैं·····(व्यवधान) । यह केवल हिमशिला का एक किनारा है·····(व्यवधान) । यह एक 50 करोड़ रु० का घोटाला है···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था के प्रश्न पर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न—काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ न्यायिक जांच करवाई जा रही है। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री के० लकप्पा : इसमें दो राज्य शामिल हैं। यहाँ तक कि न्यायाधीश कैलासम की नियुक्ति का भी विरोध किया गया क्योंकि उन्होंने उन्हें केवल इस घोटाले को समाप्त करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा केरल सरकार ने अभी तक जांच आयोग नियुक्त नहीं किया है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप कृपया बैठ जाइए।

श्री के० लकप्पा : दो राज्यों में विवाद को ध्यान में रखते हुए और एक जांच-पड़ताल के बहाने घोटाले को चालाकी से निपटाया जा रहा है; मैं एक केन्द्रीय जांच-पड़ताल के लिए कह रहा हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वह राज्य सरकार के विरुद्ध दोषारोपण कर रहे हैं इसे मिटा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार को 22 संसद सदस्यों तथा दोनों राज्यों के कुछेक विधान सभा सदस्यों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मैंने माननीय सदस्य को यह बता दिया है कि यह भारत सरकार के विचाराधीन है कि एक जांच आयोग बैठाया जाये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप हरियाणा में भी जांच आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं ? (**व्यवधान**) महोदय, प्रश्न में आपने इसकी अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पूरक प्रश्न की अनुमति दूंगा। आप इस प्रकार क्यों कर रहे हैं ? आप शिष्टाचार क्यों नहीं अपनाते ?

श्री के० लकप्पा : महोदय, यह गम्भीरता की बात है। माननीय गृहमंत्री ने बताया है कि सम्बन्धित राज्यों के संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों ने भी एक ज्ञापन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई प्रश्न पूछेंगे ?

श्री के० लकप्पा : महोदय, कृपया मुझे धैर्य से सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : धैर्य नहीं, मैं प्रश्न चाहता हूं ।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वह केन्द्रीय जांच करवायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें । मैं आप की भी एलाऊ करूंगा । आप इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? मैंने आपको प्रश्न करने को कहा है न कि मांग ।

श्री के० लकप्पा : महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि यह विचाराधीन है मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने समय में और कितना शीघ्र माननीय गृह मंत्री केन्द्रीय जांच आयोग नियुक्त करेंगे । स्थिति की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । प्रश्न सूची भी देखो । कृपया धैर्य रखें ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, चूंकि इस मामले में दो राज्य शामिल हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि केन्द्र एक जांच आयोग नियुक्त करने का विचार कर रहा है ।

श्री के० लकप्पा : कितनी जल्दी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यथाशीघ्र नियुक्त कर दिया जायेगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि जब केरल और तमिलनाडु सरकारों ने इन सारे मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है और दोनों सरकारों ने पहले ही कदम उठा लिए हैं तो क्या केन्द्र सरकार के लिए सदन में यह घोषणा करना उचित है कि वह शीघ्र ही एक जांच आयोग नियुक्त करने जा रही है ? जब ऐसी वारदातें दिल्ली और हरियाणा में हुई तो क्या उन्होंने कोई आयोग बिठाया था अथवा कोई प्रस्ताव किया था ? वह क्या कारण हैं कि इन राज्यों को अलग रखा गया ? मैं निश्चय से कहता हूं कि यह राजनैतिक स्वार्थों में किया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैंने कहा है कि इस मामले में एक से अधिक राज्य शामिल हैं और इस मामले में संसद सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें काफी दोष लगाये गए हैं । एक राज्य ने पहले ही जांच आयोग बिठा दिया है दूसरे राज्य का कहना है कि वह इस पर विचार कर रहा है । अतः इस स्थिति में यह वांछनीय होगा कि वह इस सारे में केन्द्र को भी एक जांच आयोग की स्थापना करनी चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, उन संसद सदस्यों में से मैं भी एक हूं जिन्होंने केन्द्रीय जांच करवाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। किन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह किस प्रकार की जांच करवाने का विचार रखते हैं क्योंकि तमिलनाडु में एक दल केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाना चाहता है जबकि सत्तारूढ़ पार्टी न्यायपालिका ढांचे के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश से जांच चाहती है। क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है मामले: जांच किस प्रकार की होगी ? मैं जानता हूं कि सरकार ने अभी इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। किन्तु जांच किस प्रकार की जायेगी ? क्या सरकार का न्यायिक जांच करने का विचार है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है और किसी प्रकार की उचित जांच करवाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु। (व्यवधान) मैं आप सब को एक-एक करके बुलाऊंगा। मैंने सभी का रुझान रखवा है.....क्योंकि उसका राज्य भी सम्बन्धित है। मैंने उसे बुलाना ही है।

श्री चित्त बसु : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्यों इस मामले में केन्द्र द्वारा जांच कराने का निर्णय लेने से पहले केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित सरकारों से परामर्श कर लिया है मामला: तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार। क्यों सरकार विभिन्न गठित राज्य सरकारों से परामर्श करने को वांछनीय नहीं समझती ?

अध्यक्ष महोदय : वह उसी में ही आ गया है।

श्री के० करुप्पा : बोलने के लिए खड़े हुए (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार जब निर्णय लेगी तो सभी मामलों पर विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह एक गम्भीर मामला है जिसमें दो राज्य सरकारें शामिल हैं। केरल तथा तमिलनाडु में लोग काफी उत्तेजित हैं। 20 हजार कांग्रेस (ई) कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया जब वे न्यायायिक जांच की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार तमिलनाडु में डी० एम० के० के 10,000 लोग गिरफ्तार किये गये। मैं उपाध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जेलों का दौरा किया और गिरफ्तार सांसदों को देखा। (व्यवधान) 35 करोड़ रु० तक की राशि के मामले में अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा यह कार्य गैर-कानूनी है। दूसरे, यह केवल स्प्रिरिट ही नहीं है। तमिलनाडु से शीरा भी गैर-कानूनी ढंग से बाहर भेजा जाता है। केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने तमिलनाडु सरकार को निदेश दिया कि वह आन्ध्र प्रदेश को 60 लाख लीटर शीरा सप्लाई करे। जबकि तमिलनाडु सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को इसकी सप्लाई करने से मना कर दिया किन्तु इसने गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टरों को सप्लाई किया जो शीरे से ताड़ी बनाते हैं।

मंत्री महोदय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जांच आयोग का हवाला दिया है नामतः कैलासम आयोग। कैलासम आयोग की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार केवल उन्हीं मामलों की जांच की जायेगी जो अक्टूबर-नवम्बर, 1980 में हुई हैं। वे केवल दो महीनों से सम्बन्धित है। किन्तु यह घोटाला 1978 से होता चला आ रहा है।

एक और मुद्दा भी है। (व्यवधान) कृपया वास्तविकता का सामना कीजिए।

(व्यवधान)। उन्हीं शर्तों के अनुसार, जाँच के दौरान अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो आयोग भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय भी सुझायेगा। अतः तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग भविष्य में होने वाली अनियमितताओं को रोकने का कार्य करेगा—जिसका अर्थ यह होती है किसी दोषी व्यक्ति को सजा नहीं दी जायेगी। यह नियुक्ति की शर्तों के अनुसार है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कब तक जांच आयोग बैठायेंगे। जांच आयोग अधिनियम, 1979 तक यथा संशोधित, के अधीन यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब दो सरकारें शामिल होती हैं तो वहाँ सांविधानिक बन्धन होते हैं। इस मामले में दो सरकारें शामिल हैं और अनुच्छेद 30 के अधीन सरकार कब तक जाँच आयोग बैठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जितनी जल्दी सम्भव होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रोफेसर कुरियन

प्रो० पी० जे० कुरियन : बोलने के लिए खड़े हुए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक आदमी को अनुमति दे सकता हूं। मैं सभी को अनुमति नहीं दे सकता। इस प्रश्न पर मैंने बहुत से पूरक प्रश्नों की अनुमति दी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि केन्द्रीय सरकार एक जाँच आयोग बैठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार ने न्यायायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या सरकार इसलिए दूसरा जांच आयोग केवल इसलिए बिठाने का विचार कर रही है कि उसे तमिलनाडु और केरल सरकारों पर भरोसा नहीं है अथवा उसे इन दोनों राज्यों की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है ? (व्यवधान) यह एक प्रासंगिक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न पूछ लिया है। उन्हें इनका उत्तर देने दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उन्हें यह भी पता है कि गैर-कानूनी ढंग से स्पिरिट का आवगमन तमिलनाडु में ही नहीं किन्तु पिछले वर्ष से कर्नाटक में भी हो रहा है ?

(व्यवधान) अगर कोई जाँच आयोग बैठाया जाता है तो क्या इस तथ्य को भी उसमें शामिल किया जायेगा ? (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : किसी राज्य में भरोसे का कोई प्रश्न नहीं है यह वह मामला है जिसमें एक से अधिक राज्य शामिल है संसद सदस्यों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से काफी ज्ञापन और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस लिए सरकार गंभीर है..... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। (व्यवधान) वह इसका उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब आयोग का गठन किया जायेगा तब उसके द्वारा जाँच किए जाने वाले विषयों पर निर्णय लिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरा प्रश्न सुस्पष्ट है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जब दोनों सरकारों द्वारा पहले ही न्यायाधिक जांच के आदेश दे दिए हैं तो दूसरी जांच क्यों करवाई जा रही है। क्या न्यायपालिका में विश्वास न होने के कारण। इस स्पष्ट प्रश्न का उत्तर उन्हें अवश्य देना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इससे न्यायपालिका में अविश्वास का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें न्यायपालिका में पूर्ण भरोसा है। इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सुन लीजिए। उन्होंने कहा है वहाँ दो जाँच आयोग हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने शुरू में ही कहा है कि संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक ही मुद्दे पर दो आयोग अलग-अलग नहीं बिठाये जा सकते। इसलिए केन्द्र निर्णय ले रहा है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वह टाल-मटोल कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : दो आयोगों के मामले में, दो विभिन्न निष्कर्ष होंगे और दो विभिन्न निर्णय होंगे जिससे समस्या पैदा हो जायेगी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट। (व्यवधान) जी नहीं, जी नहीं। कृपया बैठ जायें। (व्यवधान) श्री राजेश पाइलट।

श्री राजेश पाइलट : केन्द्र सरकार एक आयोग बैठाने जा रही है। माननीय गृह

मंत्री जी ने इस सदन को आश्वासन दिया कि— हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और गृह मंत्रालय ने ऐसी जांच पड़ताल करवाई थी, अगर मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। शाह आयोग जैसे आयोग राष्ट्र के लिए एक उपहास था,—अगर कोई जालसाजी न की जाये तो ही इसका औचित्य है और उन्हें सही दिशा दिखाई जानी चाहिए॥ (व्यवधान) आज, अगर आप नागरिकों को जांच आयोगों के बारे में बतायेंगे तो वे विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस मामले में न्याय किया जायेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी एलाऊ किया है मैंने। आप मुझे सुनने ही नहीं देते।

श्री राजेश पाइलट : अगर आप किसी नागरिक से इन जांच आयोगों के बारे में बात करें तो वह हंस देगा। क्या आप सदन को तथा राष्ट्र को यह आश्वासन देंगे कि न्याय किया जायेगा और अन्य जांच आयोगों की तरह इस बार कोई जालसाजी नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहले सारे जांच आयोग कुछेक सम्मानपूर्वक व्यक्तियों से द्वेष की भावना से बिठाये गये थे। यह उस प्रकार का जांच आयोग नहीं होगा; और किसी को उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा। यह केवल सत्य का पता लगाने के लिए गठित किया जायेगा ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(व्यवधान)

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने तमिलनाडु और केरल में न्यायायिक जाँच, जिनके पहले ही आदेश दे दिए गए हैं; के बारे में स्पष्ट किया है। जबकि जाँच चल रही है; उन्होंने एक अन्य कारण बताया है कि उन्हें संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। (व्यवधान)

श्री ई० बालानन्दन : उन्होंने कहा, जबकि जांच चल रही है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह असम्बद्ध है।

श्री ई० बालानन्दन : उन्होंने अन्य कारण बताया है कि कुछ सांसदो तथा विधान सभा सदस्यों ने प्रतिवेदन दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री ई० बालानन्दन : मेरा प्रश्न है कि जब संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों ने अभ्यावेदन दिए हैं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ई० बालानन्दन : उनका आधार सांसदों और विधान सभा सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है। मैं इसे वर्जित करता हूं। (व्यवधान) उन्होंने कहा है दो विभिन्न जांच आयोग। यह भी एक कारण है।

श्री ई० बालानन्दन : मुद्दा यह नहीं है। कारण जो उन्होंने बताया है वह यह है।

अध्यक्ष महोदय जी नहीं, मैं इसे वर्जित करता हूं।

श्री ई० बालान : केरल और तमिलनाडु में जब अधिकतर संसद सदस्य इसके विरुद्ध हैं तब वे कैसे अन्य जांच आयोग बिठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं, श्री चव्हाण।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं भी व्यवहारिक तौर पर उसी मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। शायद आप फिर इसे वर्जित कर दें। मुख्य मुद्दा यह है कि हम किसी घोटाले अथवा भ्रष्टाचार के बारे में जांच के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु जब हम यह देख रहे हैं कि एक न्यायायिक जांच के लिए आदेश दिया जा चुका है.....।

अध्यक्ष महोदय : वहां दो हैं, महोदय।

श्री यशवंतराव चव्हाण : किन्तु जब एक जाँच के आदेश दे दिए गए हैं तो क्या उसी तथ्य पर और उसी दोष पर केन्द्र द्वारा एक और जाँच आयोग बिठाया जा रहा है ? क्या यह न्यायायिक जांचों का विरोधाभास नहीं होगा अगर वे विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि वहाँ पर दो हैं, इसलिए वे तीसरा भी चाहते हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : तब यह लोगों के दिमाग में संदेह पैदा कर देगा कि क्या इसके पीछे कोई राजनैतिक स्वार्थ है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा है किन्तु आप अनावश्यक वह स्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि कोई इस पर संदेह कर सके। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : आनरेबल स्पीकर साहब, यस विडिक्टिवनैस का सवाल नहीं है। यह इंडिविजुअल का सवाल नहीं है। एक से ज्यादा स्टेट्स में यह स्कैंडल हुआ। इसकी सीरियसनैस वे दोनों स्टेट्स मानती है। इसी लिए एक स्टेट ने एनक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दिया है (व्यवधान) और दूसरी स्टेट एक्वायरी कमीशन बनाने की सोच रही है, उस पर गौर कर रही है। सैंट्रल गवर्नमेंट के पास भी मामला आया है। हम सब ला पाइंट्स को देखेंगे और तमाम चीजों को कनसिडर करेंगे। कनसिडरेशन के बाद अगर

जरूरी हुआ, तो हम एनक्वायरी कमीशन बिठायेंगे। यह मामला विचाराधीन है। इस लिए जब तक वह विचाराधीन है, तब तक टर्म्ज आफ रेफरेंस की बात, और यह सोचना कि वह कैसे करेगा, यह जरूरत से पहले और समय से पहले है। जब एनक्वायरी कमीशन मुकर्रर हो जायेगा, तब यह सवाल पैदा होगा कि यह क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० प्रधानी—प्रश्न संख्या 316.

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : क्या हम इसके साथ प्रश्न संख्या 320 भी ले सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : दोनों मंत्री अलग-अलग बातें कह रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते तो हैं नहीं। वही जवाब है कोई अन्तर नहीं है। (व्यवधान) अगर आपने इस बारे में कुछ करना है, तो मुझे नोटिस दीजिए। (व्यवधान) अगर आप को कोई आपत्ति है तो आप मेरे कक्ष में आयें (व्यवधान) अनुमति नहीं। आप को अगर कोई उत्तर गलत लगता है तो मेरे पास आ जाइए। यह तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान) आप ऐसा करते हैं जैसे आप ने पढ़ा नहीं है। आप पढ़ कर आइए और देखिए, अगर कोई चीज गलत हो तो मुझे बताइए।

छठी पंचवर्षीय योजना में स्व-नियोजन परियोजनाएं

*316. **श्री के० प्रधानी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ स्व-नियोजन परियोजनाएं अपनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसी स्व-नियोजन योजनाएं उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रारम्भ की जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाएं राज्य के आदिवासी क्षेत्र में भी प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जायेंगी; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) छठी योजना (1980-85) में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं देने पर पर्याप्त बल दिया गया है।

(ख) और (ग) इन सुविधाओं का उड़ीसा और उसके जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में विस्तार किया जायेगा।

(घ) स्व-रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण, ऋण, विपणन और मार्ग-दर्शन जैसी आवश्यक सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि :

(1) देश में लागू की जाने वाली स्व-रोज़गार योजनायें कौन-कौन सी हैं ?

(2) छठी योजना के दौरान देश में कितने लोगों को लाभ प्राप्त होगा ? और

(3) इन योजनाओं के लिए कितनी मुद्रा आवंटित की गई है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : महोदय, जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है तीसरे पूरक में उड़ीसा प्रश्न के उत्तर में उड़ीसा का छठी योजना परिव्यय 15000 करोड़ रु० हैं।

659 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो योजना परिव्यय के अनुपात के रूप में 31.6 प्रतिशत की अखिल-भारतीय औसत की तुलना में 44 प्रतिशत के लगभग होती है। 510.7 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता गाड़गिल फार्मूले के अधीन दी जाती है और शेष आई० ए० टी० पी० फार्मूले और बाह्य-सहायता परियोजनाओं के अधीन दी जाती है।

770 करोड़ रु० के विशेष कार्यक्रम के अधीन कुल सहायता में से उड़ीसा को सबसे अधिक सहायता 166 करोड़ रु० दी जाती है जो 21.5.1 बनती है।

विशेष सहायता कार्यक्रम की प्रमुख विशेषतायें ये हैं। सर्वप्रथम वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो अधिकतर रोजगारोन्मुख होते हैं और जिन्हें रोजगार और उत्पादोन्मुख समन्ना जा सकता है। दूसरी प्रमुख विशेषता स्व: रोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण योजना को एक नई योजना में बदल दिया जायेगा ताकि कृषि और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों, व्यापार, परिवहन और अन्य उपक्रमों में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित किया जा सके।

विपणन सुविधायें काफी महत्वपूर्ण हैं। बहुत से कुटीर और ग्रामीण उद्योग मध्यस्थों पर निर्भर करते हैं जिनके बिना विपणन की समस्या पैदा हो जाती है। उत्पादनोन्मुख विपणन संगठनों के गठन और वर्तमान संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

श्री के० प्रधानी : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या इन योजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में लागू करने में कोई प्राथमिकता दी जा रही है और क्या पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैंने अभी-अभी बताया है कि उड़ीसा के लिए परिव्यय में, वहां के पिछड़ेपन और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, विशेष सहायता दी जा रही है।

श्री अरविन्द नेताम : माननीय मन्त्री महोदय ने जनजातीय क्षेत्रों के बारे में

बताया है । वनों से होने वाली उपज एक ऐसी मद है जिससे कि वहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है । आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछेक राज्यों में वन श्रमिक सोसाइटियां हैं । मैं नहीं जानता कि क्या ऐसी सोसाइटियाँ अन्य राज्यों में भी हैं जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं । क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को ऐसी वन श्रमिक संस्थायें बनाने के लिए कहेगी ताकि अधिक स्व-रोजगार प्राप्त हो सके ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय इन तथ्य पर ध्यान दिया गया था । (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : स्व-रोजगार योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वियन हेतु यह जरूरी है कि व्यावसायिक संस्थानों और महाविद्यालयों की ओर भी उचित ध्यान रखा जाये । मैं यह पूछना चाहूंगा कि स्व-रोजगार योजना के महत्व को ध्यान में रखकर क्या सरकार व्यावसायिक संस्थानों और कालेजों के लिए विशेष आवंटन करने का विचार करेगी ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्कूल योजना पर विचार किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है ।

श्री सन्तोष मोहन देव : मन्त्री जी ने इस योजना के बारे में स्पष्ट सूचना दी है । किन्तु कुछ राज्य जैसे पश्चिमी बंगाल बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर पैसे को बेकार कर रही हैं और इस प्रकार मुद्रा का दुरुपयोग हो रहा है । (व्यवधान)

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : राज्य-सरकारों के बारे में···(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : यह इसी प्रकार हो रहा है । प्रत्येक बार पश्चिमी बंगाल, केरल और अन्य (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे प्रश्न सुन लेने दें । आप क्या कह रहे थे ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछ रहा था कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देते हुए फण्डों का दुरुपयोग कर रही है । (व्यवधान) मंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं । (व्यवधान) आप किस प्रकार कह सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अगर कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में लाया जायेगा तो इसकी जांच की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली में खाद्यान्नों की बिक्री

*310. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली के मुख्य चौराहे पर चोरी किए गए और सड़े हुए खाद्यान्नों की बिक्री की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्यान्न व्यापारियों ने इस स्थान को मंडी जैसा बना दिया है, जिससे वहां बहुत भीड़ भाड़ रहती है और सड़क लगातार रुकी रहती है तथा उस क्षेत्र के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) जनता द्वारा उठाई जा रही परेशानियों तथा वहां के अस्वास्थ्यकर वातावरण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का उस क्षेत्र से इन दुकानों को हटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें श्रद्धानन्द बाजार में चोरी किए गए और सड़े हुए खाद्यान्नों की बिक्री के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। परन्तु यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में अनाज का बाजार होने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्नों को उतारने व चढ़ाने का काम होता है जिसके कारण खाद्यान्न बिखर जाते हैं। कुछ गरीब लोग इन बिखरे हुए खाद्यान्नों को इकट्ठा कर लेते हैं और साफ करने के बाद बेचते हैं।

(ख) और (ग) यह क्षेत्र बहुत ही घना और अधिक भीड़-भाड़ वाला है जिसके कारण सड़कें बार-बार रुक जाती हैं। इन दुकानों को कहीं और भेजने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित होने से यातायात की भीड़-भाड़ के कम होने की सम्भावना है।

सोलर कुकरों का निर्माण

*317. प्रो० मधु दंडवते : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 1981-82 वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम 100 "सोलर कुकरों" के लिए राज सहायता देने की योजना बनाएं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की राज सहायता दी जायेगी जिससे कि विभिन्न राज्यों में भिन्न संगठनों को तेल की बचाने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए "सोलर कुकरों" का निर्माण आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहन मिल सके ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ।

(ख) सारे कुकरों सहित नवीकरणीय उर्जा प्रणालियों और सौर युक्तियों के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जा रही है। एक बढ़ी हुई मूल्य-ह्रास छूट की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

आदिवासियों के मुकदमों के लिए विशेष न्यायालय

*318. श्री मनमोहन टुडु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों को दूसरे लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से उनकी भूमि से बेदखल किए जाने के मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का है;

(ख) क्या ऐसे विशेष न्यायालय प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) यदि हाँ, तो इस तरह के प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों ने अधिनियम बनाए हैं, जिनमें राजस्व अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामलों की शीघ्र सुनवाई और उनको भूमि वापस दिलाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का नैनीताल जिले में जनजाति भूमि पर अनधिकृत कब्जे से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का विचार है। सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, मिजो-म अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा, दमन व दीव संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के भूमि अंतरण के कोई मामले नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों की संख्या नगण्य है।

(ख) तत्सम्बन्धी अधिनियमों के अधीन कार्य कर रहे राजस्व अधिकारी सामान्यतः सब-डिवीजनल अथवा नीचे के स्तर के हैं।

(ग) और (घ) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी— दरों में एकरूपता

* 19. श्री विजयकुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी—दरों में एक-

रूपता लाने के क्रम पर नवम्बर, 1977 में हुई कम्पेक्ट कमेटी की बैठक, दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के श्रम मंत्रियों के जनवरी, 1978 में हुए सम्मेलन और पुनः 19-20 जुलाई, 1980 के हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनका निष्कर्ष क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पैक्ट समिति की बैठक में एक सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि 1000 बीड़ियों को लपेटने के लिए मजदूरी में अन्तर 25 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। आमतौर पर यह स्वीकार किया गया कि महानगरों और बड़े शहरों में मजदूरी दरों का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दरों के स्तर से मामूली सा अधिक हो सकता है। इस मामले को 27 जनवरी, 1978 के त्रिवेन्द्रम में हुए दक्षिणी क्षेत्र के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए उठाया गया। आम राय यह थी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों में बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी दरों में संशोधन पहली मई, 1978 तक किया जाना चाहिए। सुझाई गई और आम तौर स्वीकृत दरें 1000 बीड़ियों को लपेटने के लिए 5.50 से 6.00 रुपए के बीच थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7-5-79 को कर्नाटक सरकार ने 28-3-79 को और तमिलनाडु सरकार ने 1-1-79 को मजदूरी दरों में संशोधन किया। मजदूरी दरों में समानता लाने के प्रश्न पर 19-20 जुलाई, 1980 को हुए राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में महसूस किया गया कि हालांकि मजदूरी दरों में पूर्ण समानता लाना संभव नहीं है, फिर भी पड़ौसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों में व्यापक अंतर नहीं होना चाहिए। मजदूरी दरों को निर्धारित/संशोधित करते समय इस बात का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन निर्धारित मजदूरी दरों का अन्य राज्यों में उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

*320. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दरशाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपनी राजधानियों में तथा अन्य स्थानों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का उड़ीसा सरकार तथा अन्य राज्यों को सभी जिला मुख्यालयों में उपरोक्त अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की शाखाएं खोलने के लिए सलाह देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । भुवनेश्वर में एक जनजाति और हरिजन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	संस्था का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	जनजाति, सांस्कृति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था, हैदराबाद ।
2.	असम	जनजाति अनुसंधान संस्था, गोहाटी ।
3.	बिहार	जनजाति कल्याण अनुसंधान संस्था, रांची ।
4.	गुजरात	जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद ।
5.	केरल	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास अध्ययनों के लिए केरल संस्था, कालीकट ।
6.	मध्य प्रदेश	जनजाति अनुसंधान और विकास संस्था, भोपाल
7.	महाराष्ट्र	जनजाति अनुसंधान संस्था, पुणे ।
8.	उड़ीसा	जनजाति और हरिजन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था, भुवनेश्वर ।
9.	राजस्थान	माणिक लाल जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था, उदयपुर ।
10.	पश्चिम बंगाल	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्था, कलकत्ता ।
11.	उत्तर प्रदेश	अनुसंधान कक्ष, हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ ।

टायरों के मूल्य में वृद्धि

*321. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुत जल्दी ही टायर के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : चूंकि टायर और ट्यूबों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं अतः सरकार द्वारा उनके मूल्य बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार शिक्षित युवक

*322. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री बी०वी० देसाई : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की सूचना दी गई है कि छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक अर्थात् 1985 तक 4.66 मिलियन शिक्षित युवक बेरोजगार हो जाएंगे;

(ख) यदि हां. तो क्या यह इंगित किया गया है कि यदि रोजगार की दर में आगे कोई गिरावट नहीं होती तो इस संख्या के बढ़ने की संभावना है;

(ग) शिक्षित युवकों को रोजगार मुहैया करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में क्या सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) कितने युवकों को रोजगार मुहैया किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) छठी योजना (1980-85) के अनुसार योजना की अवधि के अन्त में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इस अभिधारणा के आधार पर अनुमानतः 46.6 लाख होगी कि बेरोजगारी की दर और अधिक नहीं बढ़ेगी ।

(ग) और (घ) योजना दस्तावेज में विस्तार से बताए गए विभिन्न कार्यक्रमों से रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न होंगे । इससे शिक्षित युवाओं को भी लाभ पहुंचेगा । वेतन-प्रदत्त रोजगार के अलावा, ऋण, विपणन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित नीति उपायों के समुच्चय के जरिए स्वरोजगार के उपक्रमों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है ।

कन्या कुमारी जिले के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*323. **श्री एन० डेनिस :** क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्या कुमारी जिले के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं; और

(क) क्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उपरोक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष ध्यान देने तथा प्रोत्साहन देने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास को सुविधा देने के लिए कन्याकुमारी जिले को पहले से ही केन्द्रीय वित्तीय संस्थानो से रियायती वित्त प्राप्त करने का हकदार घोषित किया जा चुका है। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित जिला उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले का औद्योगिक विकास करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है तथा अन्य जिलों के मामलों की तरह, इस जिले में योजना का और सम्वर्द्धन करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने हेतु इस समय केन्द्र सरकार के विचारार्थ कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

पारिस्थितिक संतुलन के लिए पक्षियों का संरक्षण

*324. **श्री भीकूराम जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पक्षियों की सख्या कम होते जाने और देश के पर्यावरण के स्वरूप पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार पक्षियों की किसी प्रकार की गणना आरम्भ करने का है; और

(ग) पारिस्थितिक संतुलन के लिए पक्षियों की संख्या का संरक्षण करने और उसमें वृद्धि करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को विभिन्न आवासों में पक्षियों की संख्या में सामान्य उतार-चढ़ाव की जानकारी है। कुछ प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में कमी प्रतीत हुई है।

(ख) इस समय बम्बई नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने दो अभ्यारण्यों में पक्षी संख्या और प्रजातियों की आपेक्षिक प्रचुरता के सम्बन्ध में एक पंचवर्षीय परियोजना को हाथ में लिया हुआ है।

(ग) दुर्लभ और ऐसी प्रजातियों के पक्षियों और अन्य पशुओं को जिनके समूल नाश होने की आशंका होती है को वन्य जीवन (प्रतिरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना या दोहरी मूल्य व्यवस्था

*325. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय विशेषज्ञों ने सरकार को यह सिफारिश की है कि या तो सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया जाए या दोहरी मूल्य व्यवस्था कायम की जाए जिससे कि आधुनिकीकरण और विस्तार के जरिए इस उद्योग का अपेक्षित विकास हो सके;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस प्रकार की कोई सिफारिश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन

*326. **श्री आनन्द पाठक :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अधीन असैनिक पदों पर नियुक्ति के लिए त्रिपुरा से चुने गये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्तों का नए ढंग से सत्यापन केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जायेगा;

(ख) पश्चिमी बंगाल और केरल राज्यों के अतिरिक्त और किन-किन राज्यों के उम्मीदवारों का ऐसा सत्यापन कराया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के मामले में जिला पुलिस ऐसी जाँच करती है; और

(घ) यदि हाँ, तो केवल पश्चिमी बंगाल, केरल और त्रिपुरा के उम्मीदवारों के मामले में ऐसा सत्यापन कराए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) सरकारी सेवा में नौकरी के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग हेतु अपनाई गई सामान्य पद्धति के अनुसार उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों द्वारा दिया गया निर्धारित साक्ष्यांकन फार्म जिला प्राधिकारियों को भेजा जाता है अथवा जहाँ सरकार अपनी संतुष्टि के लिए यह महसूस करती है कि ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता निश्चित करने के लिए और अधिक सूचना अपेक्षित है वहाँ सरकार को अपने किसी भी उपलब्ध अभिकरणों से, जिसे वह ठीक समझे, और अधिक सामग्री अथवा सूचना

लेने की छूट है। तदनुसार, केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के आसूचना ब्यूरो से सत्यापन कराए जाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए थे।

एम० ई० एस० के असैनिक अधिकारियों की मुख्य मांगे

*327. **श्री टी० एस०नेगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० के असैनिक अधिकारी अपने वेतनमान बढ़ाए जाने तथा अपनी सेवा शर्तों में सुधार किए जाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं; और

(ग) असैनिक अधिकारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी हाँ।

(ख) उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) संवर्ग पुनरीक्षण।
(2) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में स्तर। के वेतनमान लागू करना।
(3) वरिष्ठ नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि।
(4) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रवरण ग्रेड लागू करना।

(ग) संवर्ग पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस पुनरीक्षण में वरिष्ठ नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि की मांग पर विचार किया जा रहा है। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में स्तर —1 का वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रवरण ग्रेड लागू करने की मांगे पहले ही मान ली गई हैं।

मारुति कार के लिए पुर्जों (हार्ड-वेयर) का आयात

*328. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने नई दिल्ली में 8 जनवरी को अर्थशास्त्रियों के साथ हुई अपनी बैठक में यह घोषणा की थी कि मारुति की स्वदेशी कार 1983 में बाजार में आ जायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी बैठक में उन्होंने कहा था कि विशिष्ट पुर्जों के रूप में हार्डवेयर की कुछ मात्रा का आयात किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो यह मारुति कार किस सीमा तक स्वदेशी होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) नई

दिल्ली में 8 जनवरी, 1981 को अर्थशास्त्रियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावित एकक में मोटर गाड़ियों के देशी निर्माण के लिए सरकार विदेशी सहयोग की खोज में है तथा 1983 में उत्पादन आरम्भ होने की आशा है। मैंने यह भी कहा था कि आरम्भिक अवधि में जब तक कि अन्तर्गृह या सहायक उद्योग क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का सृजन नहीं होता है तब तक स्वीकृत अवस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप कुछ हिस्से पुर्जों का आयात किया जा सकता है। प्राप्त होने वाले सहयोग प्रस्तावों पर निर्णय लेने के पश्चात् ही अवस्थाबद्ध निर्माण कार्य तथा देशीकरण कार्यक्रम को अन्ति रूप दिया जायेगा।

पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

*329. **श्री ईरा मोहन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार में अंग्रेजी भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के दैनिक पत्रों द्वारा पालेकर पंचाट स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) ऐसे समाचार पत्रों की संख्या क्या है, जिन्होंने पालेकर पंचाट को स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वित किया है;

(ग) ऐसे समाचार पत्रों की संख्या क्या है, जिन्होंने पालेकर पंचाट को स्वीकार नहीं किया है; और इस पंचाट निर्णय को कार्यान्वित न किए जाने के लिए ऐसे समाचार पत्रों द्वारा क्या कारण दिए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे समाचार पत्रों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से पालेकर पंचाट क्रियान्वित करने का सुझाव देने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी सम्बन्धी पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों को विधि का बल प्राप्त है। क्षेत्रीय भाषाओं के दैनिक पत्रों सहित देश के सभी समाचार-पत्रों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाना है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सिफारिशों का अविलम्ब कार्यान्वयन सुनिश्ति करायें।

सिफारिशों के कार्यान्वयन सम्बन्धी पूर्ण सूचना प्राप्त होनी है और प्राप्त होने पर इसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

सौर ऊर्जा संचालित उपग्रह

*3001. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित उपग्रहों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संकल्पना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में कोई व्यापक अध्ययन किया जा रहा है; और

(ग) इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार के पास सौर शक्तिचालित उपग्रह पर आधारित ऊर्जा से सम्बन्धित कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्राथमिक रूप से सौर शक्ति चालित उपग्रह से सम्बन्धित कुछ अध्ययन और उनके उपयोग पर काम हुआ है। इन अध्ययनों के निष्कर्ष ये हैं कि निकट भविष्य में सौर शक्ति चालित उपग्रह ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक रूप से जीवन क्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक तकनीकी और सुरक्षा-समस्याएं हैं जिनका अध्ययन किया जाना है और जो औद्योगिक रूप से अत्याधिक उन्नत देशों के लिए भी जटिल हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा भर्ती

*3002. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में फरवरी, 1980 से आज तक कितने लोगों को भर्ती की;

(ख) भर्ती किए गए व्यक्तियों को राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या एक राज्य विशेष के व्यक्तियों की भर्ती बड़ी संख्या में की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फरवरी, 1980 से 15 फरवरी, 1981 तक दिल्ली पुलिस द्वारा कांस्टेबलों के रूप में 1722 व्यक्तियों की भर्ती की गई है।

(ख) राज्यवार अलग-अलग आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

दिल्ली	328
उत्तर प्रदेश	480
हरियाणा	536

पंजाब	524
बिहार	11
हिमाचल प्रदेश	5
राजस्थान	37
मध्य प्रदेश	1
जोड़	1722

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर से यह स्पष्ट है कि किसी विशेष राज्य से बड़ी संख्या में भर्ती नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागा प्रतिनिधि मंडल का फिजो के साथ बात-चीत करने के लिए लन्दन का दौरा

3003. **श्री निहाल सिंह :**

श्री चिंगवांग कोनयक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए एक नागा प्रतिनिधिमंडल ने नागा नेता फिजो के साथ बातचीत करने के लिए लन्दन का दौरा किया था;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस नागा प्रतिनिधिमंडल को भेजा था और यदि हां, तो उक्त दौरे पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या नागा प्रतिनिधिमंडल वापस आ गया है और यदि हां, तो फिजो के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) यह याद होगा कि 1976-77 के शुरू में भूतपूर्व भूमिगत नागा नेताओं ने जिन्होंने नवम्बर 1975 में शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इच्छा प्रकट की थी कि उनके प्रतिनिधियों को श्री फिजो की स्थिति की वास्तविकताओं से अवगत कराने और उन्हें शिलांग समझौते को स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए लन्दन जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अनुसरण में प्रतिनिधि मंडल 1977 में दो बार लन्दन गया था।

3 सदस्यीय एक दूसरा प्रतिनिधि मंडल 10 जनवरी को लन्दन गया था और 12 फरवरी, 1981 को वापस आया। भारत सरकार ने न तो इस प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया था और न ही उनके दौरे पर कोई व्यय किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धी गिरोह (रैकट)

3004. **श्री के० मालन्ना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हांग-कांग परिवहन विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के एक गिरोह का पता लगाया है जिसके कारण भारतीय लाइसेंस-धारकों की कड़ी जाँच होगी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में जाँच कराने हेतु भ्रष्टाचार (आई० सी० ए० डी०) के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र आयोग नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्षों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू की पकाई के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग के सम्बन्ध में सौर ऊर्जा दाहक का डिजाइन

3005. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू की पकाई के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग के सम्बन्ध में एक सौर ऊर्जा दाहक का डिजाइन तैयार किया गया था तथा राजामुन्द्री (आन्ध्र प्रदेश) में उसका निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) तम्बाकू के संसाधन के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करने वाला एक सौर बार्न राजामुन्दी (आंध्र प्रदेश) में प्रतिष्ठापित किया गया है और यह मार्च, 1980 से कार्य कर रहा है। इस बार्न में एक ही समय में 600 किलोग्राम तम्बाकू के पत्तों को सुखाया जा सकता है।

इस सौर बार्न में सौर वायु तापक होते हैं जो कि बार्न की छत बनाते हैं। ये तापक कोट किए गए अल्यूमिनिम के अवशोषक पैनलों के बने हुए होते हैं। इसमें एक वायु परिपत्रण प्रणाली है ताकि सौर वायु तापकों से तम्बाकू के पत्तों तक ताप का स्थानान्तरण किया जा सके जो कि बार्न में लटकाए गए होते हैं।

राजामुन्द्री में सौर बार्न की स्थिति में कोयलों पर आधारित एक प्रतिपूरक ताप

स्रोत की भी व्यवस्था की गई है जिसे उस समय इस्तेमाल में लाया जा सकता है जबकि सौर विसंवाहन अपर्याप्त होता है।

सौर बार्न से प्रयोग किए गए हैं और इसके परिणामों की इसी प्रकार के परम्परागत बार्न के परिणामों से तुलना की गई है। यह पाया गया है कि सौर बार्न में संसाधन समय परम्परागत बार्न के संसाधन समय की अपेक्षा कोई 20 घण्टे कम है। जबकि इसकी पूंजीगत लागत परम्परागत बार्न की अपेक्षा कुछ अधिक है, जो भी प्रतिपूरक ताप स्रोत से भी इसके चलाने की लागत बहुत कम है और ऐसे बार्न की कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था परम्परागत बार्न की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल प्रतीत होती है।

राज्य सरकारों का योजना नियतन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध

3006. **श्री मतीलाल हसदा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने छठी योजना के अन्तर्गत नियतन में वृद्धि के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) असम, गुजरात और पंजाब की राज्य सरकारों ने अपनी छठी योजना के अंतर्गत आवंटनों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) इन राज्य सरकारों को यह सूचित किया गया है कि संसाधनों की बाध्यकारिता के कारण उनकी योजनाओं के आकार में वृद्धि करना इस समय साध्य नहीं है। परन्तु उनके संसाधनों की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जा सकेगा।

उड़ीसा राज्य के लिए योजना

3007. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए योजना परिव्यय की राशि क्या थी;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए उस राज्य को कितना सहायतानुदान दिया गया;

(ग) उड़ीसा सरकार ने राज्य क्षेत्र परिव्यय में से तथा केन्द्र की सहायतानुदान में से वर्ष 1980-81 में जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की;

(घ) क्या जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित राशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है; और

(ङ) जनजातीय उप-योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का उपबन्ध किया और कितनी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को आगे ले जाया गया तथा वर्ष 1980-81 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए उड़ीसा का राज्य योजना परिव्यय 250.16 करोड़ रु० अनुमोदित किया गया था।

(ख) सातवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत उड़ीसा को आवंटित सहायता अनुदान 37.74 करोड़ रु० था।

(ग) और (घ) उड़ीसा (परिशोधित) अनुपूरक 1980-81 की वार्षिक उपयोजना के अनुसार, राज्य योजना से जनजातीय उपयोजना को धनराशि की प्राप्ति 85.64 करोड़ रु० है जिसके मुकाबले नवम्बर, 1980 में प्रस्तुत की गई 1980-85 की प्रारूप छठी योजना और वार्षिक योजना में यथा सूचित प्रत्याशित व्यय 85.02 करोड़ रु० है। भाग (ख) में यथा उल्लिखित सहायता अनुदान किसी विशिष्ट कार्यक्रम/क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है।

(ङ) जनजातीय उपयोजना के लिए 1980-81 में उड़ीसा राज्य को 770.35 लाख रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता आवटित की गई है। यह आदिम जनजातीय कार्यक्रम के लिए 25 लाख रु० और जनजातीय बस्तिओं के लिए 86.10 लाख रु० के अलावा है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा उनके केन्द्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय स्कीमों के लिए 27.94 लाख रु० की राशि दी गई है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए भूमि सेना

3010. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों द्वारा भूमि सेना के गठन, ताकि उन्हें ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में लगाया जा सके, संबंधी प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा भूमि सेना के गठन के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) योजना आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्यों ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए भूमि सेना गठित की है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने फरवरी, 1979 में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सेना के संबंध में एक कार्यकारी दल स्थापित किया था। इस कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सेना की गंभीर प्रशासनिक और अन्य कमियाँ हैं और इसलिए ऐसी सेना बनाने के बजाय राज्य सरकारों को पंचायतों, सहकारी निर्माण निगम आदि जैसे विद्यमान अभिकरणों को कामगारों के विभिन्न प्रकारों के लिए उपयुक्त रूप में पुनः कार्यशील और अनुकूलित करना चाहिए जिन्हें सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत या पुनःरूपित करना होगा। योजना आयोग ने इस कार्यकारी दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया है।

एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना

3011. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने देश में एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कार्यकरण क्या होगा;

(ग) क्या उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने "औद्योगिक प्रकीर्णन" के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए परस्पर संबद्ध सिफारिशें की है जिनमें देश में चुने हुए संवृद्धि केन्द्रों में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना शामिल है। राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

सीमेंट की क्षमता के उपयोग में गिरावट

3012. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग की क्षमता के उपयोग में वर्ष प्रति वर्ष गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो 1977 से वर्षवार क्षमता के उपयोग की प्रतिशत क्या है; और

(ग) गिरावट की इस प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) से (ग) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 में क्षमता का उत्पादन क्रमशः 89 प्रतिशत, 89 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत था, किन्तु वर्ष 1980 के प्रारम्भिक भाग में क्षमता का उपयोग गिरकर लगभग 70 प्रतिशत रह गया। सीमेंट उद्योग में क्षमता के कम उपयोग का प्रमुख कारण कोयले तथा बिजली जैसे आवश्यक निवेशों की अपर्याप्त सप्लाई तथा परिवहन संबंधी अड़चनें भी हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए प्रयास किए गए थे जिसके फलस्वरूप क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ था और वर्ष के अन्त तक इसका स्तर लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए ज्ञापन

3013. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रस्ताव या ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य का औद्योगिक विकास करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार के अपने योजना प्रस्तावों में राज्य में उद्योगों का संवर्धन एवं उनकी स्थापना करने हेतु विभिन्न निगम हैं। इन निगमों में मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम, मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य निर्यात निगम आदि शामिल हैं। राज्य सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका स्वरूप मुख्यतः संवर्धनात्मक है जैसे —प्रशिक्षण, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, कच्चे माल का संभरण, अवस्थापना संबंधी विकास, औद्योगिक क्षेत्र विकास आदि। मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास करने हेतु निम्नलिखित परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है :

	क्षेत्र	परिव्यय की स्वीकृति	
		1980-85	1981-82
1.	बड़े एवं मध्यम उद्योग	2980	540
2.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	3340	600
3.	खनिज विकास	575	116

हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि सिंधी तथा शाबुआ जिलों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रस्थ संयंत्र स्थापित किए जाएं। इन प्रस्तावों के ब्यौरों के देखते हुए तथा इस सम्बन्ध में ठोस संभावनाओं का पता लगाने के लिए दलों का गठन किया जा रहा है।

श्रीनगर जाते हुए पाकिस्तानी एजेन्ट गिरफ्तार

3014. **श्री आर०एन० राकेश :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी पुलिस ने एक व्यक्ति को, जो कि पाकिस्तानी एजेन्ट था, श्रीनगर जाते हुए रास्ते में गिरफ़्तार किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो हमारी पुलिस ने, यदि उससे कोई दस्तावेज अथवा हथियार बरामद किए थे, तो वे क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा श्रीनगर को जाते हुए किसी पाकिस्तानी जासूस को गिरफ़्तार नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली दुकान और संस्थान अधिनियम में परिवर्तन

3015. **श्री राम लाल राही : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1981 में नई दिल्ली ट्रेड एम्प्लाईज एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) ने प्रधान मंत्री और दिल्ली के श्रम आयुक्त को, कुछ मांगें करते हुए एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए विद्यमान दिल्ली दुकान और संस्थापन अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) यदि मांगों को स्वीकार कर लिया जाए और विद्यमान दिल्ली दुकान और संस्थापन अधिनियम में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इससे कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचने की आशा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का कब तक अन्तिम निर्णय लेने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) प्रधान मन्त्री को सम्बोधित विभिन्न मांगों सम्बन्धी ज्ञापन प्रधान मन्त्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ । परन्तु इसकी एक प्रति दिल्ली प्रशासन को नहीं भेजी गई, जो दिल्ली दुकान और संस्थापन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबधित है ।

(ख) और (ग) अधिक छुट्टी की सुविधाओं की मांग के अलावा अन्य मांगों के सम्बन्ध में दिल्ली दुकान और संस्थापन अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन सन्निहित नहीं है । अधिनियम की परिधि में लगभग 4, 5 लाख कर्मचारी आते हैं ।

(घ) दिल्ली में कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में हाल ही में संशोधन किया गया है, तथापि, वेतन और मंहगाई भत्ते में सामान्य वृद्धि की माँग पर उपयुक्त ढंग

से विचार किया जा सकता है, यदि विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उठाया जाता है। कम संख्या में कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के लाभ उपलब्ध कराने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। उपदान संबंधी लाभ को उपलब्ध कराने सम्बन्धी मांग पर सरकार ध्यान देगी। इस संबंध में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

लड़कियों पर अत्याचार और बलात्कार के मामले

3016. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष लड़कियों पर किए गए अत्याचार और बलात्कार के मामलों की (राज्यवार और महीने वार) संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित किया जाना

3017. **श्री एल० सुन्दर राजन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी अर्हताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित किए हैं; और

(ख) ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं और ऐसे उद्योगों का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : राज्य सरकारें लघु उद्योगों का पंजीकरण करती है, किन्तु वे उद्यमियों की तकनीकी अर्हता की वर्गीकृत जानकारी नहीं रखती है।

तमिलनाडु में कागज मिल की स्थापना

3018. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु में किसी कागज मिल के लगाने की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई जाँच कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई जाँच कार्य शुरू करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) तमिलनाडु में कागज मिल स्थापित करने के लिए संभाव्यता अध्ययन करने का हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कोई विचार नहीं है।

राज्यों को कच्चे माल की सप्लाई

3019. श्री मौहम्मद इस्माइल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मट्टन टैलो, इस्पात तथा अन्य कच्चे माल के आवंटन का राज्य-वार, वर्ष-वार कोटा क्या है;

(ख) राज्यों को इस माल की राज्यवार, वर्ष-वार तथा मद-वार कितनी वास्तविक सप्लाई की गई;

(ग) राज्यों की मांग क्या है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है अधिकांश राज्यों को आवंटित कोटा समय पर नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यों को कच्चे माल की समय पर सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में औद्योगिक एककों की कच्चे माल की आवश्यकताएं राज्यवार आवंटनों से पूरी नहीं होती हैं। लघु क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्यों के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में कच्चे माल के कोटे का आवंटन किया जाता है जिन पर किसी प्रकार का वितरण पर नियंत्रण होता है। राज्यों के लिए मूलभूत कच्चे माल का केन्द्रीय आवंटन 'इस्पात ई०सी० ग्रेड एल्युमीनियम, पेराफीन मोम तथा भेड़ की चर्बी के सम्बन्ध में किया जाता है। संलग्न विवरणों में राज्यवार मांग (जहाँ कहीं उपलब्ध है), आवंटन तथा पूर्ति दी गई है। राज्यों/राज्य निगमों द्वारा पहले उठाए गए माल सहित प्रचलित मानदंडों के अनुसार आबंटन किए जाते हैं। (ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी० 2079/81)।

(घ) और (ङ) राज्यों को आवंटित कच्चे माल की पूर्ति पर मुख्य रूप से प्रत्याशित उपलब्धता उत्पादन में कमी, परिवहन, संभरण की कठिनाइयों तथा आवंटनों द्वारा देरी से माल उठाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(च) दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. प्राथमिक धातुओं का देश में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए कमी वाले कच्चे औद्योगिक माल के संबंध में आयात नीति को उदार बना दिया गया है। कास्टिक सोडा, पी०वी०सी० सोडा ऐश आदि जैसी वस्तुओं का वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा खुले आम लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दे दी गई है। आधारभूत कच्चे माल के आयात में जैसे लोह तथा अलोह

धातुएं, रसायन की वस्तुएं जो प्रणालीबद्ध अभिकरणों के जरिए किया जाता है, देश में उपलब्ध पूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से वृद्धि कर दी गई है।

3. लघु क्षेत्र के लिए कमी के समय एककों को न्यूनतम माल की पूर्ति करने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल का मध्यवर्ती स्टाक बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

राज्यों द्वारा औद्योगिक विकास के माडल का डिजाइन तैयार किया जाना

3020. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ (वन अपमैनशिप में शामिल होने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के माडल का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों के विचार जानने के लिए कोई सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसमें व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 7 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्यों के प्रशासनों से अपने औद्योगिक विकास के माडल बनाने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों अवस्थापना तथा कौशल का श्रेष्ठतम उपयोग कर सके। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति थी कि विभिन्न क्षेत्र अपनी बढ़ोतरी की जरूरतों के अनुसार समेकित प्रोत्साहन नमूने के लिए अपने अलग-अलग माडल बनाएं।

श्रमिक समझौता अधिकारियों को विशेष अधिकार

3021. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार श्रमिक समझौता अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार सौंपने का है ताकि वे विधि के आधार पर श्रमिकों के विवादों को शीघ्र सुलझाने में समर्थ हो सकें और प्रबन्धकों को उनके निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सके ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : श्रम मन्त्री सम्मेलन की एक सिफारिश के आधार पर सरकार संशधन अधिकारियों को ऐसे अधिकार देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि वे पक्षकारों की ओर यदि आवश्यक हो, तो गवाहों को बुला सकें या उन्हें समझौता कार्यवाहियों में उपस्थित होने को मजबूर कर सकें।

अखिल भारतीय सेवाओं में पदों का बनाया जाना

3022. **श्री नारायण साहू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के तथा अन्य श्रेणी की अखिल भारतीय सेवाओं के कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं; और

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के अन्तर्गत पदों को बनाने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) (क) पहली जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा जो तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, के प्रत्येक राज्य/संयुक्त संवर्ग (संघ राज्य क्षेत्रों के संवर्ग सहित) के अधिकारियों की संख्या के बारे में सूचना **विवरण** 1, 2 और 3 में दी जाती है ।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न राज्य/संयुक्त संवर्गों में पदों का संवर्गीकरण मुख्यत: निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है :

1. पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक विकास की बढ़ी हुई गति के कारण प्रत्याशित अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकताएं;
2. संवर्ग प्राधिकारी द्वारा संवर्ग में अस्थाई रूप से जोड़े गए ऐसे पदों का संवर्गीकरण जिनकी लम्बी अवधि के आधार पर आवश्यकता हो;
3. जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों के अधीन संवर्ग पदों के समतुल्य घोषित किए गए गैर-संवर्गीय पदों का संवर्गीकरण और विशेषकर ऐसे पदों का, जो तीन वर्षों से अधिक समय से चल रहे हैं;
4. जहां आवश्यक समझा जाए, वहां ऐसे पदों का अलग किया जाना जिन्हें छह मास से अधिक अवधि से आस्थगित रखा गया हो;
5. जहां आवश्यक समझा जाए, वहां ऐसे विशिष्टीकृत पदों का अलग किया जाना जिन पर सामान्यत: तकनीकी अधिकारियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए ।

विवरण-1

(विभिन्न संवर्गों में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या (पहली जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संवर्ग का नाम	अधिकारियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	260
असम-मेघालय	145
बिहार	293
गुजरात	168
हरियाणा	134
हिमाचल प्रदेश	86
जम्मू व कश्मीर	90
कर्नाटक	194
केरल	127
मध्य प्रदेश	301
महाराष्ट्र	285
मणिपुर-त्रिपुरा	80
नागालैण्ड	36
उड़ीसा	182
पंजाब	153
राजस्थान	179
सिक्किम	25
तमिलनाडु	248
संघ राज्य क्षेत्र	152
उत्तर प्रदेश	403
पश्चिम बंगाल	235
योग	3776

विवरण-2

विभिन्न संवर्गों में नियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या (पहली जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संवर्ग का नाम	अधिकारियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	128
असम-मेघालय	82
बिहार	156
गुजरात	87
हरियाणा	67
हिमाचल प्रदेश	47
जम्मू व कश्मीर	45
कर्नाटक	88
केरल	75
मध्य प्रदेश	210
महाराष्ट्र	148
मणिपुर-त्रिपुरा	39
उड़ीसा	99
पंजाब	89
राजस्थान	99
सिक्किम	3
तमिलनाडु	110
संघ राज्य क्षेत्र	79
उत्तर प्रदेश	204
पश्चिम बंगाल	180
योग	2135

टिप्पणि : भारतीय पुलिस सेवा का नागालैण्ड संवर्ग नहीं है।

विवरण -3

विभिन्न संवर्गों में नियुक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या
(पहली जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संवर्ग का नाम	अधिकारियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	82
असम-मेघालय	47
बिहार	87
गुजरात	51
हरियाणा	20
हिमाचल प्रदेश	65
जम्मू व कश्मीर	47
कर्नाटक	83
केरल	40
मध्य प्रदेश	199
महाराष्ट्र	104
मणिपुर-त्रिपुरा	23
नागालैण्ड	9
उड़ीसा	74
पंजाब	22
राजस्थान	54
सिक्किम	*
तमिलनाडु	66
संघ राज्य क्षेत्र	59
उत्तर प्रदेश	142
पश्चिम बंगाल	61
योग	1355

*आरम्भिक भर्ती नहीं की गई ।

रक्षित भंडार

3023. **आचार्य भगवानदेव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में उन स्थानो के नाम क्या हैं जहाँ कच्चे माल के रक्षित भंडार स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल का बफर स्टाक बनाने सम्बन्धी योजना के विस्तृत ब्यौरे को जिसमें विवरण के स्थान भी शामिल हैं, अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

बस्तर में उद्योगों की स्थापना

3024. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के श्रेणी-वार कितने जिलों और क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तथा पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या बस्तर जिला आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है परन्तु इसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार का विचार बस्तर जिले को वहाँ उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने की दृष्टि से कब तक पिछड़ा जिला घोषित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मध्य प्रदेश के बस्तर सहित 36 जिले सावधिक ऋण देने वाले अखिल भारतीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त पाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किए गए हैं। चुने हुए 65 क्षेत्रों की जिनका आकार छः जिलों के बराबर है, केन्द्रीय योजना के अ तर्गत निवेश राज-सहायता पाने के लिए पात्र अधिसूचित किया गया है।

(ख) बस्तर जिले का कोई भी भाग निवेश राज-सहायता की केन्द्रीय योजना के लिए पात्र पिछड़े क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति ने "इन्डस्ट्रियल डिस्पर्सल" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी योजना आयोग में राज्य सरकारों और सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करके जांच की जा रही है । जिलों और क्षेत्रों की विद्यमान सूची में कोई भी परिवर्तन इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच कर लेने और उन्हें स्वीकृत किए जाने पर निर्भर करेगा ।

आसाम में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग

3025. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आसाम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो आसाम में गरीबी का विस्तार रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी, हाँ।

(ख) असम एक विशेष श्रेणी का राज्य होने के कारण उसकी योजनाओं को वित्त-व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रमुख संघटक है। राज्य योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है राज्य में गरीबो को कम करना। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को न्यूनतम मूल सुविधाएं देने के लिए राज्यों की योजनाओं में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा, कृषि, बागबानी, पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, रेशम उद्योग, बुनाई, ग्राम और लघु उद्योग, छोटी सिंचाई, आदि की लाभग्राही-उन्मुख अनेक स्कीमें हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय योजना में, मंदी के मौसम मे रोजगार देने के लिए मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और कुशलताओं के अन्तरण के द्वारा गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहली श्रेणी से सम्बन्धित है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दूसरी श्रेणी से सम्बन्धित है। सरकारी क्षेत्रक की ऐसी अन्य अनेक स्कीमें हैं जिनसे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में योगदान मिलेगा। इसमें अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों, जन-जातीय क्षेत्रों और पहाडी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों से भी सार्वजनिक नीतियों में पुनर्वितरक आधार सुदृढ होने में सहायता मिलेगी।

औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन

3026. **श्री डी०पी० जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम का संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ। किन्तु क्या परिवर्तन किए जाएंगे यह बताना अभी समयपूर्व है।

(ख) चूंकि प्रस्तावों की धारणा बनाई जा रही है अतः विचारविमर्श के ब्यौरे तथा इसके बारे में अभी बताया नहीं जा सकता।

मारुति लिमिटेड के साथ बेरलियेट का सहयोग

3027. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी कम्पनी, बेरलियेट मारुति लिमिटेड के साथ इसके राष्ट्रीय-

करण के बाद सहयोग करने के लिए सहमत हो गई है और यदि हाँ, तो उसकी क्या-क्या शर्तें हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली ऐसी नई परियोजनाओं के राज्य-वार और स्थान-वार नाम क्या है जो अब आरम्भ हो जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) फ्रांस की मै० रेनाल्ड ने सरकारी क्षेत्र की प्रस्तावित मोटर गाड़ी परियोजना में भाग लेने की रुचि प्रकट की है। यह बताया गया है कि फ्रांस के मे० रेनाल्ड के ट्रक प्रभाग में बरलियट का विलय हो गया है।

(ख) यात्री कारों अथवा वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने की कोई अन्य परियोजना के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोआ में उद्योगों की स्थापना

3028. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में गोआ में प्रदूषण से मुक्त औद्योगिक एककों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय आर्थिक-तकनीकी बातों पर आधारित होता है। संघ शासित प्रदेश में उद्योगों के संवर्द्धन और उनकी स्थापना करने के लिए संघ-शासित प्रशासन के अन्तर्गत सलाहकार संगठन, औद्योगिक विकास निगम और आर्थिक विकास निगम आदि जैसे अनेक निगम और संगठन हैं। औद्योगिक एककों की स्थापना ग्रामीण और लघु क्षेत्र के निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में की जाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित की गई योजनाएं प्रमुख रूप से प्रशिक्षण, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, कच्चे माल की सप्लाई और अनुसंधान तथा विकास आदि जैसी संवर्धनात्मक प्रकार की होती हैं।

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले

3029. **श्री ए०के० राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों और आदिवासियों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अत्याचार के कितने मामलों की सूचना दी गई और इनका राज्यवार विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1979 और 1978 में इन मामलों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टेनो-टाइपिस्टों द्वारा प्रवेश परीक्षा पास करना

3030. **प्रो० अर्जीत कुमार मेहता** : क्या गृह मन्त्री कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी' से सम्बन्धित सामान्य वरीयता सूची के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले के स्टेनो-टाइपिस्टों के लिए कुछ निर्धारित अवसरों के भीतर-भीतर सी०एम०एम०एस० की ग्रेड III (अब ग्रेड "डी") की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित था;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित अवसरों में कितने-कितने स्टेनो-टाइपिस्ट क्रमशः उक्त परीक्षा में पास और फेल हुए;

(ग) क्या निर्धारित अवसरों के भीतर प्रवेश-परीक्षा में असफल रहे कुछ स्टेनो-टाइपिस्टों को उन स्टेनो-टाइपिस्टों से वरिष्ठ बना दिया गया है; जिन्होंने उक्त परीक्षा को निर्धारित अवसरों में पास कर लिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इन असंगतियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) (1) ऐसे स्टेनो-टाइपिस्टों की संख्या जिन्होंने प्रवेश-परीक्षा पास कर ली थी ... 811

(2) ऐसे स्टेनो-टाइपिस्टों की संख्या जो प्रवेश-परीक्षा पास करने में असफल रहे थे ... 71

योग : 8 2

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिग्विजय सीमेंट फैक्ट्री के पोषण हेतु "कोर्ड" संसाधन

3032. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जाड़िया और ओखा के बीच के क्षेत्र को मराइन नैशनल पार्क बताने का सुझाव दिया जा रहा है;

(ख) सिक्का में दिग्विजय सीमेंट फैक्टरी के पोषण के लिए इस क्षेत्र में कितने "कोर्ड" के उपयोग का अनुमान है; और

(ग) इन "कोर्ड बैड" के उपयोग के इस फैक्टरी को दिए गए लाइसेंसों पर पुनः विचार करने के बारे में क्या विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) गुजरात सरकार ने 1 अगस्त 1980 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें उसने ओखा तथा जामनगर क्षेत्रों के बीच की कच्छ की खाड़ी में एक मैराइन नेशनल पार्क बनाने सम्बन्धी अपने उद्देश्य को अधिसूचित किया था ।

(ख) मैसर्स दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड विलज्कर के उत्पादन के लिए कैलकैरियस रेते का उपयोग करता रहा है । यद्यपि इस कारखाने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्कैरियस रेते की ठीक मात्रा मालूम नहीं है, कारखाने ने वर्ष 1979 और 1980 में 12,26,240 तथा 11,67,280 मी० टन कैल्कैरियस रेते से 766,400 तथा 7,29,300 मी० टन किल्कंर का उत्पादन किया है ।

(ग) 4.65 लाख मी० टन सीमेंट की अतिरिक्त क्षमता से स्थापित कर सिक्का-स्थित विद्यमान उपक्रम का पर्याप्त विस्तार करने के लिए जारी किए गए आशय पत्र के अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त भी शामिल है कि कम्पनी कच्छ की खाड़ी के कोरल रीफ क्षेत्र के नजदीक केल्कैरियस रेते को खानों से निकालने सम्बन्धी खनन-पट्टे को छोड़ देगी ।

ग्रामीण तथा शहरी समुदायों के बीच अन्तर

3033. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में योजना बनाते समय 1977 से पहले भी ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा शहरी समुदायों को ज्यादा महत्व दिया गया था;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप शहरी तथा ग्रामीण समुदायों के बीच आर्थिक अन्तर और बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। शुरू से ही भारतीय विकास योजना "संतुलित संवृद्धि की कार्यनीति" को लेकर चली थी, जिसमें योजना आवंटन की प्रक्रिया में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रक के कार्यकलाप को एक दूसरे के पूरक के रूप में माना जाता था।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

तिलैया डेम (बिहार) में सैनिक स्कूल का भवन

3034. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल तिलैया डैम (बिहार) के भवन का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और इसमें कितना खर्चा होगा; और

(ख) क्या उसके निर्माण में शिथिलता से काम हो रहा है और यदि हाँ, तो सम्बद्ध विभाग पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सैनिक स्कूल के लिए भूमि और भवन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सैनिक स्कूल तिलैया कर्मचारियों के रहने के आवास को छोड़कर वर्तमान अर्द्धस्थाई भवनों को स्थाई भवनों में परिवर्तित करने पर लगभग 2.22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। राज्य सरकार ने कुछ भवनों का निर्माण 1979 में शुरू कर दिया था लेकिन अब तक निर्माण कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। राज्य सरकार से इन भवनों का निर्माण यथा शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इन भवनों के पूरा होने में कितना समय लगेगा।

तमिलनाडु में उद्योगों की स्थापना

3035. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पाँच कैलेण्डर वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में नए औद्योगिक उपक्रमों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजना प्रस्तावों के आवेदकों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो तमिलनाडु राज्य के सरकारी क्षेत्र तथा

संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वियन में लगा हुआ है, के पास छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) अवधि में संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाएं कार्यन्वित किए जाने के प्रस्ताव हैं संयुक्त क्षेत्र की इन परियोजनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं :—

विद्यमान तथा कार्यान्वित की जा रही हैं

1. सदर्न बोरेक्स लि० ।
2. एशिया ट्रबैको कं० लि० ।
3. तमिलनाडु अल्कालाइन बैटरीज लि० ।
4. ग्रेड सी ट्रालर बिल्डिंग यार्ड लि० ।
5. टी०एन० गोरिन एण्ड एलायड केमिकल्स ।
6. एशियन बियरिंग्स लि०
7. वाराविल डाईज एण्ड केमिकल्स लि० ।
8. गंगप्पा पेपर मिल्स लि० ।
9. एशिया कार्बन्स लि० ।
10. मद्रास शू फ़ैब्रिक्स लि० ।
11. शिप स्टील्स (इण्डिया लि०)
12. तूतीकोरिन अल्काली केमिकल्स एण्ड फेट लि० ।
13. इफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड ।
14. एस्टीलिन एण्ड इन्डस्ट्रियल गैस सिलेण्डर्स लि० ।
15. फाइन मैजर इन्स्ट्रूमेंट्स लि० ।
16. रिफ्रेक्ट्रीज प्रोजेक्ट ।

विचाराधीन परियोजनाएं

17. सदर्न बोरेक्स—बोरिक एसिड प्लान्ट ।
18. सादर्न हाइड्रोकार्बन्स (डाईवर्सीफिकेशन)
19. आटोमोटिव कास्टिंग्स प्रोजेक्ट
20. एशिया कार्बन्स (डाईवर्सीफिकेशन)
21. साऊदर्न एग्री कुरेन लि० (डाईवर्सीफिकेशन)
22. ए०बी०एस० रेजिन्स ।
23. पोलिनोसिक स्टैपल फाईबर प्रोजेक्ट
24. रिस्ट वाच प्रोजेक्ट
25. गोट स्किन प्रोजेक्ट
26. आप्टीकल कम्पोनेशन्स प्रोजैक्ट ।
27. सिंथेटिक रूपटाइल प्रोजेक्ट ।
28. लाइनियर अलालाइन एंड बेनजेन प्रोजेक्ट

29. डबल इजालयन हेक्सानल प्रोजेक्ट
30. बिनायल एस्टिट एण्ड पीलिविनाचल एस्टिट प्रोजेक्ट।
31. पेन्टाइरिटल प्रोजेक्ट।
32. फेटी एसिक्स प्रोजेक्ट।
33. मैलाथियन प्रोजेक्ट।
34. एस्टिान प्रोजेक्ट

पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु राज्य को उद्योगों के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

	1978	1979	1980
आशय पत्र	27	35	52
औद्योगिक लाइसेंस	28	26	37

इन औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित मंथली न्यूजलेटर के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर में रिक्त पद

3037. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर में कितने पद रिक्त हैं और यह कब से रिक्त हैं; और

(ख) उप चुनावों के द्वारा इन रिक्त पदों को भी भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अधीन 23 मई, 1979 को नई शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के गठन से पंजाब में बटाला, श्री गोविन्दपुर, सरहाली और बड़ा पिंड चुनाव क्षेत्रों से चार पद और सहयोजित सदस्यों में से एक पद रिक्त है।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि

3038. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा श्रमिकों की शिक्षा के लिए गत तीन वर्षों के दौरान

ग्रामीण श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से इसकी तुलना प्रतिशतता-वार किस हद तक की जा सकती है;

(ख) क्या इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि का उपयोग सत्तारूढ़ राजनैतिक दल की गतिविधियों के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में धनराशि के इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय की गई इस प्रकार की धनराशि के राज्य-वार आंकड़े क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कोका कोला निर्यात निगम को समाप्त करना

3039. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम को अपना कारोबार समाप्त करने के लिए कब कहा गया था;

(ख) क्या उन्होंने अपना कारोबार समेट लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 29 अप्रैल, 1977 को आदेश जारी किए थे जिसमें कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन से कहा गया था कि वह आदेश मिलने अर्थात 5 मई, 1978 से एक वर्ष के अन्दर अपने गैर आवासीय हित को 40 प्रतिशत से अनधिक राशि में परिवर्तित करके एक भारतीय कंपनी बन जाये । कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने सूचित किया था कि वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर सकेगा । तदनुसार उन्हों ने निहित समय सीमा के अन्दर ही भारत में अपना कारोबार बन्द कर दिया था ।

(घ) फर्म के अनुरोध पर उन्हें केवल कंपनी के भारत में कार्य समापन करने के प्रयोजन से जैसे परिसम्पत्तियों के बेचे जाने, निलम्बित कानूनी मामले, बिक्री कर एवं आयकर आदि को निपटाने हेतु 31 मार्च, 1981 तक भारत में एक कार्यालय बनाये रखने की अनुमति दे दी गई है ।

जल हायसिन्थ से बायो गैस का उत्पादन

3040. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जल हायसिन्थ भयानक खतरा है जिससे पानी रुके हुए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगने वाली फसलें नष्ट हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप कृषकों को भारी नुकसान होता है;

(ख) क्या यह जल हायसिन्थ बायो-गैस के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या बायो-गैस का उत्पादन करने के प्रयोजन के लिए जल हायसिन्थ का उपयोग करने की सरकार की कोई योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) जल कुमुदिनी (वाटर हियसिंथ) देश के कई राज्यों में एक खतरा है जो जलाशयों में प्रचुरता से उत्पन्न होती है। जलाशयों में इसकी अचानक वृद्धि और विकास से जलाक्रान्तता और सूट्रीफिकेशन हो जाती है और इस प्रकार से पीने और अन्य उपयोगों के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है।

(ख) और (ग) अपनी रासायनिक संरचना के लिए वाटर हियासिंथ जैव-गैस के उत्पादन के लिए उपयोगी पाये गये हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस बारे में नागार्जुन सागर इंजीनियरिंग कालिज, हैदराबाद और कलकत्ता विश्व विद्यालय के अनुप्रयुक्त रसायन विभाग ने कई अध्ययनों का प्रायोजन किया है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने भी वाटर हियासिंथ के प्रबन्धक और उपयोगीकरण पक्षों पर कार्य करना आरम्भ किया है। इनके परिणाम काफी उत्साह-वर्द्धक रहे हैं क्योंकि पाचक में वाटर हियासिंथ मिलाने से मिथेन का उत्पादन काफी अधिक हो जाता है। गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैव अवशिष्टों का उपयोग करने के अलावा विभाग की कई सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों के प्रदर्शन एककों की स्थापना करने की योजना के अधीन, जहाँ भी वाटर हियासिंथ आसानी से उपलब्ध हैं, जैव गैस के लिए इसका उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की भर्ती

3041. **श्री ए० नोलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष, राज्यवार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कितने कितने व्यक्तियों को भर्ती की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस वर्ष अर्थात् । जनवरी,

1981 के बाद, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में विभिन्न राज्यों से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1.	असम	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	8
3.	अरुणांचल प्रदेश (संघ शासित क्षेत्र)	1
4.	विहार	29
5.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	4
6.	हिमाचल प्रदेश	9
7.	हरियाणा	42
8.	जम्मू तथा कश्मीर	2
9.	महाराष्ट्र	47
10.	मध्य प्रदेश	10
11.	उड़ीसा	9
12.	पंजाब	8
13.	राजस्थान	18
14.	तमिलनाडु	15
15.	केरल	23
16.	कर्नाटक	27
17.	उत्तर प्रदेश	85
18.	पश्चिम बंगाल	3
	जोड़	341

आसाम में विदेशियों का पता लगाया जाना

3042. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री नारायण चौबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह राज्य मंत्री ने कहा बताते हैं कि आसाम में गत वर्ष के दौरान की गई जांच के दौरान 2300 विदेशियों का सरकार ने पहले ही पता लगा लिया है कि और इन विदेशियों को मूलत: बांगला देश का होने के कारण, वापस बांगला देश भेजा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस कार्य को अपने ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1981 के "पेट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बांगला देश के अधिकारियों ने उपर्युक्त वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि किसी बांगला देश के नागरिक ने आसाम में प्रवेश किया है; और

(घ) यदि हां तो अब तक पता किए गए विदेशियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (घ) असम में विदेशी नागरिकों का पता लगाने का कार्य 1952 से जारी है। असम सरकार के अनुसार 1980 के दौरान 2154 घुसपैठियों का पता लगाया गया था और 2039 घुसपैठियों को उनके मूल देशों को वापस भेजा गया था।

बंगला देश सरकार 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में आए अपने राष्ट्रिकों को वापस लेने को अपनी वचन बद्धता से पीछे नहीं हटी है।

औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

3043. **श्री दौलत राम सारण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए क्या व्यवस्था की गई है और उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इस कार्य के लिए संस्थाएं अथवा केन्द्र स्थित हैं;

(ख) उनकी विशेष उपलब्धियां और अनुसंधान क्या है, और

(ग) इस प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रमों पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मांगी हुई जानकारी उद्योग मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। वर्ष 1976-77 में औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित अनुसंधान में लगे हुए प्रतिष्ठापनों सम्बन्धी सूचना विज्ञान और तकनोलाजी विभाग के 'रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट स्टेटिस्टिक्स 1976-76" नामक प्रकाशन में दी गई है।

जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3044 **श्री जयनारायन रोत :**

श्री रामजी भाई मवानी :

श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के के आरोपों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोपों लगाए गए हैं।

(ख) मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के ब्यौरों का प्रकट किया जाना लोकहित में नहीं होगा।

जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन में उल्लिखित कुछ मामलों की जांच की जा रही है।

पंजाब के स्कूलों में नक्सलवादी गतिविधियां

3045. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के विभिन्न स्कूलों में बढ़ती जा रही नक्सलवादी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नक्सलवादी गतिविधियों की किस्म और उससे प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में पंजाब राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य के स्कूलों में कोई महत्वपूर्ण नक्सलवादी गतिविधियाँ ध्यान में नहीं आयी हैं। कुछ अध्यापकों के मामले, जो नक्सलवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं; ध्यान में आए हैं। वे लोगों से मुख्यत: राज्य में बस भाड़े में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन करने का अनुरोध कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

औद्योगिक विकास की प्रतिशत:

3046. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अप्रैल-अक्तूबर, 1980 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर केवल 0.3 प्रतिशत थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में चौमुखी विकास और उद्देश्यपूर्ण दिशा सम्बन्धी दावे का आधार क्या है,

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1980 की शुरुआत अवस्थापना सम्बन्धी पहले की बाधाओं, औद्योगिक अशान्ति तथा अनेक कठिनाइयों से हुई थी। औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारणों पर उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जाता रहा तथा कठिनाइयों को दूर करने के उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए गए। विद्यमान क्षमता का इष्टतम उपयोग करने पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा 1980 के शुरू से ही अवस्थापना-सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने हेतु कठोर प्रयास किए गए हैं। जुलाई, 1980 को उद्योग नीति विवरण के अनुसरण में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किए गए अनन्तिम औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार अप्रैल से अक्तूबर, 1979 की अपेक्षा अप्रैल से अक्तूबर, 1980 के दौरान वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत रही तथा अप्रैल, 1980 की अपेक्षा अक्तूबर, 1980 का सूचकांक 8.9 प्रतिशत अधिक था। चुने हुए उद्योगों में जिनकी अनन्तिम जानकारी ही उपलब्ध है, हुआ उत्पादन यह दर्शाता है कि समग्र रूप से गत वर्ष की जनवरी की अपेक्षा जनवरी, 1981 में 11 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है।

गंगतोक में रक्षा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता

3047. **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सिक्किम में गंगतोक सिटी की म्युनिसिपल सीमाओं के भीतर रक्षा सेवा कर्मचारियों को 1979 के प्रारम्भिक दिनों में उनके मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय थल सेना कमांडर ने केवल थल सेना के रिकार्ड के लिए गंगतोक सिटी की म्युनिसिपल सीमाएं कम कर दी थीं जिससे निचले स्तर पर पदों के हजारों सैनिक कर्मचारी उक्त विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते से वंचित रह गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो क्या स्थानीय थल सेना कमांडर ऐसी कार्रवाई करने के लिए लिए सक्षम है और ऐसा कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार कटौती आदेशों को रद्द करने और पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को पूरी फील्ड सेवा के लिए मिलने वाली रियायत के रूप में 15 रुपए से 35 रुपए प्रति मास की दर पर विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता था। 1-1-1978

तक गंगतोक में पूरी फील्ड सेवा रियायतें दी जाती थी परन्तु इसके बाद इन रियायतों में कमी कर के इन्हें संशोधित फील्ड सेवा रियायत कर दिया गया। संशोधित फील्ड सेवा रियायत के साथ विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाता है और इसलिए गंगतोक में सैनिकों को मिलने वाली यह रियायत 1.1.1978 से वापस ले ली गई। इन सैनिकों को 1.1.1978 से सिक्किम प्रतिपूर्ति भत्ता पाने का हकदार बना दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हिल्ली स्थित सीमा चौकी

3048. **डा० गोलमयाजदानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में भारत और बंगलादेश के बीच हिल्ली स्थित सीमा चौकी अन्तर्राष्ट्रीय है;

(ख) गत एक वर्ष में प्रत्येक मास में प्रतिदिन औसतन कितने भारतीय और बंगलादेशी सीमा पार करते हैं और गत वर्ष के दौरान कितने विदेशी राष्ट्रिकों ने सीमा पार की;

(ग) भारतीय सीमा चौकी के कार्यभारी विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या बंगला देश को जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई प्रतीक्षालय और विश्राम गृह है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक भवन का निर्माण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(च) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क कार्यालय भी बहुत छोटा है यद्यपि उसका विस्तार करने के लिए स्थल उपलब्ध है; यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उसमें सुधार करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीयोगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) पिछले 1 वर्ष में प्रति माह में प्रतिदिन औसतन 128 व्यक्तियों (भारतीय और बंगलादेशीय दोनों) के सीमा पार की और गत वर्ष 20 विदेशी राष्ट्रिकों ने सीमा-पार की है।

(ग) एक उप निरीक्षक, दो सहायक उप निरीक्षक और 6 कांस्टेबल हैं। पश्चिमी दिनाजपुर के पुलिस अधीक्षक सीमा चौकी का कार्यभार संभालते हैं।

(घ) जी नहीं श्रीमान।

(च) दिल्ली में सीमा शुल्क जांच चौकी के अतिरिक्त नियमित सीमाशुल्क कार्यालय भी है। जांच चौकी और शुल्क कार्यालय को इस समय अपर्याप्त नहीं समझा जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान

3049. **श्री बालानन्दन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के पक्षधार हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो समस्याओं पर बातचीत के लिए सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहल करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) संयुक्त परामर्श तंत्र (जे० सी० एम०) तथा अनिवार्य विवाचन (आर्बिट्रेशन) द्विपक्षीय विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, विभागीय और कार्यालय/क्षेत्रीय स्तरों पर संयुक्त परिषदों के माध्यम से जहाँ सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पक्ष के अधिकारियों के प्रतिनिधि आपसम में मिलते हैं और द्विपक्षीय विचार-विमर्श के द्वारा समस्याओं को सुलझाते हैं, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार और उसके कर्मचारियों की साधारण सभा के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना और अधिकतम सहयोग प्राप्त करना तथा सरकारी सेवाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है।

बजाज चेतक स्कूटरों का आवंटन

3050. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि पिछले दिनों सरकार ने बैंक में जमा विदेशी मुद्रा पर बजाज चेतक स्कूटरों का आवंटन किया था;

(ख) क्या यह प्रथा अब भी चालू है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा के रूप में अग्रिम धनराशि जमा करवाकर बैंकों में अपना नाम दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों को अभी तक स्कूटरों का आवंटन नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) 1 1.78 से स्कूटर (बिक्री तथा वितरण) नियंत्रण आदेश हटा

लेने के बाद विदेशी मुद्रा के देश भेजने पर बजाज चेतक स्कूटरों का आवंटन निर्माताओं द्वारा सीधे किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) निर्माताओं ने बताया है कि विदेशी मुद्रा के देश में भेजने पर बजाज चेतक स्कूटरों के आवंटन के लिए इस समय लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की सूची है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा हेलिकोप्टरों का बेचा जाना

3051. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का का गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के बड़े व्यापारियों को निकट भविष्य में हेलिकोप्टर बेचने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड विभिन्न राज्य सरकारों और निजी तथा सरकारी क्षेत्र के प्रमुख संगठनों को हेलीकाप्टर बेचने का प्रयत्न कर रहा है ताकि उसकी, हेलीकाप्टर उनसे सम्बद्ध इंजिन, फालतु पुर्जों और अन्य साज-समान का निर्माण करने वाली डिवीजनों का पूरा उपयोग किया जा सके।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारण के फार्मूले में परिवर्तन

3052. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारण के वर्तमान फार्मूले में परिवर्तन का अभी तक कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 1980-81 को आधार मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांको की नई सीरीज तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है और उसका काम जारी है। इस बीच, यह निर्णय किया गया है कि 1980-81 के दौरान एक नया परिवार निर्वाह सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह सर्वेक्षण श्रम ब्यूरों ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से प्रारम्भ किया है।

सीमेंट का उत्पादन

3053. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में सीमेंट की कोई कमी है; और

(ग) यदि हाँ, तो सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी पूर्ति एवं मांग का अन्तर दूर करने के लिए छठी योजना में क्या उपाए सोचे गए हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 के दौरान देश में सीमेंट का कुल उत्पादन 179 लाख मी० टन हुआ था ।

(ख) देश में सीमेंट उपलब्धता कम है ।

(ग) नई क्षमता को स्वीकृति देकर तथा वर्तमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है । योजना आयोग द्वारा सीमेंट उद्योग पर गठित कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि छठी योजनावधि में 1984-85 तक 226.90 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होने की सम्भावना है । मांग और संभरण के बीच अन्तर को कम करने के लिए देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए 20 लाख मी० टन सीमेंट का आयात प्राधिकृति किया गया है ।

चर्बी की कमी के कारण साबुन निर्माताओं के लघु और मध्यम क्षेत्र के एककों का बन्द होना

3054. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चर्बी की कमी के कारण साबुन निर्माताओं के लघु और मध्यम क्षेत्र के एकक बन्द होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार 1978 से सरकारी क्षेत्र के एककों को चर्बी की सप्लाई का वर्ष-वार ब्यौरा देती है; और

(ग) मध्यम आकार के एककों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के एककों को चर्बी की सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के एककों को जिनमें सरकारी क्षेत्र के ग्रीज एकक भी शामिल हैं सप्लाई की गई भेड़ की चर्बी का परिमाण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परिमाण मी० टन
1978-79	1,979
1979-80	6,349
1980-81	1,696 अनन्तिम

(ग) संगठित क्षेत्र के एककों को साबुन बनाने के लिए आयातित चर्बी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के एककों के अलावा मध्यम क्षेत्र के एककों को चर्बी की सप्लाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

धान की भूसी से तेल निकालने के लिए जापानी तकनीक

3055. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की भूसी से तेल निकालने की जापानी तकनीक के खोजकर्त्ता का विचार इस तकनीक को दिल्ली स्थित दीनदयाल शोध संस्थान को देने का है;

(ख) क्या दीनदयाल शोध संस्थान का विचार इस तकनीक को राष्ट्रीय हित में देश के इंजीनियरों को सौंप देने का है; और

(ग) यदि हाँ तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) दीन दयाल शोध संस्थान ने जापान से स्थायीकृत चावल की चोकर के उत्पादन और उससे प्राप्त खाद्य तेल की प्रौद्योगिकी के आयात के लिए 40 करोड़ 50 लाख येन के भुगतान के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। दीनदयाल शोध संस्थान ने अपने आवेदन में यह प्रस्ताव किया है कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी को भारतीय फर्मों को वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध कराएंगे। प्रौद्योगिकी के आयात के लिए आवेदन उद्योग मंत्रालय द्वारा इसके लिए निर्धारित कार्याविधि के अनुसार संसाधित किए जाते हैं।

भूमिहीन कृषि श्रमिक

3056. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1980 के आंकड़ों के अनुसार देश में (राज्यवार) अनुमानत: कितने भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, ग्रामीण श्रमिक जाँच, 1974-75 के आधार पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों की अनुमानित संख्या का विवरण संलग्न है

विवरण

(हजारों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन कृषि श्रमिकों की अनुमानित संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	3638
2. असम	207
3. बिहार	2538
4. गुजरात	1233
5. गोवा, दमन और दीव	9
6. हरियाणा	180
7. जम्मू और कश्मीर	6
8. केरल	243
9. मध्य प्रदेश	1487
10. महाराष्ट्र	2626
11. मणिपुर	2
12. मेघालय	8
13. कर्नाटक	1547
14. उड़ीसा	869
15. पंजाब	658
16. पांडिचेरी	35
17. राजस्थान	177
18. तमिलनाडु	3335
19. त्रिपुरा	28
20 उत्तर प्रदेश	1822
21. पश्चिम बंगाल	701
22. हिमाचल प्रदेश	3
अखिल भारतीय	22328

स्रोत : ग्रामीण श्रमिक जांच 1974-75

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 29वें दौर पर आधारित ग्रामीण श्रमिक जांच (1974-75) के अनुसार, मिजोरम और सिक्किम की राज्य सरकारों और दादर तथा नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश से सूचना एकत्र नहीं की गई, जबकि चंडीगढ़, दिल्ली और नागालैंड में केवल शहरी आबादी को इसके अन्तर्गत लाया गया।

20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3057. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारें किस प्रकार अपना सहयोग दे रही हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न मदों के लिए उपयुक्त धनराशि की व्यवस्था पंच वर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के समय की जाती है। इनको राज्यों द्वारा अपने विकास प्रयत्न के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ऊर्जा सैल में उत्पादन इंजीनियरिंग का विकास

3058. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न केवल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि सौर सैल जैसे अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन इंजीनियरिंग के विकास का काम गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन कम्पनियों ने यह कार्य अपने हाथ में लिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों ही, सौर ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों के उत्पादन में रत हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेशनल रिसर्च डिवैल्पमैन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा कुछ प्रणालियों, जिनके संभवतः बड़े पैमाने पर अनुप्रोग किए जा सकते हैं, का वाणिज्यीकरण किया जा रहा है और यह निजी क्षेत्र के लिए सुलभ हैं। बहरहाल, निजी क्षेत्र को उत्पादन इंजीनियरी के विकास कार्य को नहीं सौंपा गया है।

ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के दोहन और संरक्षण के लिए आसान शर्तों पर ऋण

3059. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संस्थान, ऊर्जा के गैर- परम्परागत स्रोतों का दोहन और जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण से सम्बन्धित शानदार कार्यों को शामिल करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने की सरकार जाँच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार इन नई इकाइयों के प्रभावी कार्य संचालन के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण करने पर विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) ऊर्जा के नवीकरणी योग्य स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कम ब्याज की दरों पर ऋण देने की सम्भावनाओं का परीक्षण कर रही है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(ग) जी हाँ।

दल-बदल पर रोक

3060. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दल-बदल पर रोक लगाने के विधायी उपायों के बारे में अपने विचारों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है क्योंकि दल बदल विरोधी विधायन चुनाव निर्वाचन सुधार के विस्तृत परिप्रेक्ष्य का एक भाग है।

टायरों का मूल्य

3062. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उत्पादक कुछ समय पहले ट्रक, कार और स्कूटर के टायरों के मूल्यों में 3 प्रतिशत की कमी करने के लिए सहमत हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो घटी हुई कीमतें लागू होने पर कार और स्कूटर टायरों के क्रमश: अब मूल्य क्या होंगे; और

(ग) पहली अप्रैल, 1980 और 31 जनवरी, 1981 को इनके मूल्य क्या थे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ, लेकिन केवल यात्री कार और स्कूटर टायरों के बारे में ।

(ख) 26 अगस्त, 1980 को उद्योग राज्य मंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में टायर उत्पादकों ने यात्री कार और स्कूटर टायरों के मूल्यों में 3 प्रतिशत की तत्काल कमी कर देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी । यात्री कारों और स्कूटर टायरों के मूल्य एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अलग-अलग होते हैं, लेकिन मूल्य कम कर देने के बाद, इन आकारों के टायरों के मूल्य अधिकांश रूप में 3 प्रतिशत तक कम हो गए हैं ।

(ग) 1 अप्रैल, 1980 तथा 31 जनवरी, 1981 को ट्रक, कार तथा स्कूटर टायरों की थोक विक्रय मूल्य सूची निम्न प्रकार थी :—

	1.4.80 को (रुपये)	31.1.81 को (रुपये)
ट्रकट ायर		
8.25-20 12 पी० आर० (आर०)	1485.00	1690.00
9.00-20 12 पी० आर०	1760.00	2000.00
यात्री कार (आर०)		
6.70-15 6 पी० आर०	400.00	515.00
5.90-15 6 पी० आर०	345.00	402.00
5.20-14	295.00	338.00
5.60-13	288.00	402.00
स्कूटर		
3.50-10 4 पी० आर०	99.00	103.00

बंगलादेश के राष्ट्रिकों का अनधिकृत रूप से रहना

3063. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के कितने राष्ट्रिक अनधिकृत रूप से रह रहे हैं; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बंगला देश

राष्ट्रिकों का आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है। अतः भारत में रह रहे बंगला देश राष्ट्रिकों की संख्या दिन प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) जब कभी भी बंगला देश राष्ट्रिकों के अनधिकृत रूप से रहने का पता लगता है तो कार्रवाई की जाती है और उन्हें तत्काल भारत छोड़ने के लिए कहा जाता है।

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड

3064. **श्री विजय मोदक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनिरिंग कम्पनी लिमिटेड की यूनियनों/श्रमिकों और कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान इस कम्पनी का भी राष्ट्रीकरण करने के लिये, इसे या तो गार्डन रिच शिप-बिल्डर्स एण्ड इंजीनियरी, कलकत्ता (सुरक्षा मंत्रालय के अधीन) के साथ अथवा शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन) के साथ जोड़ने सम्बन्धी आवश्यक उपाय करने की ओर दिलाया है; और

(ख) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार का रवैया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस उद्योग के हित में कार्यवाही करने में सरकार की रुचि है, और इस बीच भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम लि० जो कि भारत सरकार का एक वित्तीय संस्थान है से हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि० को बराबर सहायता मिल रही है।

दस या इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार में रखने वाले छोटे प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि योजना लागू करना

3065. **श्री तारिक अनवर** :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दस अथवा इसरे अधिक व्यक्तियों को रोजगार में रखने वाले छोटे प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि योजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक लाभान्वित होंगे ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दस या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारी भविष्य निधि और

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 को लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) सरकार का अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी विधायक को यदि संभव हुआ तो चालू सत्र में पेश करने का इरादा है, ऐसा न हो सकने पर इसे आगामी सत्र में पेश किया जायेगा।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए रैंडम सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों के उद्योगों/श्रेणियों जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम को पहले से ही अधिसूचित किया गया है, में नियोजित लगभग 168204 कर्मचारियों को इस योजना के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप लाभ होने की संभावना है। ऐसे श्रमिकों की, जो प्रतिष्ठान के अन्य वर्गों में नियोजित है और जिन्हें इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप लाभ होने की संभावना है, यथार्थ संख्या के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

नारियल की भूमि खरीदने की अधिक शक्तियाँ

3056. **श्री बी० एस० विजय राघवन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि नारियल की भूसी को खरीदने के लिए उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, के अन्तर्गत और शक्तियाँ दी जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्र का निर्णय क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी हाँ। नारियल जटा के प्रभावी रूप से इकट्ठा करने तथा उसका वितरण करने के लिए जरूरी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करने हेतु सरकार को सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं है।

आदिवासी लोगों के जीने का परम्परागत ढंग अभिज्ञान और संस्कृति

3067. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के आदिवासी लोगों के जीने के परम्परागत ढंग अभिज्ञान और संस्कृति में हस्तक्षेप को रोकने के लिए 1980-81 के दौरान क्या कार्यवाही की है, और

(ख) जनजातीय लोगों को उपरोक्त बातों के अनुरूप राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में मिलाने के लिए सभी प्रकार का समन्वय लाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पांचवीं

योजना अवधि (1974-79) के दौरान शुरू की गई जनजातीय उप योजना नीति सघन जनजातीय जन संख्या वाले राज्यों में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए । 1980-81 में भी चालू रही । जनजातीय उप योजना का मुख्य सिद्धान्त यह है कि विकास प्रक्रिया जनजातीय जनसंख्या के जीवन के परम्परागत ढंग, अभिज्ञान और संस्कृति के ढाँचे के साथ समन्वित होनी चाहिए । दूसरे, जनजातीय भाषाओं और कलारूपों को बनाए रखने तथा उनके उन्नयन पर ध्यान दिया जा रहा है । सम्बन्धित जनजातीय समुदायों की संस्कृति के अनुरूप पाठ्क्रम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है । आबकारी के क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में शराब बिक्री को बन्द करने की और इसके स्थान पर जनजातीय लोगों को घरेलू, सामाजिक और धार्मिक उपभोग के लिए स्वयं शराब निकालने की नीति है । संक्षेप में विकास योजनाओं में जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन को विकृत होने से रोकने और उनकी प्रगति का प्रयास किया गया है ।

पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाया जाना

3068. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस ने देश में वर्ष 1980 के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर कितने मामलों में गोली चलाई;

(ख) उसके कारण प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति मरे/घायल हुए;

(ग) कितने मामलों में न्यायिक जाँच कराई गई और किन-किन मामलों में रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(घ) जाँच आयोग (गों) की रिपोर्टों पर प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की गई; और

(ङ) प्रत्येक मामले में हताहय होने वालों के परिवार वालों को यदि कोई मुआवजा दिया गया तो कितना ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कार्यालयों में नेत्रहीन व्यक्तियों की नियुक्ति

3069. **श्री त्रिलोक चन्द :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री बी० डी० सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1980 में किसी समय हुए सहमति के अनुसार नियुक्ति करने वाले मंत्रालयों और विभागों के द्वारा समुचित कार्यों के लिए प्रतिमास एक नेत्रहीन व्यक्ति की नियुक्ति की जानी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में अब तक कितने नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 10-9-1980 को हुई मुख्य केन्द्रीय नियोजक मंत्रालयों और विभागों की बैठक में श्रम मंत्री ने विशेष रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार में लगाने के मौलिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक नेत्रहीन व्यक्ति को तत्काल नियोजित करने का अनुरोध किया. 20-1-1981 को हुई बैठक में इस स्थिति की पुनरीक्षा की गई। लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रोजगारों का पता लगाने से सम्बन्धित कार्य लगभग पूरा हो गया है और विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा पद भरने के लिये उपयुक्त अनुदेश सभी सम्बन्धितों को जारी कर दिए गए हैं। यप सूचित किया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, (जिन्होंने अपने अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों से सूचना एकत्र की है) द्वारा नियोजित किए गए नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या 745 थी।

जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण

3070. **श्री रशीद मसूद :**
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री जगपाल सिंह :
श्री राम विलास पासवान :
श्री के० प्रधानी :
श्री जगदीश टाइलर : : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधों की जाँच में पुलिस द्वारा कानूनेतर तरीके अपनाए जाने की हाल की घटना को देखते हुए सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण को नया रूप देने, जागरूक अनुशासन लाने के तरीकों के आधुनिकीकरण तथा जनता एवं पुलिस के बीच उनकी शिकायतों को शीघ्रता से हल किए जाने हेतु सुधरी हुई संचार प्रणाली की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(क) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तरीकों को अनुकूल और आधुनिक बनाने और उनमें अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा बल दिया जाता रहा है। सरकार ने पुलिस के कार्य में सुधार लाने के विभिन्न सुझाव देने के लिए प्रोफेसर एम० एस० गोरे की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धी एक समिति नियुक्त की थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई थी। प्रशिक्षण और पुलिस-नागरिक सम्बन्ध विषयक मामलों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं। पुलिस महानिरीक्षकों/अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षकों के लिए तीन दिन की विचारगोष्ठी के रूप में एक पूर्वाभिमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पुलिस उप महानिरीक्षकों के लिए दो विचारगोष्ठियाँ आयोजित की गई थी। आई० सी० एफ० एस० ने भी पुलिस अधीक्षकों के लिए पुलिस समुदाय सम्बन्धों के सम्बन्ध में दस दिवसीय एक पाठ्यक्रम शुरू किया। राज्य पुलिस प्रशिक्षण कालेजों में पुलिस उप अधीक्षक/निरीक्षक/उप-निरीक्षक के लिये लघु अवधि के इसी प्रकार के पाठ्यक्रम और पूर्वाभिमुख कार्यक्रमों के रूप में जिलों में कांस्टेबलों और हैडकांस्टेबलों के लिए कई पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्री के साथ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए हैं। केन्द्र सरकार के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जहाँ राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, सहायता प्रदान कर रही है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में, प्रोफेसर एम० एस० गोरे की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धी एक स्थाई समिति बनाई गई है और विभिन्न प्रशिक्षण समस्याओं/अपेक्षाओं का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

राज्यों में पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने के प्रश्न पर 3 अप्रैल, 1980 को हुए राज्य मुख्य सचिवों/गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन और 8 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

उनसे वर्तमान पुलिस प्रशासन की कमियों का पता लगाने, उनको उपयुक्त रूप से दूर करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि राज्यों में सक्षम, ईमानदारी मानवोचित और प्रभावी पुलिस पद्धति को सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने 1980-81 से 1989-90 तक अगले दस वर्षों की अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना का पुनरीक्षण भी किया है। 1980-81 के [illegible] 750 लाख रुपए की केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया

है एक मद, जिस पर केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया जा सकता है, पुलिस प्रशासन प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरण खरीदने के लिए है।

सातवें वित्त आयोग ने भी, जो नौ राज्यों पुलिस प्रशासन में पिछड़े हुए हैं, उनमें पुलिस प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए 168.73 करोड़ रुपए (राजस्व) के परिव्यय की सिफारिश भी की है। एक मद जिस पर राज्य सरकारों द्वारा यह परिव्यय उपयोग किया जा सकता है, कर्मचारी प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए है।

देश में पुलिस के कार्य में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी नियुक्त किया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय पुलिस प्रशिक्षण, विकास और अधिकारियों के कैरियर प्लानिंग के तरीकों की जाँच करना और उनकी सेवा में किसी समय अपेक्षित परिवर्तनों की सिफारिश करना, दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना और पुलिस बल के नेतृत्व को कारगर तथा मनोबल को मजबूत बनाना है। आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को अनुकूल बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायेंगे।

छात्रों पर पुलिस के अत्याचार

3071. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छात्रों पर पुलिस के अत्याचारों/ज्यादतियों की रोकथाम के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) लोक व्यवस्था और पुलिस राज्यों के क्षेत्राधिकार का एक विषय होने के कारण राज्य सरकारें छात्र प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थितियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम हैं, कि छात्रों पर अत्याचार और ज्यादतियाँ न हों।

नहाने के साबुन, कॉर्बोलिक साबुन और कपड़ा धोने के साबुन के उत्पादन के बारे में निर्धारण

3072. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा नहाने के साबुन कार्बोलिक साबुन और कपड़ा धोने के साबुन के उत्पादन के बारे में वर्ष-प्रतिवर्ष निर्धारण किए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दुस्तान लीवर द्वारा निर्मित लाइफब्वाय साबुन किस श्रेणी में आता है, और

(ग) उनके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जी, हाँ । आई०एस०आई० विशिष्टयां केवल नहाने के साबुन और कपड़ा धोने के साबुनों के लिए है । इस प्रकार साबुनों को उत्पादन के आंकड़ों की दृष्टि से इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । केवल लाइफब्वाय की गणना की दृष्टि से नहाने के साबुन में रखा गया है ।

पासपोर्ट गिरोह

3073. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में यात्रा एजेंसियों और पासपोर्ट कार्यालय के कुछ अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ से कार्य कर रहे पासपोर्ट-गिरोहों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत दो वर्षों में पासपोर्ट गिरोहों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मैसर्स ब्रैथवेट वर्न एण्ड जेसप का बन्द होना

3074. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रैथवेट वर्न एण्ड जेसप नामक इन्जीनियरिंग फर्म को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के आधार क्या हैं; और

(ग) इस फर्म को बन्द होने से बचाने और इसे चालू रखने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) ब्रैथवेट वर्न तथा जेसप में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए इसके पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

3075. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक्सेल वीअर तथा अन्य के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की सम्बन्धित धाराओं को अवैध घोषित करके नियोक्ताओं के अपनी व्यापार कम्पनियों को बन्द कर देने के मूल अधिकारों को उचित ठहराया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने एक्सेल वीयर बनाम यूनियन आफ इण्डिया (सितम्बर, 1978) के मामले में अपने निर्णय में यह कहा था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की सम्पूर्ण धारा 25-ण और धारा 25-द, जहां तक यह धारा 25-ण के उल्लंघन के लिए दंड देने से संबंधित है, सांविधानिक रूप से दोषपूर्ण और अवैध हैं क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) (छ) का उल्लंघन करते हैं। सरकार इस सम्बन्ध में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अपेक्षित विधायी परिवर्तनों की जांच कर रही है।

निरंकारी बाबा की हत्या करने वाले अपराधियों का गिरफ्तार न किया जाना

3077. **श्री वीर भद्र सिंह :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो व्यक्ति निरंकारी बाबा की हत्या करने के जिम्मेदार हैं, उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप स्वर्गीय निरंकारी बाबा के अनुयायियों में भारी रोष है;

(ख) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) मामले के जांच कार्य को और शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पांच व्यक्ति गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और मामले को जांच पड़ताल की जा रही है। शेष अभियुक्तों का पता लगाने और गिरफ़्तार करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी सेवा में मुसलमानों की संख्या

3078. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की बहुत ही कम संख्या होने की जानकारी सरकार को है;

(ख) यदि हाँ, तो भर्ती और पदोन्नति के मामले में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व/भाग सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है;

(घ) क्या इस बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या पर्याप्त संख्या में मुसलमानों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए भर्ती करने वाले अधिकारियों को कोई विशिष्ट अनुदेश दिए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप होती है। चूंकि भर्तियाँ जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर नहीं की जाती हैं इसलिए ऐसे आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) (ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

अमरेली, गुजरात में उद्योगों की स्थापना

3079. **श्री नवीन रवागी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का अमरेली जिला औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने और इसे सौराष्ट्र क्षेत्र के सुरेन्द्र नगर जिले के समान केन्द्रीय राज सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) इसे आज तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) 1977 के बाद आज तक गुजरात में कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है और किन-किन कारणों से;

(ङ) पिछड़ा हुआ घोषित करने का मानदंड क्या है;

(च) ऐसे जिलों को केन्द्र और राज्यों द्वारा क्या सहायता और सुविधाएं दी जाती हैं; और

(छ) वर्ष 1981 और 1982 में गुजरात के और कितने जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) से (ङ) : गुजरात के निम्नलिखित 10 जिले सावधिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के लिए पात्र हैं :

अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंच महल, साबरकंठा तथा सुरेन्द्रनगर ।

जहां तक केन्द्रीय राज-सहायता का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय विकास परिषद् के पहले निश्चय के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक रूप से पिछड़े समझे गए प्रत्येक राज्य से 2 जिलों को तथा प्रत्येक अन्य राज्य से एक जिले को चुना जाए । यद्यपि गुजरात सरकार ने प्रस्ताव किया था कि केन्द्रीय निवेश राज-सहायता की पात्रता के लिए 3 जिलों, पंचमहल, कच्छ तथा अमरेली को चुना जाए, चूंकि गुजरात राज्य एक जिले के लिए पात्र था, अतएव, इस उद्देश्य के लिए पंचमहल जिले को चुना गया था । तत्पश्चात, यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना की सीमा को क्रमश: 2 से 6 जिलों तथा 1 से 3 जिलों तक बढ़ाया जाए, गुजरात सरकार ने केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अंतर्गत भड़ौच तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव किया था, जिसे मान लिया गया था ।

तदनुसार, जबकि अमरेली जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला होने का पता लगाया गया है और यह जिला पहले ही वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के लिए हकदार हैं, अत: यह जिला केन्द्रीय राज-सहायता पाने के लिए पात्र नहीं है ।

(च) पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सहयोग तथा सुविधाओं का प्रस्ताव करती है :—

1. निवेश राज-सहायता की केन्द्रीय योजना ।
2. परिवहन राज-सहायता योजना ।
3. अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं ।
4. कर सम्बन्धी रियायतें ।
5. लघु उद्योगों द्वारा मशीनरी की किराया खरीद ।
6. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।
7. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं ।
8. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।
9. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।
10. जिला उद्योग केन्द्र ।
11. सीड/मार्जिन धन सहायता ।

किन्तु, परिवहन राज-सहायता योजना गुजरात राज्य के लिए लागू नहीं है ।

(छ) अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों की विद्यमान योजना की संवीक्षा करने तथा जिसके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाये जाने के मानदण्ड की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वी० शिवारामन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने "औद्योगिक छतराव" पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

वैज्ञानिकों की कार्य शर्तों का मूल्यांकन

3080. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (एक) उच्च अर्हता-प्राप्त वैज्ञानिकों के लम्बी अवधि तक निम्न स्तरों पर पड़े रहने; (दो) वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों का उनके विशिष्ट क्षेत्रों में समर्थक उपयोग करने; (तीन) अनुसंधान संगठन की कार्मिक नीति की पर्याप्तता की अथवा इससे भिन्न स्थिति; और (चार) शोध-शालाओं में तथा वैज्ञानिकों की कार्य शर्तों में कमियों के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सामान्यतया, वैज्ञानिकों के पदों के लिए शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव के अनुरूप उपयुक्त ग्रेडों की व्यवस्था की जाती है। कई वैज्ञानिक विभागों में, वास्तविक रिक्त स्थानों के साथ सम्बन्धित हुए बिना सावधिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन और योग्यता के आधार पर पदोन्नतियों के आधार पर अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए योजनाएं विद्यमान हैं। कैरियर अवसरों; काम करने की परिस्थितियों, कार्मिक नीतियों और अन्य सम्बद्ध पक्षों की विभिन्न वैज्ञानिक विभागों द्वारा समीक्षा की जाती रही है और समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में छठी योजना (1980-85) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए एक कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इनमें से कुछ पक्षों की ओर भी ध्यान दिया है।

गुजरात में सीमेंट की कमी

3081. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रयोजनों के लिए गुजरात को प्रति माह सीमेंट की कितनी आवश्यकता होती है;

(ख) जनवरी, 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान महीने-वार गुजरात सरकार ने कितने सीमेंट की मांग की थी और उसमें से कितनी मात्रा की उसे स्वीकृति मिली और वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ग) गुजरात की सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावशाली उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) गुजरात को उनकी मांग के अनुसार सीमेंट सप्लाई न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राज्यों की सीमेंट की आवश्यकताएं इकट्ठी नहीं की जाती हैं। हाँ, गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में यह बताया है कि उनकी सीमेंट की औसत आवश्यकता 7 लाख मी० टन प्रति तिमाही होगी।

(ख) राज्यों को सीमेंट का आवंटन एवं प्रेरण तिमाही के आधार पर किया जाता है। गत चार तिमाहियों में गुजरात राज्य को नियत तथा सप्लाई की गई सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(हजार मी० टन में)

अवधि	आवंटन	संभरण
तिमाही 1/80	391.0	402.0
तिमाही 11/80	367.0	376.3
तिमाही 11/80	376.5	286.9
तिमाही 4/80	404.8	366.4

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग को कोयला तथा बिजली कम उपलब्ध होने के बारे में बाह्य कठिनाइयों के कारण देश में सीमेंट कम उपलब्ध होने की वजय से राज्य सरकारों को मुख्यत: सीमेंट का कम संभरण किया गया था। सरकार विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके नई क्षमता स्वीकृत करके तथा आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है।

प्रशिक्षुता योजना के अंतर्गत रोजगार

3082. **श्री ओस्कर फर्नाडीज :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वर्ष 1961 में प्रशिक्षुता योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत देश में राज्यवार कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ग) अब तक कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है और शेष प्रशिक्षणार्थियों को कब तक रोजगार मिल जाएगा;

(घ) पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद उन्हें रोजगार देने के क्या मानदंड हैं और उसमें कितना समय लग जाता है; और

(ङ) क्या सरकार का इस योजना से संबंधित सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कोई उपाय करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग में दक्ष जनशक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षित शिक्षुओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

(ख) विवरण-1 संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है। (अनुबन्ध-1)

(ग) और (घ) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन शिक्षुओं को रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 में दिया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षित शिक्षु हेतु रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-1

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अप्रैल, 1980 तक उत्तीर्ण हुए शिक्षुओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(अन्तिम)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रैल, 1980 तक उत्तीर्ण हुए शिक्षुओं की संख्या
1	2	3
1.	आँध्र प्रदेश	16118
2.	असम	2105
3.	बिहार	17622
4.	गुजरात	13022
5.	हरियाणा	4103
6.	हिमाचल प्रदेश	663

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	209
8.	कर्नाटक	13484
9.	केरल	4981
10.	मध्य प्रदेश	15374
11.	महाराष्ट्र	32216
12.	मणिपुर	48
13.	मेघालय	8
14.	उड़ीसा	7238
15.	पंजाब	3396
16.	राजस्थान	4335
17.	तमिलनाडु	32894
18.	त्रिपुरा	14
19.	उत्तर प्रदेश	19413
20.	पश्चिम बंगाल	26199
21.	चंडीगढ़	438
22.	दिल्ली	5985
23.	गोवा	277
24.	पांडिचेरी	1130
25.	फुटकर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं*	772
	अखिल भारतीय योग	221994

नोट :—*1964 (74 उत्तीर्ण) और 1965 (698 उत्तीर्ण) वर्षों से सम्बन्धित है, जिनके लिए राज्यवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-2

शिक्षु अधिनयम, 1961 के अधीन प्रशिक्षित शिक्षुओं के बारे में 1967-1979 अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या।

क्रमांक	राज्य	
1	2	
1	आंध्र प्रदेश	3553
2	असम	595
3	बिहार	3350

1	2	
4	गुजरात	285
5	हरियाणा	228
6	हिमाचल प्रदेश	229
7	जम्मू व कश्मीर	23
8	कर्नाटक	2376
9	केरल	1097
10	मध्य प्रदेश	2595
11	महाराष्ट्र	1606
12	मणिपुर	64
13	मेघालय	5
14	नागालैण्ड	5
15	उड़ीसा	1881
16	पंजाब	86
17	राजस्थान	629
18	सिक्किम	*
19	तमिलनाडु	1801
20	त्रिपुरा	1
21	उत्तर प्रदेश	2443
22	पश्चिम बंगाल	385
संघ राज्य क्षेत्र		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2	अरुणाचल प्रदेश*	*
3	चंडीगढ़	41
4	दादरा और नगरहवेली*	*
5	दिल्ली	100
6	गोवा	50
7	लक्षद्वीप	—
8	मिजोरम	1
9	पांडेचेरी	—
	अखिल भारतीय योग	23429

नोट : 1. *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है।

2. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के बारे में आंकड़े शामिल नहीं हैं।

सीमेंट की मांग और किसी अन्य देश की सहायता से सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

3083. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की कुल मांग कितनी होगी और इस अवधि के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन कितना होगा;

(ख) सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे सीमेंट के नए संयंत्रों की संख्या कितनी है और क्या ये संयंत्र पूरी सीमा तक अपनी संस्थापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी देश से अपनी वित्तीय सहायता से भारत में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सीमेंट उद्योग के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्य-दल ने आगामी तीन वर्षों के दौरान सीमेंट की मांग और उत्पादन का अनुमान निम्नानुसार लगाया है :

वर्ष	मांग	संभावित उत्पादन (दस लाख मी० टनों में)
1981-82	30.22	25.23
1982-83	32.64	28.98
1983-84	35.25	32.85

(ख) सीमेंट के नए संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकारी क्षेत्र में 22 एककों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र स्वीकृत किए गए हैं। संयंत्रों को अधिष्ठापित किया जा रहा है। उनके अधिष्ठापित हो जाने के बाद ही उनकी क्षमता के उपयोग का प्रश्न उठेगा।

(ग) जी, नहीं। कोई खास प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कारों तथा स्कूटरों का उत्पादन, निर्यात और कमी

3084. **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्कूटरों तथा कारों की वार्षिक मांग तथा उत्पादन क्या है;

(ख) इस उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग का निर्यात किया जाता है; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 1979-80 में कारों तथा स्कूटरों का उत्पादन तथा निर्यात निम्न प्रकार था :

	उत्पादन	निर्यात
यात्री कारें	33,074	173*
स्कूटर	1,55,445	12,867*

कारों की मांग लगभग उतनी ही थी। स्कूटरों की वर्तमान क्षमता अनुमानित मांग जो कि 1980-81 में लगभग 2,10,000 नग होगी को पूरा करने के लिए काफी है। फिर भी, एक विशेष मेक के स्कूटर के लिए प्रतीक्षा सूची है। अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वर्तमान एककों की क्षमताओं के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

छठी योजना में क्षेत्रीय असमानताएं कम करना

3085. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री जगदीश टाइटलर: क्या योजना मन्त्री छठी योजना में क्षेत्रीय असमानताएं कम करने के बारे में 10 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने अपने विचार-विमर्श पूरे कर लिए हैं और अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या कार्यवाही किए जाने की प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) समिति के अपने विचार-विमर्श जून, 1981 के अन्त तक पूरे कर देने की आशा है।

पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी

3086. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

* ये आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1979 की अवधि से संबंधित हैं।

(क) क्या यह सच है कि देश में पाकिस्तान के हथियारों की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो महीने के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) इसमें लगे तस्करों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार तस्करी रोकने के लिए कोई कड़ी कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु उद्योगों को ऋण देने की उदार नीति

3087. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मझौले उद्योगों को ऋण देने की उदार नीति के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले उद्योगों की पूंजी की अधिकतम सीमा क्या है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि संशोधित निवेश सीमा के अन्तर्गत आने वाले लघु एककों को रियायती दर पर वित्त प्रदान किया जाए ।

आर्डनेंस क्लोथिंग फैक्टरी, शाहजहाँपुर की रोजगार क्षमता में वृद्धि

3088. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार आर्डनेंस क्लोथिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की इसके वर्तमान कार्यभार में वृद्धि करके और प्रति वर्ष दो लाख कंबल बनाने के लिए क्रयादेश देकर उसकी वर्तमान रोजगार क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिक क्षमता के सीमेंट संयंत्रों की स्थापना किया जाना

3039. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री बी०डी० सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में अधिक क्षमता के सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 10 लाख मीट्रिक टन तथा उससे अधिक क्षमता वाले सीमेंट संयंत्रों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टन में)
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	तेन्दूर (आ०प्र०)	10.00
2.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	नीमच (एम०पी०)	10.00 (विस्तार)
3.	यू०पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन	चूनार (यू० पी०)	16.80
4.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	चिलहटी (एम०पी०)	21.40
5.	गुजरात इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	वेरावल (गुजरात)	10.00
6.	श्री सीमेंट लि०	ब्यावर (राजस्थान)	12.00
7.	नरमदा सीमेंट लि०	जाफरावाद (गुजरात)	10.00
8.	लारसेन एंड ट्रब्रो लि०	चन्दरपुर (महाराष्ट्र)	11.09
9.	सेन्चुरी स्पिनिंग एन्ड मैन्युफैक० कम्पनी	चन्दरपुर (महाराष्ट्र)	10.00
10.	ए०सी०सी० लि०	वाड़ी (कर्नाटक)	10.00 (विस्तार)
11.	कोरोमंडल फरटलाइजरस लिमिटेड	कलामल्ला (आ०प्र०)	10.00

रुग्ण कम्पनियों को पुन: चालू करने के लिए औद्योगिक विकास अधिनियम के उपबन्धों को उदार बनाया जाना

3090. **श्री आर० प्रभू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास अधिनियम के उपबंधों को उदार बनाने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार करने का है ताकि रुग्ण कम्पनियाँ अपना काम फिर से चालू कर सकें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : जी नहीं ।

गणतन्त्र दिवस समारोह पर किया गया व्यय

3091. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गणतंत्र दिवस (रिहर्सल सहित) मनाने में निम्नलिखित मदों पर कितना व्यय किया गया है;

1. बैठने की व्यवस्था
2. प्रकाश व्यवस्था
3. पैट्रोल
4. मनोरंजन
5. झांकियाँ
6. समारोह में भाग लेने वालों को लाने और उनके ठहरने का प्रबन्ध

(ख) गत तीन वर्षों में बेचे गए टिकटों से कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में इस तरह प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा कर दी गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) दिल्ली में गणतन्त्र दिवस समारोह का प्रबन्ध विभिन्न एजेंसियाँ करती हैं अर्थात् केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग, राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियाँ। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय को वे एजेन्सियाँ ही वहन करती हैं जो उन मैद/कार्य विशेष से सम्बन्धित होते हैं, इसलिए समारोह पर होने वाले व्यय का सारा लेखा एक साथ नहीं रखा जाता है। इस सम्बन्ध में ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसके अनुसार विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए खर्च का पूरा लेखा मंगाकर उसे गणतन्त्र दिवस से सम्बन्धित व्यय के अलग शीर्ष में दिखाया जाय। इसलिए इस बारे में व्यय के पूरे और पक्के आँकड़े देना सम्भव नहीं है। कुछ सम्बन्धित एजेंसियों ने रक्षा मन्त्रालय को जो सूचना भेजी है उसके आधार पर प्रश्न में पूछी गई मदों पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

क्रम संख्या	मद	1978	1979	1980	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	बैठने की व्यवस्था	5,10,708.00 रुपये	8,70,144.00 रुपये	6,97,957.00 रुपये	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार
2.	प्रकाश व्यवस्था	1,08,345.00 रुपये	1,13,142.89 रुपये	1,29,404.69 रुपये	
3.	पैट्रोल तेल और स्नेहन	5,65,700.67 रुपये	6,39,237.24 रुपये	7,89,150.52 रुपये	ये आँकड़े केवल दिल्ली में गणतन्त्र दिवस परेड के बारे में रक्षा सेवाओं के वाहनों के लिए पैट्रोल तेल और स्नेहन पर हुए अनुमानित व्यय के बारे में है। इनमें अन्य विभिन्न एजेंसियों और दिल्ली से बाहर तीनों सेनाओं की यूनिटों द्वारा किया गया खर्च सम्मिलित नहीं है क्योंकि उसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6
4.	मनोरंजन	29,815.17 रुपये	46,367.06 रुपये	45,270.22 रुपये	इस मन्त्रालय द्वारा मनोरंजन के रूप में कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये आंकड़े जनजाति (ट्राइबल) के उन अतिथियों पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिन्हें गणतन्त्र दिवस समारोह देखने के लिए बुलाया जाता है।
5.	झाँकियाँ	4,27,883.00 रुपये	3,15,121.68 रुपये	2,68,765.83 रुपये	ये आंकड़े केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत झाँकियों पर किए गए व्यय के बारे में है। 1978 में 7, 1979 में 5 और 1980 में 4 झांकियाँ
6.	समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को लाने और उनके ठहरने के प्रबन्ध	5,10,811.34 रुपये	7,70,985.00 रुपये	5,79,511.32 रुपये	सेना कार्मिक अपने रेल वारन्ट पर यात्रा करते हैं और जनजातीय अतिथियों/लोक नृतकों की यात्रा का व्यय संबंधित राज्य सरकारें वहन करती हैं। ये आंकड़े सेना कार्मिकों की यात्रा और उनके ठहरने तथा जनजाति अतिथियों/लोक नृतकों के ठहरने के लिए की गई व्यवस्था पर हुए व्यय के संबंध में है।

(ख) गत तीन वर्षों में गणतन्त्र दिवस परेड के टिकटों की बिक्री से हुई आय इस प्रकार है :

1978 : 2,14,400 रुपये 1979 : 2,66,107 रुपये 1980 : 2,68,610 रुपये

(ग) गत तीन वर्षों में गणतन्त्र दिवस परेड के टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में जमा करा दिया गया है।

अमरिका द्वारा परमाणु ईंधन की सप्लाई के मामले की समीक्षा

3092. **श्री चित्त महाटा :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका के नये प्रशासन ने विदेशी नीति के मामलों की अपनी समीक्षा में तारापुर रिएक्टर के लिए सप्लाई किए गए परमाणु ईंधन के मामले पर विचार किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारत सरकार को यह जानकारी नहीं है कि अमेरिका प्रशासन द्वारा की गई विदेश नीति के मामलों की अपनी समीक्षा का स्वरूप क्या है ।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

आसूचना ब्यूरो का कानूनी दर्जा

3093. **श्री आनन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसूचना ब्यूरो नामक संस्था का कानूनी दर्जा क्या है;

(ख) क्या यह संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित है;

(ग) क्या आसूचना ब्यूरो के वास्तविक कार्यकरण के अधीक्षण के लिए और उस पर नजर रखने के लिए कोई समिति उत्तरदायी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आसूचना ब्यूरो के लिए एक निगरानी समिति बनाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आसूचना ब्यूरो, संविधान की सातवीं अनुसूची में "संघसूची" में है । भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में इस संगठन को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है और यह इस मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है ।

(ख) आसूचना ब्यूरो के लिए कोई अलग संसदीय अधिनियम नहीं है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान । गृह मंत्रालय आसूचना ब्यूरो के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करता है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बैंकों में श्रमजीवी संघ

3094. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या श्रममंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम और भारतीय खाद्य निगम में श्रम जीवी संघों को मान्यता देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) प्रत्येक संगठन में पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्या कितनी है, प्रत्येक का पंजीकरण का वर्ष भी बताएं और 1979-80 के दौरान उनकी सदस्य संख्या कितनी थी; और

(ग) उन अखिल भारतीय संघों के क्या नाम हैं जिनके साथ उक्त प्रत्येक संघ सम्बद्ध हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय खाद्य निगम में यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए जिन मापदंडों का अनुसरण किया जाता है, वे **परिशिष्ट—1** के रूप में संलग्न हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 2020/81)।

(ख) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और खाद्य निगम की कार्यरत यूनियनें और केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ उनकेसम्बन्ध के बारे में उपलब्ध सूचना **परिशिष्ट---2** में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—2080/81)। भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि 1979-80 के दौरान सदस्य संख्या का सत्यापन नहीं किया गया, इसलिए सत्य पित सदस्य संख्या और पंजीकरण के वर्ष के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में अपराध

3095. **श्री मुकुन्द मन्डल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले वर्ष में दंगे, लूटपाट, डकैती, हत्या और औरतों से छेड़खानी की अलग-अलग कितनी घटनाएं हुई;

(ख) कितने मामलों में स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया;

(ग) क्या इन घटनाओं में से किसी की जांच के लिए न्यायिक अथवा विभागीय जाँच कराई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1980 के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं।

अपराध शीर्ष	1980 में मामलों की कुल संख्या
दंगे	180
आगजनी	36
लूटपाट	293
हत्या	185
महिलाओं के साथ छेड़खानी	70

(ख) अगस्त, 1980 में दिल्ली के पुराने क्षेत्र के एक भाग में सामप्रदायिक दंगों की घटनाओं के बाद कुछ दिन के लिए फ्लेग मार्च करने के लिए सेना को बुलाया गया था।

(ग) जी नहीं श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

3096. **श्री पी० आर० गायकवाड़ :**

श्री अशोक गहलोत : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को रोजगार केन्द्र के रजिस्टर में दर्ज देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या 1978 और 1979 की इस अवधि की तुलना में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) अमेरिका, इंगलैंड और दूसरे पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में बेरोजगारी के प्रतिशत का अनुपात क्या है;

(घ) तेजी से बढ़ती हुई संख्या में बेरोजगारों को खपाने के लिए छठी योजना के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर वर्ष 1978,1979 और जून 1980 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त में नौकरी चाहने वाले (उनमें से सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं है) शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक और इससे ऊपर) की संख्या क्रमश: 64.48, 72.97 और 76.62 लाख थी।

(ग) छठी योजना के जनशक्ति और नियोजन सम्बन्धी अध्याय में दिखाए गए

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 32वें दौर (1977-78) पर आधारित तीन विभिन्न संकल्पनाओं (सामान्य स्तर, साप्ताहिक स्तर और दैनिक स्तर) के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दरें (अनन्तिम) इस प्रकार हैं :—

सामान्य स्तर	4.23
साप्ताहिक स्तर	4.48
दैनिक स्तर	8.18

वर्ष 1978 में यू० एस० ए० यू० के० और कुछ अन्य पश्चिमी देशों में सम्बन्धित राष्ट्रीय परिभाषाओं पर आधारित बेरोजगारी की दरें इस प्रकार से हैं :—

यू० एस० ए०	—	6.0
यू० के०	—	6.0
फ्रांस	—	5.3
जर्मनी (एफ० आर० जी०)	—	4.3
इटली	—	7.1
स्वीडेन	—	2.2

(स्रोत : यू० के० का नियोजन राजपत्र, अगस्त, 1980)

विभिन्न राष्ट्रीय परिभाषाओं तथा बेरोजगारी सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने में प्रयुक्त की गई विभिन्न पद्धतियों एवं ऐसी पद्धतियों में निहित कार्य क्षेत्र और व्याप्ति में अन्तर के कारण विभिन्न देशों की उपयुक्त बेरोजगारी की दरों में तुलना नहीं की जा सकती है।

(घ) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु शुरू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे छठी पंच वर्षीय योजना प्रलेख 1980-85 के 'जनशक्ति और रोजगार' अध्याय में दिए गए हैं। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करेंगे। स्व: नियोजितों को प्रशिक्षण, ऋण सुविधाओं, विपणन सुविधाओं और मार्गदर्शन प्रदान करके नई पुनर्व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है।

बिरला समूह से सम्बद्ध कम्पनियों को लाइसेंस दिया जाना

3097. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 में बिरला समूह की कंपनियों, उनके द्वारा नियंत्रित अथवा उनसे सम्बद्ध कंपनियों को दिए गए लाइसेंसों/आशयपत्रों/विस्तार की अनुमतियों/विविधिकरण करने की अनुमतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे राज्य औद्योगिक निगमों को, जो बिरला समूह की कंपनियों के सहयोग

से विभिन्न परियोजनाओं का काम आगे बढ़ा रहे हैं; कौन से लाइसेंस दिये गये हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) एककों की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले एककों सहित सभी पार्टियों को जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" तथा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित" मन्थली न्यूज लैटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। किन्तु, बिरला समूह के एम० आर० टी० पी० एककों को जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	आशयपत्रों की सं०	औद्योगिक लाइसेंसों की सं०
1977	5	3
1978	3	3
1979	8	3
1980	12	7

(ख) औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय में जानकारी नहीं रखी जाती है तथा चूंकि राज्य औद्योगिक विकास निगमों को एक बार आशय पत्र मंजूर कर देने पर उनकी कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है।

अधिक शक्तियां प्रदान किया जाना

3098. **श्री जगदीश टाइलर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को और अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या इसके विधान में किसी प्रकार का संशोधन किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में अभ्रक पर आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाना

3099. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में अभ्रक पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब कार्यान्वित किए जाने का विचार ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) साइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने जो सरकारी क्षेत्र का एक लघु उपक्रम है, झुमरीतलैया, बिहार में माइका कागज तथा माइका कागज पर आधरित उत्पादों का निर्माण करने हेतु एक संयंत्र की स्थापना करने के लिए औद्योमिक लाइसेंस प्राप्त करवे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(ख) कंपनी को इस सम्बन्ध में दो आशयपत्र जारी किए गये हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. आशय पत्र संख्या एल० आई०/659 (80) दिनांक 26.11.80 निम्नलिखि वस्तुओं के निर्माण हेतु :

1) 200 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए माइका कागज पर आधारित उत्पाद ;

2) 100 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए माइका के टुकड़ों पर आधारित उत्पाद।

2. आशयपत्र संख्या एल० आई० 879/80 दिनांक 31.12.1980 : निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण हेतु :

(1) माइका कागज यांत्रिकीय 600 मी० टन वार्षिक क्षमता से लिए।

(2) माइका कागज (थरमोकेलीकल 600 मी० टन वार्षिक क्षमता के लिये।

(ग) आशय पत्र एक वर्ष की अवधि तक वैध है। इस अवधि के दौरान कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह विदेशी सहयोग की शर्तें प्राप्त कर ले तथा सरकार की सन्तुष्टि के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिए व्यवस्था कर ले। विदेशी सहयोग के प्रस्ताव अब मिल गए हैं।

पिछड़े क्षेत्र की परिभाषा निर्धारित करने के लिए उद्योग मन्त्रियों की बैठक

3100. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिवराम समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में पिछड़े क्षेत्र की व्यापक परिभाषा निर्धारित करने के लिए राज्य उद्योग मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हाँ। शिवारामन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा पर ठोस दृष्टिकोण प्राप्त करने हेतु राज्यों के उद्योग मन्त्री की अलग से बैठक बुलाने का प्रस्ताव है। बैठक के लिए अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

आयुद्ध कारखाने

3101. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक भी आयुद्ध कारखाना नहीं है और प्रत्येक राज्य में कितने-कितने आयुद्ध कारखाने हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बिहार में एक आयुद्ध कारखाना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) वर्तमान अथवा प्रस्तावित आर्डनेंस फैक्टरियों के सम्बन्ध में कोई विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

पश्चिमी नौसैनिक कमान, बम्बई में छः या सात वर्ष से अधिक समय से सेवारत नैमित्तिक कर्मचारी

3102. **श्री बापू साहिब पुरुलेकर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी नौसैनिक कमान, बम्बई के एफ०ओ०सी० इन चीफ के कार्यालय में छः से सात हजार कर्मचारी लगभग छः या सात वर्ष से भी अधिक समय से नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, यदि नहीं, तो ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और वे कब से इस रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि नैमित्तिक कर्मचारी भी वही कहीं काम करते हैं जो अन्य कर्मचारी करते हैं और सभी नैमित्तिक कर्मचारियों का काम स्थाई स्वरूप का है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवावधि में निरन्तरता को तोड़ने के लिए अनिवार्य रूप से उनके सेवाकाल में अवरोध पैदा किया जाता है और तीसरे वेतन आयोग द्वारा नए वेतन-मानों की घोषणा के बावजूद भी उन्हें पुराने वेतन मानों पर वेतन दिया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त भेद-भाव को दूर करने के लिए इस मामले

में कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फ़्लैग अफसर इन चीफ पश्चिम नौसेना कमान बम्बई में नैमित्तिक कर्मचारियों की कुल संख्या 3466 है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

एक वर्ष से कम सेवा वाले नैमित्तिक कर्मचारी	—	1,084
1 से 3 वर्ष की सेवा वाले नैमित्तिक कर्मचारी	—	1,405
3 से 7 वर्ष की सेवा वाले नैमित्तिक कर्मचारी	—	854
7 वर्ष से ऊपर की सेवा वाले नैमित्तिक कर्मचारी	—	123

(ख) नैमित्तिक कर्मचारियों की वही ड्यूटियाँ हैं जो उन्हीं पदों पर काम करने वाले अन्य नियमित कर्मचारियों की होती हैं। परन्तु नैमित्तिक कर्मचारियों का कार्य आमतौर से स्थायी प्रकार का नहीं होता है।

(ग) नवम्बर 1979 में जारी अनुदेशों के अनुसार उन पदों के नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा में कोई व्यवधान नहीं किया जाता है जिन्हें अनिवार्य समझा जाता है और जिन्हें आगे जारी रखना होता है। परन्तु उन थोड़े से कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान दिया जाता है जिन्हें आवश्यकता के आधार पर विशेष कार्य में लगाया जाता है। सभी नैमित्तिक कर्मचारियों को भुगतान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू नए वेतन-मान में किया जाता है।

(घ) जिन नैमित्तिक कर्मचारियों की दीर्घकालीन आधार पर आवश्यकता है उन्हें नियमित करने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

नौसेना अकादमी के लिए स्थल

3103. **श्री ई०के० इम्बीचिबावा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को एक नौसेना अकादमी की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

'अन्तरिक्ष उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के दो पाइलटों का प्रशिक्षण" शीर्षक समाचार

*3104. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1981 के पैट्रियट में "अन्तरिक्ष उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के दो पायलटों का प्रशिक्षण" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के प्रयोजन से चुने गए पाइलटों का, जो उन्हें सोवियत रूस में प्राप्त करना होगा, ब्यौरा क्या है;

(ग) उस सोवियत अन्तरिक्ष यात्री का जिसने भारत की यात्रा की, ब्यौरा क्या है, उसकी अपने भारतीय साथियों के साथ, जिन्होंने उन्हें यहां आमन्त्रित किया, क्या विचार-विमर्श हुआ, क्या यह यात्रा सरकारी थी अथवा निजी यात्रा थी;

(घ) भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा कब तक अन्तरिक्ष में उड़ान भरने की आशा है और क्या अन्तरिक्ष यान पूर्णत: सोवियत रूस में निर्मित होने अथवा भारतीय सहयोग से निर्मित होंगे और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय पाइलटों को प्रशिक्षित करने का वैसा ही अनुरोध अमेरिका से भी प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से सम्पर्क स्थापित करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सोवियत रूस की सरकार ने अपनी भावी अंतरिक्ष उड़ानों में से एक के लिए किसी भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की है। अभी तक इस संबंध में ब्योरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) जिस सोवियत अन्तरिक्ष यात्री का उल्लेख है, उनकी भारत यात्रा निजी तौर पर थी।

(घ) जैसाकि ऊपर बताया गया है, अभी तक ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ङ) तथा (च) जी, नहीं।

लड़ाकू विमान एफ 16-79 परीक्षण उड़ान के लिए पाकिस्तानी विमान चालकों का अमरीका जाना

3105. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 19 फरवरी, 1981 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी वायु सेना के परीक्षण विमान चालक एफ 16-79 लड़ाकू विमानों की परीक्षण उड़ान के लिए अमरीका जा रहे है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने ये समाचार देखें हैं ।

(ख) अपनी रक्षा तैयारी के लिए योजना को अद्यतन बनाते समय अपनी सुरक्षा के बारे में सभी घटनाओं पर नजर रखी जाती है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म बोर्ड के एक निदेशक का हटाया जाना

3106. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के बोर्ड के एक निदेशक श्री भक्तवत्सल को बोर्ड से हटा दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में,

(ग) क्या श्री भक्तवत्सल ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म की प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म फैडरेशन ऑफ इन्डिया में श्री भक्तवत्सल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हिन्दुस्तान फोटो मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया था । श्री भक्तवत्सल का कार्यकाल कम्पनी की वर्ष 1981 की वार्षिक महासभा तक था । चूंकि श्री भक्तवत्सल को इस पद से हटा दिया गया था तथा प्रतिनिधित्व बदलना वाँछनीय समझा गया था, अतः उनके स्थान पर फिल्म उद्योग के अन्य प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी गई ।

(ग) मुख्यतः श्री भक्तवत्सल ने कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध विपणन सम्बन्धी

धारणा की कमी, अनुसंधान तथा विकास कार्य की ओर अपर्याप्त ध्यान देना और इनकी कोई मूल्य नीति नहीं है, तथा जुलाई 1980 कलर पोजिटिव फिल्म के मूल्य बढ़ा दिए जाने पर यह कहना कि इसकी आवश्यकता नहीं थी शिकायत की थी ।

(घ) इन मामलों की जाँच की गई है, सामान्य अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी प्रयासों के अलावा, अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित करने की परियोजना बनाई गई है । विपणन सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के आवश्यक कदम उठाए गए हैं । जहां तक कम्पनी द्वारा सिने कैलर पोजिटिव फिल्म का मूल्य बढ़ाए जाने का सम्बन्ध है मनमाने आधार पर चुनौती देते हुए दायर की गई प्रादेश याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में निर्णय दिया गया था ।

पेट्रोल की कम खपत वाली कार अथवा स्कूटर का उत्पादन

3107. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल की कम खपत से अधिक मील चलने वाला वाहन, कार या स्कूटर, बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार का विचार नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा सुधरी हुई ईंधन क्षमता के आधार पर यात्री कारों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का है ।

(ख) सहयोग के लिए उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विदेशी मोटर गाड़ी निर्माताओं को आमन्त्रित किया गया है । प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् सहयोग करने के मामलों पर निर्णय लिया जाएगा ।

पालेकर पंचाट के परिणामस्वरूप पत्रकारों को परेशान किया जाना

3108. **गुफराव आजम :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मन्त्रालय को ऐसे नियोजकों की जानकारी है जो पालेकर पंचाट के बाद भी श्रम कानूनों की उपेक्षा करते हैं और कनिष्ट पत्रकारों (प्रूफ रीडर) आदि को परेशान करते हैं; और

(ख) समाचार पत्र मालिकों पर बोनस तथा पालेकर पंचाट लागू करने के लिए उनका मन्त्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख)

सरकार को समय-समय पर श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। इन रिपोर्टों पर सम्बन्धित कानूनों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

समाचार पत्र उद्योग के मामले में, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि श्रम जीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी संबंधी अधिकरणों की सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए।

सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को आवंटित राशि की प्रतिशतता

3109. **श्री जैनुल बशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश में से विभिन्न राज्यों को प्राप्त राशि की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में असन्तुलन दूर करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकारी क्षेत्रक में 97500 करोड़ रु० के छठी योजना के कुल परिव्यय में से राज्यों की योजनाओं का भाग 48600 करोड़ रु० होता है। हरेक राज्य का प्रतिशत भाग सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण में दिया गया है।

(ख) क्षेत्रीय असंतुलनों की समस्या का छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूर करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :

1. असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा—आर्थिक दृटि से पिछड़े हुए इन आठ राज्यों को उदार आधार पर सहायता दी जा रही है।

2. आशोचित गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत, राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय सहायता के विभाज्य समुच्चय के 10 प्रतिशत भाग की बजाय 20 प्रतिशत भाग आवंटित किया गया है।

3. पिछड़े राज्यों को सहायता देने के लिए आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर राज्यों को 1600 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

4. पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों, जिनमें से अधिकतर पिछड़े राज्यों में अवस्थित हैं, के विकास के लिए विशेष सहायता आवंटित की गई है।

5. पिछड़े राज्यों के बीच 1000 करोड़ रु० के अतिरिक्त बाजार ऋण आवंटित किए गए हैं जो सभी राज्यों को एक समान रूप में अनुमत 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अतिरिक्त हैं।

6. समाज के कमजोर वर्गों को न्यूनतम मूल सुविधायें देने के लिए राज्यों की योजनाओं में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया है।

7. कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, रेशम उद्योग, बुनाई, ग्राम और लघु उद्योग, छोटी सिंचाई की लाभग्राही-उन्मुख अनेक स्कीमें योजना में शामिल की गई हैं। इनके अलावा, केन्द्रीय योजना में, मंदी के मौसम में रोजगार देने के लिए मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और कुशलताओं के अन्तरण के द्वारा गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहली श्रेणी से सम्बन्धित है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दूसरी श्रेणी से सम्बन्धित है।

8. अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजनाएं और सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम।

विवरण

राज्य	1980-85 के लिए 97500 करोड़ रुपये के सरकारी क्षेत्रक के परिव्यय में राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रक के परिव्यय का प्रतिशत भाग
1	2
आंध्र प्रदेश	3.2
असम	1.1
बिहार	3.3
गुजरात	3 8
हरियाणा	1.8
हिमाचल प्रदेश	0.6
जम्मू और कश्मीर	0.9
कर्नाटक	2.3
केरल	1.6
मध्य प्रदेश	3.9
महाराष्ट्र	6.3

1	2
मणिपुर	0.3
मेघालय	0.2
नागालैंड	0.2
उड़ीसा	1.5
पंजाब	2.0
राजस्थान	2.1
सिक्किम	0.1
तमिलनाडु	3.2
त्रिपुरा	0.3
उत्तर प्रदेश	6.0
पश्चिम बंगाल	3.6
पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी परिषद् तथा अन्य	1.5
संघ राज्य क्षेत्र	1.7
केन्द्रीय क्षेत्रक	48.5
	100.0

उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का विनियमित किया जाना

3110. **श्री निरेन घोष :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 34 उद्योगों की गैर कानूनी अतिरिक्त क्षमता का विनियमन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उद्योगों पर देश के वर्तमान कानूनों का उल्लंघन करके अतिरिक्त गैर कानूनी क्षमता बनाने के लिए कभी कोई दंड लगाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इस विनियमन का लघु क्षेत्र के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(ङ) गत दो वर्षों में उन्होंने अपनी अनुज्ञप्त क्षमता के कितने प्रतिशत पर काम किया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महत्व रखने वाले कुछ चुने हुए उद्योगों तथा जनसाधारण के उपयोग की

वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक की अधिष्ठापित क्षमताओं को मान्यता देने की एक योजना की घोषणा की गई है।

(ख) और (ग) सम्बद्ध उद्योगों से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन होने सम्बन्धी मामलों पर विचार करते हैं तथा यथा उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। किन्तु, ऐसी जानकारी उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) अधिष्ठापित क्षमता से अधिक क्षमता को नियमित करने की सुविधा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के लिए उपलब्ध है।

(ङ) चूंकि उपयोग की सीमा उद्योगों तथा उत्पादो में भिन्न-भिन्न है और प्रत्येक वस्तु के लिए गणना की इकाई तथा अवधि भी भिन्न है, अतः देश के सभी उद्योगों की समस्त लाइसेंस प्राप्त क्षमता के प्रतिशत उपयोग के बारे में बताना संभव नहीं है।

देश में विशेषकर राजस्थान में न्यूक्लियस उद्योगों की स्थापना करना

3111. **श्री अशोक गहलोत :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ पिछड़े जिलों को हाल ही में न्यूक्लियस एकक स्थापित करने के लिए चुना गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और किन-किन जिलों को इसके लिए चुना जा रहा है तथा इस चयन के लिए क्या मानदण्ड रखे गये हैं,

(ग) क्या इस योजना में राजस्थान के जिलों को भी शामिल करने का विचार है,

(घ) यदि हाँ, तो उन जिलों के नाम क्या हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ख) उद्योग राज्य मंत्री ने केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना करने के लिए क्षेत्रों और जिलों को पता लगाने के कार्यक्रम का प्रारम्भ करते हुए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सुझाव मांगे थे। कुछ राज्य सरकारों ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के नाम जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, सूचित किए हैं। पता लगाए गए क्षेत्रों/जिलों के बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य राज्य सरकारों से उत्तर मिलने की प्रतिक्षा है।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार से इस प्रयोजन के लिए पता लगाए गए जिलों/क्षेत्रों के नाम मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

इलैक्ट्रॉनिकी की विकास योजना

3112. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिकी आयोग ने मांग तथा सप्लाई कार्यक्रम सहित इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो एक अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसका ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के सीमान्त वर्ष (1984-85) के लिए इलैक्ट्रानिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मांग तथा उत्पादन के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलैक्ट्रानिकी के विकास का मूल उद्देश्य देश की सुनिश्चित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। प्रौद्योगिकी विकास तथा सुनिश्चित प्राथमिकता वाली वस्तुओं के प्रौद्योगिकीय विकास और उत्पादन के लिये जितने पूंजी-निवेश की आवश्यकता होगी, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी ताकि आत्म-निर्भरता की दिशा में देश द्वारा चलाए गए अभियान में तीव्रता लाई जा सके, विशेष कर प्रतिरक्षा इलैक्ट्रानिकी जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्र में।

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1980 में भारत में इलैक्टानिकी वस्तुओं की जो खपत होगी वह संयुक्त राज्य अमेरिका की खपत का 1.5 प्रतिशत, पश्चिमी यूरोप की खपत का 2.5 प्रतिशत तथा जापान की खपत का लगभग 4 प्रतिशत है। किन्तु हमारी इलेक्ट्रानिकी उत्पादों की कुल खपत का लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी स्रोतों से होता है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	वास्तविक आंकड़े 1979-80	1980-81 के लक्ष्य	सीमान्त वर्ष (1984-85) के लिए लक्ष्य		
			मांग	जितना उत्पादन लक्ष्य बनाया गया	1980-85 में वृद्धि की दर
1	2	3	4	5	6
क) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी	194.4	235	523	523	22.0
ख) औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी	115.0	145	415	350	25.0

1	2	3	4	5	6
ग) संचार, प्रसारण तथा अन्य व्यवसायिक इलेक्ट्रानिकी	191.5	232	580	464	19.4
घ) कम्प्युटर	16.5	24	115	90	40.4
ङ) संघटक-पुर्जे	140.0	170	600	395	23.1
च) मुक्त व्यापार क्षेत्र (शत-प्रतिशत निर्यात)	11.5	15	45	45	31.4

ओरिएंट पेपर मिल्स, अम्लई में दुर्घटनायें

3113. **श्री आरिफ मोहम्मद खान :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरिएंट पेपर मिल्स, अम्लई में 1 जनवरी, 1980 से 20 जनवरी 1981 की अवधि के दौरान दुर्घटनाओं में असाधारण वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए तथा उनको कितनी राहत दी गई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1980 के दौरान एक श्रमिक की मृत्यु हुई और 188 श्रमिक घायल हुए, जबकि वर्ष 1979 के दौरान एक श्रमिक की मृत्यु हुई थी और 164 श्रमिक घायल हुए थे। प्रबंधतंत्र ने वर्ष 1979 और 1980 के दौरान मृत श्रमिकों के आश्रितों को 23,000 रुपये और 20,000 रुपये की अनुग्रह पूर्वक अदायगी की है। यह अदायगी घायल श्रमिकों और मृत श्रमिकों के आश्रितों को लागू कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभों के अलावा है।

पर्यावरण विभाग द्वारा पन बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं पर स्वीकृति

3114. **श्री पी०के० कोडियन :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि सभी पन बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु, पर्यावरण विभाग को भेजा जाना चाहिए;

(ख) क्या इस समय विभाग में ऐसी किसी परियोजना पर विचार किया जा रहा है;

(ग) विभाग के विचाराधीन कितनी परियोजनाएं हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) जी हाँ । उन सभी जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की अपेक्षा होती है, पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) ऐसी कुल परियोजनाओं की संख्या 94 है जिनका मूल्यांकन किया जाना है । विवरण इस प्रकार है :

सिंचाई	—	57
विद्युत	—	31
बहुद्देश्यीय	—	6

(घ) मूल्यांकन के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके लिए वनस्पति जात, प्राणि जात, पुनर्स्थापना, मत्स्यशालाओं, स्वास्थ्य पक्षों, खनिज संसाधनों और स्मारकों आदि जैसे विभिन्न पक्षों पर सविस्तार सूचना एकत्रित की जानी होती है ताकि उनकी प्रतिरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जा सकें । इनके अलावा, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन जिन परियोजनाओं में वन भूमि का निमज्जन होना होता है, उनके लिए पहले कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी होती है । ये सभी विवरण प्राप्त करने के पश्चात तब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा इन परियोजनाओं के बारे में विचार किया जाता है । इस प्रकार स्वीकृति के लिए अपेक्षित समय इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी शीघ्रता से पर्यावरण विभाग को सम्बद्ध जानकारी प्रदान की जाती है ।

उदयपुर में कुकिंग गैस और उर्वरक उत्पादन करने का संयंत्र

3115. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उदयपुर की झीलों के संरक्षण की दृष्टि से वहाँ उपलब्ध 'जल कुम्भी' पर आधारित राजस्थान राज्य के उदयपुर में 'कुकिंग गैस' और उर्वरक का उत्पादन करने के लिए एक बड़ा संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ग) उपरोक्त संयंत्र की स्थापना पर कितना व्यय होगा और इस संयंत्र में उत्पादित होने वाली कुकिंग गैस और उर्वरक की मात्रा कितनी होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) से (ग) फिलहाल, झीलों में उपलब्ध जल कुमुदिनी (वाटर हियासिंथ) के आधार पर राजस्थान के उदयपुर शहर में खाना पकाने की गैस और उर्वरकों के उत्पादन के लिए बड़े संयंत्र की स्थापना करने का केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ समय पूर्व, उदयपुर शहर की झीलों में जल कुमुदिनी के बहुत अधिक प्रसार की समस्या के मामले को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ध्यान में लाया गया था जिसके लिए इस खरपतवार को हटाने और इसका नियंत्रण करने क लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को कुछ उपाय सुझाए गए थे। खाना पकाने की गैस और उर्वरकों का निर्माण करने के लिए संयंत्र की स्थापना करना उदयपुर शहर में इसलिए संभव नहीं हो पाएगा कि इस प्रयोजन के लिए इस खरपतवार की लगातार आपूर्ति बनाए रखना होगा। पेयजल की आपूर्ति और झीलों के पर्यटक आकर्षण के दृष्टिकोण से उदयपुर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह अधिक समझा गया था कि जल कुमुदिनी को बिल्कुल ही हटा दिया जाए और झीलों में विभिन्न स्थानों पर इसके और अधिक प्रसार को नियंत्रण में रखा जाए। बहरहाल, झीलों से हटाई गई वाटर हियासिंथ को उर्वरकों और पशु आहार में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों के परामर्श से उपाय किए जा रहे हैं।

गुजरात में सीमा शुल्क विभाग की टोह लेने वाली नौकाओं का नष्ट होना

3116. **श्री निहालसिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 1981 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय का समाचार सही है कि सीमा शुल्क विभाग से दो टोह लेने वाली नौकाएं गुजरात के पूर्व में परस्पर टकरा गई थीं और नष्ट हो गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे तथा उसके फलस्वरूप कितने जन-धन की हानि हुई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 27/28 दिसम्बर, 1980 की रात को अरब सागर में टोह लेने वाली दो नौकाएं आपस में टकरा गईं। इन नौकाओं में तट रक्षक कार्मिक थे। इनमें से एक नौका थोड़ी सी क्षति ग्रस्त हो गई थी जिसकी मरम्मत कर ली गई है और अब यह नौका अपना कार्य कर रही है। दूसरी नौका की बम्बई में मरम्मत की जा रही है। यह नौका भी मरम्मत के बाद शीघ्र ही काम करने लगेगी।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जाँच बोर्ड के आदेश दे दिए गए हैं। इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र का कार्यकरण

3117. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए संयुक्त परामर्शदाता तंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :

(क) तथा (ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के कार्यकरण के सम्बन्ध में कतिपय समस्याएं संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के सरकारी पक्ष की जानकारी में लाई गई हैं। जब कभी ऐसे विशिष्ठ प्रश्न उठाए जाते हैं तो सरकार पर्याप्त कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए, मन्त्रि मंडल सचिव तथा राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष ने विभागीय परिषदों के नियमित कार्यकरण के बारे में विभागीय परिषदों के अध्यक्षों को लिखा है, सरकार ने संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र में अपनाई जाने वाली कार्यवाही के बारे में समेकित अनुदेश जारी किए हैं। सरकार विभिन्न स्तरों पर तंत्र की प्रगति मानिटर करती है। परिषद की समितियों को सक्रिय किया जा रहा है।

खानाबदोश जनजातियों का आर्थिक पुनर्वास

3118. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की खानाबदोश जनजातियों का स्थायी आर्थिक पुनर्वास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उड़ीसा की "मनकाडिया" जनजातियों के पुनर्वास के लिए कोई उपाय किए जाएंगे;

(ग) इस प्रस्ताव को अनुमानत: कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रलय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कुछ खानाबदोश जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों/अनु० जातियों में सम्मिलित किया जाता है और इन्हें, अनुसूचित जनजातियों/अनु० जातियों के लिए बनाई गई जनजाति-उप-योजना और विशेष संघटक योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जाता है। खानाबदोश जनजातियों के लिए गृह मन्त्रालय में इस प्रकार का कोई अलग केन्द्रीय कार्यक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) मनकाडिया जैसी खानाबदोश जनजातियों के आर्थिक पुनर्वास के

लिए एक परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। उनके आर्थिक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1981-82 से शुरू किया जाएगा।

(घ) परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद कार्यक्रम का ब्यौरा मालूम होगा।

कोंकण क्षेत्र में कृषि के लिए जल का संरक्षण

3119. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में भारी वर्षा के जल का संरक्षण करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए और इस जल के, कृषि विकास हेतु तथा ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु अधिकमत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन दल के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति के 31 मार्च, 1981 तक अपनी रिपोर्ट दे देने की आशा है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा के उपयोग का प्रस्ताव

3120. **श्री हरिहर सोरन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए हमारे देश में किन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा कोई प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह बात लागू ही नहीं होती।

पिक्चर ट्यूबों का आयात

3121. **श्री हरिहर सोरन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन एककों को पिक्चर ट्यूबों का सीधे आयात करने की अनुमति देने का सरकार का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब से क्रियान्वित किया गया; और

(ग) टेलीविजन निर्माताओं ने ऐसे कितने पिक्चर ट्यूब आयात किए हैं अथवा 1980-81 के दौरान कितने ट्यूब आयात किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। इस प्रस्ताव को जनवरी, 1981 के पहले सप्ताह में कार्यान्वित किया गया और इसे केवल मार्च और अप्रैल, 1981 के लिए दूरदर्शन के निर्माताओं की पिक्चर ट्यूब की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यान्वित किया गया।

(ग) इस चरण में कितनी पिक्चर ट्यूबों की जरूरत होगी, इसका पता इतनी जल्दी लगा पाना मुश्किल है क्योंकि आयात की अवधि अप्रैल, 1981 तक होगी। फिर भी वह अनुमान लगाया गया है कि प्रतिमास 25,0 0 पिक्चर ट्यूबों की कुल आवश्यकता के आधार पर स्वदेशी साधनों से लगभग 10,000 पिक्चर ट्यूबें प्रतिमाह उपलब्ध होने के बाद, मार्च और अप्रैल, 1981 के दो महीनों के लिए 30,000 पिक्चर ट्यूबों तक आयात किया जा सकेगा।

ऊर्जा का परिरक्षण तथा ऊर्जा के पुनरावृत स्रोतों का उपयोग

3122. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ ने अपने एक तीन-दिवसीय सम्मेलन में ऊर्जा के परिक्षण और ऊर्जा के पुनरावृत स्रोतों के उपयोग हेतु एक नौ-सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) **और** (ख) एसोसिएन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री द्वारा एक तीन दिन का सम्मेलन 9 फरवरी, 1981 से 11 फरवरी, 1981 तक प्रगति मैदान, नई-दिल्ली में अयोजित किया गया था। एक **विवरण** सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें इस सम्मेलन की सिफारिशें दी गई हैं।

विवरण

1. 5 अश्वशक्ति तक की क्षमता वाले डीजल इंजनों को दोहरे ईंधन से चलने वाले इंजनों के रूप में या ऐसे इंजनों के रुप में परिवर्तित किया जा सकता

है जो कि पूर्ण रूप से जैव गेस से चलाए जा सकते हैं। विनिर्माता मौजूदा इंजनों को दोहरे ईंधनों से चलने वाले या केवल जैव गैस से चलने वाले इंजनों के रूप में परिवर्तित करने को तैयार थे। इससे काफी मात्रा में डीजल तेल की बचत की जा सकेगी। नम्य कम भार की जैव गेस टंकियों का विकास किया जा चुका है जिसका उपयोग गैस संयंत्र से दूर स्थित क्षेत्रों में भी प्रयोग के स्थान तक जैव गैस को ले जाने में किया सकता है।

2. अधिकांश डीजल इंजनों को अकुशलतापुर्वक चलाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की हानि होती है। अगर उनमें थोड़ा सा समायोजन कर दिया जाए तो उनकी कुशलता में बहुत अधिक सुधार किया जा सकता है। बहरहाल, ऐसी एक एजेंसी की आवश्यकता है जो कि दूरस्थ गांवों में इंजनों के अनुरक्षण और समायोजन के कार्य को हाथ में ले सके। इस बात की ओर संकेत किया गया था कि हर वर्ष 60,000 स्वस्थ सैनिक रक्षा सेनाओं से सेवा निवृत्त किए जाते हैं। यदि कोई ऐसी संस्था बनाई जा सके जहां इन सेवा निवृत्त रक्षा कर्मियों को एक दो सप्ताह का ऐसा प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे कि ये इन डीजल इंजनों का उपयुक्त अनुरक्षण सीख सकें तो उन्हे इस कार्य के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता हैं।

3. इस समय पम्प सैटों और डीजल इंजनों में उपयुक्त समन्वय नहीं है जिससे कि और भी अधिक डीजल तेल बरबाद होता है। इस व्यवस्था को आसानी से सुधारा जा सकता है। पम्प सैटों की कुशलता में सुधार लाने की आवश्कता पर भी बल दिया गया था।

4. कई लघु और मध्यम क्षमता वाले वाष्पित्रों में तेल के स्थान पर जैव गैस या घटिया किस्म का कोयला-तरलीकृत तल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इस्तेमाल किया सकता है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए 1-3 मैगावाट क्षमता के वाणिज्य सौर शक्ति संयंत्रों का विकास किया जा सकता है। लेकिन इस प्रयोग के लिए एक सामूहिक वर्गीय उपागम आवश्यक होगा।

6. इस बात की बहुत अधिक प्रबल भावना थी कि आज की आवश्यकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां होनी चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं बहुत अधिक महगीं हैं और उनसे ऊर्जा की बहुत अधिक बरबादी होती है। सौर और जीवभार ऊर्जा का उपयोग करने वाले विकेन्द्रीकृत विद्युत केन्द्र बखूबसूरती से भारतीय ग्रामीण समुदाय की विभिन्न ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इनसे न केवल परम्परागत ईंधन का संरक्षण

किया जा सकेगा बल्कि इनसे सम्प्रेषण और वितरण में होने वाली हानियों से भी बचा जा सकेगा ।

7. सौर आधारित औद्योगिक प्रक्रिया तापन प्रणाली व्यवहार्य थी बशर्ते कि उनके प्रतिष्ठापन और उपयोग के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाएं । इसकी प्रौद्योगिकी देश में पहले से ही उपलब्ध है ।

8. प्रकाश वोल्टीय सौर ऊर्जा प्रणाली का भी देश में विकास किया जा चुका है । उपलब्ध प्रौद्योगिकी अन्य देशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक अच्छी है । अधिक उत्पादन से इन यंत्रों की लागत में काफी अधिक कमी की जा सकेगी ।

9. ईंधन और ऊर्जा के अन्य प्रकारों के संरक्षण की दिशा में इंजीनियरी उद्योग सत्यनिष्ठापूर्वक प्रयास करता आ रहा है । कई औद्योगिक यूनिटों द्वारा ऊर्जा की खपत में काफी बचत की जा सकी है । इस कार्यक्रम को तीव्र किया जा रहा है और अन्य क्षेत्रों में प्रसारित किया जा रहा है ।

10. ऊर्जा संरक्षण के और अपरम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के क्षेत्र में सभी स्तरों पर कार्मिकों के उपयुक्त प्रशिक्षण की अधिक आवश्य-कता है । नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैकनालोजी, नई दिल्ली इस क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप कई पाठ्यक्रमों का संचलन कर रहा है ।

कागज और गत्ता बनाने वाले उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लेना

3123: **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कागज और गत्ता बनाने वाले उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लेने के कुछ और प्रस्तावों पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना

3121: **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश में सीमेन्ट का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने हेतु दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टनों में)
1	2	3	4
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० (आ० पत्र)*	नीमच (विस्तार)	10.00
2.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० (आ० पत्र)	अकलबरा (विस्तार)	5.00
3.	स्टील आथरिटी आफ इन्डिया लि० (आ० पत्र)	छिलहटी	21.40
4.	मैसूर सीमेन्ट लि० (औ० लाइ०)**	नरसिंह गढ जिला-दमरेह	4.00
5.	विरला जूट मैन्यु० कंपनी लि० (औ० लाइ०)	सतना (विस्तार)	8.00
6.	रैमण्ड वूलन मिल्स (आ० पत्र)	अरसमेता जिला-बिलासपुर	4.00
7.	सेंचुरी सीमेन्ट (आ० पत्र)	टिल्डा जिला-रायपुर (विस्तार)	2.00
8.	ए०सी०सी० लि० (आ० पत्र)	जामुल जिला-दुर्ग (विस्तार)	2.00
9.	ए०सी०सी० लि० (आ० पत्र)	कैसोर जिला-जबलपुर (विस्तार)	0.25
10.	मोदी रबर (आ० पत्र)	भाटापारा जिला-रायपुर	9.00

1	2	3	4
11.	रेगा कोलफील्ड्स (आ० पत्र)	खरसिया जिला-रायगढ़	0:66
12.	दार्जिलिंग डूर्ल्स प्लाटेशन लि० (आ० पत्र)	जिला-रायपुर	0.66
13.	राना हनुमान सिंह (आ० पत्र)	जिला-बालाघाट	0.66
14.	पी० के० कासलीवाल (आ० पत्र)	जिला-धार	0.66

* आ० अत्र—आशय पत्र

** औ० लाइ०—औद्योगिक लाइसेंस

भारत लैदर एम्पोरियम द्वारा नई दुकान खोलना

3125. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत लैदर एम्पोरियम छठी योजना अवधि के दौरान देश में कुछ नई दुकानें खोलेगा,

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में कोई ऐसी दुकान खोली जाएगी,

(ग) क्या प्रस्तावित नई दुकानों में कुछ आदिवासी प्रत्याशियों को नियुक्त किया जाएगा,

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित विया जाएगा, और

(ड़) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ड़) भारत लैदर कारपोरेशन (बी० एल० सी०) का छठी योजना अवधि में देश में 500 खुदरा दुकानें खोलने का प्रस्ताव है । क्योंकि इन दुकानों का स्वामित्व निजी पार्टियों का होगा और उन्हीं के द्वारा इन दुकानों को चलाया जायेगा, अतएव, भारत लैदर कारपोरेशन द्वारा नियुक्ति में आदिवासी प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । वर्ष 1980-81 में 25 दुकाने खोले जाने का प्रस्ताव किया गया हैं । अब तक गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा विहार की पार्टियों ने इन खुदरा दुकानों की स्थापना करने के लिए आवेदन किया है, यदि उड़ीसा की कोई पार्टी ऐसी दुकान खोलने की इच्छा रखती है तो इसे वहां भी स्थापित किया जा सकता है ।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष में तबदीली

3126. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढ़ेबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष को अर्थात् 31 मार्च को बदल कर, खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए 15 जून से किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस प्रस्ताव को वित्त मन्त्रालय तथा राज्य सरकारों के पास उसकी जांच किए जाने के लिए भेजा गया था;

(ग) उस वित्तीय वर्ष में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों की प्रतिक्रिया एवं सुझाव क्या थे ; और

(घ) यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो कथित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के समय से जनजातिय क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि को विना किसी गलती के समय पर खर्च करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(क) ढेवर आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि वित्तिय वर्ष को अप्रैल मार्च से बदल कर जुलाई-जून किया जाए।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) सिफारिश स्वीकार नहीं की गई हैं।

तथापि राज्यों ने अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न जनजाति विकास योजनाओं के लिए निर्धारित धन के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले, चरणबद्ध कार्यक्रमों में उचित उपयोग को सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों ने जनजाति विकास योजनाओं के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने और व्यय पर निगरानी रखने के लिए समग्र जनजाति विकास परियोजना स्तर पर जनजाति आयुक्त और परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति की है।

आदिवासी सलाहकार परिषदों में गैर-आदिवासियों को नामजद करना

3127. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने जनजाति सलाहकार परिषद में गैर-आदिवासी सदस्यों को नामजद किया है जबकि राज्य विधान सभाओं में आदिवासी विधायक बड़ी संख्या में हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी उपबन्ध को उचित रूप से कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) राज्यों द्वारा आदिवासी संसद सदस्यों को आदिवासी सलाहकार परिषदों में शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और यदि हां, तो गैर-आदिवासियों को किस तरह और किस उपबन्ध के अधीन नामजद किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : आदिवासी सलाहकार परिषदें संविधान की पाँचवी अनुसूची के पैरा 4 में निहित उपबंधों के अनुसार गठित की गई है । पैरा 4 में यह व्यवस्था है कि परिषद के बीस से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए जिनमें कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में से अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या आदिम जाति मंत्रणा परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन आदिम जातियों के अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे । आदिवासी सलाहकार परिषद की केवल जनजातीय लोगों तक सदस्यता सीमित रखने अथवा उनमें संसद के केवल जनजातीय सदस्यों को शामिल करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है ।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए योजनाएं और राशियां

3128. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उप योजना की नीति के अनुसार आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार की हैं तथा धन सुनिश्चित किया हैं, जैसा कि केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए तैयार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1975 से 1980 के अन्त तक आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह विभाग तथा उनके मंत्रालय द्वारा विभाग-वार नया उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ;

(ग) यदि अभी तक विस्तृत उपाय नहीं किए गए हैं, तो उनके मंत्रालय द्वारा किए गए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा, जो आदिवासी विकास तथा उपयोजना के लिए मंत्रालय के अन्य विभागों को अनुदेश देने के लिए उत्तरदायी है, क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान । छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में 470 करोड़ रुपए की राशि आदिवासी उपयोजना राज्यों से वितरण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अलग रख दी गई है ।

(ख) गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सेवाओं से संबंधित

कार्य करता है। यह आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के विकास में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने 1978 में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रबन्धों और कार्मिक नीतियों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। सातवें वित्त आयोग ने आदिवासी प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 1979-84 की अवधि के लिए 42.63 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया था और राशि गृह मन्त्रालय के माध्यम से दी जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कैदियों की यन्त्रणा समाप्त करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी-निर्देश

3129. **प्रो० मधुदण्डवते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेल में अपराधियों को अन्धा किए जाने जैसे यन्त्रणा के तरीकों को छोड़ दिए जाने के लिए, कोई केन्द्रीय मार्गदर्शी-निर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण जेलों का विनियमन तथा नियंत्रण और कैदियों का रखरखाव राज्य सरकारों के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मार्गदर्शी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने जेल मेनुअलों में संशोधन करें कि जेल प्रणाली, पृथक्वास या अनुशासन बनाए रखने के लिए न्यायसंगत प्रासंगिकता के अलावा, स्थिति में अंतर्निहित यातना अधिक न हो जाए। राज्य इस नीति से सहमत हैं।

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) से सहायक भर्ती अधिकारी कार्यालय का स्थानान्तरण

3130. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक भर्ती अधिकारी के हिमाचल प्रदेश स्थित कार्यालय को वहां से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, जबकि हमीरपुर में कार्यालय के कार्यकरण से सभी सम्बन्धित व्यक्ति सन्तुष्ट हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में जन गणना कर्मचारियों को 1981 की जन गणना में मातृभाषा दर्ज करने हेतु अनुदेश

3131. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या विभिन्न राज्यों में जनगणना कर्मचारियों को 1981 की जनगणना में "मातृभाषा" दर्ज करने के लिए कोई अनुदेश दिए गए हैं जैसा कि लोगों ने बताया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किस प्रकार के सही-सही अनुदेश दिए गए हैं ; और

(ग) क्या इन अनुदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और क्या शिकायतें मिलने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनुदेश नीचे दोहराये जाते हैं —

"मातृभाषा वह भाषा है जो व्यक्ति से व्यक्ति की माता द्वारा बचपन में बोली जाती है । यदि माता की मृत्यु बच्चे के बचपन में हो जाती है तो बचपन में व्यक्ति के घर में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होगी। बच्चों और बहरे गूंगो के मामले में प्राय: माता द्वारा बोली जाने वाली भाषा लिखी जानी चाहिए । संदेह के मामले में मुख्य रूप से घर में बोली जाने वाली भाषा को लिखा जाए ।

मातृभाषा को पूर्ण रूप से लिखें चाहे उत्तर देने वाले द्वारा बताई गई भाषा का नाम कोई भी हो और संक्षिप्त रूप का प्रयोग न करें ।

कृपया निम्नलिखित को नोट करें :—

(1) आपसे यह निर्धारण करने की आशा नहीं की जाती यदि किसी व्यक्ति द्वारा बताई गई भाषा दूसरी भाषा की उपभाषा है ।

(2) आप धर्म और मातृभाषा के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश न करें ।

(3) आप व्यक्ति द्वारा अपनी मातृभाषा के रूप में बताई गई भाषा को लिखने को बाध्य हैं और आप को उसके साथ कोई बहस नहीं करनी चाहिए और बताई गई भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को लिखने का प्रयत्न न करें, और

(4) यदि आप के पास सन्देह करने के कारण हैं कि किसी क्षेत्र में किसी संघटित आन्दोलन के कारण मातृभाषा ईमानदारी से नहीं लिखाई जा रही है तो आपको उत्तर देने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तव में बताई गई मातृभाषा लिखनी चाहिए और सत्यापन के लिए अपने पर्यवेक्षण अधिकारियों को सूचित करें। आप अपनी तरफ से कोई शुद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। उत्तर देने वाले व्यक्ति द्वारा लिखाई गई मातृभाषा उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखी जानी चाहिए। आपको इस प्रश्न के सामने दिए गए चार चिन्हित खानों में कुछ नहीं लिखना चाहिए।

इस सम्बन्ध में कृपया आप इस पुस्तिका के पैरा 10 में दी गई परिवार की परिभाषा को याद रखें। चूंकि किसी परिवार में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका खून का सम्बन्ध है अथवा सम्बन्ध नही है अथवा दोनों का मिश्रण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मातृभाषा के बारे में पूछना अत्यावश्यक है क्योंकि एक परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक ही मातृभाषा का होना आवश्यक नहीं हैं-यह परिवार में अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकती है।

(ग) जी हाँ, श्रीमान प्रशिक्षण कक्षाओं में इन अनुदेशों का अनुपालन सख्ती से करने के लिए, बार-बार जोर दिया गया हैं। विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जनगणना अधिनियम, 1948 में दण्ड की व्यवस्था है।

दिल्ली में जेब तराशी के मामले

3132. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जेब-तराशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो जेब-तराशों का सफाया करने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। जेब-तराशी के मामले कम हो रहे हैं। 1-11-1980 से 31-1-1981 तक की तीन महीने की अवधि के दौरान केवल 396 मामले सूचित किए गए थे, जबकि 1979-80 की इसी अवधि में ऐसे 620 मामले सूचित किए गए थे।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) बस स्टैंडों, बाजारों, भीड़भाड़ के क्षेत्रों में, सिनेमाघरों पर जेब तराशी को रोकने/जेब कतरों को पकड़ने के लिए पुलिस कर्मचारियों को सादे कपड़ों और वर्दी में तैनात करना,

(2) आसूचना में वृद्धि करके जेब-तराशों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा सतत रूप से अभियान चलाना ।

(3) बदमाशों और अपराधियों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अधीन कार्यवाही करना ।

(4) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और अपराधियों के रिकार्ड अद्यतन कर दिए गए हैं ।

(5) निष्कासन कार्यवाहियों को तेज करना ।

कर्नाटक में एक नौसैनिक अड्डे का प्रस्ताव

3133. **श्री जर्नादन पुजारी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यही एक समुद्री राज्य है जहां कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है ;

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्य कब आरम्भ किए जाने की आशा है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जब कभी पश्चिमी तट पर किसी अन्य नौसैनिक अड्डे की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की जाएगी तो उस समय कर्नाटक में इस तरह के अड्डे की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कुछ काम किया गया है लेकिन निर्माण कार्य तब ही शुरु किया जाएगा जब पश्चिमी तट पर किसी अन्य नौसैनिक अड्डे को स्थापित करने और इसके स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा ।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की नियुक्ति

3134. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रिमंडल के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति की नियुक्ति तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों समितियों में कौन-कौन व्यक्ति सदस्य होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मन्त्रिमण्डल के लिए वैज्ञानिक सलाहाकार समिति के संगठन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मंत्रिमंडलीय समिति में विदेश मन्त्री, वित्त मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, पैट्रोल रसायन और उर्वरक मन्त्री, कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री, योजना और श्रम मन्त्री, उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों के राज्य मन्त्री सम्मिलित हैं ।

नमक उद्योग को वित्तीय सहायता

3135. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस शुदा नमक कारखानों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने कोई सिद्धान्त संहिता तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो वे सिद्धान्त क्या हैं, और

(ग) तमिलनाडु में कितने नमक कारखानों को उक्त सहायता प्राप्त हुई और उक्त सहायता किस प्रयोजन के लिए दी गई है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हाँ ; नियम संहिता की एक प्रति (अनुबंध) संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2081/80)

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में 36 नमक कारखानों के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नमक उपकर आय में से सहायता प्राप्त की थी :—

1. जल संभरण योजनाएं ।
2. सड़क, पुलों, नालियों तथा बचाव बांधों का निर्माण,
3. नमक का भण्डारण करने के लिए ढके हुए शेडों की व्यवस्था,
4. नमक सुखाने की भूमि और भण्डारण प्लेटफार्मों का नवीकरण,
5. खारे पानी की नालियों को गहरा करना तथा तलछट हटाना,
6. रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करना ।
7. जेटी का नवीकरण ।

8. विद्यालयों, सेनिटरी ब्लाकों और श्रमिक विश्राम शेडों की व्यवस्था करना, और

9. स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

उड़ीसा में आर्थिक पुनर्वास योजना से लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या

3135. **श्री अनादि चरण दास :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान आर्थिक पुनर्वास योजना से उड़ीसा में कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए ;

(ख) उक्त वर्ष उपरोक्त योजना से उड़ीसा के जाजपुर सब डिवीजन में कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए ;

(ग) क्या सरकार के पास छठी योजनावधि में उड़ीसा की कुछ अनुसूचित जातियों के परिवारों को उक्त आर्थिक पुनर्वास योजना की सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) उड़ीसा के जाजपुर सब डिवीजन के उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लिए चुना गया है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) : उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 में ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुनर्वास की स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए परिवारों की कुल संख्या 29,114 है। राज्य सरकार द्वारा भूमि पर आधारित और पशुपालन तथा कृषि से इतर रोजगार की स्कीमों के लिए मंजूरी जारी की गई है ।

जाजपुर उप-मंडल में इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए परिवारों की संख्या 673 है जिनमें अनुसूचित जातियों के 304 परिवार शामिल हैं। इनमें से 201 परिवार भूमि पर आधारित स्कीम के अन्तर्गत आते हैं। 100 परिवार पशुपालन के अन्तर्गत आते हैं और 3 परिवार कृषि से इतर रोजगार स्कीम के अन्तर्गत आते हैं।

उड़ीसा सरकार के अनुसार, छठी योजना की अवधि में आर्थिक पुनर्वास की स्कीम के अन्तर्गत कुल मिलाकर 5 लाख गरीब परिवारों (अनुसूचित जाति सहित) को समावेशित करने की परिकल्पना है। तथापि यह लक्ष्य वर्षानुवर्ष आधार हर राज्य योजना में धनराशि की व्यवस्था के अधीन है ।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत तमिलनाडु के लिए सलाहकार समिति का गठन

3137. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत तमिलनाडु के लिए किसी सलाहकार समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) समिति के समक्ष क्या मुद्दे रखे गये हैं ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान समिति ने क्या-क्या परामर्श दिए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हाँ ; बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अधीन अधिसूचना संख्या एस०/24019/14/78-एम-5 तारीख 6 दिसम्बर, 1980 द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए सलाहकार समिति गठित की गई है ।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :—

(1) श्रम मन्त्री,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास । —अध्यक्ष

(2) कल्याण आयुक्त;
श्रम कल्याण संगठन
श्रम मन्त्रालय,
75, मिलर्स रोड,
बंगलौर । —उपाध्यक्ष

(3) उपश्रमायुक्त, तमिलनाडु सरकार,
मद्रास । —पदेन सदस्य

(4) श्री डी० कुलसेकरपाँडियान,
विधान सभा सदस्य,
वनियाम वाड़ी,
15-सेनान कुम्पम ट्रंक रोड़,
अम्बर जिला नार्थ आरकोट
तमिलनाडु —

नियोजकों के प्रतिनिधि

(5) श्री ए० मोहम्मद अशरीफ,

पार्टनर मैसर्स ए० हबीबुर
रेहमान सन्स, बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स,
गुडियाथम ।

(6) श्री टी० ई० एस० बटगुरब्बानी,
सयैंड बीड़ी कम्पनी,
सिन्डुपूनडुराई,
तिरूनेलवेली ।

श्रमिकों के प्रतिनिधि

(7) श्री एस०बम्बी राजन,
11-ए०, रेलवे फीडर रोड,
पलायामोताई,
तिरूनेलवेल्ली ।

(8 डा० कन्ताबिरान,
जनरल सेक्रेटरी,
आल इंडिया बीड़ी, सिगार एण्ड बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन,
नोर्थ आरकोट, ब्राहमिण स्ट्रीट,
डाकघर गुडियाथम
जिला नोर्थ आरकोट ।

(9) श्रीमती नूरजहान रजक —महिला प्रतिनिधि
संसद सदस्य,
1/61 पिदारियार कॉयल स्ट्रीट,
मद्रास ।

(ग) हाल ही में एक समिति गठित की गई है और कल्याण आयुक्त, बंगलौर को सलाह दी गई है कि वे इसकी पहली बैठक का आयोजन करें ।

(घ) चूंकि हाल ही में समिति गठित की गई है, इसलिए गत दो वर्षों में दी गई सलाह का प्रश्न नहीं उठता है ।

पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि० के सम्बन्ध में भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान का जमा कराया जाना

3138. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोफिल्स को-ओपरेटिव लि० में दैनिक तथा मासिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य बीमा योजना तथा

भविष्य निधि का अंशदान तथा तत्सम्बन्धी बकाया जमा करा दिया है ;

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्म मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग

3139. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० ई० हीरो : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण इस समय अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता के कुल मूल्य का निर्धारण किया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में भी जानकारी एकत्र की है कि किन-किन वस्तुओं की अप्रयुक्त क्षमता है व उसके क्या कारण हैं;

(गं) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार देश में वर्तमान क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवहारिक कदम उठा रही है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सरकार को यह मालूम है कि एक या एकाधिक कारों जैसे अवस्थापना सम्बन्धी बाधाओं कच्चे माल की कमी, औद्योगिक अशांति आदि के कारण कुछ उद्योगों में उत्पादन उनकी इष्ट क्षमता से कम रहा है ।

औद्योगिक क्षमता का इष्टतम उपयोग करना सरकार की औद्योगिक नीति का केन्द्र बिन्दु है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उद्योगों के कार्यनिष्पादन को निरन्तर मानिटर किया जा रहा है । (क) 76 चुने हुए उद्योगों में क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियाँ (ख) वर्ष 1980 में जिन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई उनको दर्शाने वाला एक विवरण संल'न है । (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०—2082/81)

अवस्थापना सम्बन्धी सुधार को वर्ष 1980-81 में अधिकतम क्षमता उपयोग करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण आवश्यकता मानकर, सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यनिष्पादन की देखभाल करने की प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की हैं । प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई किए जाने हेतु कठिनाई वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा गंभीर समस्याओं को हल करने में

समन्वित प्रयास करने के लिए एक विशेष समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। वर्ष 1980-81 की दूसरी छमाही में बिजली उत्पन्न करने तथा कोयला/कोक लाने ले जाने में काफी सुधार किए गए हैं। साथ ही साथ, बिजली प्रजनन और कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने तथा रेलवे के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के दीर्घावधिक अभ्युपाय किए गए हैं। छठी योजना तथा 1981-82 की वार्षिक योजना में इन क्षेत्रों का परिव्यय बढ़ा दिया गया है।

आधारभूत कच्चे माल का देशी उत्पादन से बढ़ाने के अलावा, सरकार ने औद्योगिक कच्चे माल तथा वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए आयात नीति उदार बनाकर, प्रणालीकरण अभिकरणों के माध्यम से आधारभूत कच्चे माल का आयात बढ़ाकर तथा प्रत्येक एकक को वितरण का एक-मुश्त आवंटन करके संभरण में वृद्धि करने के कदम उठाए हैं। औद्योगिक अशान्ति के कारण बेकार जाने वाले श्रमिक दिवसों की संख्या काफी कम हो गई है। प्रधान तथा आधारिक क्षेत्रों के चुने हुए उद्योगों के मामले में अधिष्ठापित क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता देकर तथा स्वतः विकास की अनुमति की व्यवस्था करके विद्यमान औद्योगिक क्षमता के अधिकतम उपयोग पर लगे परिहार्य प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया है।

परमाणु बिजली क्षमता की मांग पूरी करने के लिए भारी जल की आवश्यकता

3140. **श्री के० मालन्ना :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिष्ठापित बिजली क्षमता की मांग पूरी करने के लिए भारी जल से सम्बन्धित मामले में अब तक देश की आवश्यकताएं क्या है;

(ख) आगामी दो दशकों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना के लिए योजनाएं क्या हैं और इस देश में वे कहाँ-कहाँ स्थापित किए जायेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) 235 मेगावाट क्षमता के प्रत्येक दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर के लिए आरम्भ में 230 मीटरिक टन भारी पानी आवश्यक होता है तथा उसके चालू रहने के दौरान होने वाली भारी पानी की क्षति की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष 10 से 20 मीटरिक टन भारी पानी की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) सन् 2000 तक की अवधि के लिए इस विभाग ने जिस परमाणु विद्युत कार्यक्रम की परिकल्पना की है, उसके लिए लगभग 13,000 मीटरिक टन भारी पानी की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में तीन नए भारी पानी संयंत्र लगाने का काम

आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इन संयंत्रों के लगाने के स्थान के बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की श्रम मन्त्री के साथ बैठक

3141. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की एक बैठक उप श्रम मन्त्री द्वारा आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य निधि योजना देश में बीड़ी उद्योग पर लागू है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या बीड़ी उद्योग में इस योजना को लागू करने की सरकार की मंशा है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 13 और 14 फरवरी, 1981 और पहली मार्च, 1981 को बैठकें हुईं। श्रम उप मन्त्री ने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन बैठकों की अध्यक्षता की।

(ख) 13 और 14 को हुई बैठकों में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय **संलग्न विवरण** में दिए गए है। पहली मार्च को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों संबंधी सूचना प्राप्त होनी है।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 19.2 और इसके अधीन बनाए गए नियमों को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०वा० नि०ह० तारीख 17-5-77 के आधार पर 31-5-77 से बीड़ी उद्योग में लागू किया गया। तथापि, कुछ नियोजकों ने भारत के उच्चतम न्यायालय में इस अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी और उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिकाओं के निपटान होने तक अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगा दी है। रोधना देश को समाप्त कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

13 और 14 फरवरी, 1981 को हुई 87वीं बैठक में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि—द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें।

1. बोर्ड ने वर्ष 1980-81 के लिए संशोधित अनुमान तथा 1981-82 वर्ष के लिए बजट अनुमान कुछ टीका-टिप्पणियों के साथ अनुमोदित कर दिये।

2. (1) बोर्ड ने, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लेखों में राशि जमा करने हेतु 1981-82 वर्ष के लिए 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने का निर्णय किया।

2.) बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि स्टाफ भविष्य निधि के मामले में उस दर से ब्याज दिया जाना चाहिए जिस दर से केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को ब्याज देने का निर्णय करती है।

3. बोर्ड निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए :—

(1) मृत्यु राहत लाभ के हकदार होने के लिए वर्तमान वेतन सीमा को 500 रु० से बढ़ाकर 1000 रु० करना।

(2) मृत्यु राहत निधि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की वर्तमान मात्रा को 1000 रु० से बढ़ाकर 1250 रुपये करना।

(3) वर्ष 1981-82 के दौरान आरक्षित तथा अपवर्तित लेखों से 10 लाख रु० को मृत्यु राहत निधि में स्थानान्तरित करना; और

(4) 1.4.1981 से और आगे मृत्यु राहत निधि से सहायता जारी रखना।

4. जन लेखों में रखी हुई परिवार पेंशन निधि राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने जन-लेखों में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के अंशदानों को रखने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

5. भविष्य निधि आदि के लिए दावों के निपटारें सम्बन्धी, जो कि किसी विशेष माह के 25 दिन के उपरान्त प्राधिकृत हैं, चालू माह के लिए ब्याज की अदायगी के प्रस्ताव का बोर्ड ने अनुमोदन किया।

6. बोर्ड ने वर्ष 1981-82 के दौरान मुज्जफरपुर तथा बरेली में उप क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इच्छा व्यक्त की कि बाकी बचे स्थानों के बारे में वर्ष 1981-82 में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को और अधिक जांच करने के बाद बोर्ड के समक्ष रखे जाएं।

7 बोर्ड ने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कुछ अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ देने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

8. बोर्ड ने, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने का निर्णय किया जिससे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 10,000 रु० तक की ऐसी बकाया भविष्य निधि राशि का, जिसे वसूल नहीं किया जा सकता, बट्टे खाते में डालने के बारे में बोर्ड को अधिकार देने के सम्बन्ध में था। बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि योजना में बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था करने के बाद प्रत्येक मामले को गुणों के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।

9. बोर्ड ने चेयरमैन से अनुरोध किया कि वे सरकार से कहें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवार पेंशन निधि तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा के बकायों की शीघ्र अदायगी की जाय।

10. बोर्ड ने राज्य सरकारों में निहित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट देने के अधिकार के मामले में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का निर्णय किया।

11. बोर्ड ने निर्णय किया कि क्षेत्रीय समिति के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट ही यथाशीघ्र भेजी जानी चाहिए ताकि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सक्षम समय से रखी जा सके।

12. बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड तथा क्षेत्रीय समिति की सदस्यता की अवधि जिसे 5 से 3 वर्ष और 3 से 2 वर्ष तक क्रमशः कर दिया गया था उसे पहले की तरह यथापूर्व स्थिति में लाया जाए।

13. बोर्ड ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि बकाया क्षति के लिए पर्याप्त बचाव के समक्ष उपयुक्त अवधि के भीतर उपयुक्त मासिक किश्तों में नियोजक क्षतिपूर्ति करें।

14. बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा-29 में संशोधन करने की सिफारिश की जिससे कि निधि में कोई भी सदस्य अपने अंशदान की दर बढ़ा सके या घटा सके।

15. बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खर्चे पर मनीआर्डर के माध्यम से 250 रू० तक की परिवार पेंशन की अदायगी सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की प्रतिशतता

3142. **श्री मनमोहन टुडु:** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल प्रतिशतता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण किस वर्ष में किया गया;

(ग) क्या राज्य-वार सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उड़ीसा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(ङ) उनके स्तर को उठाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के कुल प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अपने विभिन्न दौर से उपलब्ध उपभोग व्यय के विभिन्न अन्तरों के अनुसार परिवारों के वितरण को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में देश में गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों के अनुपात का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा जिस अद्यतन वर्ष के लिए सर्वेक्षण किया गया है वह 1977-78 है।

(घ) गरीबी के स्तर से नीचे की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) गरीबी की स्थिति अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों में अधिक मालूम होती है। छठी पंचवर्षीय योजना में सामान्य और विशिष्ट लाभग्राही-उन्मुख गरीबी-प्रतिरोधी कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। योजना में 5.2 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि दर की व्यवस्था की गई है। अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि की समग्र दर में पर्याप्त वृद्धि से ही गरीबी में कमी के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होंगी। इसके अलावा योजना में मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और कुशलताओं के अन्तरण द्वारा तथा वर्ष में मंदी के मौसमों में रोजगार की व्यवस्था द्वारा गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्राथमिक रूप से पहले पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पूरी तरह से दूसरे से सम्बन्धित है। सरकारी क्षेत्रक की ऐसी अन्य अनेक स्कीमें हैं जिनसे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में योगदान मिलेगा।

ये कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीबों सहित सामान्य रूप से गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, इसके साथ ही योजना में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना दी गई है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों से भी सार्वजनिक नीतियों में पुनर्वितरणात्मक आधार को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रभावी रूप में विस्तारित और कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि समाज के सबसे गरीब वर्गों को न्यूनतम मूल सुविधाएं दी जा सकें। योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 3487 करोड़ रु०, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, जनजातीय उपयोजना और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रायोजित

स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 2030 करोड़ रु० और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 5808 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

विमल और विनोद टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन द्वारा कानूनों का उल्लंघन

3143. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कई वर्षों से विमल और विनोद टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन (मध्य प्रदेश) कर्मचारियों को दी जाने वाली बोनस, भविष्य निधि, मंहगाई भत्ते की राशि तथा राज्य बीमा योजना संबंधी अंशदान की राशि, को बचाकर कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो अनियमितताएं करने के लिए उक्त मिल के मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राजदुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स विनोद मिल्स कम्पनी लिमिटेड और मैसर्स विमल मिल्स लिमिटेड, उज्जैन के प्रबन्ध तंत्र निम्नानुसार अंशदानों के भुगतान के सम्बन्ध में दोषी रहे हैं :

मैसर्स विनोद मिल्स कम्पनी लिमिटेड

	अवधि	बकाया राशि
कर्मचारी भविष्य निधि	10/78 से 12/80 तक	102.20 लाख रु०
कर्मचारी राज्य बीमा	3/79 से 11/80 तक	30.99 लाख रु०

मैसर्स विमल मिल्स लिमिटेड

	अवधि	बकाया राशि
कर्मचारी भविष्य निधि	10/78 से 12/80 तक	24.06 लाख रु०
कर्मचारी राज्य बीमा	5/79 से 11/80 तक	8.28 लाख रु०

बोनस का और मंहगाई भत्ते का भुगतान राज्य क्षेत्र में आता है । अतः मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने संबंधित प्रबन्ध तन्त्रों के विरुद्ध धारा 14(2) (क) के अनुसार अक्तूबर, 78 से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए 9 अभियोजन चलाए हैं । कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) (क) के अधीन दी गई छूट को रद्द करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि चूंकि मैसर्स विनोद

मिल्स कम्पनी लिमिटेड को 15-11-1981 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए "राहत योग्य उपक्रम" के रूप में घोषित किया गया है। अतः भुगतान में हुए दोष के लिए कोई कानूनी कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका है। तथापि, मैसर्स विमल मिल्स लिमिटेड के मामले में नवम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85(क) और (ङ) के अधीन एक मामला दायर किया गया है।

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

3144. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी आय के बीच असमानता न केवल बहुत अधिक है अपितु यह और बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह गत पांच वर्षों के राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़ों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि अर्थात् 1973 से 1978-79 के दौरान कृषकों की प्रति व्यक्ति आय 42 6 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) छठी योजनावधि के दौरान इस अन्तर पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी आय में परिवर्तनों के अध्ययन के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण और शहरी उपभोग व्यय के बीच की असमानता का अनुमान लगाना संभव है। इस स्रोत के अनुसार वर्ष 1972-73 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 44.17 रु० था और शहरी क्षेत्रों में 63.33 रु० था। पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया गया अगला तुलनीय सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 के लिए है। इस वर्ष के आंकड़ों के त्वरित सारयोयन के अनुसार 1977-78 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 66.58 रु० था और शहरी क्षेत्रों में 95.93 रु० था। शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अनुपात वर्ष 1972-73 में 1.434 आता है और 1977-78 में 1.440 आता है, जिससे यह पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच असमानता इस अवधि में वास्तव में अपरिवर्तित रही और वह बढ़ नहीं रही है। तथापि, किसी भी वर्ष के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रकों के अलग से राष्ट्रीय आय के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खेतिहरों और गैर-खेतिहरों की प्रति व्यक्ति आय के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ङ) गरीबी और असमानता में उत्तरोत्तर कमी करना हमारी आयोजना का मूल उद्देश्य रहा है। गरीबी और परिसंपत्ति की असमानता को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय से लेकर अधिक अप्रत्यक्ष राजकोषीय उपायों के विभिन्न साधन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में इन नीतियों और कार्यक्रमों को एकीकृत करने और इन्हें अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। योजना में मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और कुशलताओं के अंतरण के द्वारा और वर्ष के मन्दी के मौसमों में रोजगार को व्यवस्था के द्वारा गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम दिए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना के लिए भी व्यवस्था की गई है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से गरीबों के लिए जीवन की मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके उनके जीवन-स्तर को उन्नत करने में सीधे अनुपूर्ति किए जाने की आशा है।

अधिकांश गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उपर्युक्त कार्यक्रमों में से अधिकतर कार्यक्रम उनकी सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए ऐसी आशा है कि इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच आर्थिक असमानता को कम करने में योगदान मिलेगा।

बेरोजगार वैज्ञानिकों को रोजगार

3145. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेरोजगार वैज्ञानिकों ने जिनकी संख्या तीन लाख तक पहुंच गई है, रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : बेरोजगार वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान करने की सरकार की ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है, यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनशक्ति उपयोगीकरण की सम्बन्धित समस्या से सम्बन्धित कई योजनाओं को परिचलित किया जा रहा है। वे विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं :—

— सी० एस० आई० आर० द्वारा परिचालित वैज्ञानिक पूल योजना में उन उच्च-शिक्षा रिकार्ड प्राप्त वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों, डाक्टरों के लिए अस्थायी तौर पर रोजगार की व्यवस्था की जाती है जबकि वे स्थायी रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं।

— वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपना उद्यम स्थापित करें । ऐसे प्रयासों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूरी आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करते हैं ।

— उद्यमी बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

— किसी विशेष परियोजनाओं को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी विदों, आदि द्वारा बनाई गई औद्योगिक सहकारी समिति साम्या पूंजी में सरकारी योगदान की हकदार होगी जो कि साझीदारों द्वारा जुटाई गई पूंजी के तीन गुना तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अवसंरचना, योग्य स्थितियों में किराये की रियायत, बिक्री कर, चुंगी, विद्युत शुल्क, आदि से कुछ समय के लिए उन्मुक्ति जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था कर सकती हैं ।

— छठी योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक परिव्यय से वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए अधिक लाभप्रद रोजगारों की भी व्यवस्था हो सकेगी ।

— विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में अनुसंधान योजनाओं का निधीयन विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाता है और उनसे और अधिक रोजगारों की व्यवस्था होती है ।

लघु औद्योगिक विकास केन्द्रों का विस्तार

3145. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ने वर्ष 1981-82 के लिए उड़ीसा में लघु औद्योगिक विकास केन्द्रों के विस्तार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनका उड़ीसा के विभिन्न जिलों में पता लगाया गया है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा निर्मित औद्योगिक शेडों में कितने लघु उद्योग लगाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा में औद्योगिक शेड के निर्माण के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख)

जी, नहीं । फिर भी लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ने 1976 में अन्य बातों के साथ राज्य में विकास केन्द्रों का पता लगाने में सहायता करने के अलावा, उड़ीसा सरकार के उद्योग विभाग के कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया था । विकास केन्द्रों का पता लगाने सहित अनुवर्ती कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी ।

(ग) से (ङ) औद्योगिक शेडों का निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार के पास इस समय वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है । सम्बन्धित राज्य सरकारें इस प्रकार के निर्माण कार्य को अपनी योजनाओं के एक अंग के रूप में अपने हाथ में लेती हैं ।

शीतल पेय के लिए मशीनरी बनाने के बारे में विदेशी सहयोग

3147. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केम्पा कोला कम्पनी के मालिक को शीतल पेय उद्योग के लिए मशीनरी बनाने के बारे में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ख) मोहन ओर्टमैन सहयोग में कुल कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है;

(ग) गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगं, शीतल पेय के लिए मशीनें बनाने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) मोहन ओर्टमैन का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है, इसका आगे ले जाया गया वर्तमान घाटा कितना है और क्या यह सरकारी वित्तीय संस्था को भुगतान करने अथवा ब्याज निर्धारित समयानुसार देने में असफल रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां । पश्चिम जर्मनी को मे० आर्टमैन एण्ड हर्वस्ट मशीनन के विदेशी सहयोग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर हल्के पेयों, बीयर, दूध तथा फलों के रस की बोतल भरने के स्वचालित सम्पूर्ण संयंत्र तथा सहायक सामान का निर्माण होता है :—

(1) ड्राइंग, डिजाइन तथा डाक्यूमेंटेशन के लिए 7.5 लाख रू० की एक मुश्त अदायगी (भारतीय आयकर की शर्त के अधीन)

(2) रायल्टी 5 प्रतिशत (भारतीय आयकर की शर्त के अधीन); रायल्टी 25 संयंत्रों तक सीमित ।

(ग) चूंकि देश में उच्च गति के बोतल भरने वाले स्वचालित संयंत्रों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी अतः सहयोग की अनुमति प्रदान की गई थी तथा बोतल धोने की मशीनें जो कि बोतल भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का 50 प्रतिशत होती हैं का निर्माण बिना विदेशी सहयोग के देश में ही किया जाएगा ।

(घ) कम्पनी की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है :—

(1) उत्पादन

वर्ष	लाख रु० में
1977	0.39
1978	78.15
1979	191.19
1980	200.34

(2) शुद्ध लाभ तथा हानि :—

1978-79	(+)	1.7 लाख रु०
1979-80	(—)	43.3 लाख रु०

(3) आगे लाई गयी हानि
(31.3.1980 के अनुसार)
कुल हानियाँ 87.69 लाख रु०
घटाइए
निवेश, भत्ते तथा रिजर्व 29.35 लाख रु०

58.34 लाख रु०

बकाया हानि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संसाधनों को देय ऋण तथा ब्याज की अदायगी के समय निर्धारण के लिए पुनः वार्ता करनी पड़ी तथा कम्पनी के अनुसार संशोधित पुनः अदायगी शेड्यूल में अब कोई चूक नहीं है।

भद्रावती कर्नाटक में कागज तथा न्यूजप्रिंट

3148. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में भद्रावती स्थित कागज तथा अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि की व्यापक विस्तार परियोजना पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की कुल लागत कितनी थी ;

(ग) अब कागज तथा अखबारी कागज का बढ़ा हुआ उत्पादन कितना होगा;

(घ) परियोजना से उत्पादन शुरू होने के बाद किस सीमा तक कागज तथा अखबारी कागज की कमी दूर होगी;

(ङ) क्या भारत को कागज तथा अखबारी कागज के आयात की और आवश्यकता होगी; और

(च) यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मैसूर पेपर मिल भद्रावती लिखाई तथा छपाई के कागज की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 24,000 मी० टन ने बढ़ा कर 37,000 मी० टन प्रतिवर्ष तथा अखबारी कागज की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 75,000 मी० टन वार्षिक तक बढ़ाने के लिए एक विस्तार परियोजना कार्यान्वित कर रही है। परियोजना की अनुमानित लागत 145 करोड़ रुपये है तथा 1981 के उत्तरार्ध में इसके चालू हो जाने की आशा है।

(ग) लिखाई तथा छपाई के कागज का बढ़ा हुआ उत्पादन 13,000 मी० टन तथा अखबारी कागज का बढ़ा हुआ उत्पादन प्रतिवर्ष 75,000 मी० टन होगा।

(घ) से (च) जहाँ तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है देश लगभग 3 लाख मी० टन अखबारी कागज का आयात कर रहा है तथा मैसूर पेपर मिल तथा केरल अखबारी कागज परियोजना के चालू हो जाने से उत्पादन और आयात के बीच अन्तर कम हो जाएगा। किन्तु प्रथम दो या तीन वर्षों तक इन परियोजनाओं के पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं हो सकेगा तथा प्रतिवर्ष 2.5 लाख से 2 लाख मी० टन तक कागज का आयात करते रहना फिर भी आवश्यक होगा।

लिखाई तथा छपाई के कागज के सम्बन्ध में मैसूर पेपर मिल में होने वाले अतिरिक्त उत्पादन से समस्त कागज की उपलब्धि में कोई खास अन्तर होने वाला नहीं है। देश में हुए उत्पादन समय समय पर आयात की मात्रा का निर्धारण करना पड़ेगा तथा स्थापित की गई क्षमता के अनुसार सीमित आधार पर ही सही आयात करना ही पड़ेगा।

हिन्दुस्तान मोटर्स के साथ फोर्ड और जनरल मोटर्स का सहयोग

3149. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की दो बहु-राष्ट्रीय मोटरगाड़ी कम्पनियां यथा, फोर्ड तथा जनरल मोटर्स ने बिड़ला की हिन्दुस्तान मोटर्स के साथ वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहयोग समझौतों का ब्यौरा और शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस मंत्रालय को अमेरिका के मै० फोर्ड के साथ मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० के किसी सहयोग के होने के बारे में कोई पता नहीं है। फिर भी, मिट्टी हटाने वाले उपकरणों, विद्युत शिफ्ट परिषण तथा टर्क कनवर्टर और डीजल इंजनों के निर्माण के लिए अमेरिका के मै० जनरल मोटर्स के साथ सहयोग की इसे अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) सामान्य रूप से ये सहयोग करार संबंधित कम्पनियों के मध्य द्विपक्षीय करार होते हैं। ऐसे करारों का विस्तृत ब्यौरा बताना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

आसाम में विदेशियों की पहचान

3150. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1971 की जनगणना के आधार पर आसाम में विदेशियों की पहचान करने का काम जारी रखने का निर्णय किया है जबकि आन्दोलनकारी नेताओं के साथ बातचीत में अवरोध उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या प्रगति की गई है और कितने लोगों को विदेशी पाया गया और वहाँ से भेजा गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने 17 अक्तूबर, 1980 को घोषणा की थी कि असम में 17 मार्च; 1971 के बाद आए विदेशियों का पता लगाने के कार्य को पुरजोर और प्राथमिक आधार पर किया जाएगा ;

(ख) असम सरकार के अनुसार 1980 में 2154 विदेशियों का पता लगाया गया था और 2039 विदेशियों को उनके मूल देश को वापिस भेजा गया था।

स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर में अप्रयुक्त पड़ा दोषपूर्ण रोगन

3151. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० के० इन्डस्ट्रीज, जालन्धर से खरीदे गए दोषपूर्ण रोगन के 3000 से भी अधिक ड्रम स्माल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, में अप्रयुक्त पड़े हैं और यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है और कौन-कौन से अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस तथ्य को छिपाने के लिए अधिकारियों ने सिंधल पेन्टस, लखनऊ से सीधे ही एक अन्य रोगन खरीद लिया है और "जैरी-कैन्स" को दोनों प्रकार के रोगन मिलाकर पेन्ट किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जैरी-कैन्स का रंग सूख जाता है और उड़ जाता है ; और

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किए गए घोटाले के कारण दोषपूर्ण रंगों के सम्बन्ध में 'ड्राप-टेस्ट' और 'हाट वाटर एमलशन टैस्ट' नहीं किए जाते और जब ये परीक्षण किए जाते हैं तब जैरी-कैन्स का रंग मानकस्तर का नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी अधिकारी दोषपूर्ण रोगन को दबाव डालकर पास करवा लेते हैं ; जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण जैरी-कैन्स ही सेना को सप्लाइ किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। ड्रमों पर वेल्डिंग के स्तर का परीक्षण करने के लिए 'ड्राप टैस्ट' और 'हाट वाटर इमल्शन टेस्ट' नियमित रूप से किए जाते हैं। जैरी-कैन्स सेना को तभी दिए जाते हैं जब उन्हे सेना निरीक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से सन्तोषजनक पाया जाता है।

शस्त्रों की खुले बाजार से खरीद के साथ विदेशी तकनीक का आयात

3152. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से खुले बाजार से शस्त्रों की खरीद के बारे में सौदा करते समय सरकार ने करार में यह शर्त जोड़ने का प्रयास किया गया है कि उन्हे शस्त्रों के साथ विदेशी तकनीकी जानकारी भी हमारे देश को देनी होगी, जिसमें हमारे देश में ऐसे शस्त्रों का विकास हो सकेगा;

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से देश ऐसी तकनीकी जानकारी देने पर सहमत हो गए हैं; और

(ग) यह किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जहाँ आयात करना अपरिहार्य हो जाता है, थोड़े उपस्करों का आयात करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के भी प्रयत्न किए जाते हैं, ताकि बाद की मांग को देश में से उत्पादन करके पूरा किया जा सके। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लाभ को पूरी तरह से समझा जाता है और इसे विदेशों में खुले बाजार से हथियारों की खरीद के साथ सम्बद्ध करने का हर प्रयत्न किया जाता है। परन्तु यह उन मामलों में संभव नहीं है जहाँ खरीद एक बार ही करनी होती है और जिनका देश में उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता है।

(ख) और (ग) इस बारे में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित नहीं है।

देश में उद्योगों का विवरण

3153. **श्री दौलत राम सारण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से गैर-सरकारी, सरकारी, सहकारी और विदेशी कारखाने कितने हैं;

(ख) उसमें कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और उसमें कितनी गैर-सरकारी, सरकारी, सहकारी और विदेशी पूंजी लगाई गई है;

(ग) सरकारी, गैर-सरकारी, सहकारी और विदेशी प्रत्येक कारखानों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) उद्योग मन्त्रालय में अपेक्षित जानकारी नहीं रखी जाती है। कारखाना क्षेत्र से सम्बन्धित कुल मिलाकर मुख्य जानकारी जैसे अचल परिसम्पत्तियों के रूप में शुद्ध निवेश; सकल उत्पादन, कर्मचारियों की संख्या, स्वामित्व की किस्म का ब्यौरा तथा संगठनों के स्वरूप का ब्यौरा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित "एनुअल सर्वे आफ इण्डस्ट्रीज" में दिया गया है।

उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाना

3154. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 की तुलना में 1980-81 में लगभग 300 प्रतिशत की हुई जन-दिवसों की हानि में जिस गति से जबर्दस्त कमी हुई है उसी गति से उद्योगों की उत्पादकता न बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ख) श्रम-उत्पादकता के अनुपात में उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाये जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) उत्पादन और उत्पादिता में अन्तर है और उत्पादन या उत्पादिता में परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। उपलब्ध अन्तिम सूचना के अनुसार वर्ष 1980 में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हुई श्रम-दिनों की हानि की संख्या 129 लाख है जबकि वर्ष 1979 में यह संख्या 43 लाख के आसपास थी। चुने हुए उद्योगों से जिनकी अन्तिम सूचना उपलब्ध है पता चलता है कि जनवरी 1981 में उत्पादन में समग्र रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों पर उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न रुकावटों को दूर करने के लिए समुचित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। विद्यमान क्षमता के इष्टतम उपयोग पर पूरा जोर दिया गया है और अवस्थापना संबंधी कठिनाइयों को हल करने के लिए वर्ष 1980 के आरम्भ से ही गम्भीर प्रयास किए गए हैं। जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

दिल्ली पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना और अंशदायी भविष्य निधि योजना की सुविधाएं प्रदान किया जाना

3155. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने अपने सभी कर्मचारियों को अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना और अंशदायी भविष्य निधि योजना की सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय किए जाने का विचार है कि सभी कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से इन योजनाओं का लाभ दिया जाये ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) स्थिति निम्नानुसार है :

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

मैसर्स दिल्ली पर्यटन विकास निगम के प्रतिष्ठान को हाल ही में 7-9-1979 (अन्तिम) से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की परिधि के अधीन लाया गया है। और उन्हें निदेश दिए गए हैं कि वे परिधी के अधीन आने की तारीख से सभी पात्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिनियम और योजना के उपबन्धों का कार्यान्वयन करें। यदि वे योजना का कार्यान्वयन करने में विफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध अधिनियम के अधीन आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्यवाही की जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना :

इस समय यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता है। तथापि, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली दुकानों में अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के पश्चात् प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की जाएगी।

उद्योगों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशक को विवरणियां प्रस्तुत किया जाना

3156. **श्री राम विलास पासवान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने एककों को, उद्योग-वार और वर्षवार, तकनीकी विकास महानिदेशालय को उत्पादन की मासिक विवरणियां प्रस्तुत करनी थीं ;

(ख) इनमें से कितने एकक औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विवरणियां भेज रहे हैं ;

(ग) दोषी एककों के विरूद्ध कार्यवाही करने के क्या प्रावधान हैं ; और

(घ) अभी तक दोषी एककों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के उद्योग ग्रुप में लगभग 4,000 उत्पादन करने वाले एकक हैं । इन एककों के द्वारा मानिटरिंग के लिए उत्पादन की मासिक विवरणियां तकनीकी विकास के महानिदेशालय को भेजी जानी आवश्यक हैं । यह पाया गया है कि लगभग 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक एकक अपने उत्पादन की मासिक विवरणियां निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत कर देते हैं ।

दिनाँक 3-5-1979 को अधिसूचित अनुसूचित उद्योग (उत्पादन विवरणियों का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, 1979 में यह निर्विष्ट किया गया है कि प्रत्येक उद्योग के स्वामी को जिस पर ये नियम लागू होते हैं निर्धारित फार्मों में अपने उत्पादन की मासिक विवरणी भरकर सम्बन्धित पंजीयन करने वाले प्राधिकरण को भेजनी होगी । इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई भी नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा ।

पंजीयन करने वाले किसी भी प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई भी मामला मंत्रालय के ध्यान नहीं लाया गया है ।

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों और बड़े गृहों द्वारा क्षमता का उपयोग

3157. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के डा० एस० के० गोयल के अध्ययन से पता चलता है कि बहुराष्ट्रिक कम्पनियां (फेरा कम्पनियां) अतिरिक्त क्षमता विनियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जब कि भारतीय एकाधिकार गृहों के इस प्रकार के 169 मामले थे ।

(ख) क्या यह भी सच है कि बिरला, टाटा, बांगर और बालचन्द घराने ऐसे उल्वंघनों में अग्रणी हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों तथा भारतीय एकाधिकार कम्पनियों द्वारा इन विनियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (इंडियन इन्स्टीटयूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन) के डा०एस०के० गोयल द्वारा किए गए अध्ययन से सरकार अवगत है। सरकार को इस बात का भी पता है कि कुछ उपक्रमों, जिनमें एम० आर० टी० पी०/फेरा एकक भी शामिल है, द्वारा लाइसेंसी कृत क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया जा रहा है। 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसरण में सरकार ने केन्द्र, मूल तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों में स्वतः विकास की अनुमति देने तथा अधिष्ठापित उत्पादन रत क्षमता को मान्यता देने के उपायों की घोषणा की है। लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित संरक्षण दिया जाना जारी रहेगा। एम० आर० टी० पी० तथा फेरा एककों के मामले में स्वतः विकास तथा अधिष्ठापित क्षमता के लिए मान्यता सामान्य रूप से अनापत्तियों की शर्त पर दी जाएगी। अधिक क्षमता/उत्पादन के मामलों पर विचार किया जाएगा और उन्हें पहली वाली नीति के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संथान की स्थापना

3158. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षा प्रशिक्षण देने के लिए संघशासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का है क्योंकि इस क्षेत्र में तीव्र विकास की माँग को पूरा करने में मानवशक्ति एक मुख्य बाधा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) मानव शक्ति सम्बन्धी आवश्कताओं को पूरा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार का विज्ञान और तकनीकी का एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद से इस सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ

3159. **श्री पियूष तिरकी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में चीन ने भारतीय क्षेत्र में कितनी बार घुसपैठ की ; और

(ख) प्रत्येक बार सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1979 में 5

चीनी सैनिकों द्वारा कुछ मिनटों के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की एक मामूली सी घटना हुई थी।

(ख) भारत सरकार ने इस मामले को चीन सरकार के साथ उठाया है।

हल्दिया में जलपोत की मरम्मत करने का यार्ड

3160. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल में जलपोत की मरम्मत करने के प्रस्तावित यार्ड को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जहाजों की मरम्मत के लिए यार्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था, इसकी उपयोगिता और व्यवहार्यता का पता चल जाने पर निर्भर करेगी।

त्रिपुरा में नमक डिपों की स्थापना

3161. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने के लिए नमक डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि त्रिपुरा सरकार द्वारा गंगा नगर में नमक डिपों के लिए सुझाए गए स्थापना स्थल में स्थापना स्थल सम्बन्धी कुछ खामियाँ हैं, अतः राज्य सरकार से रेल शीर्ष के निकट दूसरे स्थापना स्थलों का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय सहायता के लिए गाडगिल फामूला

3162. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र का ध्यान इस बात की ओर दिलवाया है कि पांच वर्षों से योजना आयोग द्वारा अपनाया जा रहा केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी गाडगिल फार्मूला से देश में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छोटे परिवहन विमान का उत्पादन

3163. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे परिवहन विमान का उत्पादन शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्ष मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इस परियोजना के औचित्य और व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन पूरे होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

जनगणना के कार्य में बेरोजगार व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

3164. **श्री चिन्ता मणि जेना :**
श्री एन० ई० होरो :
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना के कार्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या-क्या कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोबर गैस प्रौद्योगिकी का विकास

3165. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संकट के वर्ष दर वर्ष बिगड़ते जाने और तेल मूल्यों में बार-बार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने गोबर गैस प्रौद्योगिकी के विकास के महत्व पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता के उपयोग के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या गोबर गैस प्रौद्योगिकी अभी भी अविकसित है; और

(घ) इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लम्बी अवधि के क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) समग्र ऊर्जा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार देश में जैव गैस सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के महत्व के प्रति पूरी तरह से जागरुक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैव गैस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन गतिविधियों का समर्थन, सम्वर्द्धन और समन्वय करने में लगातार व्यस्त है लगभग 80,000 जैव गैस संयंत्रों की देश में प्रतिष्ठापना की जा चुकी है और छठी योजना अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठापन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी नहीं। जैव गैस संयंत्रों के अधिक अच्छे और सस्ते डिजाइनों का विकास करने, जैव गैस उप्पादन में वृद्धि करने, आहार सामाग्री के विविधीकरण और विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में संयंत्रों को इस्तेमाल में लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई है।

(घ) इस वर्ष विभाग देश के विभिन्न भागों में 21 सामुदायिक टाइप के जैव गैस संयंत्रों की स्थापना कर रहा है। इनमें से अधिकांश इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू कर दिए जाएंगे। जैव गैस संयंत्रों की स्थापना करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम छठी योजना की अवधि में आरम्भ किया जा रहा है। केन्द्रीय योजना के कृषि क्षेत्र में जैव गैस कार्यक्रम के लिए 50 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं ताकि रियायतों की अदायगी की जा सके और कुछ सहायक सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। इनमें से अधिकांश संयंत्रों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही है, ताकि उन्हें ईंधन, खाद, बिजली और पम्प-सैटों को चलाने के लिए ऊर्जा और कृषि औजार आदि प्रदान करके वहाँ के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को सुधारा जा सके। इसके साथ-साथ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के अधीन, संभरण सामग्री के विविधिकरण, संयंत्रों की लागत में कमी, स्थानीय रूप से उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री, सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक अन्वेषणों, गैस के लिए वितरण प्रणाली और कुशल उपस्करों के विकास पर कार्य को जारी रखा जा रहा है।

आदिवासियों की समस्याओं का सर्वेक्षण

3166. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों की विशेष समस्याओं और जनहित स्वार्थों द्वारा उनका शोषण किए जाने वाली परिस्थियियों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों/प्रशासनों के माध्यम से कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के जनजाति अनुसंधान संस्थानों और अन्य संगठनों से भारत सरकार के सुझावों पर और राज्य सरकारों से जन-जातियों की विशिष्टि समस्याओं जैसे भूमि अंतरण साहुकारी, ऋण दास्ता, वन-अर्थ व्यवस्था, औद्योगिक और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना के कारण जनजातियों का विस्थापन आदि पर विशिष्ट अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। 21 अक्तूबर, 1980 को हुई जनजाति अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों की बैठक में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि जनजाति अनुसंधान संस्थानों को नीति और विकास प्रक्रिया की आवश्यकताओं के मध्य अनुकूल संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह कि जनजातियों पर अनुसंधान अध्ययन करना उनका एक प्रमुख कार्य होना चाहिए ।

अध्ययन प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है और इसके परिणामों का उपयुक्त विकास योजनाएं तैयार करने में प्रयोग किया जाता है ।

शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिया जाना

3168. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि शीर्षस्थ 20 औद्योगिक गृहों को 1979 और 1980 के दौरान यदि कोई लाइसेंस दिये गये हैं तो उनका ब्यौरा क्या ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : कम्पनी कार्य विभाग द्वारा (31-12-1978 के) 20 सबसे बड़े औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए क्रम के अनुसार वर्ष 1979 तथा 1980 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है :—

औद्योगिक गृह का नाम	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या	
	1979	1980
1. बिरला	3	7
2. टाटा	1	1
3. मफतलाल	—	3
4. जे० के० सिंहानिया	2	—
5. थापर	2	1
6. आई० सी० आई०	2	3
7. बेंगुर	—	—
8. श्रीराम	1	2
9. ऑयल इण्डिया	—	—
10. सिंधिया	—	—
11. लार्सेन एण्ड ट्यूब्रों	1	2
12. ए० सी० सी०	1	2
13. भिवण्डीवाला	1	—
14. किर्लोस्कर	4	5
15. हिन्दुस्तान लीवर	1	—
16. चौगले	—	1
17. खटाऊ (बम्बई)	5	4
18. कस्तुर भाई लाल भाई	4	2
19. महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	—	—
20. वालचन्द	—	—

जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसिज तथा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "न्यूज लैटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारी जल के निर्माण और सप्लाई के लिए पृथक निगम

3170. **श्री धर्मबीरसिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारी जल के निर्माण तथा सप्लाई के लिए पृथक निगम स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्यमन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) : जी, नहीं ।

(ख) : यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

बंगलादेश राइफल्स द्वारा अपहरण किए गए सीमा सुरक्षा बल के जवान

3171. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम बंगलादेश सीमा पर 28 फरवरी 1981 को समाप्त हुए छह महीनों के दौरान भिड़न्त के कारण बंगलादेश राइफल्स द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवानों का अपहरण किया गया ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बंगलादेश सिविल पुलिस द्वारा इन जवानों पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) : असम—बंगलादेश सीमा पर ऐसे अपहरण का कोई मामला नहीं हुआ था। सीमा सुरक्षा बल का एक गश्ती दल असम बंगलादेश सीमा पर तस्करी की गतिविधियों को रोकते हुए अनजाने में 11 दिसम्बर, 1980 को बंगलादेश क्षेत्र में चला गया था। एक हिंसक भीड़ द्वारा आक्रमण किए जाने पर सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बंगलादेश राइफल पार्टी जो उस समय तक घटना स्थल पर पहुंच गयी थी के समक्ष अपने को पेश किया था। सरकार ने इन जवानों की वापसी के लिए बंगलादेश प्राधिकारियों से सम्पर्क किया था और इनको 9 मार्च, 1981 को वापिस कर दिया गया है ।

अरुणाचल प्रदेश में सियाँग पर पुल

3172. **श्री सन्तोष मोहनदेव** : क्या **रक्षामन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट पर सियांग नदी पर पुल का निर्माण पूरा होने की तारीख और इसके निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : यह प्रस्ताव एक बड़े पुल के निर्माण के बारे में है; इसलिए इसकी अनुमानित लागत आरम्भिक जाँच-पड़ताल (जिनमें भूमि तथा जल विज्ञान और उनसे सम्बन्धित अध्ययन सम्मिलित हैं) के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी । ये परीक्षण किए जा रहे हैं और इन पर लगभग दो वर्ष लगेंगे। इसके बाद पुल का निर्माण करने में लगभग तीन से चार साल तक लग जायेंगे ।

हुगली डोकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा का राष्ट्रीयकरण

3173. **श्री विजय मोडक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हुगली डोकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड हावड़ा का प्रबन्ध कार्यरुग होने के कारण आई० आर० सी० आई० द्वारा नहीं किया जा रहा है और क्या यह सच है कि आई० आर० सी० आई० के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक ने यह प्रस्ताव किया था कि सरकार को इस उद्योग को इसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने हाथ में लेना चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार हुगली डाकिंग तथा इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, के जीव्य कार्य-संचालन के लिए राष्ट्रीयकरण सहित विभिन्न वैकल्पित सुझावों के मूल्यांकन के पश्चात् इस उद्योग के सर्वोत्तम हितों में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है ।

परमाणु ईंधन का भेजना रोका जाना

3174. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए निर्धारित परमाणु ईंधन का भेजना रोकने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति से एक अमरीकी सिनेटर द्वारा की गई अपील की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्यमन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह :) (क) जी; हां ।

(ख) भारत सरकार को आशा है कि अमरीका की सरकार 1963 के सहकार करार के अन्तर्गत तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए लगातार यूरेनियम देते रहने के अपने दायित्व को निभायेगी ।

छोटे विमानों के निर्माण के लिए भारतीय सामग्री

3175. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में छोटे विमानों के निर्माण के लिए देशीय सामग्री का ही उपयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है'

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा तीसरी विमान-सेवा के लिए किन-किन विमानों का चयन किया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) और (ख): सरकार फीडर लाइन तथा अन्य कार्यों के लिए अपेक्षित उपयुक्त विमान का देश में ही उत्पादन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) इसके लिए विमान का चयन परियोजना की उपयोगिता और व्यवहार्यता के सम्बन्ध में अध्ययन पूरा हो जाने के बाद किया जाएगा।

केरल में नारियल जटा उत्पादों का अन-बिका स्टाक

3176. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में सरकारी क्षेत्र में 3.50 करोड़ रु० मूल्य का नारियल जटा का उत्पादन अनबिका पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो यह स्टाक बेचने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास नारियल-जटा उत्पादों की बसूली और बिक्री के लिए कोई निगम गठित करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यह सच है कि केरल में सहकारी क्षेत्र के पास नारियल जटा के उत्पादों का वृहद स्टाक है और उन्हें स्टाक को निपटाने में कठिनाई हो रही है। सरकार को रुके हुए स्टाक की यथार्थ कीमत पता नहीं है।

(ख) कयर बोर्ड और सरकार ने नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों की देश और विदेश में बिक्री बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किए हैं :

(1) आन्तरिक आवागमन को बेहतर बनाने के लिए माल-डिब्बों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से अधिक नारियल जटा सामग्री खरीदने का अनुरोध किया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने आधीन उपक्रमों और कार्यालयों को भी इसी प्रकार के निदेश जारी करें।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी कार्यालयों सरकारी

उद्यमों और सरकारी नियंत्रणाधीन/सहायता प्राप्त संस्थाओं में कयर की सामग्री (करनिशिग) का अधिकाधिक प्रयोग करें।

(4) दूसरे देशों के साथ विशेष रूप से उन देशों के साथ जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार करार हुए हैं, अपना व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) देशी बिक्री बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के उद्यमों के सहयोग से भावी ग्राहकों से आर्डर प्राप्त करने हेतु विशेष दलों का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) नारियल जटा उत्पादों को लेने के लिए और बिक्री के लिए एक निगम गठित करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

असंगठित कृषि श्रमिकों के लिए विधान

3177. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असंगठित ग्रामीण श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए एक प्रारूप विधान का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और संसद में इसे कब पेश किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान, रोजगार की सुरक्षा, समाज सुरक्षा उपाय, कार्य घंटों का विनियमन, कृषि विवादों का शीघ्र निपटान और रोजगार गारन्टी बोर्डों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन है। इस प्रस्ताव पर सम्बन्धित पक्षों के साथ परामर्श करके आगे कार्यवाही की जा रही है।

त्रिपुरा में आदिवासी आन्दोलन संबंधी केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन

3178. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष त्रिपुरा राज्य में बड़े पैमाने पर हुए आदिवासी आन्दोलन के बाद वहाँ के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद इस कार्य के लिए नियुक्त की गई केन्द्रीय दल ने अपना अध्ययन-प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों की माँगों को पूरा करने और त्रिपुरा के सम्बद्ध

क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) त्रिपुरा में जून 1980 में हिंसा भड़क उठने के बाद एक अन्तर मंत्रालय अधिकारी दल, तथा दूसरा सरकार द्वारा गठित श्री दिनेश सिंह संसद सदस्य की अध्यक्षता में गैर सरकारी समिति ने राज्य का दौरा किया था। दिनेशसिंह समिति की रिपोर्ट 11 अगस्त, 1980 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

3179. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

(1) **उच्च न्यायालय** : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में किए गए उपबन्धों के अधीन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के राज्यापालों ने राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, इन राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों में उनके द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर दिया है। हिन्दी इन राज्यों की क्षेत्रीय भाषा भी है। अन्य उच्च न्यायालयों में केवल अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है।

(2) **अधीनस्थ न्यायालय** : अधीनस्थ न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'ज्वाइन्ट साइफर ब्यूरो' के कर्मचारी और उनके पदोन्नति के अवसर

3180. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ज्वाइन्ट साइफर ब्यूरो' में कितने वर्गों के कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनके पद के अगले वर्ष में आगामी उच्च ग्रेड के लिए अलग-अलग पदोन्नति के अवसर क्या हैं;

(ग) क्या श्रेणी III के कुछ वर्गों को श्रेणी II (अराजपत्रित) पद में करने के लिए कोई लिखित विभागीय परीक्षा अनिवार्य की जा रही है; और

(घ) केवल इन वर्गों को ही लिखित विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित/बाध्य करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 67.

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हाँ। हैडक्लर्क और एकाउन्टेंट, रीडर ग्रेड-1 और तकनीकी क्लर्क (यू०डी०) से तकनीकी सहायक।

(घ) व्यावसायिक क्षमता का मूल्यांकन करने और संगठन के कार्यसंचालन दक्षता के हित में।

विवरण

पदोन्नति क्रम

	पद का नाम	अगला उच्च ग्रेड
	1	2
1.	निदेशक	— कोई नहीं
2.	उपनिदेशक	— निदेशक
3.	वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-1 (अनुसंधान)	— उप निदेशक
4.	वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-1 (तकनीकी)	— उप निदेशक
5.	वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2 (अनुसंधान)	— वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-1 (अनुसंधान) वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-1 (तकनीकी)
6.	पद्धति सुरक्षा अधिकारी (अनुसंधान)	— वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2 (अनुसंधान)
7.	वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2 (तकनीकी)	— वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-1 (अनुसंधान) — वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-1 (तकनीकी)
8.	पद्धति सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी)	— वरिष्ठ पद्धति सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2 (तकनीकी)

	1	2
9.	वरिष्ठ रिप्रोग्रापिक अधिकारी ग्रेड-1	— कुछ नहीं
10.	वरिष्ठ रिप्रोग्रापिक अधिकारी ग्रेड-2	— वरिष्ठ रिप्रोग्रापिक अधिकारी ग्रेड-1
11.	रिप्रोग्रापिक अधिकारी	— वरिष्ठ रिप्रोग्रापिक अधिकारी ग्रेड-2
12.	सुरक्षा अधिकारी	— कुछ नहीं
13.	मशीन विकास अधिकारी	— कुछ नहीं
14.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	— पद्धति सुरक्षा अधिकारी (अनुसंधान)
		— पद्धति सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी)
15.	तकनीकी सहायक	— वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद्धति सुरक्षा अधिकारी (अनुसंधान) पद्धति सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी)
16.	हैड क्लर्क और लेखाकार	— तकनीकी सहायक
17.	रीडर ग्रेड-1	— तकनीकी सहायक हैड क्लर्क और लेखाकार हैड क्लर्क और लेखाकार
18.	तकनीकी लिपिक (उच्च श्रेणी)	— तकनीकी सहायक
19.	रीडर ग्रेड-2	— रीडर ग्रेड-1
20.	कापी होल्डर	— रीडर ग्रेड-2
21.	पंच कार्ड मशीन आपरेटर	— तकनीकी क्लर्क (उच्च श्रेणी)
22.	कंपटोमिस्ट	— तकनीकी लिपिक (उच्च श्रेणी)
23.	मुख्य संकलन अधिकारी (हिन्दी)	— कुछ नहीं ।
24.	तकनीकी सहायक (हिन्दी)	— कुछ नहीं
25.	तकनीकी सहायक (वर्टीटाइप) (जे०सी०बी० लेटर प्रैस)	— कुज नहीं
26.	आफसेट मशीनमेन आपरेटर (रोमायर) (जे०सी०बी० लेटर प्रैस)	— कुछ नहीं

1		2
27.	सहायक मशीन आपरेटर (जीरोक्स) (जे०सी०वी० लेटर प्रैस)	— कुछ नहीं
28.	उप प्रबन्धक (पोटोलिथो)	— कुछ नहीं
29.	तकनीकी अधिकारी (फोटो लिथो)	— उप प्रबन्धक (फोटो लिथो)
30.	वरिष्ठ कलाकार	— कुछ नहीं
31.	आर्टिस्ट रीटचर	— कुछ नहीं
32.	कनिष्ठ कलाकार	— वरिष्ठ कलाकार
33.	सहायक आर्टिस्ट रीटचर	— आर्टिस्ट रीटचर
34.	कैमरा मैन	— कुछ नहीं
35.	आफसेट मशीनमैन ग्रेड-1	— कुछ नहीं
36.	आफसेट मशीन मैन ग्रेड-2 (जे०सी०बी० फोटोलिथो प्रैस)	— आफसेट मशीन मैन ग्रेड-1
37.	हेलिक आपरेटर	— कुछ नहीं
38.	डार्करूम सहायक	— कैमरामेन
39.	सहायक मशीन आपरेटर (जीरोक्स) (जे०सी०बी० फोटो लिथो प्रेस)	— कुछ नहीं
40.	तकनीकी सहायक (वेरीटाइप) (जे०सी०वी० फोटोलिथो प्रेस)	— कुछ नहीं
41.	हैड मैकेनिक (मैकेनीकल और इलैक्ट्रीकल)	— कुछ नहीं
42.	मैकेनिक (मैकेनिकल)	— हैड मैकेनिक (मैकेनीकल और इलैक्ट्रीकल)
43.	सहायक मैकेनिक (मैकेनिकल)	— मैकेनिक (मैकेनिकल)
44.	इलैक्ट्रीशियन	— कुछ नहीं
45.	सैक्शन होल्डर (वाइंडिंग)	— कोई नहीं
46.	वाइन्डर ग्रेड-1	— सैक्शन होल्डर (वाइन्डिग)
47.	वाइंडर ग्रेड-2	— वाइंडर ग्रेड-1
48.	उच्च श्रेणी लिपिक (स्टोर) (रात्रि पाली)	— जनरल स्टोरकीपर

1		2
49.	टाइम कीपर	— उच्च श्रेणी लिपिक (स्टोर) (रात्रि पाली)
50.	जनरल स्टोरकीपर	— कोई नहीं
51.	वेयर हाउसमैन	— वाइन्डर ग्रेड-2 अवर श्रेणी लिपिक
52.	एटेन्डेंट (रोमेयर और जनरल)	— अवर श्रेणी लिपिक
53.	श्रमिक	— वेयर हाउसमैन एटेंडेंट (रोमेयर एण्ड जनरल) एटेंडेंट आफसैट मशीन अवर श्रेणी लिपिक बाइन्डरी सहायक
54.	चपरासी	— दफ़्तरी, जमादार, वेयरहाउसमैन, बाइन्डरी सहायक एटेंडेंट (रोमेयर एण्ड जनरल) एटेंडेंट आफसेट मशीन प्रयोगशाला एटेंडेंट स्टोरमैन अवर श्रेणी लिपिक
55.	पैटीमैन	— वेयर हाउसमैन वाइन्डरी सहायक एटेंडेंट (रोमेयर एण्ड जनरल) एटेंडेंट आफसेट मशीन अवर श्रेणी लिपिक
56.	सफाई वाला	— जमादार सफाई वाला बाइन्डरी सहायक वेयर हाउसमैन एटेंडेंट (रामेयर एण्ड जनरल) एटेंडेंट आफसेट मशीन अवर श्रेणी लिपिक

1		2	
57.	फराश	—	बाइन्डरी सहायक वेयैर हाउस मैन अटेंडेंट आफसेट मशीन अटेंडेंट (रोमेयर और जनरल) अवर श्रेणी लिपिक वाइन्डरी सहायक
58.	जिल्दसाज	—	वेयर हाउसमैन अटेंडेंट आफसेट मशीन अटेंडेंट (रोमेयर और जनरल) अवर श्रेणी लिपिक बाइन्डरी सहायक
59.	गेस्टेटनर आपरेटर (जूनियर)	—	गेस्टेटनर आपरेटर (सीनियर) बाइन्डरी सहायक वेयरहाउसमैन एटेंडेंट आफसेट मशीन एटेंडेंट (रोमेयर और जनरल) अवर श्रेणी लिपिक
60.	रिकार्ड सार्टर	—	गेस्टेटनर आपरेटर (जूनियर) बाइंडरी सहायक वेयरहाउस मैन अटेंडेंट आफसेट मशीन अटेंडेंट (रोमेयर और जनरल) अवर श्रेणी लिपिक
61.	दफ्तरी	—	रिकार्ड सार्टर बाइन्डरी सहायक जिल्दसाज गेस्टेटनर आपरेटर (जूनियर) वेयरहाउसमैन अटेंडेंट आफसेट मशीन अटेंडेंट (रोमेयर और जनरल) अवर श्रेणी लिपिक
62.	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	—	आशुलिपिक ग्रेड 'ग'
63.	वरिष्ठ निजी सहायक	—	निजी सचिव
64.	सहायक	—	सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी

1		2
65.	उच्च श्रेणी लिपिक	— सहायक
66.	अवर श्रेणी लिपिक	— उच्च श्रेणी लिपिक
67.	गेस्टेटनर आपरेटर (सीनियर)	— कुछ नहीं

ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के पुनरीक्षित भर्ती नियम, 1980

3181. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि ज्वाइंट साइफर ब्यूरो में पुनरीक्षित भर्ती नियम 1980 बना लिए गए हैं, और भारतीय राजपत्र में अधिसूचित कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो ये नियम कब अधिसूचित किए गए थे ;

(ग) क्या इन नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने से पूर्व प्राधिकारियों ने ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के कर्मचारियों और अधिकारियों से सुझाव/आपत्तियां मांगी थी ;

(घ) यदि नहीं, तो प्राधिकारियों ने उक्त ब्यूरो के कर्मचारियों और अधिकारियों से सुझाव/आपत्तियां न मांगे जाने के क्या कारण थे ;

(ड़) क्या सरकार का विचार ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के कर्मचारियों/अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में इन नियमों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति के गठन करने का है ;

(च) यदि हाँ, तो यह समिति कब तक गठित की जायेगी ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) 25-10-1980.

(ग) जी नहीं ।

(घ) भर्ती नियम सरकार द्वारा निर्धारित मानक निर्देशों के अनुसार ही बनाये गए थे । उनमें संगठन की व्यावसायिक आवश्यकता और विभागीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ड़) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गयी और भर्ती नियमों पर फिर से विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र की भारतीय मुसलमानों की सहायता करने सम्बन्धी गतिविधियां

3182. **श्रीके० पी० सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र ने भारत में आठ करोड़ से अधिक मुसलमानों की, जिनको कथित रूप से धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, सहायता करने का कार्यक्रम प्रयोजित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त संगठन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन को भारत में काम करने की अनुमति दी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) लन्दन बैसड इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र की कथित योजना के अनुसरण में भारत में अभी तक कोई गतिविधियाँ सरकार के ध्यान में नहीं आयी हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन कर्म (बिहार) से संबंद्ध कर्मचारियों में असन्तोष

3183. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन कर्म (बिहार) से सम्बद्ध कर्मचारियों में कथित गठन और कुप्रबन्ध के प्रश्न पर असन्तोष व्याप्त है, और

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाई की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर 1980 की स्थिति के अनुसार बिहार में अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के औषधालयों और दो अस्पतालों में 17 सी० एच० एस० डाक्टर कार्य कर रहे थे । सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनपर विचार किया जा रहा है ।

निर्यात संबंधी दायित्व पूरा न करने के कारण मैसर्स शार्पेज के विरूद्ध की गई कार्यवाही

3184. **श्री श्रीराम स्वरूप राम :** क्या **उद्योग मन्त्री** मैसर्स शार्पेज लिमिटेड के निर्यात सम्बन्धी दायित्व के बारे में 16 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने औद्योगिक लाइसेंस में निर्धारित की गई निर्यात संबंधी दायित्व पूरा न करने के कारण मैसर्स शार्पेज के विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक नियमों के अनुसार इस फार्म को 60 प्रतिशत निर्यात शर्त की आधार पर ही विस्तार लाईसेंस दिया जा सकता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बात पर विचार किए बिना कि यह फार्म सरकार की पिछली शर्तों का पालन करने में विफल रही है तथा औद्योगिक नियमों में भी ढील दी गई है, क्या सरकार का प्रस्ताव इस फर्म को गैरप्राथमिकता वाले क्षेत्र में विस्तार लाइसेंस प्रदान करने का है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मैसर्स शार्पज लिमिटेड द्वारा की जाने वाली कानूनी प्रतिबद्धता सयुंक्त मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक के कार्यालय द्वारा लागू की गई थी । कम्पनी को 48 लाख रुपये के मूल्य के स्टेनलैस स्टील के ब्लैड देने तथा 1.2 लाख रुपये की परिसमापित क्षति भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० को अदा करने के भी निर्देश दिए गए हैं । कम्पनी को दोषी कम्पनियों की सूची में भी शामिल कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) शार्पेज लि० का वार्षिक उत्पादन 20 करोड़ ब्लेडों से बढ़ाकर 45 करोड़ ब्लेड करने के बारे में इस कंपनी के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

पैराशूट के लिए घटिया कपड़ा खरीदा जाना

3185. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अनुसार पैराशूट के लिए कपड़े को सी० आई० ए० डी० आगरा द्वारा पास कराया जाना आवश्यक है और क्या पिछले 2-3 वर्षों के दौरान कानपुर की एक कोरियाई फर्म से पैराशूट के कपड़े की खरीद की गई थी और उसे सी० आई० टी० सी० कानपुर से पास कराया गया था, यदि हाँ, तो इस फर्म को इस कपड़े के लिए कितने मूल्य का आर्डर दिया गया था और उसे किस प्रकार इस्तेमाल किया गया था ;

(ख) क्या कपड़े के घटिया होने का पता चलने के बावजूद इस फर्म से कपड़ा

बदलने के लिए नहीं कहा गया तथा इसकी बजाय इस घटिया कपड़े के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस फर्म तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

वेस्टर्न वेस्ट वर्कशाप में कार्य कर रहे दैनिक मजूरी श्रमिक

3186. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेटर्स्न वेस्ट वर्कशाप, 1326 वेस डिपो, वेस्टर्न स्टोर डिविजन और 52 आर० सी० सी० में दैनिक मजूरी श्रमिक लगातार पिछले 10 से 12 वर्षों से कार्य कर रहे है किंतु उन्हें अभी तक नियमित/स्थाई घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति सही है, तो उन्हें नियमित/स्थाई रोस्टर में शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इन यूनिटों तथा अन्य स्थानों पर ऐसे बहुत से दिहाड़ी वाले कामगर हैं जो कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, परन्तु विभागीय विनियमों के अनुसार जिन्होंने कभी भी एक समय में लगातार छः महीने से अधिक काम नहीं किया है । इन कर्मचारियों को 'स्थायीकरण' करने के बारे में स्थिति माननीय सदस्य को सम्बोधित 10 फरवरी, 1981 के अ० स० पत्र संख्या 305/वी० आई० पी०/आर० आर० एम० 81(1) में स्पष्ट कर दी गई हैं, जिसके संबंधित उद्धरण संलग्न हैं । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2083/81) ।

सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारी

3187. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन निम्नलिखित इकाइयों में कितने कुशल और अकुशल कर्मचारी नैमित्तिक कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं ; यदि उन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें मासिक मजूरी पर नियमित क्यों नहीं किया गया है ;

(1) वेस्टर्न स्टोर डिवीजन (जी० आर० ई० एफ०)

(2) वैस्टर्न बेस वर्कशाप (जी० आर० ई० एफ०)

(3) 1326 बेस डिपो (जी० आर० ई० एफ०)

(4) अटैचमेंट आफ दी 52 आर० सी० सी० (जी० आर० ई० एफ०)

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान को चीनी शस्त्रों की सहायता

3188. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को अगले तीन से पाँच माह के भीतर एम० आई० 4 हाउण्ड हेलीकाप्टर तथा टी० यू० 16 और टी०यू० 4 मध्यम बमवर्षकों की अनिश्चित संख्या के अलावा टी-59 मध्यम टी-60 जलथल स्तरीय और टी-62 हल्के टैंकों की सप्लाई की गई है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम हैं कि चीन के सैनिक विशेषज्ञों ने हाल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान के उत्तरी भागों के हवाई अड्डों का विस्तार करने के सम्बन्ध में गिलगिल और मुजफ़्फराबाद का दौरा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : सरकार ने इस आशय के समाचार देखें हैं परन्तु ऐसी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है, जिससे इसकी पुष्टि होती हो।

(ग) उन सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और अपनी पूरी रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इन गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

भारत में रह रहे युगांडा मूल के नागरिक

3189. **श्री तारिक अनवर :**

श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में रह रहे युगांडा मूल के नागरिकों की संख्या क्या है ; और

(ख) वे किन किन शहरों में रह रहे में और वे किन-किन व्यवसायों में लगे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) चूंकि

यूगांडा राष्ट्रमंडलीय देश है, अत: यूगांडा के राष्ट्रिकों (चाहे वे भारतीय मूल के हों अथवा अन्यथा) को भारत में प्रवेश करने और रहने के लिए वीसा अथवा आवासीय परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें निर्धारित प्राधिकारियों के पास स्वयं को दर्ज न कराने की छूट है। इसलिए उन शहरों जिनमें यूगांडा के ऐसे राष्ट्रिक रह रहे हैं और जिन व्यवसायों में लगे हैं के बारे में सूचना संकलित नहीं की गई है।

सीमेंट का आयात

3190. **श्री निहाल सिंह :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर 1980 में प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये के मूल्य के सीमेंट के आयात के अपने निर्णय की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने सीमेंट का आयात किया जाना है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय का विरोध करने वाले कुछ संसद सदस्यों ने 12 दिसम्बर 1980 को प्रधान मन्त्री एव वित्त मन्त्री से यह मांग की थी कि प्रतिदिन 200 टन की उत्पादन क्षमता वाले 30 लघु सीमेंट संयंत्रों को जिनको वित्तीय बाधाओं के कारण सफलता पूर्वक नहीं चलाया जा सका था, देश के हित में फिर से चलाया जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमेंट का आयात किया जा रहा है। किन्तु, भविष्य में और आयात करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए आयात की जाने वाली सीमेंट की मात्रा और उस पर होने वाला विदेशी मुद्रा का खर्च अभी नहीं बताया जा सकता।

(ग) और (घ) सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सीमेंट का आयात कम करने के लिए लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। सरकार की यह नीति है कि देश में लघु सीमेंट संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए। अब तक 32 आवेदनों पर आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं और 41.50 लाख मी० टन की कुल वार्षिक क्षमता के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 57 आवेदनों का पंजीयन किया गया है। जहाँ तक वित्तीय सहायता का प्रश्न है, वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त 28 आवेदनों में से 4 आवेदकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई है और 3 आवेदकों को पुन: वित्तीयन सुविधा प्रदान की गई है।

तमिलनाडु में किए गए कल्याण सम्बन्धी कार्य

3191. **श्री डी० एस०ए० शिवप्रकाशम :** क्या उद्योग मंत्री मन्त्रालय (औद्योगिक

विकास विभाग, 1980-81) के कार्य-निष्पादन बजट के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में 1979-80 और 1980-81 में कौन-कौन से विकास तथा श्रम कल्याण कार्य किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : नमक उद्योग से सम्बन्धित तमिलनाडु में किया गया विकास तथा श्रमिक कल्याण कार्य तथा 1979-80 तथा 1980-81 (जनवरी 1981 तक) के दौरान नमक उपकर आय में से व्यय की गई धनराशि जैसी कि उद्योग मन्त्रालय, के निष्पादन बजट, 1980-81 में बताई गई है, नीचे दी गई है :—

(क)	विकास कार्य	व्यय की गय धनराशि (रू० में)
1.	कोवलांग नमक कारखाने के भंडारण प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना ।	4,735
2.	वेल्लूर नमक कारखाने में संभावित नमकीन पानी से तलछट हटाने की प्रणाली ठीक करना ।	3,943
3.	वेदारव्यम नमक कारखाने में संभावित नमकीन पानी की तलछट हटाने की प्रणाली ठीक करना ।	623
4.	मरकनम नमक कारखाने में पानी के किनारे की दीवाल का नवीकरण ।	12,675
5.	तम्पीकोट्टाई नमक कारखाने में सुरक्षा बांध को सुदृढ करना ।	8,675
6.	तम्पीकोट्टाई नमक कारखाने के प्रमुख सड़क की मरम्मत करना ।	20,342
7.	उरानी विस्तार नमक कारखाने की नमकीन पानी की पूर्ति प्रणाली में सुधार करना ।	5,084
8.	कयालपट्टनम नमक कारखाने में सड़क पर डामर चढ़ाना ।	16,716
9.	करापाड नमक कारखाने में पैदल पुल में सुधार कार्य ।	38,675
10.	करापाड नमक कारखाने में सुरक्षा बाँध का नवीकरण ।	981
11.	मरीयूर बाँध पर सड़कों का निर्माण	13,080

(ख) श्रमिक कल्याण कार्य	व्यय की गई धनराशि (रु० में)
1	2
1. मरीयूर वेलीनोकम नमक वर्क्स में 3 विश्राम शेडों का निर्माण करना।	5,166
2. तूतीकोरन मुख्यालय कारखानों में पेप-जल की व्यवस्था करना ।	5,000
3. पालकुलम नमक कारखाने, नागरकोइल में एक विश्राम शेड का निर्माण करना।	1,669
4. विमको वेदारव्यम में मजदूरों के लिए जलाशय की व्यवस्था ।	8,919
1980-81	
(क) विकास कार्य	
1. भारती क्रिस्टेलाइर्जस, कोवलांग कारखाने के बांध	11,731.10
2. मैसर्स एस० के० सुभाष पिल्ले एण्ड सन्स कोवलाँग कारखाने के प्लेट फार्म संख्या एल० न० 93 की ऊंचाई बढ़ाना	5,215.45
3. ओधूर सी बार चेयूर कारखाने का खोला जाना ।	3,978.05
4. एल० सं० 1 साल्ट वर्क्स ताम्बी-कोटाई कारखाने के सुरक्षा बांध का पुनर्निर्माण करना ।	26,843.00
5. रेलवे गुडस यार्ड तथा कायलपटनम से आरुमुगनेरी एक्सटेंशन प्लेटफार्म को जोड़ते हुए सड़क पर डामर लगाना ।	16,681.88
6. आर० सी० सी० पैदल बॉध करापाड कारखाने का सुरक्षात्मक एवं मरम्मती कार्य करना।	9,325.00

1	2
7. तीतान्दातनम कारखाने के सुरक्षा बाँध का पुनर्निर्माण करना ।	5,090.42
8. वट्टनम कारखाने के सुरक्षा बाँध में दरारें बंद करना तथा सुधार करना ।	5,103.16
9. वेप्पालोडाई कारखाने को मफल भट्टी का संभरण ।	3,160.30
(ख) **श्रमिक कल्याण कार्य**	
पालकुलम कारखाने में श्रमिक विश्राम शेड का निर्माण करना ।	15,368.65

आदिवासियों के लिए कार्यक्रम

3192. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तैयार की गई पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के उद्धार तथा उनके हितों की रक्षा और उनके क्षेत्रों में उनकी संस्कृति और परम्परा को बनाये रखने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जनजातीय लोगों सहित गरीबों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अनेक उपाय करने का प्रस्ताव है। इन उपायों में पशुपालन, वन उद्योग, विद्युत्, लघु और ग्राम उद्योग, शिक्षा, आदि जैसे सामान्य कार्यक्रम आते हैं; तथा एकीकृत ग्रामीण विकास, और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित और जनजातीय उप योजना के अंतर्गत आने वाली जैसी विशिष्ट वैयक्तिक लाभग्राही-उन्मुख स्कीमें आती हैं ।

जनजातीय उप योजना क्षेत्रों और जनजातीय लोगों के लिए स्कीमों में उनकी उत्पादकता और कुशलता के स्तरों को उन्नत करने तथा भूमि के स्वत्व-अंतरण, ब्याज पर ऋण, ऋणग्रस्तता, व्यापार, उत्पादन शुल्क, वन आदि के क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के शोषण को समाप्त करने के लिए बनाए गए प्रबलउपाय शामिल हैं। ऋण और विपणन प्रबन्धों, प्रशासनिक, संरचना को बढ़ाने तथा कार्यक्रमों के प्रबोधन और मूल्यांकन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

जनजातीय लोगों के विकास की आकांक्षाओं के अनुरूप जनजातीय जीवनपद्धति और संस्कृति की विशिष्टता को संरक्षित रखा जाएगा ।

हिन्दुस्तान लीवर के कृषि कार्य डिपो का बन्द किया जाना

3193. **श्री के० ए० राजन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनी लीवर, ग्रेट ब्रिटेन की सहायक कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर ने वर्ष 1971 में अपने कृषि कार्य डिपो को बन्द कर दिया गया घोषित किया था और कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया था; और

(ख) क्या कम्पनी द्वारा डिपो बन्द कर दिए जाने का उपर्युक्त दावा (1) कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष लाइसेंस संख्या एफ० पी० ओ० जी० जेड० बी० 1386 का नवीकरण करवाने (2) डिपो के कथित रूप से बन्द कर दिए जाने के बाद कम्पनी द्वारा कृषि कार्यों के लेखे में प्रति वर्ष कराधान में छूट का दावा करने और छूट लेने को देखते हुए झूठा था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का स्पष्ट रूप से अनुचित गतिविधियों के लिए कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते हीस दन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सशस्त्र सेनाओं में यौन-सम्बन्धी रोगों के मामले

3194. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे के डा० बी० डी० वर्मा द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि भारतीय सशस्त्र सेना सैनिकों और अधिकारियों में यौन सम्बन्धी रोगों के मामलों वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश स्थित इस्पात संयंत्रों में आदिवासियों तथा हरिजनों को रोजगार दिया जाना

3195. **श्री केयूर भूषण :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है, में अधिकांशत: आदिवासी और हरिजन बसे हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, बेलाडिल्ला के लौह भंडार, कोरबा का अल्यूमीनियम तथा विद्युत संयंत्र, मंधार, बैकुंठ और नांदरी के सीमेंट कारखाने तथा सरगुजा और शाहडोल जिलों की कोयला खानों जैसी महत्वपूर्णऔद्योगिक संस्थाएं उस क्षेत्र में स्थित हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहाँ औद्योगिक एककों की स्थापना के बाद भी बड़ी संख्या में आदिवासी, हरिजन तथा स्थानीय लोग बेरोजगार हैं और क्या यह भी सच है कि इन एककों के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनके परिवारों के सदस्यों को रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं; और

(घ) क्या सरकार स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के प्रयास कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

गुजरात में पर्यावरण संबंधी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र

3196. **श्री रामजी भाईमावणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित ससनगिर को पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र के लिए आदर्श स्थान समझा गया है;

(ख) वहां विद्यमान विपुल प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वहाँ ऐसा अध्ययन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या किया है;

(ग) क्या इस बारे में पहले कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वहाँ ऐसे सर्वेक्षण करने तथा पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की क्या योजनाएं हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा इस विषय में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन अनुसंधान केन्द्र के लिए सासनगीर एक आदर्श जगह है। क्योंकि सासनगीर का सम्पूर्ण प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अत: यह उस सरकार के लिए है कि वह इस पर विचार करे और सासनगीर नेशनल पार्क के वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिए अपेक्षित अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करे।

(घ) केन्द्रीय पर्यावरण विभाग के पास इस समय सासनगीर में एक पर्यावरणीय अध्ययन अनुसंधान स्थापित करने अथवा इस बारे में सर्वेक्षण करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली अन्दमान निकोबार आईलैंड सेवा में जनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के ग्रेड I के अधिकारियों (कार्यकारी) की पदोन्नति

3179. **श्री चन्द्रपाल शैलानी, श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के ग्रेड I के कितने अधिकारियों (कार्यकारी) को 1 अप्रैल, 1970 से नियमित/स्थायी बनाया गया है और उनमें से कितने अधिकारियों को दिल्ली अन्दमान निकोबार आइलैंड सेवा में पदोन्नत किया गया है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रेड I (कार्यकारी) अधिकारी जिनकी ग्रेड में पाँच वर्ष से कम सेवा है नियमित कर दिए गए हैं, जबकि इस वर्ग में वर्ष 1972 से काम करने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) दिल्ली अन्दमान निकोबार आइलैंड सेवा में तत्काल पदोन्नति के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) **और (ख) :** अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) से (ङ) श्रेणी III से श्रेणी II में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण 20 जुलाई, 1974 से लागू हुआ था । परन्तु अनुसूचित जाति के कुछ अधिकारी जुलाई, 1974 से पहले इस गलत पूर्वानुमान पर ग्रेड—I (कार्यकारी) में पदोन्नत कर दिए गए थे कि पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू है । जब इसका पता लगा तो भारत सरकार की ओर से एक अध्ययन दल नवम्बर, 1974 में दिल्ली प्रशासन में गया और सलाह दी कि इन अधिकारियों को एक नए रोस्टर पर रखा जाए । तदनुसार रोस्टर पायंटों के आधार पर

उनका नियमन किया गया है। अब तक किये गए नियमन में अनुसूचित जाति के आ अधिकारियों के बारे में जुलाई, 1974 से नवम्बर, 1975 तक की अवधि जाती है। अनुसूचित जाति के नौ अधिकारियों को अभी नियमित किया जाना है। 4 दिसम्बर 1980 को अधिसूचित दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमों के 5वें संशोधन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं और उन पर पारित स्थग आदेश को ध्यान में रखते हुए सामान्य श्रेणी के और अनुसूचित जाति के अधिकारियों क को नियमित करने की आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती।

विवरण

1.4.1970 से नियमित किए गए अधिकारियों की संख्या	कालम 1 में उल्लिखित अधिकारियों में से उनकी संख्या जिन्हें दानी सिविल सेवा में पदोन्नत किया गया	1.4.1970 से नियमित किए गए अधिकारियों की संख्या	कालम 3 से उल्लिखित अधिकारियों में से उनकी संख्या जिन्हें दानी सिविल सेवा में पदोन्नत किया गया।
1	2	3	4
सामान्य वर्ग 44	7	34	30
अनु० जाति 10	9	2	1
अनु० जनजाति	—	—	—
जोड़ 54	16	36	31

विक्रय संवर्द्धन से सम्बन्धित कर्मचारियों को भी कामगारों की श्रेणी में शामिल करना

3198. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन कामगा के लिए उनके काम के स्वरूप पर आधारित परिभाषा बनाने की वाँछनीयता के बारे में विभिन्न श्रमिक संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं जिससे कि विक्रय संवर्धन सम्बन्धी कर्मचारियों को उनके वेतन को ध्यान में रखे बिना कामगारों की श्रेणी में शामिल किय जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण

3199. **श्री नाथूराम शाक्यवार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से संविधान का उल्लघंन नहीं होता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यायमूर्ति श्री पाठक ने निर्णय पर सहमति देते समय, यह विचार व्यक्त किया कि केन्द्रीय सेवाओं में 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था तब तक की जाए जब तक कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियो के लिए आरक्षित कोटा सरकार द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच जाए; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्यालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) : न्यायमूर्ति श्री पाठक ने एक अलग निर्णय में यह माना है कि कुल में से आरक्षित कोटे के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत एक नियम है जो उचित तथा तर्कसंगत, न्यायोचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा इसके उल्लघंन से अनुच्छेद 335 का अतिक्रमण होगा । उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण की पुष्टि करते समय महाप्रबन्धक, दक्षिणी रेलवे बनाम रंगाचारी के मामले में अपने पहले के निर्णय का अनुसरण किया है । एक अलग निर्णय में, खण्ड पीठ के तीनों न्यायधीशों ने मत व्यक्त किया है कि आरक्षण (चालू तथा अग्रेनीत दोनों) कुल उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए । न्यायमूर्ति श्री पाठक ने आगे यह भी निर्णय दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने से अनुच्छेद, 335 का उल्लघंन होगा, जिसमें प्रशासन में कार्यकुशलता बनाए रखने की व्यवस्था है । उन्होंने यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह सीमा अपने पहले के निर्णय में निर्धारित की थी । चूंकि इन निर्णयों को रद्द नहीं किया गया है इसलिए ये निर्णय बन्धनकारी हैं ।

उड़ीसा में उद्योगों के विकास के लिए योजनाएं

3200. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कौन-सी योजनायें और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ;

(ख) राज्य के उद्योगपतियों के अतिरिक्त अन्य उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए अब तक क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा राज्य के उद्योगों के विकास के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) से (ग) एक विवरण संगग्न है ।

विवरण

उड़ीसा सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) अवधि में शामिल करने के लिए भेजी गई जानकारी के अनुसार बड़े तथा मध्यम उद्योगों के क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. राज्य औद्योगिक विकास निगम की योजनाएं/परियोजनाएं

चालू योजनाएं

1. कोर्णाक जूट मिल्स, ढ़ोंकानल (संयुक्त क्षेत्र)
2. सोडियम डाइक्रोमेट प्लांट, तलचर (संयुक्त क्षेत्र)
3. एक्स० एल० पी० ई० पावर केबल्स प्रोजेक्ट्स, बारी पाडा (संयुक्त क्षेत्र)
4. प्रोपोरजी मिल, हीराकुण्ड
5. हीरा सीमेंट वर्क्स (विस्तार) बारगढ़ ।
6. स्पन पाइप प्लांट, चौदवार
7. रिफ्रैक्टरी वर्क्स, चौदवार
8. मिनी सीमेंट प्लांट, किरिंगसेरा जिला सुन्दरगढ़ ।

नई योजनाएं

9. सोनपुर स्पिनिंग मिल्स ।
10. बायलर पाइप प्लांट, भुवनेश्वर ।
11. बालासोर साल्ट प्रोजेक्ट ।
12. थीरी स्पिनिंग मिल्स (पुरी, बोलनगीर, मयूरभंज)
13. टी० वी० ग्लास शेल प्रोजेक्ट ।
14. मैगनेटिक वीडियो टेप्स ।
15. स्पेशल मोटर्स ।
16. ई० एच० टी० इन्सुलेटर्स ।
17. माइका पेपर ।
18. फोर्ज शाप ।
19. स्पेशल इलेक्ट्राड्स ।
20. फोर्ज टूल्स (निर्यातोन्मुख)
21. पोलिएस्टर फाईबर प्लांट
22. एक्सप्लोसिवल प्लांट
23. फ़ेरो वनाडियम प्लांट

2. औद्योगिक संवर्धन तथा निवेश निगम की योजनाएं/परियोजनाएं संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम

चालू योजनाएं

1. रिफैक्टरी प्रोजेक्ट, ढ़ोंकानल ।
2. टूल रुप सुनवेडा
3. वाच असेम्बली प्रोजेक्ट खुर्दा ।
4. इलेक्ट्रीटाइलिक मैगनीज डाई-आक्साइड, कयोंझर ।
5. स्पंज आयरन प्रोजेक्ट, कयोंझर ।
6. ड्रग कम्पलेक्स, भुवनेश्वर ।

नई परियोजनाएं

7. एच० टी० फासनर्स, ढांकानल ।
8. कैल्शियम कार्बाइड, रायरंगपुर
9. कोर्णाक वुड प्रोडक्ट्स, कोरापूत ।
10. स्पन्ज आयरन (टिसको)
11. नाइट्रो ग्लिसरीन ।
12. कास्टिक क्लोराइड ।
13. हेक्साक्लोर साइकिल पेन्टा-ड्राइन ।
14. मेलिक एनिहाइड्राइड ।
15. सूगर/इण्डस्ट्रियल एलकोहल डेरिवेटिव्स ।
16. लो-टेम्पयेचर कोर्बोनाइजेशन प्लांट, तलचर ।
17. चाइना क्ले वाशरी एन्ड एच० टी० इन्सुलेटर्स ।
18. भारत स्टील कास्टिंग्स ।
19 सोडा ऐश एण्ड अमोनियम क्लोराइड
20. फाइबर ग्लास प्रोजेक्ट
21. फेरो निकल प्रोजेक्ट
22. कन्वेयर वैल्डिंग
23. इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग
24. पावर ट्रांसफार्मर्स
25. जूट ट्विन यूनिट

संयुक्त उद्यम (नई)

26. वनस्पति प्रोजेक्ट, बोलनगीर ।

27. सलफ्यूरिक एसिड प्लांट; कालमा ।

28. बाइसाइकिल प्रोजेक्ट (निर्यातोन्मुख)

सरकारी क्षेत्र (नई)

29. एच० पी० सिलेंडर प्रोजेक्ट

उड़ीसा राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के पास उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा अवस्थापना सम्बन्धी विकास निगम, फिल्म विकास निगम, कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स परियोजजाएं हैं तथा बिजली शुल्क पर बिजली राजसहायता एवं ऋण बिक्रीकर ऋण, निवेश राज सहायता, वसावधि ऋणों के लिए सीमान्त (मार्जिन) धनराशि आदि जैसी योजनाएं भी हैं ।

इनके अतिरिक्त, उड़ीसा राज्य में स्थापित किए जाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ प्रमुख औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई हैं :

1. राउरकेला स्टील प्लांट (सिलीकोन स्टील प्रोजेक्ट, हाट स्ट्रिप मिल का आधुनिकीकरण, एडीशनल नेप्था रिफार्मिंग प्लाँट, उर्वरक संयंत्र का विविधिकरण (फर्टिलाईजर प्लांट डाइवर्सीफिकेशन), सीमेंट प्लांट, इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, कैप्टिन पावर सयंत्र, कोक ओवन संयत्र आदि ।

2. नेशनल अल्युमिनियम कारपोरेशन-- उड़ीसा अल्युमिनियम काम्पलेक्स ।

3. हिन्दुस्तान जिंक लि० सरगीपल्ली लेन माइन्स ।

4. उड़ीसा सेंड काम्पलेक्स (इंडियन एयर ग्रयूस लिमिटेड)

5. हैवी वाटर प्रोजेक्ट (तल्चर)

6. भारत अल्युमिनियम कं० लि०--गंद्धमार्दन बाक्साइड माइन ।

7. भारतीय उर्वरक निगम--तलचर परियोजना ।

8. वित्तीय नया इस्पात संयंत्र

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। मैंने अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी है,

(व्यवधान)**

प्रो० दंडवते:

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने सभा के समक्ष स्वीकार किया था कि बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल एक गंभीर बात है। आज हड़ताल का दिन है. इसीलिए इस विषय पर आज बहुत से सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। हम चाहते हैं कि इसी विषय पर ही चर्चा की जाए। कृपया बताएं कि क्या आप इस विषय पर हमें चर्चा करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यदि मैं फिर से संतुष्ट हुआ, तो इस पर विचार करूंगा। मैं इसके लिए दो बार अनुमति दे चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह अविलम्बनीय विषय है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक तो नहीं.....(व्यवधान) यह उन्हीं पर निर्भर करता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। आज सभी बैंक बंद हैं। हमने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह स्थगन-प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसिर हाट) : सरकारी क्षेत्र के हजारों कर्मचारी बंगलौर के श्रमिकों के समर्थन में आज एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। आपके सुझाव के अनुसार, मैंने ध्यानाकर्षण सूचना दे दी है। आपने कहा था, "कृपया, एक और सूचना दें, मैं उस पर विचार करूंगा।"

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर से तथ्य एकत्र कर रहा हूं। यह अभी भी विचाराधीन है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मैंने आज ही यह सूचना दी थी। उसका क्या हुआ ? मुझे नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर अभी विचार किया जा रहा है। मैंने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री निरेन घोष (दमदम) : समस्या यह है कि सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सरकार को बयान देने के लिए निदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने यह स्वीकार किया था कि यह अविलम्बनीय विषय है, और सरकार को चाहिए कि वह सभा को यह बताएं कि इसके बारे में उसकी क्या राय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें स्वयं ही बताने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सरकार को बयान देने के लिए निदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार के सभी मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं किन्तु मैं सरकार को बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप निदेश तो दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (व्यवधान)** ये सारा क्या जायेगा ? (व्यवधान)...आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। ...(व्यवधान)...

(तत्पश्चात् प्रो० मधु दडवते और कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, वाक-आउट करने के पहले हम स्टेट-

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैन्ट देना चाहते हैं। आखिर कुछ लोगों ने हम को चुन कर भेजा है, अगर हम लोग सदन छोड़ने का फैसला करते हैं तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम स्टेटमेन्ट दे सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको मौका देंगे कि हम सदन छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए ···(व्यवधान)···क्या आप हमें यह भी कहने का अवसर नहीं देना चाहते ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सरकार आप के आश्वासन को भी नहीं मानती, यह कैसी सरकार है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : आप ने स्वयं गृह मंत्री जी से कहा था कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए। यह कहा गया था कि वहाँ पर फोर्स भेजेंगे—लेकिन फिर भी 300 घरों को जला दिया गया, पूरे-का-पूरा गांव फूंक दिया गया—वाराणसी के पास···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आप तो इतना भी नहीं मानते हैं कि मैं खड़ा हूं, फिर भी आप खड़े हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम आप की हर आज्ञा का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ एडजार्नमेन्ट मोशन देने से यह बात नहीं बन जाती है कि आप का बोलने का अधिकार बन जाता है मैं जानता हूं, वाजपेयी जी, आप भी जानते हैं. आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं, सही बात है, लेकिन उसके लिए मैंने एक दफा नहीं, दो दफा एलाउ किया है। यह भी कहा है—गवर्नमेन्ट के सारे मिनिस्टर्ज यहाँ बैठे हैं, आप की बात को सुन रहे हैं, जब उचित हो वे यहाँ अपना वक्तव्य दें···(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : **

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसे रिकार्ड नहीं किया जाए क्योंकि मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। श्री नाडार मैं आप की बात बड़े धैर्य से सुन सकता हूं। आप अत्तेजित नहीं हों। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तब मुझे ज्यादा परेशानी हो जाएगी। यही मैं कहता हूं। मुझे इसकी ज्यादा चिंता है। मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूं। जानकारी प्राप्त किए बिना मैं इस विषय पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकता। मुझे यह प्राप्त करनी ही चाहिए। मुझे अभी भी प्राप्त हो रहीं हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज ने भी कुछ जानकारी दी है। और मुझे इसके बारे में आश्वस्त हो जाने दीजिए कि क्या कोई उसमें ऐसा कोई नेक उद्देश्य निहित है या नहीं। संभव है कि वे समाचार-पत्रों के समाचारों तक ही सीमित हों।···

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : इसे केरल की विधान सभा में उठाया गया था।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यदि आप यही बता रहे हैं, तो मैं भी यही कहूंगा कि यह ऐसा मामला है, जिस पर राज्य सरकार को ही विचार करना चाहिए। और इस पर केरल विधान सभा में प्रश्न भी उठाया गया था श्री राजनाथ द्वारा प्रस्तुत मुद्दे पर भी यही बात लागू होती है।

अब मैं राजनाथ जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की असेम्बली का सत्र चल रहा है। आपको पता है, इसी हाऊस में मैंने डेकाएट्स के मामले में इजाजत दी थी, तब इसी हाऊस ने कहा था कि आप स्टेट सब्जैक्ट में इन्डल्ज मत कीजिए। इस वक्त अगर स्टेट असेम्बली न ही रही होती, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता.....

(व्यवधान)

जब मैंने कह दिया है, आप बैठिए; कृपया बैठ जाइए मैं जब इतने धैर्य से सुन रहा हूं, तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे है?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, वह तो बताइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही तो बताने जा रहा हूं। जरा मौका तो दीजिए। (व्यवधान) सरकार उनकी बात पर ध्यान दे रही है। मैं इसकी जानकारी पहले ही सरकार को दे चुका हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मंत्री को यह निदेश तो दे ही सकते हैं कि वे सभा के समक्ष बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री पर ही निर्भर करता है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हड़ताल बढ़ती जा रही है। आज बैंकों में भी हड़ताल है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। वे इस पर विचार कर रहे होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया हमारा मार्गदर्शन करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। अब सरकार को बोलने दें। (व्यवधान) मैं आप को दो बार अनुमति दे चुका हूं। (व्यवधान) मैं एक ही विषय पर रोज बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मेरी अनुमति के बिना यहां कुछ भी नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथा दासन नाडार : *

अध्यक्ष महोदय : यहां केवल वही होगा, जिसकी मैं अनुमति दूंगा। श्री नाडार

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने जो कहा है, उसमें से कुछ रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यदि आप अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे सरकारी क्षेत्र में काम ठप्प पड़ा है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : आप को चाहिए कि आप सरकार को बयान देने के लिए निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार की इच्छा पर है कि वह बयान दें या न दें।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : हरिजनों का जब सवाल आता है तो वह प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है क्योंकि संविधान में उनके बारे में दिया हुआ है। हरिजन सदन के बाहर मारे जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट सबजेक्ट है।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कुछ वैज्ञानिकों ने आत्महत्या कर ली हैं.....(व्यवधान) इस तरह की अनेक घटनाएं हमारे अनुसंधान संस्थानों में हमेशा ही होती रहती हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस सभा में हत्या के प्रत्येक मामलों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं ? जब कि हमारे देश की आबादी 6,700 लाख है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह राज्य सरकारों द्वारा विचार किए जाने का मामला है। इस स्थिति पर स्वयं राज्य सरकार ही विचार कर, कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

सभापटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों पर 1 अप्रैल 1979 से 30 सितम्बर 1979 तक की अवधि के लिए अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1979-80 के लिए नारियल जटा बोर्ड, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ऊटाकमंड, भारत पम्पस और कम्प्रैशर्स लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद, के वार्षिक प्रति-

वेदन तथा उन पर सरकार से समीक्षाएं बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता, और सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, सीमेंट नियंत्रण (उत्पादन विनियमन) आदेश 1981 तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा :—

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायो (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 87 (ङ) जो दिनांक 3 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 1980 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 862 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) कागज और कागज बोर्ड उपकर नियम, 1981 जो दिनांक 16 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 66 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए एल० टी० 2044/81)

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण और नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों पर 1 अप्रैल, 1979 से 30 सितम्बर, 1979 तक की अवधि के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2045/81)

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण और नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों पर वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(4) नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2046/81)

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

ऊटाकमंड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ऊटाकमंड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2047/81)

(ख) (एक) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी/इलाहाबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2048/81)

(ग) (एक) बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(6) उपर्युक्त 5 (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2049/81)

(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सीमेंट नियंत्रण (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 129 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2050/81)

(8) *राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2051/81)

* राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन 25 फरवरी, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था ।

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

ऊर्जा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनांक 17 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 66 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनाँक 23 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 112 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनांक 23 जनवरी, 1981 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 113 में प्रकाशित हुई थी।

(4) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनाँक 7 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 136 में प्रकाशित हुई थी।

(5) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनाँक 7 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 137 में प्रकाशित हुई थी।

(6) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनाँक 7 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 138 में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2052/81)

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय कुछ भी रिकार्ड न किया जाय।

व्यवधान

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारी बात सरकार से नहीं है, केवल आप से है। जब वाराणसी से चन्द्रावती और पुजारी कला के मामले को आप के कानों में हम लाएं, तो गृहमन्त्री जी को हमारे कहने पर तुरन्त फोन किया और इसकेबाद मन्त्री जी ने आश्वासन दिया और हमको बुलाया। आप के यहाँ से जाकर हमने

गृह मन्त्री जी के सामने सारे मामले को प्रस्तुत किया और इसके बाद हमारी आपसे बातचीत हुई और आपने कहा कि इन्तजाम हो रहा है। उसके बाद 8 आदमियों को मारा गया और 47 मकानों को फूंका गया। आप इस मामले में गृह मंत्री जी से कहें।..... व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आपके यहाँ असेम्बली का सेशन चल रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो हरिजनों का मामला है।

(व्यवधान)

महाराष्ट्र विज्ञान विकास संघ पुणे, के वर्ष 1979-80 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वार्षिक प्रतिवेदन, उन पर सरकार की समीक्षाएं तथा प्रतिवेदनों को सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण और वर्ष 1979-80 के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद, भारतीय यूरेनियम लिमिटेड, जादुगुड़ाखान, सिंहभूमि के वार्षिक प्रतिवेदन और उन पर सरकार की समीक्षायें।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) महाराष्ट्र विज्ञान विकास संघ पुणे के वर्ष 1979-80 के संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) (एक) महाराष्ट्र विज्ञान संघ पुणे के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (दो) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2053/81)

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (दो) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2054/81)

(3) (एक) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 1979-80 के

वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) (एक) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान देहरादून के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (दो) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2055/81)

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड हैदराबाद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्ष की टिप्पणियाँ । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2056/81)

(ख) (एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुड़ा खान सिंह भूम के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा,

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुड़ा खान सिंह भूम का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या—एल० टी०-2057/81)

शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1980 और राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 जनवरी, 1981 को भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 51 मेंक प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-2058/81]

(2) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-2059/81)

अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना में और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव सम्बन्धी विनियम

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 7 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 83 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 27 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 84 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 229 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 230 में प्रकाशित हुए थे । (ग्रंथालय में रखे गए । देखिएं संख्या एल० टी० 2060/81)

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों के रख-रखाव सम्बन्धी विनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4453/ विशेष सेल में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-2061/81)

केन्द्रीय कार्मिक शिक्षाबोर्ड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : मैं केन्द्रीय कार्मिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या 2062/81)

गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवाँ प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 17वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन

श्री आर० एल० भाटिया : मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ भी दर्ज नहीं किया जाएगा ।

(तत्पश्चात श्री हरिकेश बहादुर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारी की सारी आप की बात सुनी और इस पर 4 घण्टे डिस्कशन भी चलवाया और उसके बाद आप यह दोष लगाते हैं···

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हरियाणा और देश के अन्य भागों में बिजली की भारी कमी तथा बिजली की दरों में वृद्धि

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के

निम्नलिखित विषय की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें -

'हरियाणा और देश के अन्य भागों में बिजली की भारी कमी और बिजली की दरों में वृद्धि, जिसके कारण किसानों में रोष व्याप्त है और फसलों को नुकसान हो रहा है तथा उत्पादन कम हुआ है, का समाचार ।"

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : (व्यवधान)**

(तब श्री आर० एन० राकेश सदन से उठ कर चले गए ।)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : (व्यवधान)**

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री सदन से उठ कर चले गए ।)

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : देश के कुछ राज्यों में विद्युत की कमी के बारे में माननीय सदस्यों ने जो उद्विग्नता व्यक्त की है वैसी ही उद्विग्नता मुझे भी है । पिछले वर्ष के शुरू में जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था तब अधिकांश राज्य विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे, जिसका प्रभाव उद्योग और कृषि पर पड़ रहा था । यह कमी हमें जनता शासन से विरासत में मिली थी । देश में ताप विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन, जो वर्ष 1976-77 में 56 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया था, धीरे-धीरे कम होकर 1979-80 में लगभग 45 प्रतिशत रह गया था । वर्ष 1979 के सूखे का प्रभाव भी 1980 के शुरू में जल विद्युत की उपलब्धता पर पड़ा क्योंकि जलाशयों के स्तर कम हो गए थे ।

2. विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घ-कालिक उपाय शुरू किए गए थे । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1980 से देश में विद्युत की उपलब्धता में लगातार सुधार हुआ है । हाल ही के महीनों में बहुत ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है । उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में समग्र विद्युत उत्पादन में नवम्बर, 1980 में लगभग 20 प्रतिशत की, दिसम्बर, 1980 में 16 प्रतिशत की, जनवरी, 1981 में 10 प्रतिशत की तथा फरवरी, 1981 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है । ताप विद्युत उत्पादन में, जो काफी हद तक मानवीय प्रयास पर निर्भर करता है, और भी अधिक वृद्धि हुई है । उपरोक्त आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि 21.7 प्रतिशत, 22.3 प्रतिशत, 14.5 प्रतिशत तथा 12.8 प्रतिशत हैं । आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दिसम्बर, 1979 के दौरान 23 प्रतिशत की कमी की तुलना में दिसम्बर, 1980 के दौरान विद्युत की कमी लगभग 11 प्रतिशत ही थी । इसी प्रकार

**कार्यवाही वृतान्त से सम्मिलित नहीं किया गया ।

जनवरी, 1980 के दौरान 21 प्रतिशत की कमी की तुलना में जनवरी, 1981 के दौरान विद्युत की कमी लगभग 14 प्रतिशत थी।

3. सुधार और वृद्धि की यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। किन्तु, इसके बावजूद हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं। राज्यों तथा राज्य बिजली बोर्डों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। ये राज्य और बोर्ड विद्युत उत्पादन के लिए सीधे ही उत्तरदायी हैं। विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के लिए हमने राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं। चालू वर्ष के दौरान मैंने राज्यों के विद्युत मन्त्रियों के दो अखिल भारतीय सम्मेलन तथा चार क्षेत्रीय सम्मेलन भी बुलाए हैं। इन सम्मलनों में जो विचार-विमर्श हुआ था उसका लक्ष्य यही था कि विद्युत की उपलब्धता तथा विद्युत की आवश्यकता के बीच जो अन्तर है उसको कम करने के लिए क्षमता समुपयोजन को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए जाएं।

4. जहां तक टैरिफ का सम्बन्ध है, सदन को यह मालूम है कि यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रत्येक राज्य यह प्रयास कर रहा है कि विद्युत उद्योग के विस्तार के लिए वह साधन जुटाए। तथापि, अखिल भारतीय ढांचा यह है कि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की तुलना में तथा विद्युत सप्लाई की लागत की तुलना में कृषि क्षेत्र को रियायती टैरिफ का लाभ मिल रहा है। जहाँ तक हरियाणा में कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, हरियाणा ने कृषि टैरिफ की दरें 1 जनवरी, 1981 से बढ़ाई थीं परन्तु उन्होंने कृषि टैरिफ घटाकर अब पहले स्तर पर ही कर दी है। अन्य टैरिफों में वृद्धि राज्य प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की बात है। केन्द्रीय मन्त्री होने के नाते मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। अपनी ओर से हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन कम से कम छः से आठ घंटे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करें। कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई की मानीटरिंग करने तथा यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में राज्य हमारे अनुरोध का पालन कर रहे हैं हमने ग्राम विद्युतीकरण, निगम के विशिष्ट दल भी नियुक्त किए हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। इस मामले पर विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलनों में भी विचार-विमर्श किया गया था और हमने यह पाया था कि स्थिति संतोषजनक है।

श्री रामविलास पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने सब जगह स्थिति पर सन्तोष जाहिर किया है और प्रसन्नता व्यक्त की है। मैं देख रहा हूं कि आजकल सरकार के पास हर मर्ज की एक ही दवा है कि विगत सरकार से जो हमें विरासत में मिला है उसका ही यह नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इकानामिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, इसमें आप देखें कि किस-किस वर्ष में

कितना बिजली का उत्पादन हुआ है। 1960-61 में 1693 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, 1975-76 में आप उत्पादन करते थे 7923 मेगावाट और 1979-80 में हम लोगों के शासन काल में उत्पादन हुआ 10471 मेगावाट। यह इकानामिक सर्वे है।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैं एक बात माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने वर्ष लगते हैं। जो योजनाएं हमने शुरू कीं वे आपके समय में कम्पलीट हो गईं, इस वजह से उत्पादन बढ़ा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे अब भी अगर अपने जवाब में यह कह दें कि हम खेती को प्राथमिकता देने जा रहे हैं तब भी हमको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय सहमत नहीं होंगे। मन्त्री महोदय ने जो अपने जवाब में कहा है कि यह स्थिति हमको विरासत में मिली है, यह बेबुनियाद और असत्य है। मन्त्री महोदय ने हमेशा की भांति अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस प्रकार का जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि हमने अपनी ओर से राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे कृषि के लिए प्रतिदिन 6 से 8 घंटे बिजली सप्लाई करें, लेकिन मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इन्डस्ट्रीज को प्रतिदिन कितनी बिजली देने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। (व्यवधान)

मन्त्री महोदय ने कहा है कि किसानों को अधिक से अधिक 5-6 घंटे बिजली दी जाए, यह जवाब में कहा गया है, लेकिन उद्योगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें मुख्यतः तीन प्रश्न थे। पहला बिजली के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में और तीसरा बिजली के रेट्स के सम्बन्ध में और चौथा आज जो किसान की तबाही हो रही है और जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके सम्बन्ध में। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं एक जगह गए थे, उन्हें प्रेम-पूर्वक ले जाया गया था, उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी है कि आज गाँवों में कर्मचारियों को किसानों ने घेरा हुआ है। इसका नतीजा यह है कि लहारो गांव में किसानों पर गोली चली और फरटिया गाँव में हुकमसिंह नामक किसान मारा गया। इसी प्रकार गाँव फाड़ा, थाना घरौंडा, जिला करनाल के टेकचन्द को बिजली मांगने के आरोप में मार दिया गया। वहाँ पर सी०पी०एम० और सी०पी०आई० के लोग और अन्य लोग जाकर देख आए हैं। इस तरह से बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, गाँवों में एक कहावत है कि यदि कोई आदमी किसी की फसल बरबाद कर दे तो उसको फाटक में बन्द कर देते हैं। देहात में अब भी कहते हैं कि कोई जानवर किसी की फसल बरबाद कर देता है तो उसे फाटक में बन्द कर दो। जो सरकार करोड़ों एकड़ किसानों की फसल बरबाद करती है उसे फाटक में बन्द करना चाहिए या नहीं ? आप

चेयर पर हैं, आप रुलिंग दें। क्या यह किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं है? ऐसी सरकार को फाटक में बन्द किया जाए या नहीं?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम सब जगह कह रहे हैं कि जो सरकार इस तरीके से काम करे, जो किसानों के खेत में पानी न दे, किसानों को बिजली न दे, बिजली की चोरी करवाए, बड़े-बड़े पूंजीपतियों से, बड़े-बड़े लोगों से मिलकर उनकी जरूरतों को पूरा करे, कारखानों की जरूरतों को पूरा करे उस सरकार के रहते गांव का पैसा गाँव में ही रहना चाहिए, गाँव की बिजली गांव में ही रहनी चाहिए, जो कर्मचारी वहाँ काम करने आता है उस कर्मचारी को फाटक में बन्द करो। ऐसा किया जाएगा तब कुछ होगा।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक 1960-61 में कुल बिजली उत्पादन की क्षमता 46·3 मेगावाट थी और उत्पादन हुआ कुल 1693 मेगावाट। 1979-80 में इन्स्टाल्ड कैपेसेटी 28468 मेगावाट थी और उत्पादन हुआ केवल 10471 मैगावाट का। पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना और अभी 1980-81 में आपने जो लक्ष्य रखे थे क्या वे कभी प्राप्त हुए? अगर नहीं हुए तो क्या मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया है कि इतने ऊंचे लक्ष्य रखने का आडम्बर नहीं किया जाना चाहिए, ढपोर संखिए की तरह बड़ी-बड़ी बातें नहीं की जानी चाहिए और उतना ही टारगेट रखा जाना चाहिए जितने की प्राप्ति हो सकती हो?

आप प्राइवेट सैक्टर को देखें। उसमें 85 परसेंट तक प्रोडक्शन होता है लेकिन पब्लिक सैक्टर जिसकी आप हमेशा वकालत करते रहते हैं और जितने भी हैं और जिनके बारे में आप कहते हैं कि उनके सामने ये-ये डिफिकल्टीज हैं क्या उनमें से किसी ने भी 85 प्रतिशत तक का प्रोडक्शन किया है और क्या जो डिफिकल्टीज पब्लिक सैक्टर के सामने हैं वे प्राइवेट सैक्टर के सामने नहीं होती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्यों की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है?

किसानों के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है। उनको बिजली कितनी मिलनी है? आपका यह 1979-80 का लेटेस्ट सर्वे है। इसके मुताबिक कृषि क्षेत्र को केवल 16.9 प्रतिशत बिजली मिलती है जबकि औद्योगिक घरानों को 59.7 प्रतिशत। इतना बड़ा अंतर क्यों? हम चाहेंगे कि गाँवों के किसानों को प्राथमिकता दी जाए, वह अपने खेत में पैदावार बढ़ाएगा तो उससे देश खुशहाल होगा और देश का औद्योगिकरण आटोमैटिकली होता चला जाएगा। लेकिन आप तो किसान के खेत में पानी नहीं देते हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं करते हैं। गांव में किसान को कितने घंटे बिजली मिलती है? बिहार में उत्तर प्रदेश में तथा दूसरी जगहों पर किसानों को कितने घंटे बिजली मिलती है। एक दिन की बात आप छोड़ दें। महीने का यदि आप हिसाब लगाएं तो कहीं 28 घंटे, कहीं 32 घंटे ही

मिलती है। मैं जहाँ से आता हूं वहां केले की फसल होती है। बिजली के अभाव के कारण केले की फसल वहाँ चौपट हो जाती है, बरबाद हो जाती है। हमारे यहाँ किसान को महीना में 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। बड़े बड़े उद्योगपति एयर कंडीशंड कमरों में रहते हैं और चौबीसों घन्टे चलते रहते हैं, चौबीस घंटे इनके वास्ते बिजली दी जाती है। एक तरफ आप किसान की हत्या करते हैं और दूसरी तरफ उस गरीब के गांव को बिजली.....

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : यह कहां का किस्सा है। थाने में पुलिस ने हत्या की है।

श्री रामविलास पासवान : आप देहात में जाइए वहाँ बिजली के खम्भे हैं, लाइन है लेकिन कोई देखने वाला नहीं। एक बार एक्सीडेंट हो गया, बिजली की लाइन गिर गई उसको उठाने वाला कोई नहीं। और नतीजा यह हुआ कि तार को छूकर कई आदमी मर गए। आपने एक बिजली योजना चलाई है कि गरीबों, हरिजनों की बस्ती में बिजली जायगी। लेकिन कहीं बिजली नहीं है। फिर खम्भे खड़े करने का खर्चा क्यों किया ?

आपने अपनी इकोनामिक सर्वे में दिखाया है कि 60 परसेंट बिजली आप उद्योगों को दे रहे हैं और 16 परसेंट बिजली कृषि को दे रहे हैं। तो इस असमानता को आप खत्म करेंगे कि नहीं ? बिजली खराब होने के कारण अस्पताल में मरीज मर जाते हैं। डाक्टरों का कहना है कि रात में आपरेशन करते हैं लेकिन एकाएक बिजली गायब हो जाती है और रोगी मर जाता है। बिजली के अभाव में सीमेंट फैक्ट्रीज बन्द हैं जो प्रगति का प्रतीक है। खेत की हालत आपको भी बताई। इसका मन्त्री जी के पास कोई जवाब है ? मैं जानता हूं कि इनके पास बना बनाया जवाब होगा जिसे पढ़ देंगे। आप यह जवाब दें तो इस बात की हार्दिक कोशिश करें कि आप की दृष्टि क्या है यह बताएं। क्या आपको गांवों के गरीबों के लिए दर्द है कि नहीं जिनको करोड़ों रु० खर्च करके आपने यहाँ किसान रैली में बुलाया था। वह जो आंसू लेकर गए हैं उनको पूरा करें। आप बताएं कि उस किसान के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं कि नहीं ?

मेरा सवाल है कि क्या आप कृषि को प्राथमिकता देंगे ? और पहली प्रायरिटी कृषि के बाद जो बिजली आपके पास बचेगी उसका उपयोग उद्योगों के लिए करेंगे। क्या ऐसा आप करने को तैयार हैं ?

दूसरे जो आपने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था उसके मुताबिक अभी तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, उसका क्या कारण है ? और भविष्य में इसके निदान के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

हिन्दुस्तान में जो सबसे सस्ती बिजली हो सकती है वह पन बिजली है। उसके उत्पादन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? और किसान के जो खेत सूख रहे हैं

जिसके लिए मैंने कहा कि सरकार को फाटक में बन्द कर देना चाहिए, उस किसान को बिजली मिले इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। यदि आप उसको बिजली नहीं दे सकते तो क्या किसान को सस्ती दर पर डीजल और पैट्रोल मुहैया करायेंगे जिससे वह अपनी खेती कर सके ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने देश में बिजली की कमी पूरी कर दी है। हम सिर्फ यही कह रहे है कि इससे काफी हद तक सुधार हुआ है और इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप सच्चाई को नकार रहे हैं।

देश में बिजली की कमी की वर्तमान स्थिति न तो बहुत अधिक है न ही अभूतपूर्व 1 दिसम्बर, 1979 में बिजली की कमी 23 प्रतिशत थी जबकि दिसम्बर, 1980 में यह केवल 11.1 प्रतिशत थी···

श्री रामविलास पासवान : इसकी माँग क्या थी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह आकड़े हमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त हुए हैं और, हमें यकीन हैं कि यह सही है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आँकड़े कहां से प्राप्त किए हैं।

श्री रामविलास पासवान : यह आँकड़े 'दि इकानामिक सर्वे' के हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जनवरी 1980 में बिजली की एक कमी 21 प्रतिशत थी जबकि जनवरी, 1981 में यह लगभग 14 प्रतिशत। पिछले वर्ष के मुकाबले, देश में बिजली के उत्पादन में दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981 के दौरान 16 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विद्युत के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस समाचार से तो आपको काफी धक्का लगा होगा। क्योंकि यह काँग्रेस सरकार की उपलब्धि है।

उन्होंने किसानों को बिजली सप्लाई करने के बारे में कुछ कहा था। हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरणों और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि का एक अध्ययन दल नियुक्त कर दिया है। बिजली का वितरण हम नहीं करते। यह कार्य राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों का है। यदि हम उनसे कुछ कहें तो यह दोष दिया जाएगा कि हम राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। (**व्यवधान**) उन्हें मनमुताबिक यह काम करने दीजिए। तब छः महीनों के बाद मैं आपको इसके परिणाम और स्थिति बता दूँगा।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका तो कोई

जवाब दिया नहीं, मन्त्री महोदय खाली भाषण देकर निकल गए हैं।

मैंने प्रश्न किया था बिजली की कितनी आवश्यकता है, कितना उत्पादन का लक्ष्य है और जो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है, उसके क्या कारण है ? पन-बिजली के लिए क्या कर रहे हैं और डीजल के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे किसी भी प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया है।

श्री विक्रम महाजन : जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हमने मेन जवाब में बड़ी तफसील से बताया कि उनको हम कन्सैशनल रेट पर बिजली देते हैं और वह कास्ट आफ जैनरेशन से भी कई स्टेट्स में कम हैं। गुजरात सरकार ने, जब से वहाँ नई सरकार बनी है, उसने वहाँ एग्रीकल्चर के लिए बिजली का रेट भी कम कर दिया है और वह जो जनता सरकार के वक्त रेट था, उससे भी कम कर दिया है।

जहां तक एग्रीकल्चर सैक्टर का ताल्लुक है, जो नया तरीका हमने निकाला है, वह यह है कि कम-से-कम 6, 8 घंटे किसान को बिजली दी जाए। उसका नतीजा यह होने जा रहा है कि इस वर्ष भारतवर्ष में काफी अनाज पैदा होगा जितना आज तक नहीं हुआ, रिकार्ड ब्रेक होगा। (व्यवधान) अपने किसान भाइयों को जो बिजली हमने दी है, उसकी वजह से जो नई सरकार ने नए तरीके निकाले हैं···

श्री रामविलास पासवान : अभी कितनी बिजली मिल रही है ?

श्री विक्रम महाजन : हर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दी हैं, उन्होने कहा है कि हम दे रहे हैं। जहां तक किसान का ताल्लुक है, यह सरकार और बिजली का महकमा टाप-प्रायर्टी किसानों को दे रहा है, जिसकी वजह से रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। जैसा कि आपने देख लिया कि कितने किसान हमारे साथ हैं, जब हमने यहां किसान रैली की थी।

जहां तक जैनरेशन का ताल्लुक है, अभी वजीर साहब ने बता दिया कि कितनी पावर इन्क्रीज हुई है। जहाँ तक हरयाणा का ताल्लुक है, वहाँ कुछ कमी थी, वहां कुछ झगड़ा था पावर इंजीनियर्स का और सरकार का, लेकिन जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, हरयाणा में भी इम्प्रूवमैंट हुई है, फिगर्स हमने दे दी हैं।

हरयाणा में दिसम्बर 79 में 27 परसेंट शार्टेज थी और दिसम्बर 80 में 12 परसेंट रह गई। इसी प्रकार जनवरी 80 में 50.3 परसेंट थी जो कि जनवरी, 81 में 29.2 परसेंट रह गई। यह फिगर्स इसलिए दिए हैं यह बताने के लिए कि मुल्क में हर स्टेट में बिजली की इम्प्रूवमैंट हुई है।

उत्तर प्रदेश में दिसम्बर 79 में 46 परसेंट शार्टेज थी और दिसम्बर 80 में 21 परसेंट रह गई। इतना फर्क पड़ा। जनवरी 80 में 33 परसेंट थी, जो कि 81 में 20 परसेंट रह गई।

इस तरह से सारे स्टेट्स की तफसील मेरे पास है । बिहार में ऐसी स्थिति है जहाँ पर कुछ कह ही यहीं सकते । वैस्ट बंगाल में भी इसी तरह की कुछ बात है । पावर शार्टेज की वजह यह है कि जितना जरूरत है, उतनी कैपेसिटी नहीं है । पिछले तीन चार सालों में नई कैपेसिटी इनस्टाल करने की कोशिश नहीं की गई । कई प्रोजेक्ट्स के शिड्यूल तीन चार साल स्लिप कर गए हैं । इसलिए मुल्क में उतनी कैपेसिटी नहीं लग सकी, जितनी चाहिए थी । इसका सेहरा भी इन लोगों के सिर पर है । मुल्क में कुछ पार्टस में बारिश कम होने से रेजरवायर्ज में पानी का लैवल कम हो गया । वजीर साहब ने बताया है कि एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए पावर सप्लाई को मानिटर करने के लिए स्पेशल टीम्ज भेजी गई हैं और चालू प्रोजेक्ट्स को वक्त पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुल्क पर में इम्प्रूवमेंट हो गई है और हो रही है ।

श्री मनोहर लाल सैनी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इस बारे में उन्होंने फीगर्ज भी दिए हैं । लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है । तो फिर बिजली कहां जा रही है ? मंत्री महोदय ने किसान रैली का भी जिक्र किया है । किसान रैली में जो लोग आए थे, वे किसान नहीं थे और जो किसान थे, वे बिजली मांग रहे थे । लोहारू में बिजली की माँग करने वाले पंद्रह हजार किसानों पर गोली चलाई गई, जिससे दो आदमी मारे गए , सैकड़ों घायल हुए और सैकड़ों गिरफ्तारियाँ की गईं । उन लोगों को बिजली नहीं मिल रही है ।

इंडियन एक्सप्रैस में छपा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ एम० एल० ए० ने चार्ज लगाया है और इस बारे में प्रधानमन्त्री को ज्ञापन दिया है, कि हरियाणा के एक मन्त्री ने साढ़े सात लाख रुपया लेकर बिजली का खराब एक्विपमेंट खरीदा है, जिससे बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है ।

मन्त्री महोदय ने सारे हिन्दुस्तान के फिगर्ज देकर बताया है कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है और कहा है कि हरियाणा में भी बढ़ा है । लेकिन वह कहाँ जा रहा है ? जब जनतापार्टी का राज्य था और चौ० देवीलाल मुख्य मन्त्री थे, तो कृषि सैक्टर को 22 घंटे बिजली मिलती थी । आज मन्त्री महोदय सारे मुल्क में छः घटे बिजली देने की बात करते हैं । हरियाणा में किसानों को तीन घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है । परसो, 9 मार्च को, श्री रामावतार शास्त्री और दो एम० पी० वहां गए और उन्होंने देखा कि बिजली की माँग करने वाले किसानों पर लाठी-चार्ज हुआ और उन्हें मार-मार कर जेल में बंद कर दिया । एक किसान, टेकचंद, को जान से मार कर सड़क पर डाल दिया गया ।

किसान रैली के समय हरियाणा के मुख्य मन्त्री फरीदाबाद गए और उन्होंने फैक्टरी वालों से कहा कि अगर वे किसान रैली के लिए आदमी भेजें, तो मैं किसानों की बिजली काट कर तुम्हें दूंगा । इसके मुताबिक किसानों की बिजली काट कर फैक्टरियों

को दी गई। मंत्री महोदय साफ बतायें कि हरियाणा में कितनी बिजली फार्मिन्ग सैक्टर को एक्चुअली दी जा रही है; अगर नहीं दी जा रही है, तो क्यों नहीं दी जा रही है।

कनजम्प्शन की एक मिनिसम लिमिट रखी गई है, जिसका मतलब यह है कि किसान को इतनी बिजली की खपत करनी पड़ेगी, और अगर वह नहीं करेगा, तो उसे चार्जिज देने पड़ेगे। किसानों से वे चार्जिज वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल रही है और उनकी फसलें सूख रही हैं। क्या सरकार इलैक्ट्रिकसिटी एक्ट में यह एमेंडमेंट करेगी कि अगर बिजली न मिलने से किसान की फसल सूख जाए, तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा ? क्या मन्त्री महोदय हरियाणा में फार्मिंग सैक्टर को पूरी बिजली दिलवायेंगे ? बिजली की माँग को लेकर किसानों का जो आन्दोलन चल रहा है, रिप्रेशन के द्वारा उसको दबाने के बजाए क्या सरकार उन्हें बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि हरियाणा के फरीदाबाद और पानीपत दोनों संयंत्रों में क्षमता के कम उपयोग की समस्या है। संयंत्र का औसत भार वहन जो कि दिसम्बर, 1980 में 43 प्रतिशत था, फरवरी, 1981 के अन्त में तकनीकी और स्थानीय समस्याओं के कारण घट कर 29 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार समस्या से वाकिफ है तथा राज्य बिजली बोर्ड तापीय एककों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

इन दो महीनों में काम का ठीक प्रकार से निष्पादन न होने के बावजूद हरियाणा में अप्रैल, 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि में बिजली का उत्पादन, वर्ष 1979-80 की इसी अवधि की अपेक्षा दुगने से भी ज्यादा रहा है। सर्दी के महीनों में उत्तर क्षेत्र के राज्यों में रबी की फसल की आवश्यकता के कारण विशेष तौर से बिजली की माँग ज्यादा हुई थी। श्रीमन, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि कल मैं उत्तर क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन करने जा रहा है जिसमें मैं सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को भी आमंत्रित करूँगा। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि कृषकों तथा कृषि क्षेत्र के लिए जो कुछ भी किया जाना आवश्यक है वह निश्चित रूप से किया जाएगा।

श्री मनोहर लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि हरियाणा में फार्मिंग सेक्टर को कितनी बिजली दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने आपके प्रश्नों का पहले ही जवाब दे दिया है।

श्री मनोहरलाल सैनी : श्रीमन, उन्होंने फार्मिंग सैक्टर के बारे में नहीं कहा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : फार्मिंग क्षेत्र के बारे में हमने सभी राज्य विद्युत बोर्डों को पहले ही निदेश दे दिए हैं और हम इन निदेशों के बारे में भी अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं कि इन निदेशों का पालन किया गया है या नहीं । मैं माननीय सदस्य को ज्यादा से ज्यादा यह आश्वासन दे सकता हूं कि कल हम इसके लिए एक सम्मेलन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ौदा) : श्रीमन, वर्तमान प्रभावशाली सरकार के होने तथा विकसित जल सप्लाई होने पर हमें अपने कार्य निष्पादन की तुलना पिछली सरकार के कार्य-निष्पादन से क्यों करनी चाहिए । उनका कार्य निष्पादन संदेहास्पद साबित हुआ है । सम्पूर्ण राष्ट्र को उनके कार्य निष्पादन का पता है । मेरा विचार है कि वर्तमान सरकार को इन सब बातों से अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए तथा उसे हर विभाग विशेषतौर से ऊर्जा विभाग में कार्यकुशलता लाने का प्रयास करना चाहिए । दो बुद्धिमान युवा मन्त्री निश्चय ही ऊर्जा की कार्यकुशल में सुधार कर सकते हैं तथा विभिन्न राज्यों को ऊर्जा की सप्लाई कर सकते हैं । मेरे कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैं मन्त्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गुजरात राज्य में पानी की सप्लाई पर्याप्त है । लेकिन जहां पानी की सप्लाई ठीक समय पर नहीं की जाती है । अच्छी खेती के लिए समय पर पानी की सप्लाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है । मेरा विचार है कि एक बहुत बड़ा भाग जिस पर खेती की जाती है, समय पर पानी की सप्लाई न होने से सूखा रह जाता है ।

एक दूसरा मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह विभिन्न उद्योगों को बिजली की अवरुद्धित सप्लाई के बारे में है । रुक-रुक कर बिजली की सप्लाई करने के बारे में कोई निर्धारित तरीका नहीं है । अब केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को रुक-रुक कर बिजली की सप्लाई की नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कौन से निदेश दिए है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न उद्योगों को बिजली सप्लाई करने से सम्बन्धित रुक-रुक कर बिजली सप्लाई करने की नीति के प्रश्न पर विचार करने से पहले क्या इन सभी मुद्दों पर विचार पर विचार कर लिया गया है । एक और मुद्दा यह है कि बिजली को परिक्षण हानि 40 प्रतिशत है ।

यह प्रतिशत मात्रा बहुत ज्यादा है । संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में परिक्षण हानि लगभग 20 प्रतिशत है । 40 प्रतिशत परिक्षण हानि अत्यधिक है । मंत्रालय को इस मामले की जांच करनी चाहिए तथा उसे इस सम्बन्ध में तत्काल इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे परीक्षण हानि कम हो सके ।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वित्तीय सहायता तथा कार्यकुशलता में सुधार करके इन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री ए० बी० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि गुजरात में आजकल बिजली की कमी केवल 16.4 प्रतिशत है। गुजरात विद्युत बोर्ड का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा तथा सर्वोत्तम है। केवल यह समस्या रही है कि हम समय-समय पर गुजरात सरकार को कोयला देने में असमर्थ रहें हैं। तथा मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि यदि हम किसी भी तरह गुजरात सरकार को आज की भाँति कोयला सप्लाई करने में सफल होते हैं तो कार्य निष्पादन में सुधार होगा। तथा सभी राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार की काफी गुंजाइश है तथा इससे क्षमता का उपयोग बढ़ेगा। यदि इसमें बढ़ोतरी होती है तो मेरा विचार है कि हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने में सफल हो सकेंगे। लेकिन आजकल जिसकी आवश्यकता है दुर्भाग्यवश वह सभी नहीं किया गया है। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन सत्य यही है।

हमने वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में भी राज्य विद्युत बोर्डों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं भेजे हैं। लेकिन हमें प्रधानमन्त्री महोदय ने कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र की ठीक प्रकार से देखभाल करने के निदेश दिए हैं। तदनुसार हमने सभी राज्य विद्युत बोर्डों को निदेश दिये हैं कि वे कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को अत्यधिक महत्व दें।

रुक-रुक कर वितरण करना जब तक राज्य विद्युत बोर्डों का अपना आंतरिक मामला है और आमतौर पर हम ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई स्पष्ट शिकायत प्राप्त नहीं होती। जब हमारे पास कोई स्पष्ट शिकायत आती है, तो हम राज्य सरकार से मिलकर इस सम्बन्ध में कोई फार्मूला बनाने का प्रयास करने अन्यथा आमतौर पर हम इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नही करते हैं।

जहां तक परिक्षण हानियों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं और हम मौजूदा स्थिति से खुश नहीं हैं, लेकिन हम 400 कि० वा० के राष्ट्रीय ग्रेड बना सकते हैं जो हम सोच रहे हैं तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि परिक्षण हानियाँ को सीमित किया जाएगा ;

श्री जैनुल बशर : (गाजीपुर) मैंने माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ लिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसके बारे में कोई सन्तोषजनक परिणाम नही मिल रहे हैं। मंत्री महोदय ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में उचित निदेश दिए हैं और उन्होंने भविष्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ अच्छे कार्यक्रम तथा योजनाएं भी बनायी हैं। लेकिन आजकल सभी राज्यों में स्थिति बहुत ही खतरनाक है। विशेषतौर से हरियाणा के के बारे में उल्लेख किया गया था। मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हूं। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बहुत ही गम्भीर है। विद्युत प्राधिकारियों तथा माननीय राज्य मन्त्री महोदय ने हमें यह बताया है कि प्रत्येक राज्य में लगभग छः घंटे ही बिजली दी जाती है। लेकिन यह सच नहीं है। श्रीमन, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 2 से 3 घंटे तक ही बिजली दी जाती है।

बिहार, राजस्थान, हरियाणा में भी बिजली दो से तीन घटे तक दी जाती है और वह भी केवल रात के समय में। इस सर्दी के मौसम में आप रात के अन्धकार में घरों से बाहर निकलने वाले किसानों का अन्दाज लगा सकते हैं वे क्या करेंगे ?

राजस्थान अकाल की चपेट में है। मुझे यह बताया गया था कि वहां केवल 50 प्रतिशत बिजली दी जा रही थी। राजस्थान की बिजली की सामान्य खपत 160 लाख मैगावाट है लेकिन आजकल उन्हें केवल 80 लाख मैगावाट बिजली ही दी गई है।

एक माननीय सदस्य : लाख नहीं।

श्री जैनुल बशर : 80 लाख यूनिट प्रतिदिन। जबकि उनकी आवश्यकता 160 लाख यूनिट की है। राजस्थान की सामान्य आवश्यकता का केवल 50 प्रतिशत ही पूरा किया जा रहा है जिससे परिणाम स्वरूप राजस्थान भीषण अकाल की चपेट में आ गया है। जिसके सम्बन्ध में सभा में अगस्त के सत्र में उल्लेख किया गया हैं।

यह हमारा सौभाग्य है कि श्रीमन् ईश्वर की कृपा से हमारी फसल अच्छी है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा अन्य राज्यों में अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ फसल बिजली की कमी के कारण खराब होने वाली है। बिजली के बिना सिंचाई सम्भव नहीं है। यदि आप इतने राज्यों में अभी इसी हफ्ते में किसानों को बिजली का इंतजाम नहीं करते हैं, तो इन राज्यों में 20 से 25 प्रतिशत तक फसल खराब हो जाने का खतरा है। हम यह कह रहे हैं कि फसल अच्छी होने की आशा है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि इस वर्ष हमारी फसल अच्छी है। लेकिन आपने इस सप्ताह के अन्दर बिजली नहीं देते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि भारी मात्रा में फसल नष्ट हो जायेगा।

श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। मुझे माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि वह उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुला रहे हैं। क्या वह उन्हें इस सम्बन्ध में अनुदेश देने जा रहे हैं तथा उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं। और यदि वे इस सम्बन्ध में असमर्थ हैं वह इस सम्बन्ध में क्या करेंगे ? उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे। उनके पास किसानों को देने के लिए बिजली नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के लिए क्या करेंगे। इसी तरह राजस्थान के मुख्य मंत्री अपनी असमर्थता की वकालत करेंगे। हरियाणा के मुख्य मंत्री भी अपनी असमर्थता दिखायेंगे। जब राज्य सरकारें बिजली देने में अपनी असमर्थता दिखाती हैं तो माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या करेंगे ? केन्द्रीय सरकार क्या करेगी और वह किस तरीके से राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

श्रीमन् मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हम कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्र में बिना समुचित

बिजली के प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमारे विकास के लिए बिजली का बहुत महत्त्व है और जब इसका पता लगे इसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी बहुत सी पन बिजली परियोजनाएं हैं जिनका अन्तर्राज्यीय झगड़ों के कारण को उपयोग नहीं किया जा रहा है। ७ गड़ा पन बिजली के उपयोग के सम्बन्ध में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शक्ति मदहोशी भी देगी।

श्री जैनुल बशर : पन बिजली की उत्पादन क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय झगड़ा है। यदि कोई अन्तर्राज्यीय झगड़े हैं तो माननीय मंत्री महोदय अथवा सरकार उनको निपटाने के सम्बन्ध में किस प्रकार की तत्काल कार्यवाही करने वाले हैं और इस सम्बन्ध में वे कौन से अन्य कदम उठाने वाले हैं।

देश के कुछ भागों में कोयला स्टाक जमा कर लिया गया है। सुदूर दक्षिण, पश्चिम उत्तर तथा पूर्व में स्थित विभिन्न बिजली घरों को कोयला लाने ले जाने में परेशानी होती है। हमारे देश के कोयले में राख की प्रतिशतता अधिक होती है। कोयला शक्ति के साथ-साथ हमें अन्य देशों को राख भी भेजनी पड़ती है। यह किफायती नहीं होता है। जैसा कि राजाध्यक्ष समिति ने सिफारिश की है, यह सलाह दी जाती है, कि कम से कम ताप बिजली घर कोयले की खानों के मुहानों पर स्थापित किए जाए। बिजली कोयले की अपेक्षा अधिक आसानी से लाई ले जाई जा सकती है। और ऐसा करना सस्ता पड़ता है। ऐसा करना जब ही सम्भव हो सकेगा जब बिजली उत्पादन का कार्य राज्य सरकारों से ले लिया जाए। और इस कार्य को केन्द्रीय सरकार करें। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ? सरकार बिजली के उत्पादन का कार्य तो कम से कम अपने हाथ में ले ले। क्या इस पर वह विचार कर रही है ?

राजस्थान हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश को बिजली देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जबकि इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और उन्होंने यह कहा है कि वे यह काम नहीं कर सकते ?

मेरा एक और प्रश्न राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के सिंगरोली बिजली घर के बारे में है। क्या यह शुरू हो गया है, अथवा नहीं। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के सिंगरोली बिजली घर से उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली सप्लाई की जा रही हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहाँ तक राजस्थान का सम्बन्ध है जब आर० ए० पी० ठीक रहता है तो कमी 13.9 प्रतिशत की रहती है और जब आर० ए० पी० ठीक नहीं होता तो कमी ज्यादा होती है, क्योंकि सप्लाई नहीं होती। वास्तविकता यह है कि इससे हमें बहुत परेशानी होती है। और राजस्थान के लिए भी परेशानी पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में यह कमी अब 21.9 प्रतिशत की है। वर्ष 1979 में यह कमी 46.2 प्रतिशत थी। अब बातों में सुधार हुआ है। लेकिन उनमें अभी उतनी सुधार नहीं हुआ है जितना सुधार होना चाहिए था। इसलिए इस मामले पर हम कल चर्चा करेंगे।

यदि कोई राज्य हमारे निदेश का पालन नहीं करेगा तो मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उन राज्यों के ग्रामीण विद्युतीकरण को रूकवा दूंगा। मैं उन्हें नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य : इससे किसे परेशानी होगी ? केवल जनता तथा किसानों को।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री जैनुल बशर : श्रीमन, मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 11 को लेता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन नारियल जटा बोर्ड के सम्बन्ध में प्रस्ताव

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) मैं, श्री चरणजीत चानना की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :—

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यकाल के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) (ङ) के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा अध्यक्ष महोदय निदेश दें, अपने में से दो सदस्यों को उस अवधि के लिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नारियल जटा बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्रवाई की।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) सूरतगढ़ तहसील (राजस्थान) के गाँवों में पानी इकट्ठा हो जाना।

श्री मनफूलसिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य देना हूं :

राजस्थान की सूरतगढ़ तहसील में घर-घर बाढ़ का पानी जी०एफ०सी० नहर द्वारा तथा राजस्थान नहर की आर०डी० 165 के अस्केप से पानी छोड़कर 18 डिपरेशन पानी से भर दिए गए हैं और इस पानी का निकास नहीं किया गया है और यह 30 किलोमीटर के लगभग लम्बी, चार किलोमीटर चौड़ी तथा 20 फुट गहरी झील बन चुकी है। जहाँ यह पानी भरा हुआ है, उसके बन्धे रेत के टीले हैं। इन बालू रेत के टीलों में से पानी सिमता है, झरता है और इस झील के उत्तरी साईड में उपजाऊ जमीन है और इन बालू रेत के किनारों के पास लगभग 22 गाँव बसे हुए हैं। इन गाँवों में बड़ोपल, किसनपुरा, मानकथेड़ी, जिलानियां, छाड़ियावाली बिल्कुल पानी से घिर गए हैं। यहाँ तक कि दिलानियां और छड़ियावाली गाँव खाली कर दिए हैं। सेमें से तमाम मकान गिर गए हैं और इन गाँवों की जमीनों में सेमे का पानी भर गया है। खेती तथा फसल नाम की कोई चीज नहीं है और फसल की जगह ऐरा ही ऐरा नजर आ रहा है। इन गाँवों के किसानों की जमीन सेमे के पानी में डूब गई हैं। ये लोग बिना घर और बिना जमीन के हो गए हैं। इन किसानों की हालत देखते ही बनती है। इनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं है। इस वर्ष बड़ोपल, मानकथेड़ी गाँव के किसानों को घरों का मुआवजा राजस्थान सरकार ने मन्जूर किया है, बाकी गाँवों का अभी नहीं हुआ है, मगर सेमे में आई जमीनों के बदले कास्त की भूमि अभी नहीं दी गई है। इन 18 डिपरेशनों का पानी खाली करने की स्कीम बनी हुई है मगर कुछ इंजीनियरों की नासमझी के कारण जहाँ पानी निकालना था उस हेड को 14 फुट लेवल ऊंचा बना दिया। इसलिए पानी इन डिपरेशनों से निकलने में बाधा पड़ गई है। अब इस हेड को तोड़कर ही पानी बाहर छोड़ा जा सकता है।

इस स्कीम को कार्यान्वित न करने के कारण करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति किसानों की नष्ट हो गई है और सरकार को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया है। अगर इस पानी को राजस्थान नहर की लो लेवल ब्रांच में डाल दिया जावें तो राजस्थान नहर में पानी बढ़ सकता है और इन सेमें में आए हुए किसानों को करोड़ों रुपये की जमीनों का मुआवजा न देने से सरकार का घाटा पूरा हो सकता है।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को इसे लोक महत्व का प्रश्न समझकर इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए आदेश प्रसारित करेगी।

धन्यवाद।

(दो) राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं :

भारत में 33 वर्ष की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी देश की जनता को शुद्ध पेयजल सुलभ नहीं हुआ है। राजस्थान प्रान्त के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल समस्या गंभीर रूप धारण किए हुए हैं। वहाँ के अधिकांश भाग में पानी की प्राप्ति के लिए 10-10 मील दूर जाना पड़ता है और वहाँ भी खारा पानी उपलब्ध होता है। परिवार का एक व्यक्ति इसी कार्य में लगा हुआ रहता है।

लगातार तीन वर्षों से सूखा पड़ने के कारण जल समस्या ने गम्भीर से गम्भीरतम रूप धारण कर लिया है। राज्य के करीब 400 गाँवों को इस समय ट्रकों, टेंकरों एवं रेलवे टंकियों से पानी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों को पहुंचाया जा रहा है परन्तु सप्ताह में एक बार और बड़े गाँवों में दो बार पानी पहुंचाया जा रहा है जो बहुत ही अपर्याप्त है और वे प्रति व्यक्ति औसत 1/4 गैलन पानी प्राप्त करते हैं जो उनके पीने के लिए काफी नहीं है। अतः माँग है कि तीन सौ ग्रामों की जनसंख्या के लिए प्रति सप्ताह में तीन दिन और जहाँ ग्राम संख्या अधिक है वहां एक और दो टेंकर प्रतिदिन भेजे जावें ताकि कम से कम एक गेलन प्रति व्यक्ति पीने का पानी मिल सके। जिन ग्रामों में अकाल के दिनों में हर साल पीने का पानी 10 मील से 50 मील की दूरी से टेंकरों द्वारा भेजा जाता है और अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है उन ग्रामों को केन्द्र सरकार प्रथम श्रेणी के समस्याग्रद ग्राम मानकर राजस्थान राज्य सरकार को निर्देश दे कि वे इन ग्रामों को पीने का पानी पहुंचाने की स्थायी योजना में प्राथमिकता दें।

(तीन) केरल में सुगन्धित द्रव्य उद्योग समूह की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री वी०एस० विजयराघवन (पालघाट)* : एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि सुरभि वर्ग के उत्पादनों के कारखानों के लिए केरल में कोचीन उपयुक्त स्थान है। अब यदि इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से हटकर किसी और प्रदेश में यह कारखाना लगाया जाता है तो इससे केरल और उसके हितों की उपेक्षा होगी।

विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि सुरभि वर्ग के उत्पादों का कारखाना, जिस पर 150 करोड़ रु० की पूंजी लगेगी, कोचीन के तेल शोधक कारखाने के एक सहायक एकक के रूप में लाया जाना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट बहुत समय रहते मिल गई थी। आरम्भ में केवल कोचीन और मथुरा को इसके लिए प्रभावित स्थान माना गया था परन्तु अब सुनते हैं कि उत्तर-प्रदेश में भी किसी जगह पर इस सम्बन्ध में विचार

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दे रहा है। पहले केरल में अम्बा को उपयुक्त स्थान माना गया था लेकिन अब इसे पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है। विशेषज्ञ समिति ने पहले कोचीन की सिफारिश की थी दूसरे स्थान पर ट्राम्बे तथा तीसरे स्थान पर मथुरा में यह कारखाना लगाने की सिफारिश की थी। किसी भी प्रकार के दबाव के बिना सम्मद्ध विचार करके बाद कोचीन को चुना गया था। अब कुछ लोग इस परियोजना को उत्तर-प्रदेश में लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस कोशिश में हैं कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की उपेक्षा की जाए और इस कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाए।

अतः मैं सरकार से दिल से अनुरोध करूंगा कि किसी को भी इस बात को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की उपेक्षा करे और यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि यह कारखाना केरल में ही लगाया जाएगा।

(चार) पश्चिमी विनोद नगर, दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के गिराए जाने का समाचार

श्री एच०के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : 9.3.1981 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिमी विनोद नगर में, जो जमुना पार क्षेत्र में मंडावली फाजिलपुर गांव के पास एक कालोनी है, कई मकान गिराए हैं। यह कालोनी अनधिकृत कालोनियों में से है।

यह बड़े दुख की बात है क्योंकि जो मकान गिराए गए हैं वे अनधिकृत कालोनियों तथा उनमें बने मकानों को विनियमित करने के लिए जून, 1977 की विदित तारीख के अन्दर हैं। यह स्पष्टतः सरकार के नीति-संकल्प हैं तथा समय-समय पर उसकी व्यक्त मन्शा के विरुद्ध है। फरवरी, 1977 में कांग्रेस सरकार ने इन कालोनियों को नियमित करने तथा इनका विकास करने के सम्बन्ध में नीति-निर्णय लिया था जिसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं लोगों से दृढ़तापूर्वक आग्रह करूंगा कि ये धोखेबाज कोलोनाइजरों तथा अन्य व्यक्तियों के चंगुल में न फंसें और अनधिकृत प्लाट न खरीदें और न ही उन पर मकान आदि बनायें साथ-साथ मैं सरकार से भी यह मांग करता हूं कि वह इन कालोनियों को शीघ्र पास करें जिनमें 500 से भी अधिक हैं तथा जिनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इन कालोनियों को प्राधिकृत करने के साथ-साथ इनमें नागरिक सुविधायें देने के लिए शीघ्र उपाय किए जाने चाहिए क्योंकि इन कालोनियों में इन सुविधाओं की भारी कमी है। इन कालोनियों को प्राधिकृत करने का सरकार का यह नीति सम्बन्धी निर्णय व्यावहारिक तथा मानवीय आधार पर किया गया था। तथापि, ऐसी कालोनियों तथा ऐसे निर्माणों की वृद्धि को रोकने के लिए छोटे कम कीमत के प्लाट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दिल्ली की स्वाभाविक वृद्धि तथा बाहर से यहां आकर बसने वाले लोगों के कारण दिल्ली की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है जिससे इस प्रकार की आवासीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ऐसी अप्राधिकृत बस्तियों के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं तथा एक आवर्ती निधि

की व्यवस्था करें। पश्चिमी विनोद नगर में गिराए गए मकानों से उत्पन्न समस्या को, सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सहानुभूतिपूर्वक तथा समझदारी से हल किया जाना चाहिए ताकि मानवीय आधार पर ऐसे लोगों की सहायता की जा सके।

(पांच) विजहिन्जम मत्स्य पत्तन परियोजना

श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं सभा का ध्यान निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं :

विभीजाम मछली तट परियोजना का विकास तीन चरणों में किया जाना है। पहले चरण के विकास के लिए 1960 में स्वीकृति दी गई थी जिसकी अनुमानित लागत 192.50 लाख रुपये थी और यह काम 1967 में शुरू हुआ था। प्रथम चरण का काम जिसमें 305 मीटर लम्बाई मुख्य ब्रेक वाटर शामिल था 1979-80 में पूरा हुआ था। इसके चरण में पानी काटने वाली दीवार को बहाना भी वार्ड की तरफ 340 मीटर लम्बी दीवार बनाना, बन्दरगाह को पानी तथा बिजली की सप्लाई तथा प्रशासकीय खंड का निर्माण आदि शामिल थे इसके लिए 280 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। यह काम चल रहा है तथा इसकी अच्छी प्रगति हो रही है। तीसरे चरण में 259 लाख रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना का विकास किया जाएगा। इसके प्राक्कलन स्वीकृति के लिए सरकार को दे दिए गए हैं। स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

परियोजना के दूसरे तथा तीसरे चरणों के लिए स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि दूसरे तथा तीसरे चरण की स्वीकृति दी जाए तथा इस परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए।

(छः) सरकारी क्षेत्र के सेवा अधिकारियों की नियुक्तियां तथा उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निरेन घोष।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : अपने वक्तव्य का मूल पाठ पढ़ने से पहले में स्थान चेंज करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष : यह रिकार्ड नहीं होगा।

श्री निरेन घोष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने जो मूल पाठ भेजा है इसमें इस तरह से सम्पादन किया गया है कि प्रारूप का मुख्य बल समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए मैंने कहा था**

ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने किसी के काम का उल्लेख नहीं किया। यह नहीं हो सकता।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना वक्तव्य दें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रक्रिया क्या है । माननीय सदस्य जो मूल पाठ भेजते हैं इसमें रूप रेखा, भाषा तथा व्याकरण आदि की दृष्टि से सम्पादन हो सकता है परन्तु क्या सदस्य को सूचित किए बिना मूल पाठ में इस तरह से तात्विक परिवर्तन किया जा सकता है । यदि कार्यालय का विचार है कि मूल पाठ में कुछ बात ऐसी हैं जिसमें संशोधन होना चाहिए तो अध्यक्ष महोदय अथवा कार्यालय वाले सदस्य को बुला सकते हैं । और उन्हें बता सकते हैं कि "हम इसे इस तरह बदलना चाहते हैं ।" सदस्य को बताए बिना, उससे सलाह लिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री मधु दण्डवते : इसमें प्रधान मन्त्री का उल्लेख है । इसलिए ऐसा हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य को सूचना दी गई थी ।

श्री नीरेन घोष : नहीं, श्रीमन् मुझे सूचना नहीं दी गई । मुझे केवल यह बताया गया कि मेरे नोटिस को 377 के अधीन स्वीकृत कर लिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि आपको सूचित किया गया । कार्यालय का यही कहना है ।

श्री नीरेन घोष : मैंने कहा था**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें सूचना नहीं दी गई । इस तरह का अप्रकट सेंसर धीरे-धीरे चालू नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री नीरेन घोष : भारत के सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियों तथा कार्यावधियों को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले ढंग से असन्तुष्ट हैं । ऐसा लगता है कि बैंक के चार चेयरमैन की कार्यावधियाँ बढ़ाने का निश्चय करने के लिए विभिन्न मापदण्ड अपनाए गए हैं । पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक आ.फ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया तथा यूनियन बैंक के चेयरमैन की कार्यावधियाँ 1980 में अलग-अलग तारीखों को समाप्त होने वाली थी । सभी का कार्य काल बढ़ाया गया था परन्तु अलग-अलग अवधि के लिए बढ़ाया गया था । पंजाब नेशनल बैंक तथा यूनाइटेड बैंक के चेयरमैन का सेवाकाल 60 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया गया था—यह मापदण्ड वित्त मन्त्रालय को सामान्यतः रुचीकार्य होता है । लेकिन यूनियन बैंक के चैयरमैन का कार्यकाल 1980 के मध्य में वर्ष के अंत तक बढ़ाया गया था हालांकि वह 60 वर्ष का हो चुका था । बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन का कार्यकाल केवल एक महीने के लिए नवम्बर, 1980 तक बढ़ाया गया था जबकि वह 1981 में 60 वर्ष का होता । इस बात को

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अत्यन्त दुखद माना गया था क्योंकि न केवल उनके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी बल्कि उनसे दिसम्बर, 1980 से पहले अपना कार्यभार सौंपने के लिए कहा गया था--जबकि दिसम्बर का महीना बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष के अन्तिम सप्ताह में ही अधिक संख्या में उधार दिया जाता है और नई लेखा बहियों आदि में जमा राशियों तथा परिसम्पत्तियों को लिखा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मामले में रिजर्व बैंक से भी परामर्श नहीं किया गया था जबकि रिजर्व बैंक से आशा की जाती है कि वह वाणिज्यिक बैंकों में होने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों की सिफारिश करे तथा उनका पर्यवेक्षण करे।

मैं फिर कहता हूं कि हालत गम्भीर है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय लोक सभा के समक्ष विभिन्न बैंकों के प्रमुखों के कार्यकाल में वृद्धि करने के संबंध में पूर्ण विवरण दें तथा नियुक्तियां किस प्रकार की गईं और किस की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

(सात) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के झावरी गांव में दो आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भावरा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश के आदिवासी कन्या आश्रम की दो युवा कन्याओं के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने बलात्कार कर दोनों को बेहोशी की हालत में एक कुएं में फेंक दिया। इनमें से एक बालिका की मृत्यु हो गई जबकि दूसरी को गम्भीर अवस्था में अलीराजपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना क्रम में चार मार्च की सुबह 16-17 वर्ष की उक्त दोनों कन्याएं प्रातः विधि के लिए आश्रम से बाहर आईं तो किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें पकड़ लिया और जंगल में ले जाकर उनके साथ निर्मम बलात्कार किया जिससे वे अचेत हो गईं। बलात्कारियों ने उन्हें मृत समझकर वहां से दो किलो मीटर दूर बेलझर गाँव के कुएं में फेंक दिया। सुबह जब बालिकाएं आश्रम में नहीं मिलीं तो उनकी खोज आरम्भ की गई। छात्रावास की व्यवस्थापिका अवकाश पर थीं। आश्रम के कार्यभारी बालक छात्रावास के व्यवस्थापक ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। उस कुएं पर जब एक आदिवासी पानी भरने गया तो कुएं में से बालिका की आवाज आई। उसने इस बालिका को पानी में से निकाला किन्तु कानून के डर से वह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। गश्त से लौटते पुलिस जवानों की नजर अचेत बालिका पर पड़ी। वे उसे थाने लाए। उसने बताया कि उनके साथ तीन लोगों ने कई बार बलात्कार किया और कुएं में फेंक दिया। दूसरी बालिका अब भी कुएं में है। एक सिपाही ने मृत बालिका की लाश को कुएं में से निकाला। डाक्टर ने लाश का पोस्ट मार्टम किया। पहली बालिका का भी डाक्टरी परीक्षण किया और उसके साथ बलात्कार होना पाया गया। इस घटना से सारे गांव में सन्नाटा छा गया। नागरिकों ने प्रदर्शन कर घटना की तुरन्त जांच की मांग की है। मृतक बालिका शासकीय आजाद

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भावरा में कक्षा ग्यारहवीं की होनहार छात्रा थी तथा छात्र संघ की अध्यक्ष थीं।

मेरा गृह मन्त्री जी से आग्रह है कि उक्त घटना की समूची जांच कराई जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए तथा न्यायिक कार्यवाही की जाए। इसके साथ-साथ उत्पीड़ितों के अभिभावकों को योग्य सहायता दी जाए।

सामान्य बजट, १९८१–८२ जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आम बजट पर सामान्य चर्चा आगे बढ़ाते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र, महामहिम वित्त मन्त्री की बातें सुनना हमेशा बहुत रुचिकर और शिक्षाप्रद होता है।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : वे है कहाँ ? लगता है वे लोक सभा में अनुपस्थित हैं।

वित्त मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) ; मैं तो यहां हूं।

श्री रविन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : वे तो कलाकार हैं, मंजे हुए कलाकार हैं। उन्होंने तो जादूगर जैसी धाक जमा रखा है। वे अपने अन्य सहकर्मियों से अलग हैं—मैं उनके नाम लेकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। किन्तु ये मन्त्री महोदय न तो बड़बोले हैं और न ही घमंडी हैं। वे अपने अन्य माननीय सहकर्मियों की तरह अपने विरोधियों के प्रति आक्रामक रुख नहीं अपनाते। वे तो मासूमियत के नकाब में, हितैषी बन कर लोगों का विश्वास जीतते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तो उनका घनिष्ट मित्र होना चाहिए था, आप उनको इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, मैं उनका घनिष्ट मित्र ही था और हूं। मैं उन्हें पिछले तीस वर्षों से जानता हूं। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं कभी उनके इन हथकंडों का शिकार हुआ हूं। तो मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि मैं इनकी बातों में न आ जाऊँ।

वे तो हितैषी बनकर, लोगों को शांत करके उनका विश्वास जीतते हैं। फिर वे उन्हें बहकाकर हानि पहुंचाते हैं। इस मामले में भी उन्होंने यही किया है।

उन्होंने घोषणा की थी कि वे संकटपूर्ण प्रबन्ध के स्थान पर उन्नति का मार्ग दिखाएंगे। उन्होंने 1979-80 वर्ष को तुलना का आधार माना है।

एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, उन्हें मालूम था कि उन्हें अत्यधिक नाजुक वर्ष का

चयन करना है जिससे कि उस वर्ष की तुलना करने से उसे ख्याति मिले । इसलिए उन्होंने 1979-80 के वर्ष का चयन किया तथा बतलाया कि सरकार को उस दौरान अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं । उन्होने आधारभूत ढ़ाँचे में सुधार, कृषि उत्पादन, विकास दर की बात कही लेकिन मुद्रास्फीति की बात पर वह लड़खड़ा गए, और तत्पश्चात उन्हें याद आया कि कुछेक युक्तियाँ हैं जिनका वह उपयोग कर सकता है । इसलिए तुलना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूची की औसत लेने के बजाए, जैसा कि हर वर्ष किया जाता है, उन्होंने सूचकाँकों में आपसी तुलना करने का निर्णय किया लेकिन फिर भी वह इस सच्चाई को छपा नही सका कि जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है, वह उस पर नियंत्रण नहीं पा सका है । यदि, दूसरी तरफ, माननीय वित्त मन्त्री पिछले वर्षों जैसे कि 1978-79 की स्थिति की तुलना करना पसन्द करते तो यह स्वीकार करना पड़ता कि कृषि उत्पादन में केवल 0.5 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.5 प्रतिशत, समग्र, राष्ट्रीय उत्पादन में वास्तव में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसका अर्थ यह होता, और वास्तव में यही अर्थ है, कि प्रति व्यक्ति आय में 2.2 प्रतिशत की कमी आई है ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और जनता सरकार ने क्या कुछ किया है उसके आँकड़ों से सदन का मनोरंजन नहीं करना चाहता । मेरे माननीय विपक्षी मित्र, विशेषकर मन्त्री पीठ पर बैठे हुए माननीय महानुभाव दोहरी बात करते हैं । जब वे राजनैतिक प्रचार में आनन्द लेना चाहते हैं तब वे अपनी सभी असफलताओं के लिए बली का बकरा जनता सरकार को बनाते हैं । लेकिन जब उन्हें विपक्ष के माननीय सदस्यों, विशेषकर रत्नागिरि के प्रतिष्ठित सदस्य प्रोफेसर मधु दण्डवते जैसे सज्जनों के तीक्ष्ण प्रश्नों का उत्तर देना होता है तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि व्यवहारिक तौर पर आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू तथा प्रशासन में जो उपलब्धियां जनता पार्टी की सरकार ने दो वर्ष की अवधि में प्राप्त की हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता अथवा उनकी निन्दा नहीं की जा सकती । इसलिए मैं उस विवाद में नहीं उलझना चाहता क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है और इस पर इस सदन में प्रायः चर्चा की जाती रही है ।

जहाँ तक बजट का सम्बन्ध है, यह राजस्व तथा व्यय के अनुमानों का मात्र विवरण नहीं है । यह राजस्व जुटाने अथवा व्यय का अनुमोदन के लिए इस सदन का अनुमोदन लेने का मात्र प्रयत्न नहीं है । महोदय, यह एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है । वास्तव में, यह आर्थिक स्रोतों का नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सरकार का अत्यधिक सक्षम उपकरण है । अतः बजट की जाँच इस विचार से करनी है कि क्या वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारे बिना ही संसाधन जुटाता है, क्या यह उन लोगों पर कर भार डालता है जो उसे सहन कर सकते हैं, क्या यह समान अवसर प्रदान करने की नीति का विकास करता है, क्या यह पर्याप्त आय तथा प्रोत्साहन प्रदान करता है अथवा नहीं । महोदय, मैंने लक्ष्यों की बात कही है । कई वर्षों से हमारे देश ने लक्ष्य स्वीकार कर रखा है । हम न्यायिक वितरण सहित विकास करना चाहते हैं । प्रायः हम यह चर्चा करते

हैं कि क्या बल विकास पर दिया जाना चाहिए अथवा क्या न्यायिक वितरण पर लेकिन न केवल इस देश में बल्कि विश्व के प्रत्येक विकासशील देश में अनुभव ने यह दिखा दिया है कि मात्र अव्यवस्थित तथा अस्पष्ट विकास से यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि विकास से प्राप्त लाभ अत्यधिक जरूरतमन्द वर्गों को मिल पाएंगे। इसलिए अनुभव ने हमें सबक सिखाया है कि एक तरफ तो रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबी को हटाना तथा दूसरी तरफ अत्यधिक जरूरतमन्द वर्गों की तत्काल जरूरतों पर ध्यान देकर दोहरा अभियान आवश्यक है। हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई दोहरा अभियान नहीं है तो हम किसी न किसी ओर से गलती करते हैं अथवा किसी भी तरफ से सफल नहीं रहते। जनता पार्टी को यह सबक मिला है। इसलिए इसकी आर्थिक आयोजना तथा प्रशासन इसी कार्य नीति अर्थात रोजगार के अवसर पैदा करने तथा उसका विकास करने, की ओर मोड़े गए थे जिनमें मुख्यतः बल रोजगार के अवसर पैदा करने पर दिया गया था जो कि समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों की आधारभूत सुविधाओं और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रमों के रूप में गरीबी को दूर करने का एक उपाय था। यही कारण था कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कार्य के बदल भोजन कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ कार्यक्रम, आवास, अन्तोदय तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम शुरू किए गए थे। लेकिन, यह बजट तथा सरकार ने जो छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है यह दर्शाते हैं कि योजना तथा आर्थिक नीति के परिणामों का मूल्यांकन करने के भौतिक मानदण्डों को बदल दिया गया है, भौतिक मानदण्डों के स्थान पर अस्पष्ट मानदण्डों को अपनाया गया है, गरीबी को दूर करने के बजाए व्यवस्थित विकास पर बल दिया गया है, क्षेत्र तथा फैक्टरी से हटकर सांख्यिकाविदों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों ध्यान केन्द्रित किया गया है।

इस बजट में यह धारणा पैदा करने का प्रयास किया गया है कि कोई कर नहीं लगाए गए हैं, कि वास्तव में विस्तृत रियायतें दी गई हैं, कि बजट उत्पादन में वृद्धि करेगा, लेकिन बारीकी से जाँच करने पर मेरे माननीय मित्र क्षमा करेंगे—यह पता चलता है कि उनका दावा निराधार है तथा गुमराह करने वाला है। यदि श्री वेन्कट रामन के बजाए कोई अन्य होता, तो मैं यह कहता कि यह बजट गुमराह करने के अभिप्राय से बनाया गया है। लेकिन यदि श्री बैटोट हैट पहनना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

घाटे के आंकड़े काफी ऊंचे हो गए हैं और यह आगे और बढ़कर 2000 करोड़ से भी ऊपर हो जाएंगे। जहाँ तक कीमतों का सम्बन्ध है, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कीमतें बढ़ रही हैं। थोक सूचकांक 268.8 हो गया है। सम्पूर्ण वर्ष लिया जाए तो खाद्यान्न की कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ी है, निर्मित माल की 10 प्रतिशत, खाद्य तेलों की 21 प्रतिशत बढ़ी है, यही हाल अनाजों, दालों आदि का है। उस पठार ने, जो मेरे माननीय मित्र ने देखा, जब वह मद्रास गए थे, मैं मद्रास कहता हूं क्योंकि उन्होंने मद्रास में ही यह ब्यान दिया था, ही कीमतों को आसमान में पहुंचाने के लिए लांचिंग पैड का कार्य किया।

बजट में कुल 1810 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान है और मैं यह समझता हूं कि यह 3000 करोड़ से 4000 करोड़ तक हो सकता है और जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और काले बांडों से आय का सम्बन्ध है उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाने की सम्भावना है। पिछले वर्ष 1417 करोड़ रु० का अनुमान था जो किन्तु यह बढ़कर लगभग 2000 करोड़ रु० हो गया था। न ही यह अत्यधिक घाटे का पहला वर्ष होगा। 1979-80 में हमारा घाटा 3000 करोड़ रु० के आसपास था। 1980-81 में हमारा घाटा लगभग 2000 करोड़ रु० था। 1981-82 में हमें यह बताया गया है कि घाटा 1539 करोड़ रु० होगा। हम उनकी बात ही मान लेते हैं।

पिछले 3 वर्षों में औसतन 1,800 करोड़ रु० का घाटा बैठता है। इससे पहले भी, वर्ष 1973 से 1975 में मुद्रास्फीति 22 प्रतिशत थी। अब दूसरा वर्ष चल रहा है और मुद्रास्फीति 17 प्रतिशत है।

इसका अर्थ क्या है ? तीन वर्षों में 17 प्रतिशत मुद्रास्फीती की दर से, आय 50 प्रतिशत घट गई।

अभी-अभी माननीय वित्त मन्त्री ने बताया कि उनके जादू से उनके लिए मौद्रिक आय दुगुनी करना सम्भव होगा तथा कम से कम यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आय आधी न रह जाए। अगर वे बढ़ाई नहीं जाती है तो कम से कम आधी भी नहीं होनी चाहिए।

योजना आयोग ने यह हिसाब लगाया है कि 5 वर्षों की योजना अवधि में 5000 करोड़ रु० के बजट घाटे को दूर किया जा सकता है। मेरे माननीय मित्र श्री कमलनाथ जानते हैं कि इनमें से 1980-81 में घाटा 1975 करोड़ रु० था। इस वर्ष यह 1539 करोड़ रु० है। इसलिए पंच वर्षीय योजना के दो वर्षों में पहले ही 3500 करोड़ रु० का घाटा है।

एक माननीय सदस्य : उत्पादन को प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रोत्साहन पहले भी दिए जाते थे। इन प्रोत्साहनों ने आपको आलसी बना दिया और वर्ष के अन्त में आप यह कहेंगे कि जनता पार्टी उत्तरदायी थी।

(व्यवधान)

मैं अब योजना पर आता हूं। अगर आप आय बढ़ाना चाहते है, और अगर आप रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए एक उद्देश्यपूर्ण प्रणाली तथा वास्तविक निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। मेरे माननीय मित्र वित्त मन्त्री द्वारा किए गए बाजार प्रस्तावों में इन दोनों ही के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

छठी योजना अब प्रस्तुत कर दी गई है। जनता सरकार की अनवरत योजना के लिए आलोचना की गई थी। और मेरे प्रिय मित्र, अब क्या हो गया ? आपने योजना को

दो वर्षों तक लटकाए रखा । अनवरत योजना के विचार के लिए जनता पार्टी की आलोचना की गई थी । सरकार ने क्या किया है ? पिछले वर्ष में, योजना के पहले वर्ष में, मौद्रिक परिव्यय में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा मुद्रास्फीति की दर 18 प्रतिशत थी । 18 प्रतिशत मुद्रा स्फीति की दर मौद्रिक परिव्यय में वृद्धि करना बेकार सिद्ध होगा । इस वर्ष परिव्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । किन्तु मुद्रास्फीति की दर के साथ जो 18 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी, यह प्रयास निष्फल सिद्ध होगा । इस तरह देश को झूठी आशाएं बंधाई जा रही है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि निवेश में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी । अगर निवेश में वृद्धि नहीं की जाती तो जनसंख्या कम नहीं हो जाएगी । जनसंख्या में वृद्धि लगातार जारी रहेगी । प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाएगा । और ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ जाएंगे । मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो । किन्तु, इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह होगा कि वर्तमान नीति से अथवा बजट में किसी नीति के अभाव में राष्ट्र को गम्भीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ।

वास्तव में, निवेश परिव्यय योजना में एक समान रखा गया है । क्षेत्रवार आवंटन का प्रतिशत वही है जो जनता पार्टी की योजना में था । यह आपका दुर्भाग्य है ।

योजना में निर्धनता तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है । यह इस योजना का यह बदतर अंग है कि निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए न कोई समयबद्ध कार्यक्रम और न कोई निश्चित समय तय किया गया है । इनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ।

इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को 1985 तक 48 प्रतिशत से घटाकर 38 प्रतिशत लाने की बात कही गई है । किन्तु, इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है ।

जनता पार्टी ने रोजगार के 4 करोड़ 90 लाख मानव घंटों के सृजन का प्रस्ताव रखा था । इस योजना में इसे घटाकर 3 करोड़ 40 लाख कर दिया है ।

जनता पार्टी ने इस योजना अवधि में 1 करोड़ 70 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया था । इस योजना में इसे घटाकर 1 करोड़ 30 लाख कर दिया गया है ।

जनता पार्टी ने 1983 तक ऐसे सभी गांवों में, जहाँ पीने के पानी का संकट है, पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था । इस योजना में उसी लक्ष्य को 1985 तक पूरा कराने का प्रस्ताव है । यह परिव्यय में वृद्धि के बावजूद किया गया है ।

जनता पार्टी ने भूमिहीनों को आवास स्थान प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया था । इसे घटाकर 6.8 करोड़ कर दिया गया है ।

जनता पार्टी ने ग्रामीण आवास योजना की सहायता के लिए 500 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था अब यह घटाकर 344 करोड़ रु० कर दिया गया है।

जनता पार्टी ने कहा था कि 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों में वर्ष 1983 तक ग्रामीण सड़कें बनाई जायेंगी। नई योजना में इस लक्ष्य को 1980 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले 1.30 करोड़ लोगों की संख्या के स्थान पर अब उनकी संख्या 1 करोड़ रखी गई है।

बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत 65 लाख बच्चों के स्थान पर अब 50 लाख बच्चों को लाया जाएगा।

प्रोढ़ शिक्षा के लिए परिव्यय भी 200 करोड़ से घटाकर 128 करोड़ रु० हो जायेगा।

कार्य के लिए अन्न और अन्तोदय जैसे गरीबी मिटाने के लिए किए गए आवंटनों को या तो कम कर दिया गया है अथवा इसे व्ययगत हो जाने दिया गया। यह गरीबी मिटाने का एक विचित्र कार्यक्रम है जो इस बजट में दर्शाया गया है। रेलवे के माल भाड़े में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रभाव तथा आंकलित मूल्यों में वृद्धि का क्रमवद्ध प्रभाव पड़ता है। निरन्तर चल रहा उत्पाद-शुल्क भी हटाया नहीं गया है। इन सब का अर्थ अर्थ-व्यवस्था पर 4000 से 5000 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मैं 4000 से 5000 करोड़ रु० कम ही बता रहा हूं, यह 5000 करोड़ रु० से भी अधिक होगा। इससे वास्तविक आय कम हो जाएगी तथा अधिक लोग गरीब हो जाएंगे।

जहां तक विकास दर का सम्बन्ध है, अगर 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करनी है तो अनुकूल निवेष अवश्य करना होगा, कार्यक्षमता के कम उपयोग को समाप्त करने के लिए भी किसी तंत्र का होना आवश्यक है और आधारभूत ढांचे की कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए, जो मैं इन बजट प्रस्तावों में नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए, कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि बजट न तो विकासोन्मुख है और न ही इसमें गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने की ओर ही कोई कदम उठाया गया है।

अब मैं गैर-योजना खर्च की ओर आता हूं। अगर आपकी अपने कम स्त्रोतों के लिए इतनी भारी मांगें हैं तो आपको इन्हें भली प्रकार से देखना चाहिए। आपने क्या करने का प्रयास किया है? जहां तक गैर-योजना खर्च, सहायता अनुदान और आंकलित मूल्यों का सम्बंध है, सरकार क्या करना चाहती है? सरकार को गैर-योजना खर्च और सहायता अनुदान की प्रणाली की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1981-82 में गैर-योजनावद्ध खर्च 15,100 करोड़ रु० का होगा जो मुख्य रूप से वेतन और भत्तों पर खर्च होगा। किन्तु तब भी, इसमें सम्भाव्य मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों, जो आपको देनी

होंगी, को जोड़ा नहीं गया है। पिछले वर्ष आपने तीन बार अतिरिक्त भुगतान किया यद्यपि आप इसे पूर्वानुभव नहीं कर सकते। शायद कोई यह नहीं जानता कि क्या इस वर्ष आप तीन अतिरिक्त किश्तें देंगे। हो सकता है मेरे माननीय मित्र, श्री बरोट, इस बार अतिरिक्त तीन किश्तें दें, दो पहले ही विचाराधीन पड़ी है, किन्तु मंहगाई भत्ते में वृद्धि के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।' (व्यवधान) इसलिए इस बजट में मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों की सम्भावना को मद्दे नजर नहीं रखा गया है। सरकारी खर्च पर आकलित मूल्यों की वृद्धि में हाल ही में की गई घोषणा का सम्भाव्य प्रभाव का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि पैट्रोल और बहुत सी अन्य मदें, जिनके मूल्य बढ़ा दिए गए हैं, सरकारी खर्च पर भी प्रभाव डालती हैं। किन्तु, खर्च की संवीक्षा तथा खर्च, अनावश्यक खर्च को कम करने के प्रयासों के स्थान पर यह कुछ नहीं बताया गया कि क्या किया जा सकता है.....।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : माननीय वित्त मन्त्री ने इसकी व्यवस्था की है। जहाँ तक उद्धरण का सम्बंध है, यह ठीक प्रकार से की जानी है। इसकी व्यवस्था कर ली गई है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं जानता हूं, वित्त मन्त्री ने थोड़ा जिक्र भर कर दिया है...

श्री मगनभाई बरोट : जी नहीं।

श्री रविन्द्र वर्मा : आप बाद में मुझे उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने थोड़ा जिक्र कर दिया है ताकि यह न कहा जा सके कि उन्होंने इस तथ्य की अवहेलना कर दी है।

यहाँ एक व्यय आयोग था। जिसे समाप्त कर दिया गया है। मैं अपने माननीय मित्र से यह जानना चाहूंगा कि गैर-योजना व्यय की संवीक्षा करने तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

जहाँ तक आर्थिक सहायता तथा आकलित मूल्य का सम्बन्ध है, यदि आर्थिक सहायता को कम कर दिया गया होता तो घाटा कम हो सकता था। वर्ष 1981-82 के प्राक्कलनों से पता लगता है कि 1700 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष, 1980-81 में खाद्यान्न, विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन, कंट्रोल का कपड़ा उर्वरक, आदि के लिए 1423 करोड़ रूपए रखे गए थे। खाद्यान्न एक ऐसा मद है जिसके लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता दी जाती है, और जिससे यह पता लगता है कि लाभार्थी साधारण व्यक्ति उपभोक्ता तथा उत्पादक होगा। लेकिन आर्थिक सहायता खाद्य निगम को ही मिलती है। मैं इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन, यदि अच्छा प्रबंध है, प्रबंधकीय क्षमता है, विवरण सूची नियंत्रित है, परिवहन का पर्यवेक्षण किया जाता है, अच्छा रख रखाव आदि किया जाता है। तो इस खर्च में 10 प्रतिशत या दूसरे अधिक की कमी की जा सकती है। मैं इन मुद्दों के प्रत्येक मुद्दे को नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आपने घण्टी बजा दी है और समय नहीं है। लेकिन मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं वह यह है कि क्या आर्थिक सहायता छिपे रूप से या

सीधे दी जाती है, आर्थिक सहायता का उपयोग प्रबंधकीय अकार्य कुशलता को ठीक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक सहायता का उपयोग गैर किफायती कार्यों को छूट देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए क्षेत्र, आर्थिक सहायता की मात्रा तथा उसकी अवधि की छांन बीन अवश्य की जानी चाहिए। वास्तविकता यह है कि इस सम्बन्ध में डागली समिति ने सिफारिश की है। शायद सरकार ने इन सिफारिशों पर कुछ विचार किया है अथवा इन पर कोई विचार नही किया है। लेकिन मैं सरकार से इस बात की वकालत करूंगा कि आर्थिक सहायता तथा आकलित मूल्यों से कुप्रबन्ध को छुटकारा नहीं दिया जाना चाहिए या इसका एकाधिकार के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र, माननीय वित्त मंत्री महोदय आ गए हैं क्योंकि मैं अपनी टिप्पणियों को समाप्त करने वाला हूं। बहु राष्ट्रीय कम्पनियों, बड़े औद्योगिक घरानों तथा विलासता की वस्तुओं के विनिर्माताओं को दी गयी रियायतों के सम्बन्ध में पहले ही उल्लेख किया गया है। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माताओं के बारे में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। मैं उन पर विस्तार से विचार नहीं करूंगा। जिन समस्याओं का हम व्यापार संतुलन के क्षेत्रों में सामना करते हैं उन कठोर समस्याओं के साथ मैं इस बजट से जन साधारण को मिले लाभों का जिक्र करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र यह जानते हैं कि हमारी जनसंख्या 66 करोड़ है। मेरा विश्वास है कि अब जनसंख्या में वृद्धि होगी और इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र कहेंगे "नहीं" यह वृद्धि 0.001 है क्योंकि प्रत्येक क्षण जनसंख्या में वृद्धि होती है।

66 करोड़ जनता। मेरे माननीय मित्र, राइट माननीय वित्त मंत्री महोदय के अनुसार 40 लाख कर दाता हैं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : केवल माननीय।

श्री रवीन्द्र वर्मा : राइट माननीय क्यों नहीं ?

श्री आर० वेंकटरमन : इस सभा में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक राइट माननीय था। यह राइट आनरेबिल श्री निवासन शास्त्री थे। उन्हें हमारे देश में राइट आनरेबिल कहा जाता था।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : एक मंत्री महोदय को बुलाने के लिए राइट आनरेबिल एक प्रचलित रूढ़ि है तथा मुझे उन्हें राइट आनरेबिल कह कर पुकारने पर मेरे माननीय मित्र को कोई शर्मन्दी नहीं होना चाहिए और न इस पर उन्हें कोई आपत्ति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका उन्हें "माननीय" भद्र पुरुष कह कर पुकारना ठीक हो सकता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप इससे शर्मन्दी क्यों महसूस करते हैं ? मैंने और भी बहुत बातें कही है जिनके बारे में आप को आपत्ति करनी चाहिए लेकिन इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

अत: मैं यह कह रहा था कि हमारी जनसंख्या 66 करोड़ की है । इसमें से 40 लाख कर दाता हैं ।

जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने दूसरे दिन कहा था 14 लाख लोग कर के जाल से निकल जायेंगे । 25 लाख लोगों को कर राहत से विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे । लेकिन 33 करोड़ लोगों के बारे में क्या है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री बीजू पाटनायक ने कल इन लोगों तथा महिलाओं की दुर्दशा के सम्बन्ध में एक बड़ी ही ओजस्वी तथा प्रभावी भाषण दिया था । जो कुछ मेरे मित्र ने कहा था उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा । लेकिन जब अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं, मुद्रास्फीत का दबाव है तो इन 33 करोड़ लोगों द्वारा आर्थिक स्थिति पर बजट के भार का प्रभाव छोड़ना अनिवार्य है । इन लोगों को मेरे सम्माननीय मित्र के कोष में भी देना पड़ेगा, जो अपने को राइट आनरेबिल कहलाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ये लोग भी उनके उनके कोष में अपना अंशदान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कोई न कोई वस्तु खरीदनी पड़ती है और उन्हें किसी न किसी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं । इसमें कर का भुगतान शामिल है या नहीं लेकिन उनका मेरे माननीय मित्र के कुशल हाथों से शोषण किया जायेगा । इस बजट में उनके लाभ की कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि इस बजट में उनके लिए कोई असाधारण अथवा विशिष्ट कार्यक्रम नहीं हैं जबकि इस बजट में गरीबी या बेरोजगरी को दूर करने की व्यवस्था की गई है ।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा । लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र को एक कुछ जादूगर होने की ख्याति प्राप्त है । उनके बहुत ही कुशल हाथ हैं । जब कोई बजट को देखता है । तो बजट देखने के पहले उसकी बजट से जो अशाएं थी, उन सब पर पर्दा पड़ने लगता है, और जब कोई यह देखता है कि जनता को नमस्कार करने के बाद जादूगर अपना किट लपेट रहा है और पर्दा गिर रहा है । तब उसे यह महसूस होता है कि वह पृथ्वी पर आ गया है तथा वह वास्तविक दुनियां में आ गया है । किसी को भूख इसलिए नहीं लगती है कि हम भोजन के अवकाश को भूल जाते हैं । कोई व्यक्ति अपने को ठंड से बचाने के लिए दूसरों के कपड़ों को छीनता है और दूसरा गरीबी का सामना करता है । लगातार बेरोजगारी का सामना करता है और मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करता है ।

मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है और जितना वित्त मंत्री ने इस सदन में बताया है उससे अधिक घाटे की अर्थव्यवस्था होने की संभावना है । मैं यह नहीं चाहता हूं कि

ये बातें हों। उनकी आशाएं सत्य हो सकती हैं। लेकिन जो बजट वित्त मंत्री महोदय से पेश किया है उसे देखकर मुझे विवश होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है कि उनकी आशाएं सत्य नहीं हो सकेंगी।

श्री मगन भाई बरोट : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, 28 फरवरी की शाम को जब मेरे आदरणीय वरिष्ठ, वित्त मंत्री महोदय ने इस सभा में अपना बजट प्रस्तुत किया था उसके बाद तुरन्त आकाशवाणी ने एक बुलेटिन निकाली थी तथा समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि इस बजट को देखकर जनता खुशी से सड़कों में नाचने लगी। दूसरे दिन समाचार पत्रों में एक सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें बजट का स्वागत किया गया था। कुछ व्यक्ति इस बजट को प्रगतिशील बजट बताते हैं और कुछ व्यक्ति इसे एक कल्पनापूर्ण बजट बताते हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य गणों को यह याद होना चाहिए कि ये सब बातें हुई यह शुभकामनाएं इस तथ्य के बावजूद भी मिलीं कि उन्हीं समाचार पत्रों ने उन पर लगाए गए उत्पादन शुल्क का विरोध किया था।

श्रीमन, माननीय सदस्य श्री वर्मा, इस बजट से जन साधारण को होने वाले लाभों का अभी जिक्र कर रहे थे। मैं एक जन साधारण को जानता हूं जिसे सारा देश जानता है—लक्ष्मन का जन साधारण भारत के जन साधारण का एक प्रतीक है। कल से एक दिन पहले इस जन साधारण को रात को एक भयानक सपना आया लेकिन 2 मार्च को जब वह उठा तो पहली बार उसे आश्चर्य लगा। 33 वर्षों में हमने इसे आज तक नहीं देखा। कभी-कभी जन साधारण प्रसन्न हो जाता है। कभी-कभी वह घबरा जाता है और कभी-कभी वह दुखी हो जाता है। लेकिन हमने कभी यह नहीं देखा है कि वह बहुत अधिक उत्साहित है।

वित्त मंत्री महोदय ने दूसरे को जेब से कुछ लेने की बजाए जैसे कि उनसे आशा की जाती थी, आम आदमी को कुछ दिया है। इस प्रकार भारत के जन साधारण ने इस बजट की सराहना की है। कल एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यदि मैं यह कहने में गलती नहीं कर रहा हूं यह श्री वेंकटारमन नहीं हैं बल्कि भारत के अर्थशास्त्री श्री भरत हैं। उन्होंने इस बजट की निन्दा की है। मैंने सावधानीपूर्वक रिपोर्टों के पृष्ठों तथा उन पर टिप्पणियों को पढ़ा है। मैंने किसी प्रकार की कोई निन्दा नहीं देखी हैं। मैंने कहीं इसकी आलोचनाएं भी देखी हैं। यह भागों में अच्छा है। गरीब जनता के लिए यह भागों में ठीक है लेकिन किसानों तथा कारखानों में काम करने वालों के लिए यह विपक्ष के माननीय सदस्यगणों के लिए भागों में अच्छा नहीं हैं यदि यह बजट ठीक नहीं है तो मैं केवल उनको सहानुभूति ही दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे वरिष्ठ ने कोई छड़ी नहीं दी थी जिससे वे प्रधान मंत्री महोदया अथवा सरकार या माननीय वित्त मंत्री महोदय को पीट सकते हैं। (व्यवधान) जन साधारण की बजट के प्रति विचार धारा को बताने के बाद मैं एक सम्पादकीय टिप्पणी के बारे में भी कहना चाहूंगा जिसमें इस बजट को धोखे का

बजट बताया गया है। यह सम्पादकीय टिप्पणी इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र की सहानुभूति किसके साथ है यह सर्वविदित है।

यह इंडियन एक्सप्रैस का सम्पादकीय टिप्पणी है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह धोखे का बजट है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दंडवते आमतौर पर इस तरह गलत नहीं सुनते हैं।

श्री भगनभाई बरोट : मैंने कहा था कि सम्पादकीय टिप्पणी में इसे धोखे का बजट कहा गया है।

सम्पादकीय टिप्पणी में यह कहा गया है :—

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1981-82 के योजना परिव्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने से अच्छी प्रगति का दृष्टिकोण बना है। इसी प्रकार बैंक में जमा राशियों और ऋण पत्रों पर बढ़े हुए ब्याज दरों के रूप में बचत और पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में संसाधनों को जुटाने में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। निःशुल्क पत्तन जोनों में नए उद्योगों के लिए प्रस्तावित पांच वर्षीय कर छूट का उतना ही स्वागत है।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

श्रीमन, इसे मैं जिसे धोखे के बजट का सम्पादकीय लेख कहा गया है, उससे कह रहा हूं।

श्रीमन, अब मैं यह फिर बताना चाहूंगा कि हमारे लिए बजट क्या है। मुझे अपने सम्माननीय वरिष्ठ साथी वित्त मंत्री महोदय जो पिछले दिनों से बजट का कार्य कर रहे हैं, को देखने का अधिकार है। उनको केवल अगले वर्ष का अनुमानित व्यय, राजस्व या आमदनी के लिए ही बजट प्रस्तुत नहीं करना है। बल्कि इसका अर्थ उससे कहीं अधिक है। हमारे लिए बजट उन प्रतिज्ञाओं का पूरा करना है जिन्हें हमने जनता को किया है और जिनके आदेश से हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए छठी पंच वर्षीय योजना के पूरा होने के बाद, हम इसे कार्यान्वित करने की दिशा में चल रहे होंगे और पहली साल का यह बजट उस स्वप्न और प्रतिज्ञा को पूरा करने की ओर एक योगदान है जो हमने देश की जनता के साथ की है।

मैं आप को उस बात की याद दिलाऊंगा कि वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें माननीय वित्त मंत्री महोदय को देश की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए बुलाया गया था (व्यवधान) श्रीमन मैं केवल एक विरासत का हवाला देने जा रहा हूं जिसे उन्होंने हमें दिया है, और जो हमारे काम करने में बाधा बन रही हैं। माननीय सदस्यों को मालूम

है कि अनेकों बाधाओं और जनता/लोकदल सरकारों की विवेक हीन नीतियों के परिणामस्वरूप देश को संकट का सामना करना पड़ा है। जब हमारी सरकार ने इन समस्याओं को हल करने का काम शुरू किया तो यह कार्य आग बुझाने के अभियान जैसा लगा था। हालाँकि यह एक मुश्किल काम था और इन समस्याओं का काला साया तथा पिछले वर्ष की बाधायें 1980-81 के मध्य तक मंडराती रही, तो भी मेरी सरकार को सुनिश्चित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयासों ने इस स्थिति में सुधार को संभव बनाया है। वर्ष के अन्त तक हम अर्थव्यवस्था को फिर से सही दिशा में मोड़ने में सफल हो गए हैं। न केवल मूल संरचना के कार्य निष्पादन एवं औद्योगिक पुनरूत्थान में ही सुधार हुआ है बल्कि कुल राष्ट्रीय उत्पादम में भी 1980-81 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 4.5 प्रतिशत की कमी हुई थी। लागत में लगातार वृद्धि के अन्तर्राष्ट्रीय कारणों के कुप्रभावों के होते हुए भी जिनपर हमारा नियंत्रण नहीं है, मुद्रास्फीतिक दबावों में कभी भी महसूस की जा सकती है।

इस तथ्य से कि आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है और हमें संकट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है, यह बिलकुल जरूरी जाता है कि अब हमें जोर संकट का सामना करने के बजाए आर्थिक विकास पर देना है। माननीय सदस्य इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि बिना सतत आर्थिक विकास के, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने की सभी बातें निरर्थक हैं। वास्तव में, छठी योजना 1980-81 में जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुमोदित भी कर दिया है, 97,500 करोड़ रूपये का निवेश कार्यक्रम अर्थात् 5.2 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। कृषि तथा समाज के कमजोर वर्गों और विद्युत, कोयला, तेल, बन्दरगाहें एवं रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1981-82 के बजट से, छठी योजना में आर्थिक विकास के प्रयास के इस नए कदम का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

क्या मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बजट के साथ प्रस्तुत किए गए "बजट पर सरसरी नजर (बजट एट ए ग्लॉस)" नामक पत्रों में पीले चार्ट (पृष्ठ 3) की ओर आकर्षित कर सकता हूं। इससे यह पता चला है कि खर्च किए गए प्रत्येक रूपए में से 39 पैसे छठी योजना के कार्यक्रमों के लिए होंगे और इसके अलावा 21 पैसे अन्य विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर खर्च किए जायेंगे। दूसरे शब्दों में, कुल सरकारी खर्च का 60 प्रतिशत विकास प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया गया है। महोदय 1981-82 का बजट, केन्द्रीय सरकार के योजनागत परिव्यय में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। बढ़े हुए योजना परिव्यय को आवंटन करने में, कृषि, सिंचाई और मूल ढांचा सम्बन्धी विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के लाभ वाले विशिष्टि कार्यक्रमों के लिए काफी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्य यह जानते ही है कि औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुत्थान की परिस्थितियों के सृजन के लिए सरकार ने 1980-81 में काफी व्यापक कदम उठाए हैं। 1980-81 के

बजट में औद्योगिक निवेश गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रस्ताव है। जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में और भी संवर्द्धनात्मक उपायों की घोषणा की गई थी। उद्योगों को ऋणों की गति में वृद्धि करने के भी कदम उठाए गए हैं। तेल निर्यातक देशों से चयनात्मक उद्योगों के नए कारखानों के लिए···(पोर्टफोलियो) निदेश के रूप में निदेश निधियों को आकर्षित करने के उपायों की भी घोषणा कर दी गई है। ऋणपत्र जारी करने से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को भी संशोधित कर दिया गया है। परिवर्तनीयता ए० बी० उपबन्धों को उदार बनाया गया है।

इन उपायों के संवर्द्धनात्मक प्रभाव भी 1980-81 के मध्य से निकलने शुरू हो गए हैं जो औद्योगिक निवेश के उत्साहजनक वातावरण के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। पूंजी निर्गम के लिए सहमति में वृद्धि, सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण दिए जाने में वृद्धि, और पूंजीगत माल के लिए आयात लायसेंसों में अत्यधिक वृद्धि सुधरे हुए दृष्टिकोण का सूचक है।

1981-82 के बजट में निदेश वातावरण को और भी सुदृढ़ बनाने के अनेकों नवीन प्रस्ताव हैं। निगमित करों पर अर्धभार में महत्वपूर्ण कटौती से जो 7.5 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत कर दी गई है न केवल उद्योगों को और अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, अपितु एक निदेश के आंतरिक वित्तपोषण की गुंजाइश की बढ़ेगी। 14 और उद्योगों के लिए विशिष्ट कर रियायतों को लागू करना एक प्रमुख रियायत है जिससे इन उद्योगों के निदेश एवं उत्पादन में और भी पर्याप्त वृद्धि होगी। उन उद्योग समूहों में जिन्हें विशिष्ट कर रियायतें उपलब्ध कराई गई है बिजली के पंखे, प्रैशर कुकर्स, कांच और कांच के बर्तन, पेंट्स और वार्निश जैसी महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं। इन उद्योगों में से कुछ उद्योगों में निर्यात की पर्याप्त सम्भावनायें भी हैं। ऊर्जा के हमारे नए-नए स्रोतों के विकसित करने की तत्काल आवश्यकता सर्वविदित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नयी-नयी ऊर्जा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए स्थापित संयंत्र और मशीनों पर मूल्यह्रास छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात ही है कि ग्रामीण और छोटे पैमाने के उद्योग न केवल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि विशेष रूप से रोजगार के पर्याप्त अवसरों में वृद्धि करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और भी अनेकों लाभ हैं जैसे आयकर में रियायतें जो अभी तक उन्हीं कारखानों को दी जाती थीं जिसके संयंत्र और मशीनों का मूल्य 10 लाख रुपए तक था परन्तु अब ये रियायतें उन सभी कारखानों को भी मिलने लगेगी जिनके संयंत्र और मशीनों का मूल्य 20 लाख रुपए तक होगा। इस प्रकार बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों को छोटे पैमाने की इकाइयों के रूप में माना जाएगा और उन्हें अनेकों प्रकार की रियायतें और सुविधायें दी जायेगी।

आशा है कि इसमें न केवल रोजगार के पर्याप्त अवसर ही पैदा होंगे बल्कि औद्योगिक रूग्णता को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

कारखानों के मालिकों (प्रोमोटर्स) को अब नई कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अधिक से अधिक 40 प्रतिशत तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। इस युक्ति-संगतिकरण से अब कारखानों के मालिकों को उद्योग में अधिक धन राशि जुटाने और नई परियोजनाओं को तेजी से अमल में लाने में सहायता मिलेगी। ऋण पत्रों पर ब्याज दर की सीमाओं को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत करने का आशय यह है कि इससे, औद्योगिक इकाइयां स्वयं अपने प्रयासों से ही धन राशि जुटाने में सक्षम हो जाएगी।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात ही है कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण हमारे भुगतान संतुलन पर भारी दबाव पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था में निरन्तर मुद्रास्फीतिक दबावों का यह भी एक प्रमुख कारण रहा है। भुगतान संतुलन नीति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, हमें अपनी निर्यात-आय में तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। 1981-82 के बजट में इस दिशा में बहुत से कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन यह है कि मुक्त व्यापार जोन (क्षेत्रों) में अधिष्ठापित एककों के लिए अन्य रियायतों के बजाय पाँच वर्ष तक पूरी तरह कर-मुक्ति की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल भुगतान संतुलन पर दबाव में अपेक्षित कमी होगी बल्कि निर्यात-उन्मुख उद्योंगों का विकास भी होगा।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को दी गई पर्याप्त रियायतों का सभी ओर स्वागत किया गया है। छूट की सीमा और शून्य-सीमा (स्लैब) में वृद्धि से स्पस्ट है कि एक ही झटके में लगभग 14 लाख कर दाताओं को करों के जाल से पूर्णरूप से मुक्त कर दिया जाएगा और 11.5 लाख कर दाताओं को भारी कर-छूट मिलेगी। वास्तव में, मानक कटौतियों और विशिष्ट निदेशों के लिए उपलब्ध कराई गई रियायत की बढ़ी हुई सीमा से 24000 रुपए तक की आय वाले लोग आय कर की अदायगी से मुक्त हो जायेंगे। इस बात की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि हमारे इस कदम से आय कर राजस्व से होने वाली लगभग 146 करोड़ रुपए की आय की हानि होगी, फिर भी यह आशा की जाती है कि इसका काफी अंश, अनेकों बचत प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप बचत में लगा दिया जाएगा जिन्हें हमने बजट में लागू किया है। तीन वर्ष तक की तथा और अधिक परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाओं को जमा पर ब्याज-दर बढ़ाकर अब और अधिक आकर्षक बना दिया गया है तथा एक छः वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली, जिस पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है, राष्ट्रीय बचत पत्र की एक नयी योजना भी लागू की गई है। यह भी आशा है कि इन बचतों का भी ऋण पत्रों और उन सरकारी कम्पनियों की जमाओं में निदेश किया जाएगा। जिनके लिए ब्याज दरों की अधिकतम सीमायें बढ़ा दी गई हैं।

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हमने समाज के सभी वर्गों की सहायता करने की

कोशिश की है । ग्रामीण अर्थ व्यवस्था एवं ग्रामीण रोजगार पर उचित बल दिया गया है । हमने बेरोजगारों, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान किए हैं । उद्योगों को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है । मध्यम आय वर्गों को वह छूट दी गई है जिसकी उन्हें जरूरत थी । इसलिए, हमने हर एक को यह छूट दे दी है । हमारे लिए यह बजट और यह अवसर ऐसा है कि हम इस सदन से और इस सदन के माध्यम से सारे राष्ट्र से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किए गए हमारे प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग करें । हमारा प्रयास है संकट का सामना करने की स्थिति से उभरकर विकास की ओर बढ़ना । यह एक प्रयत्न है, एक प्रयास है, प्रयास उतना ही पवित्र प्रयास है जैसे जगन्नाथ जी के रथ को खींचना । जैसा कि हम सभी लोग जानते है, जगन्नाथ जी का रथ किसी इंजिन, किसी हाथी, घोड़े अथवा बैलों की सहायता से नहीं खींचा जाता, बल्कि यह श्रद्धालू एवं इच्छुक व्यक्तियों के हाथों से खींचा जाता है । इसलिए हम आप आह्वान करते हैं और आप से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे राष्ट्र अर्थव्यवस्था को सही करने के इस प्रयास में हमारा साथ दें और इसे विकसित करके इसे संसार के मानचित्र में शिखर पर पहुंचा दें । हम सभी को इसमें सहयोग देना है चाहे हम विपक्ष में हों अथवा पक्ष में । आपके माध्यम से यह संदेश देश के कोने-कोने में फैलना चाहिए कि हम छठी योजना के दौरान अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । हम देश के लोगों को दिए गए वचन को निभाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पावन कार्य में हम आप से सहयोग और समर्थन का अनुरोध करते हैं । हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर हैं ? उसके लिए यदि आपकी अनुमति हो तो एक कवि की कुछ पंक्तियाँ सुनाकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं । इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहायता आवश्यकता पड़ेगी, इसमें खेतों में काम करने वाले हर किसान की सहायता की आवश्यकता होगी, मध्यम, निर्धन और अन्य दूसरे वर्गों के हर व्यक्ति को भी इसमें सहायता करनी होगी । इस कार्य में कारखानों में काम करने वाले सभी लोगों की चाहे वे मालिक हों अथवा मजदूर, सभी की सहायता की जरूरत है । हमें हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए । हम अपने कारखानों को चलाना चाहते है; हम अपने उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करना चाहते हैं । यह कैसे किया जा सकता है, एक कवि ने कहा है :—

> "हमें नए सांचों में ढालना है, नया निर्माण करना है, पुनरुत्थान करना है और यह सब काम छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा काम है जो हमें करना है । काम बेशक बड़ा है और भारी है लेकिन हमें इसमें जरा भी विलम्ब नहीं करना । न समय नष्ट करना है और न श्रम को नष्ट होने देना है । हमें गड्ढों से मिट्टी (क्ले) खोदनी है, पत्थरों को काटना है, हमें भट्ठी की आग को बुझने नहीं देना है ।"

इस विनम्र शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों और सदन से यह अनुरोध करता हू कि वे मेरा साथ दें और वित्त मन्त्री को धन्यवाद दें जिन्होंने 1981-82 के बजट को प्रस्तुत करने जैसा चमत्कारिक कार्य करके दिखाया है।

श्री मधु दण्डवते : इस रथ के नीचे आकर मरने का आपका आह्वान स्वीकार करते हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट समर्थन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1952 से ही मुझे राज्य विधान सभा में और कभी-कभी केन्द्रीय संसद में वित्त मन्त्री से बजट भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सत्ताधारी दल, कॉंग्रेस (आई) पार्टी का सदस्य होने के नाते नही वरन गुणता के आधार पर मैं इस बजट का समर्थन कर रहा हूं। यह सर्वोत्तम बजट है यह कहते हुए मैं वित्त मन्त्री की चापलूसी नहीं कह रहा। महोदय आप जानते ही है कि 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता सम्भाली थी उस समय देश की आर्थिक दशा कैसी थी। वह बिल्कुल ही अस्त-व्यस्थ हो गई थी। देश भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और जन सामान्य की शासन में आस्था बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद 1980 के बजट में वित्त मन्त्री ने जन सामान्य की आस्था को पुनः जगाने का ही भरसक प्रयास किया है। हम आत्मसन्तोषी नहीं हैं, इसलिए हम इस का दावा नहीं करते कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। किन्तु इस बात का दावा हम अवश्य करते हैं कि जनता की शासन में आस्था हमने निश्चित रूप से पुनः जागृत कर ली है। कृषि, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में यह सुधार का लक्षण है। आप जानते ही हैं कि इसे नापा जा सकता है। यदि आप कोयले के उत्पादन को देखें तो पता चलेगा कि इसमें वृद्धि हो गई है। मैं वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के औद्योगिक उत्पादनों की तुलना नहीं करूंगा। उस समय के आँकड़ों से इस सभा को बोर नहीं करूंगा। कभी-कभी आँकड़े बहुत उबाने वाले होते हैं। किन्तु कभी-कभी ये आकर्षित भी होते हैं। और इससे जो पता चलता है वह यह कि उद्योगों द्वारा किए जाने वाले उत्पादनों बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत वृद्धि तो हुई ही है। ये आँकड़े कोयले के उत्पादन में दर्शाते हैं; इस्पात में —प्रमुख अयस्क उद्योगों—में उत्पादन में वृद्धि दर्शाते हैं; विद्युत के उत्पादन में भी वृद्धि दर्शाते हैं। इससे यही पता चलता है कि यह सरकार ऐसा वातावरण तैयार करने में सफल हुई है, जिससे जनता में फिर से शासन के प्रति आस्था जाग उठी है। किन्तु यदि आप आंकड़े देखें तो हांलांकि आकड़े मेरे पास है फिर भी मैं उद्धम नहीं करूंगा। केवल यही बताऊंगा कि मुद्रास्फीति की दर बड़ी तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। उस पर अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सका है हालाँकि इसे कम तो किया गया है। यह आसान काम नहीं है। यह बहुत कठिन है। अभी हाल ही में एक दिन दिन वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में विश्व के विभिन्न देशों में जो मुद्रास्फीति की दर है उससे अपने देश के मुद्रा-स्फीति की दर की तुलना करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इससे निश्चित रूप से यही पता चलता है कि इसे कम करने के लिए कम से कम कारगर प्रयास तो किए ही गए हैं।

महोदय, इस बजट में मुख्यतः तीन मुद्दों को लक्ष्य रूप में निश्चित किया गया है।

पहला मुद्दा है मुद्रा स्फीति यह नियंत्रण करना । अंशतः यह सफल भी रहा है और कार्य-क्रम यही है कि उस पर नियंत्रण किया जाए, इस पर नियंत्रण करने के लिए वित्त-मन्त्री ने कौन से उपाय सुझाए हैं ? दूसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करूंगा वह है, कृषि और उद्योग के विकास के लिए देश में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, कोयला उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं, इस्पात उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं, रेलवे में बुनियादी सुविधाओं, विद्युत में बुनियादी सुविधाओं के विवाद के लिए और उद्योग में विकास की दर में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, मेरे विपक्ष के मित्र जो उपस्थित नहीं हैं, यदि वे उद्योगों की पिछली विकास दर से अब की तुलना करें.....

एक माननीय सदस्य : श्री शास्त्री उपस्थित हैं।

श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय : इससे तो मेरा बोलने का उत्साह थोड़ा कम हो गया है । इसीलिए महोदय, मैं उन्हें नहीं आपको सम्बोधित कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : वे पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री आनन्दगोपाल मुखोपाध्याय : जी हां, मैं जानता हूं कि वे रामावतार हैं, यदि आप पिछले वर्ष की विकास दर से इस समय की विकास-दर की तुलना करें तो पता चलेगा कि काफी सुधार हुआ है । किन्तु, यह सरकार इस सुधार से संतुष्ट नहीं हुई हैं । वह इसे बढ़ाकर कम से कम 5.6 प्रतिशत तक पहुंचाना चाहती है । क्यों ? क्योंकि देश की अर्थ-व्यवस्था इसी पर निर्भर है, जिस मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किया जाना है, वह इसी पर निर्भर करती है । आर्थिक विकास के अन्य उपाय भी इसी पर निर्भर करते हैं । अतः इस सरकार का पहला कार्य है, देश में उद्योग और कृषि की विकास दर में वृद्धि करना ।

यदि आप इस बजट को देखें तो पता चलेगा कि इसमें कलात्मकता है और वैज्ञानिकता भी है । इसमें क्या कलात्मकता है ? इसमें पूरे देश की और विभिन्न वर्गों की समस्याओं के समाधान के उपाय हैं । और कला यह है कि वित्त मन्त्री ने बजट को प्रस्तुत करने से पहले उसकी अत्यन्त कलात्मकता से जांच की है, और उन लोगों के प्रति अपनी अत्यन्त सहानुभूति दर्शायी है, जो वह निर्धन लोगों के प्रति रखते हैं । यदि आप बजट को पढ़ें तो आपको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, उपेक्षित ग्रामों, कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के प्रति उनकी सहानुभूति का पता चलेगा ।

यदि आप बजट की जांच करें तो आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के व्यय में इस क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन दिया गया है । यदि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाने वाले ऋण को देखें तो आप पायेंगे कि सभी वाणिज्यिक बैंकों से सीमान्त कृषकों, उप-सीमांत कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को जो ऋण दिया जाना है वह 40 प्रतिशत तक निश्चित किया गया है । ऋण देने वाले बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने में काफी राशि की गुंजाइश रखी गई है, ताकि लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, सीमांत कृषकों, उप-सीमांत कृषकों, छोटी सिंचाई परियोजनाओं आदि के विकास

के लिए ऋण देने में आसानी रहे। यदि आप इस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि लघु उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। करों में रियायत दी गई है।

मैं आंकड़े उद्धृत नहीं करूंगा, क्योंकि इससे सभा को बोरियत होगी। सदस्यों और वित्त मन्त्री ने इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आप देखेंगे कि अनेक प्रकार से लघु और कुटीर उद्योगों को करों में छूट दी गई है। अन्य उद्योगों तथा देश में उद्योगों के विकास के लिए सामने आने वाले उद्योगपतियों और उद्मियों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। किसलिए ? मूल उद्देश्य है उद्मियों को उद्योगों के विकास के लिए आकर्षित करना और रोजगार क्षमता को बढ़ाना। यदि आप बजट पर दृष्टिपात करें तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विकास करने के लिए, रोजगार क्षमता पैदा करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इनके पास एक ऐसी योजना है, जिससे जितने लोगों को रोजगार देने की आशा है. उतने लोगों को निश्चित रूप से रोजगार दिया जा सकेगा और जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा हो सकेगा। इस बजट वर्ष में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के कम से कम 30 लाख लोगों को ऐसी सुविधाएं दिए जाने का प्रयास किया गया है, जिससे वे गरीबी की रेखा से उठकर जीवन-निर्वाह कर सकेंगे। इस पर सभी तरह से विचार किया जा चुका है। और बजट का समग्र रूप में यही प्रयास है कि गरीबी को दूर किया जाए, दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निगम गठित किए गए हैं ताकि उनमें से जो उद्यमी हैं उन्हें सहायता दी जा सके, उनके उद्योगों को उन्नत किया जा सके, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए समर्थ बनाया जा सके और उनके आर्थिक-स्तर को समुचित ढंग से विकसित किया जा सके। यह एक समग्र प्रयास है, यह सरकार इस लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेगी। मुझे विश्वास है कि यह सरकार इन लक्ष्यों को अवश्य ही पूरा कर लेगी।

कृपया उन कर छूटों, क्रमियों और राहतों पर ध्यान दें जो मध्य वर्ग, औद्योगिक कामगारों और आम जनता को दी गई है। मेरे मित्र श्री बरोट ने आँकड़े पेश किए हैं। मैं अब दोबारा यह नहीं बताऊंगा कि इस वर्ष में करों में कमी कर श्रमिक वर्ग को जो प्रोत्साहन दिए गए हैं उसकी कुल राशि कितनी है। इन प्रोत्साहनों से उनका उत्साह बढ़ा है, वे केवल अधिक अर्जित करने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, वरन् उद्योगों में तथा अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनी क्षमता के उपयोग का भी प्रयास कर रहे हैं।

सरकार जिस बात पर बल देना चाहती है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसका अधिक बल इस बात पर है कि जनता में नया विश्वास पैदा किया जाए, वह विकास-दर को 5.6 प्रतिशत बढ़ाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने पर विशेष बल देती है जोकि इस देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर रही है, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अपने देश में मुद्रा स्फीति का आयात कर रहे हैं। जब हमें पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करना होता है, तो विकसित देश विकासशील देशों, जिसमें

भारत भी शामिल है, को बंधक बना लेते हैं, हमें इसमें से रास्ता खोजना है। हमारे वित्त मन्त्री ने इसके बारे में सुझाव दिया है और उन क्षेत्रों के विकास के लिए धन राशि निर्धारित कर दी है, जो ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकें। मैं देश के वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि वे इस चुनौती को स्वीकार करें और इसके लिए विकल्प खोजने का प्रयास करें। कल, प्रश्न काल के दौरान हमारे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया था कि हमें पैट्रोलियम का विकल्प ढूंढ़ना चाहिए, चाहे वह टैपियोका पौधे से ढूंढ़ा जाए या शीरे में से ढूंढ़ा जाए, ताकि हम काफी हद तक पोरोज कमी को पूरा कर सकें। वित्त मन्त्री ने हमारे वैज्ञानिकों से यह अपील की है कि वे इसका विकल्प ढूंढ़ें। भारत विश्व के विकासशील देशों में से एक है। संभव है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, किन्तु, हमें गर्व है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व-भर में हम तीसरे स्थान पर हैं। यही वह सरकार है जिसने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिए, यही वह सरकार है जिसने वैज्ञानिकों को बढ़ावा दिया, यही वह सरकार है, जिसने अपने देश में वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की है और उनसे कहा है कि वे आगे आएं और सौर ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की पारम्परिक ऊर्जा का भी विकास करें ताकि हमारा देश उन्नति कर सके।

हमारे देश के तकनीशीयनों और वैज्ञानिकों को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। किन्तु हमने अपने देश में उन्हें हतोत्साहित ही किया है। किन्तु अब समय आ गया है, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे आगे आएं और देश के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक दृष्टि से विकास के लिए विकल्प खोजें। किन्तु एक बहुत बड़ी अड़चन है। देश का संपूर्ण प्रयास किसी एक दिशा में नहीं है, और लोग भी किसी एक दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे विरोधी मित्रों ने इस दिशा के विरूद्ध कई कोशिशें की हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना मन टटोलें। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि वे देश-भक्त होंगे; मैं इस बात का दावा नहीं करता कि वे राष्ट्रीयवादी होंगे ही। मैं अपने देश के राजनैतिक दलों के स्वरूप और संरचना के बारे में जानता हूं। कुछ दल तो ऐसे हैं यदि उनसे मैं राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहूं तो ये मेरी मूर्खता ही होगी। वे इस देश में जी रहे हैं, हमारे देश का ही अन्न खा रहे हैं किन्तु उनका मन कहीं और ही है। अब समय आ गया है। यह समय की चुनौती है। यदि उनमें राष्ट्रवादी प्रवृत्ति और भावनाएं हैं, तो मेरे जैसा एक अदना आदमी उनसे निवेदन करता है कि वे आगे आएं और जन-कल्याण पर चर्चा करें और यह भी देखें कि आर्थिक दशा में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। उन्हें अपने प्रति ईमानदार तो होना ही चाहिए। आपको चाहिए कि जिसका भी उपदेश दें उसी को व्यवहार में भी लाएं; ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिसका उपदेश दें उसके अलावा कुछ और व्यवहार में लाएं। इन सब के विस्तार में जाने से मेरा अभिप्राय यही है कि कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में हमारे देश के उत्पादन में वृद्धि हो। यह श्रीमती इंदिरा गांधी या उनकी सरकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बरन् जनता की आवश्यकता पूरी करने के लिए है, ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें और मुद्रा स्फीति की दर पर नियंत्रण किया जा सके। हमारे मित्र यदि इस

समय यह सोचें कि वे भारतीय हैं, और उन्होंने उस दिशा में कुछ प्रयास भी किया है, किन्तु उद्योग के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं ? हमारे मित्रों ने देश को भूखा मारने और सरकार के विरूद्ध आंदोलन करने की नीति अपनायी है। क्या उनके पास इसका कोई ठोस कारण है ? क्या उनका उद्योग के बारे में हमसे कोई मतभेद है ? बंगलौर में हड़ताल क्यों हुई ? वर्ष 1978 में ये दिग्गज अब जो विपक्ष में बैठे हैं फर्नांडीज राममूर्ति..... ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रामावतार शास्त्री...(व्यवधान)

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय : जी नहीं, रामावतार शास्त्री नहीं, श्रीवास्तव। उन्होंने एक समझौता किया, जिसमें वे 1.30 प्रति अंक मूल्य और मजदूरी में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमत हो गए थे; उस समय सत्ता उनके हाथ में थी और उन्होंने चाहा था कि पूरे देश में संपूर्ण उद्योग इसी नमूने पर संचालित हो। उन्होंने इस्पात उद्योग में मोल-तोल करने वालों पर दबाव डालना चाहते थे। किन्तु 'इन्टक' इससे सहमत नहीं हुआ। वे इसी तरीके से कोयला उद्योग को संचालित करना चाहते थे किन्तु इन्टक उससे भी सहमत नहीं हुआ। सौदेबाजी के परिणाम-स्वरूप—जी हां, हमने उससे भी बेहतर सौदा किया, जो कि उन्होंने बंगलौर में किया था—हमने उनसे अधिक लाभ प्राप्त किया। उन्होंने 1978 में यही पैटर्न तेल के लिए भी पूरे देश में अपनाना चाहा था। आज कामगार उन्हीं पर दबाव डाल रहे हैं। उन पर इतना दबाव पड़ रहा है कि उन्होंने कामगारों को हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया हैं है, जिसके कारण 80 श्रम दिवस का नुकसान हो चुका है, यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता पाने वाले इन नेताओं ने बंगलौर में कामगारों को हड़ताल करने के लिए प्रेरित किया और पूरे देश में ही इसी मानक को स्थापित करना चाहते हैं। आज वह सद्भावना कहाँ हैं ? वह कहाँ चली गई है ? अब वह भुला दी गई है, क्यों कि अब सत्ता उनके हाथ में नहीं है। (व्यवधान) यदि आप पश्चिम बंगाल में उद्योग में कार्यरत कामगारों को देखें तो पता चलेगा उनके शासन से पहले उनकी क्या स्थिति थी और आज वे कैसे हैं। आप देखेंगे कि पटसन उद्योग में लगभग तीन लाख कामगर काम कर रहेहैं क्या उनके अधिकारोंको बनाए रखा गया है ? क्या उनसे जो समझौता किया गया था। ऐसा पारिश्रमिक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए लागू किया है ? तीन वर्ष से 60 करोड़ रूपए की बकाया राशि उन्हें अदा नहीं की गई है। ढाई लाख इंजीनियरी कामगारों को पश्चिम बंगाल में 40 करोड़ रूपए का नुकसान हो गया, क्योंकि वहाँ मार्क्सवादी सरकार है। मेरे माननीय मित्र जीवन बीमा के कर्मचारियों और उनसे हुए समझौते के पालन के बारे में बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं ? किन्तु केरल के राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के साथ उन्होंने क्या किया ? उन कामगारों की मांगों के बारे में तो बताइए जो कि करोड़ों की बकाया राशि का भुगतान किए जाने के बारे में है, उनी के लिए उन्होंने क्या कर लिया ? इसी से आप हमारे विरोधी पक्ष के मित्रों की स्थिति के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। हम उन्हें भलीभाँति जानते हैं। फिर भी हम उनसे आगे आने का निवेदन करते हैं। आखिरकार वह समय आ गया है।

कम से कम फिलहाल हमें पक्षपातपूर्ण रवैये को भुलाकर देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए तथा साथ ही जनसंख्या के इस भाग को कम से कम इस स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए कि वे ठीक ढंग से रह सकें। इन शब्दों के साथ मैं फिर कहता हूं कि मैं सहर्ष इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री टी०एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, दोनों तरफ से मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने। बड़े अच्छे-अच्छे भाषण हुए। लेकिन मुझे तो यह बजट देखकर ऐसा लगता है कि यह बजट गरीबों के पेट पर लात और जो आम जनता है जो बोलने वाली जनता है उसके मुंह पर हाथ देने का काम करता है। पेट पर लात और मुंह पर हाथ देने वाला यह बजट है।

मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हिन्दुस्तान में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में काफी तरक्की नहीं हुई है लेकिन नतीजा क्या हुआ ? नतीजा आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहां पचास से ज्यादा प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। हमारे बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग, डाक्टर्स, इन्जीनियर्स और टैकनीशियन्स विदेशों में जा रहे हैं और विदेश के लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं। अकेले अमेरिका ने 697 करोड़ रुपये का फायदा इन डाक्टर्स और इन्जीनियर्स से उठाया है, यह मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे यहां एक इन्जीनियर को पैदा करने में 2.56 लाख रुपये लगते हैं और अमेरिका में 27.55 लाख लगते हैं। इसी तरह एक डाक्टर तैयार करने में हमारे मुल्क में 3.5 लाख का खर्चा होता है और अमेरिका में 55.3 लाख का खर्चा उस पर आता है। अमेरिका आदि मुल्क हमारे डाक्टरों से और हमारे इंजीनियरों से, हमारे टैकनीशियनों से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारा मुल्क इनका फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े काबिल लड़के जो पढ़ लिखकर निकलते हैं उनको विदेशों में शरण लेनी पड़ रही है। यहां उनके लिए रोजगार नहीं है।

मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में आर्थिक सत्ता का कई सौ प्रतिशत अधिक केन्द्रीकरण हो चुका है। देश की दौलत मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटी जा रही है। बेरोजगारी अगाध गति से बढ़ रही है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। रोज बरोज हमारी अर्थ-व्यवस्था को निरन्तर के मुद्रा प्रसार, लेवी और तकावी का सामना करना पड़ रहा है।

1960 से अब तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चौगुनी बढ़ौतरी हो गई है। आम लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति में तेजी से गिरावट आई है जबकि एकाधिकारवादी घरानों, सटोरियों, बिचौलियों और मुनाफाखोरों के मुनाफे बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। इस प्रक्रिया में जन्म ले रहे सामाजिक परिसीमन ने न केवल विकास की गति को अवरुद्ध और ध्वस्त नाबूद किया है अपितु, इसने सच्चे स्वराज्य को दूर का स्वप्न बनाकर छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति हमारे देश की है।

एक ओर हम किसानों के फायदे की बात करते हैं, किसानों की बड़ी-बड़ी रैली बुलाते हैं लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। एक ओर किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है तो दूसरी ओर बिचौलियों, सटोरियों, जखीरेबाजों और एकाधिकारवादियों द्वारा किसानों की लूट जारी है। वे किसानों के उत्पादन को लूटने में लगे हुए हैं। यह वर्ग प्रति वर्ष कृषि का दोहन कर हजारों करोड़ का मुनाफा वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में पहुंचा रहा है। किसान अपनी मेहनत का फल पाने से वंचित है लेकिन उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाने को विवश किया जाता है इस बिचौलिया संस्कृति ने जो हमारे राजनीतिक और आर्थिक जिन्दगी में प्रभावी तत्व बन चुकी है, काले धन की अर्थ-व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। छठी पंच-वर्षीय योजना में 2: सौ करोड़ रुपये की लेवी अकेले खाद पर किसानों से वसूल की जायगी। इतनी लेवी आज तक कभी भी किसानों पर नहीं लगी थी। अभी नासिक में किसानों का आंदोलन चला। हम लोग वहाँ बम्बई में थे। हमने देखा, नासिक में किसानों ने सिर्फ एक मांग की थी कि प्याज की कीमत एक रुपये किलो बढ़ाई जाए। लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना जबकि बम्बई के बाजार में 3 रुपये किलो प्याज बिक रही थी। क्या उनकी यह जायज मांग नहीं थी ? इस ढंग से किसानों को आज तंग और परेशान किया जा रहा है। धान की खरीद में सभी जगह लूट हुई। जो खरीद केन्द्र बनाए गए थे वहाँ पर किसानों को मजबूरन अपना धान कम कीमत पर बेचना पड़ता था। सरकार ने जो धान की वसूली कीमत निर्धारित की थी उससे कम कीमत पर किसानों का धान लिया गया।

सभापति महोदय : नेगी जी, आपके सिर्फ दो मिनट ही और हैं।

श्री टी०एस० नेगी : मैं चार मिनट में समाप्त कर दूंगा।

इस प्रकार से इस मुल्क में स्थिति गम्भीर होती चली जा रही है। अभी-अभी इलाहाबाद में एक साइन्स कांग्रेस हुई थी जहाँ पर हरिनारायण जी का वक्तव्य हुआ था और प्रधान मन्त्री जी भी वहाँ पर मौजूद थीं। उनके वक्तव्य के मुताबिक इस देश में इस शताब्दी के अन्त तक दुगुने गल्ले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो किसान अपनी पैदावार नहीं बढ़ायेंगे। किसानों का कहना है कि जब-जब उनकी पैदावार बढ़ी है, उनका नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि फसल को जलाना पड़ा है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : कुछ पहाड़ के लिए भी बोलिए।

श्री टी०एस० नेगी : पहाड़ के लिए सोचने वाली तो स्वयं प्रधान मन्त्री जी यहाँ पर हैं। वह स्वयं कश्मीर की हैं। वे कभी कहीं की बेटी और कभी कहीं की बहू बनती हैं। *(व्यवधान)*

श्री गुलाम रसूल कोचल (अनन्तनाग) : क्या आपको शक है कि वे कश्मीर की बेटी नहीं है ?

श्री टी०एस० नेगी : मैंने तो यह नहीं कहा है कि मुझे कोई शक है। (**व्यवधान**) मेरा यह निवेदन है कि आज मुल्क की जो स्थिति है और जिस ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे मुल्क को नुकसान होगा।

अपराधों में हो रही लगातार बढ़ोतरी इस संकट का स्वाभाविक खतरा है। इसमें हमारी राष्ट्रीय जिन्दगी में एक खतरनाक रूप धारण कर लिया है। इसी वजह से आज भारतीय राजनीति चारों तरफ समस्याओं से घिर चुकी है। मौजूदा प्रशासन तन्त्र समस्याओं के समाधान में नगण्य प्रभाव भी छोड़ने में असमर्थ हैं। पिछले कई वर्षों से स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता भी समाप्त की गई है।

शिक्षा सरकारी दखलन्दाजी का शिकार हो चुकी है। हमारे प्राकृतिक साधनों का औपनिवेशिक शोषण आज भी जोरों पर है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और काले धन के अथाह प्रसार ने मिलकर विचौलियों और सुविधा भोगियों के नव धनाढ्य वर्ग को पैदा किया जिससे सामाजिक विकास की गति अवरुद्ध हो रही है और आम लोग स्वराज के लाभों से वंचित हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ?

श्री टी० एस० नेगी : इस सदन में हमेशा स्पीचेज पढ़ी गई हैं, मैं तो केवल कहीं-कहीं रेफ्रेन्स ही दे रहा हूं फिर भी माननीय सदस्यों को एतराज हो रहा है। (**व्यवधान**) सारी दुनिया जानती है और सारा विरोध पक्ष जानता है कि सरकार का यहां पर कितना भारी बहुमत मौजूद है लेकिन फिर भी इनके नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। इसी-लिए ये बौखला रहे हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी जगह पर हैं।

सभापति महोदय : पंडित जी, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं आपकी जमीन खिसकती जा रही है।

श्री टी०एस० नेगी : जब इस देश में एकाधिकारवाद हुआ और इमरजेंसी लगी तो जनता ने महसूस किया कि सरकार को बदल देना चाहिए लेकिन नई सरकार ने भी कोई ज्यादा प्रभाव राष्ट्र पर नहीं छोड़ा इसलिए वह भी चली गई। दोबारा वही सरकार फिर आ गई। हम समझते थे अब कुछ उन्नति होगी और देश कुछ सुधरेगा लेकिन वैसे लक्षण नही दिखाई दिए। इस बजट से कहीं नहीं दीखता कि बेरोजगारी खत्म होगी या गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या घटेगी। लगता है सारा मुल्क तबाह होता जाएगा। ला ऐंड आर्डर की स्थिति यह है कि रोज अखबारों में देश में कहीं न कहीं अपराधों की खबरें मिलेंगी।

इस बारे में सरकार कुछ नहीं करती है। मैं तो यह समझता हूं कि इन अपराधों

को बढ़ाने में सरकार का स्वयं हाथ है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से अपराधी, जो जिलों के अन्दर हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पास मिले हुए हैं, जिन पर उनके नेता की मोहर है। वे पुलिस स्टेशन पर जाकर, थाने में जाकर कहते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट हैं। पुलिस वाले उन लोगों से दबते हैं, तो ला-एण्ड-आर्डर किस ढंग से ठीक होगा। जहाँ-जहाँ पर गड़बड़ियां होती हैं, मुख्य लोगों को वहाँ पर एक दम जाना चाहिए, लेकिन वे लोग महीनों के बाद जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुल्क का क्या होगा, वह भगवान ही रक्षा करेगा—ऐसा मैं मानता हूं।

सभापति जी, मैं आपको पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : सभापति जी. माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के समक्ष जो बजट रखा है, वह एक आशा का बजट है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देती हूं। उन्होंने देश को निराशा के वातावरण से निकालकर एक स्वस्थ आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जाने का संकेत अपने बजट भाषण में किया है। केवल संकेत ही नहीं किया है, बल्कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, बजट के द्वारा, जिससे हमें पूरी आशा है तथा देश को भी पूरी आशा है कि 1981-32 का जो वर्ष होगा, उसमें हम देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जायेंगे, जिसके लिए भारत की जनता ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को पुनः विश्वास के साथ देश की बाग डोर उनके हाथों में देकर के फिर से उनको जिताया है।

हम जानते हैं कि पिछले वर्ष जो वित्त मन्त्री जी का भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि हम विशेष परिस्थितियों में इस समय आपके सामने आज बोल रहे हैं। जिस खस्ता हालत में, जिस तरह की उखड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था हमें मिली है, उसको सही करने में करीब-करीब एक वर्ष लगेगा। इसलिए आज हम यह कह सकते हैं कि यह एक उजाले का बजट है और विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। छठी पंचवर्षीय योजना आ रही है, जिसका जिक्र भी जगह-जगह पर वित्त मंत्री जी के भाषण हुआ है, जो कि यह बताता है कि किस तरीके से ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट भाषण को पढ़ने के बाद, मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि जो भी चाहे कृषि क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में, योजनायें इस वर्ष के लिए बनाई गई हैं, उनको कार्यान्वित किया जाएगा। इन सबको मिला करके हम यह आशा करते हैं कि करीब-करीब 6.5 प्रतिशत ग्रास--नैशनल-प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। यह जरूर है कि आज की परिस्थितियों में जहाँ एक ओर इतनी अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति है, जिसको रोकने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन की ओर चलें—इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस बजट में कहा गया है कि अब हम प्राइस मैनेजमेंन्ट से ग्रोथ की ओर जायेंगे—इससे मैं कहती हूं कि यह एक आशा का बजट है। इसके द्वारा हमारी नई आशायें पैदा हुई हैं।

अब मैं दो-तीन बातें, जो हमारे विरोधी दलों के भाई अकसर कहा करते हैं, के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। एक खास बात तो यह कही गई है—जो प्रायः पिछले बजट के समय भी कही गई थी, लेकिन इस बार भी कही जाएगी, ऐसी मैं आशा नहीं करती थी कि इसमें किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बजट को देखने के बाद भी अगर यह बात हमारे विरोधी दलों के भाई कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। किसानों का ध्यान तो आज से नहीं, आजादी के बाद जब से पंचवर्षीय योजनायें बनायी गई, तब से रखा जाता रहा है और इस बार भी हमने जो छठी पंच वर्षीय योजना बनाई है और उसके अनुसार इस वर्ष के बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह निश्चित रूप से कृषि को ज्यादा तरक्की की ओर ले जाने वाला है। आँकड़े यह बतलाते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो तरक्की होने वाली है वह पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा होने वाली है तथा हमारा प्रोडक्शन पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यह प्रोडक्शन अपने आप ही नहीं बढ़ जाएगा, यह इसलिए बढ़ेगा कि अगले वर्ष में हम उनकी सुविधाओं में ज्यादा सुधार करेंगे, बिजली की स्थिति को सुधारेंगे, पानी ज्यादा तथा ठीक से दे पायेंगे, हाई-ईल्डिग वैराइटीज के बीज देंगे, अच्छी तथा पर्याप्त मात्रा में खाद दे सकेंगे—जिसका प्रभाव हमारे प्रोडक्शन पर पड़ेगा। हम जो खाद देते हैं, उसके अन्दर जो हिडन-सब्सिडी है— क्या उससे किसानों की मदद नहीं होती है? यदि हम गाँवों की तरफ सड़कों को ले जाते हैं—क्या उससे किसानों की मदद नहीं होती है? यदि हम रेल-यातायात के साधनों को सुधारते हैं—तो क्या इससे किसानों की मदद नहीं होती है? मैंने इस बजट में यह भी देखा है—गाँवों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे एग्रीकल्चरल-प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है तथा जो हमारे मार्जिनल-फार्मर्स हैं, स्माल फार्मर्स हैं, लैण्डलैस-लेबर है, गांव में रहने वाले जो दस्तकार हैं, रूरल-आर्टिजन्ज हैं, हरिजन और आदिवासी हैं—इन सबके लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस बात के लिए तो मैं भारत सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूं—कि इसमें नेशनल रूरल-एम्प्लायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की ओर से 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा इसमें मैचिंग कांस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स का होगा—इस तरह से करीब-करीब 380 करोड़ रुपया एक वर्ष के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत हम गांवों में खर्च करने जा रहे हैं। यह खर्चा किसके ऊपर होगा? यह इस देश के गरीब लोगों के ऊपर होगा या दूसरे लोगों पर होगा? इसलिए यह कहना कि यह बजट बड़े लोगों के लिए ही है, बड़े लोगों को इसमें कन्सेशन दिया गया है—बिल्कुल गलत है।

इसी तरह से एक बड़ी स्कीम "इन्टीग्रेटेड रूरल डवेलपमेन्ट" की है जिसके द्वारा इस देश के गरीब भाई-बहनों को, विशेष कर जो वीकर-सैक्शन है, उनको बहुत मदद पहुंचाने वाली है। आज भी हमारे देश में वीकर-सैक्शन के लोग बहुत बड़ी तादाद में गांवों में बसते हैं—इस तरह इस योजना के द्वारा भी गाँवों के लोगों को ही राहत मिलने वाली है लेकिन इसके लिए आपको अपना शीशा बदल कर देखना होगा। लोग यहाँ पर रटी-रटाई बात कहते हैं, हर साल एक ही तरह की बात करते हैं, हर साल बजट पर एक ही तरह का

क्रीटीसीज्म करने के आदी हो गए हैं। यह भी नहीं देखना चाहते हैं कि जो हमारी नई-नई स्कीमें आ रही हैं, नये तरीके से सारी चीजों को दिशा दी जा रही है --यह सब किसके लिए किया जा रहा है ? हमारे यहां शहर कितने हैं, देश के अन्दर शहरों में रहने वाली पापुलेशन कितनी है ? क्या सारे देश का पैसा इन्हीं शहरों के लोगों पर लगाया जाता है और गांवों के लोगों पर लगाया ही नहीं जाता है लेकिन एक घिसी-पिटी सी बात कही जाती है हर जगह पर, इस सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी कि गाँव वालों को छोड़ दिया जाता है और केवल शहर वालों के लिए ही सोचा जाता है।

इस बार जो बजट आया है, मैं समझती हूं कि पहली बार मध्यम वर्गों के लोगों ने राहत की साँस ली है और इसके लिए हमारे वित्त मन्त्री जी और हमारी प्रधान मन्त्री जी तथा उनकी पूरी कैबिनेट बधाई की पात्र है। इन्कम टैक्स में भी राहत मिली है। पिछले साल की तरह इन्कम टैक्स देने वालों के लिए जो 8 हजार रुपए का स्लैब रखा गया था, उसको बढ़ा कर अब 15 हजार कर दिया गया है। इससे पहले 12 हजार रुपए तक का स्लैब रखा गया था और 12 हजार से ऊपर वालों पर इन्कम टैक्स लगता था, जिसको अब बढ़ा कर 15 हजार रुपए कर दिया गया है। इस तरह की जो छूट दी गई है, उससे 40 लाख जो इन्कम टैक्स देने वाले हैं उनमें से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 25 लाख लोगों को लाभ देना कोई मामूली बात नहीं होती है। इनमें से बहुत से लोग तो बिल्कुल इंकम टैक्स ही देंगे और बाकी जो हैं उनको दूसरी तरह से जो छूट दी गई है, उससे फायदा होगा। इसका एक अच्छा असर देश की आम जनता पर पड़ने वाला है। हमारे विपक्ष के कुछ सदस्यों को और हमारे रवीन्द्र वर्मा जी को, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं और जो अभी बोल रहे थे, इस बजट में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा कि इसमें मिडिल क्लासेज के लोगों को कोई फायदा है, गरीबों के लिए कोई फायदा है। जो बातें उन्होंने कही, वे तोड़-मरोड़ कर कही और इसका मुझे अफसोस है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि पिछले वर्ष के बजट में जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान फार शेड्यूल्ड कास्ट्स इन्ट्रोड्यूस की गई थी, उसमें भी इस वर्ष के बजट में रुपया बढ़ाया गया है और यह एक अच्छी बात है। पूरे बजट को पढ़ने के बाद, मैंने बजट स्पीच को पढ़ा और जो आर्थिक समीक्षा की पुस्तिका है, उसके कुछ पन्नों को भी पलट कर देखा और उससे मुझे यह लगा कि सरकार एक ठोस कदम उठाने का पक्का इरादा रखती है। यहाँ पर जो लोगों के मनोबल को गिराने की बातें कही जाती हैं, दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से हमेशा ऐसी बातें कहीं जाती हैं, उनसे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहती हूं कि इससे उनका भी कल्याण नहीं होने वाला है और ये जो मनोबल को गिराने की बातें की जाती हैं, इनसे काम नहीं चलने वाला है। हम एक संघर्ष के बीच से गुजर रहे हैं। हमने यह कभी नहीं कहा है कि हमने सारी चीजें कर ली हैं। अभी हमें बहुत कुछ करना है।

मैं दो तीन बातें और कहकर और अपने सुझाव देकर समाप्त करूंगी। इस बजट

में डिसएबिल्ड लोगों को भी छूट दी गई है। उन भाइयों के लिए वरेले वाचेज और उनके पार्टस, ट्राईसिकिल्स क्रिपिल्ड लोगों के लिए और हियरिंग एड्स और उनके पार्टस दूसरी ऐसी चीजों पर कसटम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज में काफी छूटदी है। इससे पता चलता है कि सरकार का न केवल इस देश के गरीब लोगों की तरफ ध्यान है बल्कि उन लोगों की तरफ भी ध्यान है, जो असहाय हैं और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं और जिनको आज समाज की मदद की बहुत जरूरत है।

मैं एक दो बातें और कहना चाहती हूं और वे ये हैं। इस सदन में वियेरर-बोंड्स की बहुत चर्चा हुई है कि ये बौंड किस लिए निकाले हैं। इस बात को आप जानते हैं कि हमारे देश में जहाँ एक ओर ऐसी आर्थिक व्यवस्था है कि एक वह मनी है, जिसको व्हाइट मनी कहते हैं, और उसके साथ-साथ ब्लैक मनी का भी दूसरा सिलसिला हमारे देश के अन्दर चल रहा है। अब यह जो ब्लैक मनी है, इससे हमारी जो सारी प्लानिंग है, हमारी जो योजना है, उस पर इसका असर पड़ रहा है। जो योजना है, उसको इन्फलेशन के रूप में बदल करके मार्केट में उसका फ्लो हो जाता है। अगर इस ब्लैक मनी को नहीं रोक पाते हैं, तो उसके नतीजे बहुत खराब होते हैं। जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, यही नहीं कि हमारे देश में यह हो रहा है बल्कि दूसरे देशों में भी हम इस चीज को देख रहे हैं। तो मैं यह चाहूंगी कि इस ब्लैक मनी को रोकने के लिए हम और भी ज्यादा इफेक्टिव स्टेप्स उठाएं। बिना इसके दिए जो हम इकोनोमिक ग्रोथ करना चाहते हैं वह ग्रोथ नहीं होगी। जब हमने समाजवाद को स्वीकार किया है, साथ ही साथ हम मिक्स्ड इकोनोमी स्वीकार के चल रहे हैं तो हमारे लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि जो हमारी मिक्स्ड इकोनोमी है इसमें हम देखें कि पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सैक्टर का क्या रोल हो।

इसी तरह से हमें अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम को भी मजबूत करना है। इस पर भी मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जो हमारी प्राइस पालिसी है, आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे स्टेबल प्राइस कंडीशंस क्रियेट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि जो हमारी अर्शेशल कमोडिटीज हैं जो कि हम पब्लिक सेक्टर के द्वारा प्रोड्युस कर सकते हैं उनका मास स्केल पर प्रोडक्शन बरने की तरफ हमें अभी से आगे बढ़ना चाहिए और हमें इस प्रकार से यह कार्यक्रम रखना चाहिए कि आने वाले वर्षों में उनकी कठिनाई न हो। कुछ चीजों को हमारे किसान पैदा करते हैं और कुछ चीजों का उत्पादन हमारे कारखानों में होता है। जो चीजें हमारे कारखानों में पैदा होती है तो उनके बारे में हमें यह देखना होगा कि किस हद तक हम उनको आजादी दें और किस हद तक हम उनको आजादी न दें। किस हद तक हम ये प्राइवेट हाथों में रखें, किस हद तक नहीं रखें, यह भी हमें देखना होगा।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। भारत का ही यह बहुत बड़ा सूबा नहीं है बल्कि आबादी के लिहाज से यह दुनिया का आठवां या नवां देश कहलाएगा। अब हमारा छठा प्लान शुरू होने वाला है। पिछले पांच प्लानों में हमने

15 हजार करोड़ रुपया इन्डस्ट्रीज के ऊपर खर्च किया है उसमें से केवल पाँच सौ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए अलोट किया गया है। मैं आशा करती हूं कि कुछ और रुपया उत्तदेश के लिए आप इस प्लान में देंगे। मैं सीतापुर कांस्टीच्युएंसी से आती हूं और वह एक पिछड़ा हुआ जिला है। भारत सरकार से मेरी मांग है कि वहाँ पर एक स्पिनिंग मिल खोली जाएं। हमारी कॉंस्टीच्युएंसी का लहरपुर जो क्षेत्र है वहां पर यह मिल स्थापित की जाए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, बजट में सरकार की नीति पैसे की भाषा में लिखी गयी है। आज तक हमने पाँच योजनाएं पूरी की हैं और उनके ऊपर एक लाख तीस हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। बहुत अच्छा काम किया है। हमें यह सोचना है कि इसके आधार पर हमने जो कुछ प्राप्त किया है, वह क्या है और उसे मैं कुछ बताना चाहता हूं। इतने हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हम क्या उपलब्ध कर पाए हैं उसके बारे में मैं कुछ बताता हूं --

कुल जनसंख्या लगभग 300 बिलियन है जिसमें आधे से अधिक गरीबी की रेखा से नीचे हैं। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में यह स्वीकार किया जाता रहा है कि भारत की गरीबी तथा असमानता का स्वरूप एक प्रकार से अपरिवर्तित ही रहा है। फिर इसमें कहा गया है कि भारत में जो आहार खाया जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा केवल 4 ग्राम प्रतिदिन होती है जबकि विकसित देशों में 100 ग्राम से भी अधिक है और विकासशील देशों में भी अहार में लगभग 85 से 90 प्रतिशत ग्राम प्रोटीन होता है।

मैंने एक बात कही थी कि आपने यह जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमारा रिटर्न कितना हुआ है, इसके बाबत् मैं बाद में बतलाऊंगा। मैं, आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बजट किस स्थिति में रखा गया है। आज हमें समाज में परिवर्तन लाना है। सवाल सरकार बदलने या सरकार की उपलब्धियों या लाभ का नहीं है, सवाल है समाज को बदलने का, समाज में फैली विषमता को समाप्त करने का। आज हमें यह देखना है कि डिस्पेरिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है।

सभापति महोदय, हमने एक काम किया है और वह यह कि सरकारी आदमियों को ज्यादा संख्या में नौकरी पर रखा और उनका बजट बढ़ता गया। आप देखिए कि यह बजट किस प्रकार बढ़ता है, मैं बताना चाहता हूं। 1979-80 के अन्दर 1396.34 करोड़ रखा गया था जो बाद में 12047.53 करोड़ रिवाइज बजट में पेश किया गया। अब 1980-81 के बजट में 13310.35 करोड़ रुपया रखा गया हैं। इतना रुपया आपने उनके वेतन में बढ़ा दिया। यह उचित है या अनुचित यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आप का नान प्लान एक्सपेंडीचर किस प्रकार बढ़ता है मैं यह बताना चाहता हूं। इसके लिए आप यह तर्क दे सकते हैं कि हमें अपने कर्मचारियों को अच्छी तन्ख्वाहें देनी हैं, ठीक है। अब आगे आप देखिए कि आपने ओवर टाइम अलाउंस क्या दिया है। 178-79 के अन्दर

आपने 39 करोड़ 15 लाख रुपया दिया है और 1980 में 56 करोड़ 52 लाख रुपया दिया है और 1980 के अन्दर 72 करोड़ 68 लाख रुपया आपने दिया है। सभापति महोदय, श्री सी० सुब्रमण्यम जब फिनांस मिनिस्टर थे वे मुझे बार-बार कहते थे कि मैं ओवर-टाइम अलाउंस खत्म कर दूंगा। आज 72 करोड़ रुपया ओवर-टाइम अलाउंस के लिए दिया गया है। सभापति महोदय, आज हम जो यहाँ पर दो तिहाई बहुमत में बैठे हुए हैं, हमने कोई निर्णायक कदम नहीं लिया, राजनीतिक मानदण्ड पर कोई क्रांति के मूल्य स्थापित नहीं किए। यह क्रांति कब आएगी। यह क्राँति केवल कुछ लोगों के लिए ही आयेगी या गरीबों के लिए भी आयेगी। इसके बारे में लिखा गया है :—

"समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें कार्यालय के काम को इस प्रकार संगठित करने पर बल दिया गया है जिससे समयोपरि भत्ता कम से कम देना पड़े। सभी विभागों को कहा गया है कि किसी भी हालत में समयोपरि भत्ता न दिया जाए।"

मुझे यह उत्तर दिया जाता रहा है।

सभापति महोदय : 72 करोड़ रूपया ओवर-टाइम में दिया गया है। एक अखबार में मैंने पढ़ा है कि यह बैंकों में कितना मिल रहा है।

"स्टेट बैंक ने 1980 में 900 लाख रुपये समयोपरि भत्ता दिया"
"सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों ने कुल मिलाकर 3,084.86 लाख रुपए समयोपरि भत्ता अदा किया इनमें स्टेट बैंक द्वारा 1980 में अदा किया गया 900 लाख रुपए का समयोपरि भत्ता सबसे अधिक था।"

30,31 करोड़ रुपया आप ने बैंक एम्पलाईज को ओवरटाइम दिया, मैडिकल रिइम्बर्समैंट में करोड़ों रुपया दिया। यह सोचकर कि काम करने वाले अच्छे होंगे, देश का उद्धार करेंगे, कल्याण कर देंगे लोगों का, इसलिए उनके ओवर-टाइम एलाउन्स को कम नहीं कर रहे हैं। एक कदम आपने एल० आई० सी० के बारे में लिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह ओवरटाइम एलाउन्स बढ़ता जाये, महंगाई भत्ता बढ़ता जाये, तनख्वाहें बढ़ती जाएं, जनसंख्या बढ़ती जाएं, अगर जनसंख्या के बारे में मैं गिनाऊंगा तो आप उस पर आश्चर्य करेंगे।

"पंडित नेहरू ने अधिकारी तंत्र में गैर-सिलेसिलेवार वृद्धि को 'प्रशासनिक जंगल' कहा था।"

यह प्रशासनिक जंगल है। उन्होंने कहा है। ये लोग कैसे हैं ?

"अत्यधिक स्टाफ से कार्यकुशल, अनुशासित और परिश्रमी होने की आशा करना व्यर्थ है। योजना आयोग को ऐसे मामलों में उदाहरण पेश करना चाहिए लेकिन वहाँ भी स्टाफ आवश्यकता से अधिक है। एक जानकार व्यक्ति के अनुसार,

जिसने कुछ वर्ष पूर्व लिखा था, कि योजना विभाग में 500 अधिकारी, 348 लिपिकीय स्टाफ, 255 अर्दली और संदेशवाहक थे। इसके अतिरिक्त वहाँ 45 वरिष्ठ शोध अधिकारी, 81 शोध अधिकारी और 118 आर्थिक अन्वेषक थे। ऐसा बताया गया है कि इस सारे मामले पर राष्ट्र का 100 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है।' यदि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में पदाधिकारियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है तो योजना आयोग इसमें पीछे क्यों न रहे ?"

यह योजना भवन में लगे हुए लोग हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ? मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं क्रिटिसिज्म करूंगा तो आप कहेंगे कि सरकारी आदमियों की बात मत कहो। कोई भी इन्हें नाराज नहीं करना चाहता। ये लोग नाराज हो जायेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये मिनिस्टरों की वैसाखियाँ बन जाते हैं जिनके सहारे मंत्री लोग चलते हैं। अब देखें वे क्या करते हैं ?

"अधिकारी तंत्र न केवल निष्क्रिय और अक्षम है, बल्कि भ्रष्ट भी है। बेशक इसमें ऐसे काफी लोग हैं जो योग्य तथा ईमानदार हैं परन्तु अधिकतर बेईमान बताए जाते हैं। सरकारी विभागों में बिना पैसे के कोई भी काम करवाना असंभव हो गया है। औद्योगिक तथा व्यापारी घराने कुछ बिचौलियों के माध्यम से ही सरकारी काम करवाते हैं। ये बिचौलिए सम्बद्ध अधिकारियों की मुठ्ठी गर्म करने में माहिर होते हैं।"

मैं यह लेख पढ़ना चाहता हूं। यह हाल ही में लिखा गया है। कभी हिन्दुस्तान इस बात के लिए शर्म करेगा, आपकी 2/3 मैजारिटी बनने के बाद भी अनुच्छेद 309 और 311 के अधीन कुछ नहीं किया गया।

मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। सैक्रेटरी उनको राय देते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपका करोड़ों और अरबों रुपया और उससे भी ज्यादा इन्वैस्टमैंट है और यह हर साल बढ़ रहा है। डीअनरेस बढ़ रहा है। आप चाहते क्या हैं ? इस मुल्क में समाज को बदलना चाहते हैं, या मिडिल क्लास के 15 हजार लोगों को बदलना चाहते हैं या और कुछ लोगों को छोड़ना चाहते हैं ?

गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति के आदमी की आंख में जब तक आंसू होगा तब तक स्वराज्य आया मैं नहीं कहूंगा। अगर आप बापू के स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं तो इस मामले में बड़े-कड़े कदम उठाइए।

संविधान को इस तरह बदल देना चाहिए कि मीनार पर बैठा हुआ आदमी जमीन पर आ जाए और जमीन पर पड़ा हुआ आदमी कुछ ऊपर हो जाए। हम रोज एग्रीकल्चरल लेबरर्ज की बात करते हैं। लेकिन आपको जान कर हैरानी होगी कि उनका परसेंटेज बढ़ गया है। इसी तरह बांडिड लेबर का परसेंट भी बढ़ गया है।

लोग कहेंगे कि बकवास करता है, कितना बढ़िया बजट है। मैं कब कहता हूं कि यह बुरा बजट है ? और श्री मगनभाई बरोट के भाषण के बाद इसको बुरा कहना--राम राम, वह तो हत्या के बराबर है। लेकिन यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम मुल्क को किस डायरेशन में ले जाना चाहते हैं, आज मुल्क की क्या जरूरत है, हम मुल्क में किन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि खेतिहर मजदूरों की संख्या 131 मिलियन से बढ़ कर 167 मिलियन हो गई है। उनके लिए कोई मिनिमम वेज नहीं है। 27 दिसम्बर, 1980 के कामर्स में एक आर्टिकल निकला था, जिसका हैडिंग था : स्वेलिंग रैंग्स एंड एम्पटियर वैलीज।

कहा जाता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया है—क्रेश प्रोग्राम बनाया है, मिनिमम नीड्ज प्रोग्राम बनाया है, फूड फार वर्क प्रोग्राम बनाया है। लेकिन आज भी राजस्थान में हजारों गांव बिना पानी के हैं। को भी जा कर देख ले।

"न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 देश में प्रथम विधान था जिसमें मजदूरों के लिए 15 दिन की न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था थी। इस अधिनियम की अनुसूची का भाग दो कृषि रोजगार से सम्बन्धित था और राज्य सरकारों को कृषि में तथा अन्य व्यवस्थाओं में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की अनुज्ञा दी गई थी।"

"मजदूर सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग (1969) ने विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में सांविधिक उपबन्धों के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण किया था..."
फिर भी यह कानून अप्रचलित रहा।

"केन्द्र तथा राज्यों का सरकारी खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी०एन०पी०) के 10 प्रतिशत से बढ़कर जी०एन०पी० का 29 प्रतिशत हो गया और निवल पूंजी राष्ट्रीय आय के 7 प्रतिशत से बढ़कर राष्ट्रीय आय का 19 प्रतिशत हो गई।"

वार्षिक औसत वृद्धि दर वास्तविक राष्ट्रीय आय की 3.5 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत या 3.2 प्रतिशत है।

तीस सालों में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 3.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा है। मैं इसे 3.5 परसेन्ट मान लेता हूं।

लेकिन 1974 में सरकारी कर्मचारियों के पे स्केल्ज को रिवाइज कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 48 परसेंट लोग पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय जबकि इस सरकार को टू-थर्ड्ज मैजोरिटी प्राप्त है, वह हिन्दुस्तान के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे। हिन्दुस्तान के लोग सिर्फ जीना नहीं चाहते हैं, वे गौरव के साथ जीना चाहते हैं। सरकार तो कुछ लोगों को काम देती है, ताकि वे सिर्फ जिन्दा रहें। उन्हें पाँच रुपये की मजदूरी दी जाती है, ताकि वे जिन्दा रहें। इस तरह मुल्क में दो कौमें पैदा करने की कोशिश हो रही है।

जहाँ तक हमारे प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर का सवाल है, हाल के इलस्ट्रेटिड वीकली के आर्टिकल को पढ़ लीजिए । वह कहता है :

लेकिन आपके 5.2 परसेंट बढ़ाने के पहले आपको मालूम है कि आप कहाँ चले गए हैं । इसमें दिया है :

"इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1960 में भारत का 12वां स्थान था; 1978 में गिरकर तेइसवां हो गया···"

आपकी नेट इनकम कितनी बढ़ी है और आप देखें कि आपकी पापुलेशन कितनी बढ़ी है ? हमारे प्रोफैसर रंगा साहब बड़ा अच्छा बोलने वाले हैं, बहुत पुराने पार्लियामेटेरियन हैं, उन्होंने यह बात कही और बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली प्लानिंग को हम जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते । बहुत अच्छी बात है मत कीजिए, लोग नाराज हो जाएंगे । लेकिन यह सवाल नहीं है । फिर हम करें क्या ? उसके लिए आपने कहा कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए । जरूर देना चाहिए लेकिन किसकी कास्ट पर ? पब्लिक अंडरटेकिंग्स का हाल सुनिए । पब्लिक अंडरटेकिंग्स से 12 परसेन्ट रिटर्न की बात छोड़िए, दस परसेन्ट छोड़िए, 9 परसेन्ट ही दीजिए । लेकिन भगवान जाने वह देना कब शुरू होगा । हमने खरबो रुपये उसमें लगा दिए । टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें हमने किया है 1 खरब 82 करोड़ यानी 18 हजार करोड़ रुपये का और उसमें लास कितना हुआ है, यह देखें :

"वर्ष 1978-79 में हानि 37,346 लाख रुपये थी जबकि 1979-80 में यह बढ़कर 53,777 लाख रुपए हो गई·····"

अब आप बताइए हमें 5 अरब का घाटा हो और फिर आप कहें कि पब्लिक सैक्टर में और इन्वेस्टमेंट करें इसका क्या नतीजा होगा ? 12 परसेंट या 9 परसेंट रिटर्न की जगह अरबों रुपये का घाटा पब्लिक सैक्टर में, यह कौन बर्दाश्त करेगा ? और वहाँ पर जब एम०पी० यह कहते हैं कि हमें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में डाल दीजिए ताकि हमारी रेस्पांसिबिलिटी कुछ होगी तो कहेंगे, नहीं एम०पीज० को उसमें नहीं जाना है । मैंने पहले ही कहा था कि इस पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी कौन लेगा ? जब आपका इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और उसके बाद भी उसमें इतने लासेज हो रहे हैं तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा ?

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो कुछ भी बात करते हैं वह जरूर करें, करना चाहिए लेकिन उसके अन्दर एक बात हमें जरूर सोचनी है । आज के जमाने में एक तो एकेडेमिक डिस्कशन होता है जिसमें बड़े-बड़े विद्वान और अर्थशास्त्री बोलते हैं और एक होता है जिसमें हम जैसे धरती से जुड़े हुए लोग आकर बोलते हैं । अर्थ-शास्त्री बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उधर के बैठने वाले भी अच्छी बातें करते हैं लेकिन आप जो कहते हैं

कि आप बजट को समझते हैं, मैं कहता हूं बजट को समझने वाला हो-ची-मिन्ह हो सकता है। बजट को बनाने वाला गांवों में जाकर बजट को बनाए। गांवों में जाकर देखे कि बजट क्या होना चाहिए। मगर आप बजट ऊपर से लादते हैं। अगर आपकी राजनीतिक प्रक्रिया के अन्दर जनसामान्य को प्रतिष्ठित नहीं किया गया और कुछ लोगों के पास सारी सत्ता केन्द्रित कर दी गई तो आने वाला लोकतन्त्र आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जनता वह नहीं रह गई है। आप गरीबों की तरफ देखें। मैंने पढ़ा, एक प्रश्न के उत्तर में यहां बताया गया है कि मकान बनाने के लिए 3 करोड़ प्लाट्स की जरूरत है। 6 करोड़ लोग बिना मकान के हैं। 2 करोड़ बच्चों का आपके होटलों में शोषण हो रहा है। यह कौन-सा समाजवाद हम लाना चाहते हैं ? हम बजट की बात कर रहे हैं···(व्यवधान)···मैं मानता हूं, मुझे खुद को मालूम है कितना मैं डिसप्लेजर आप लोगों का इनकर कर रहा हूं। यह मुझे मालूम है, लेकिन यह बात मुझे कहनी है। जिस हालत में आपने बजट रखा है, वह ठीक है, इसके लिए आपको मजबूती के साथ कोई कदम उठाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार और रेड-टेपिज्म को मजबूती के साथ वाइप-आउट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार जब ऊपर पनपता है तभी नीचे आता है। ब्यूरोक्रेट्स को भी कन्ट्रोल करना पड़ेगा। इन ब्यूरोक्रैटस ने आपकी पाँच योजनाओं को सफल नहीं होने दिया, आपके टार्गेट्स पूरे नहीं हो पाए। आपने छठी योजना के लिए 5.2 प्रतिशत और ग्रोथ-रेट निश्चित की है, मैं आशा करता हूं आप इसको पूरा करने में सफल हो सकेंगे। जो घंटी बज रही है उसको शायद आप भी सुन लेंगे क्योंकि यह खतरे की घंटी है।

श्री दिगम्बरसिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, प्रस्तुत बजट पर मैंने प्रमुख नेताओं के भाषण सुने। मेरी भी इच्छा है कि इस बजट के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूं। आम तौर से यहाँ पर परम्परा यह रही है कि जो उधर बैठते हैं वे सरकार की तारीफ करते हैं और जो इधर बैठते हैं वे सरकार की बुराई करते हैं, चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो।

सभापति महोदय : आप न करिए बुराई।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं सोच रहा था मैं बड़ी बात कहूं जो मेरे दिल में है। जिस बात को मैं ठीक समझता हूं उसको ठीक कहूं और जिसको गलत समझता हूं उसको गलत कहूं बिना इस बात की कोई परवाह किए हुए कि उससे कौन नाराज होता है और कौन खुश होता है। मैं बिना संकोच के यह कहने के लिए तैयार हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि की तरफ जो ध्यान दिया है वह प्रशंसनीय है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नही है कि किसानों की तरफ कुछ ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि मन्त्रालय के बजट पर मैंने पहले कुछ बातें कहीं थीं। मैंने कहा था प्रधान मन्त्री और मंत्री जी से कि जो कारें लग्जरी में इस्तेमाल होती हैं उनके इंजनों को उखाड़ कर गांवों में ले जाया जाए ताकि उनसे सिंचाई की जा सके और बजट में जो रुपया है वह अधिकतर किसानों के लिए खर्च किया

जाए । अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि मजदूरों की हड़ताल तो आप बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन जब किसान और उसके नौजवान लड़के क्रांति के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर उनको रोकना सरकार के लिए कठिन हो जाएगा । उसके बाद बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए महलों में रहना असम्भव हो जाएगा । आपने देखा कि जब किसानों में असंतोष बढ़ा तो उससे जनता में एक जागृति पैदा हुई । मैं देख रहा हूं और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज कोई भी पार्टी हो वह किसानों के पीछे लगने की कोशिश कर रही है । पहले देश की जनता पार्टियों के पीछे लगती थी लेकिन अब पार्टियां जनता के पीछे लग रही हैं । असम में जो आंदोलन चल रहा है क्या उसको पार्टियाँ चला रही हैं ? गुजरात में जो आंदोलन चला उसको भी किसी पार्टी ने नहीं चलाया । किसानों ने भी आंदोलन चलाया स्वयं जब पार्टियों ने उनमें दिलचस्पी ली तो वह आँदोलन ढीले पड़ गए ।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसको जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे खुशी हुई कि उसमें कई ऐसी बातें हैं जिनसे किसानों को लाभ होगा । जब मैं योजना बजट को खोलकर पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सबके लिए खर्चा अधिक बढ़ा दिया गया है, बजट की धनराशि पहले से बढ़ा दी गई है लेकिन आगे एक जगह पर मैंने देखा कि "ग्रामीण विकास" के अंतर्गत जहाँ पहले 344.23 करोड़ की धनराशि रखी गई थी उसको अब घटाकर 183.50 करोड़ कर दिया गया है ।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए ।)

इसी प्रकार से पेज 41 पर मैंने देखा कि "ग्रामीण पुनर्निर्माण" रूरल रिकांस्ट्रक्शन के अन्तर्गत जहां पहले 570.43 करोड़ की रकम रखी गई थी उसको अब घटाकर 485.06 करोड़ कर दिया गया है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार की गम्भीरता से सोचना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के प्रोग्राम की ओर ध्यान इस लिए जरूरी है कि किसान के विकास से ही देश की तरक्की होगी । आप देखेंगे इस बजट में देश को जो राष्ट्रीय आय है, उसमें किसानों को बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, आपकी सरकार कहती है और प्रधान मंत्री कहती हैं कि उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आवश्यकतानुसार ध्यान नहीं दिया जाता है ।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । गेहूं की बुआई हो रही थी, उससे पहले मैंने एक पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा, यह निवेदन करते हुए कि गेहूं की बुआई होने से पहले कृपा करके एक काम कर दीजिए कि किसानों को विश्वास दिलायें कि उन्हें डीजल,

बिजली-सिंचाई के लिए—आवश्यकतानुसार मिलेगे। अगर उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि उन्हें डीजल और बिजली समय पर मिलेगी, तो वे गेहूं की बुआई ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर उनको डीजल, बिजली आदि नहीं मिलेगी, तो वे अधिक बुआई नहीं करेंगे, जितना कि उनको करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पत्र के आधार पर प्रधान मंत्री ने वहाँ के ऊर्जा मंत्री को लिखा और यहाँ पैट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र द्वारा मुझे भी बताया। फिर वहाँ के ऊर्जा मंत्री ने मुझे पत्र लिखा, जिसमें यह कहा गया कि हम मुख्य मंत्री से मिले हैं। मुख्य मंत्री ने और वहां के ऊर्जा मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बिजली छः घण्टे से बढ़ाकर 10 घण्टे कर दी है। लेकिन अगर वहाँ जाकर देखें तो छः घण्टे से ज्यादा बिजली बढ़ी ही नहीं है, बल्कि कम हो गई है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। यदि इसी तरह से काम करेंगे, तो देश की तरक्की कैसे हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, दुर्भाग्य यह है कि जो लोग पार्टी के नेताओं के साथ काम करते हैं, उनके दिलों में जो बात है, वह सच बात नहीं कह पाते है। वे इसलिए नहीं कह पाते हैं कि अगर कहेंगे तो पार्टी के नेता नाराज हो जायेंगे। कहा जाता है कि समाजवाद लायेंगे, गरीबी को हटायेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबी और अमीरी को हटाने के लिए, वर्गहीन समाज बनाने के लिए, सबसे जरूरी है कि गरीब व अमीर में जों अन्तर है, उसको समाप्त करना चाहिए। मैं पहले भी कई बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बोलते हुए 1956 में कह चुका हूं कि यदि हम वर्गहीन समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों में जो दो समाज बने हुए हैं,—एक जिसके पास कार है और दूसरा वह जिसके पास कार नहीं है —उसको दूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि कितना बुरा मालूम होता है कि एक संसद सदस्य खड़ा हुआ है बस के लिए या माटाडोर के लिए और दूसरे के लिए आवाज लगाई जाती है कि "अमुक सज्जन के लिए कार लाइए" और वह कार में बैठकर चले जाते हैं।

सभापति जी इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम पार्लियामेंट के मैम्बरों का वर्गहीन समाज नहीं बना पाते हैं, तो बाहर हम वर्गहीन समाज कैसे बना सकते हैं। मैं सैलरी, एलाउन्स की ज्वाइंट कमेटी का सदस्य हूं, मुझसे संसद सदस्य कहते हैं कि हमारा भत्ता कम है, बढ़ना चाहिए। यदि सब सदस्यों की अगर राय ले ली जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि बहुमत यह तय करेगा कि बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कम मिलता है, लेकिन विरोध कौन करते हैं—विरोध करते हैं पूंजीपति, सदस्य जिनके पास साधन है, जिनके पास कार है, कर्मचारी हैं, नौकर हैं—वे विरोध करते हैं। सरकार के मंत्री व अधिकारी जिनके पास सरकारी गाड़ियां व सुविधा हैं वे विरोध करते हैं। पार्टी के नेता पार्टी के पैसे से कार रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं, वे विरोध करते हैं।

सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पहले भी लोकसभा का सदस्य था, मैंने कहा था कि पार्लियामेंट का सदस्य काम नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके पास प्राइवेट सैक्रेटरी न हो, टाइपिस्ट न हो, कार न हो और चपरासी न हो। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमसे निर्वाचन क्षेत्र में पूछते हैं, बहस करते हैं कि भाई अखबार में आप का नाम नहीं देखा, अखबार में नाम आयेगा कहाँ से सुविधा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं अपने बारे मे कह रहा हूं, संतोष तब हो जाता है, जब मैं देखता हूं कि आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व प्रेजीडेंट, जो कि बड़े-बड़ें पदों पर रहे हैं, वे भी माटाडोर के लिए खड़े रहते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि जब ये ही खड़े हैं तो हमारे लिए भी ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि अब समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। आज स्थिति यह है कि जो मन में हो, उसको कह देना चाहिए।

मैं आप की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं—प्रीवी-पर्स के बिल पर यहाँ वोटिंग हो रहा था, मैं उस समय बी० के० डी० में था। मुझसे हमारी पार्टी के नेता ने कहा कि पार्टी के निर्णय के अनुसार आप को प्रीवी-पर्स के पक्ष में वोट देना चाहिए। लेकिन मेरे मन ने कहा—बी० के० डी० में होते हुए भी वह करना चाहिए, जो उचित है। मैंने प्रीवी-पर्स के खिलाफ वोट दिया, मेरी पार्टी मुझसे नाराज हो गई। हम कहते हैं कि यहाँ प्रजातन्त्र है - लेकिन होता वही है जो हमारे नेता का आदेश होता है।

एक बात और बतलाता हूं ---जर्मनी से एक लड़की यहाँ आई थी जो पोलिटिक्स में रिसर्च कर रही थी। यह 1962-67 के बीच की बात है। उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि यहाँ जो कुछ करते हैं वह कौन कराता है ? मैंने उसको कहा कि मैं एक शर्त पर बतला सकता हूं—आप यह वायदा कर दें···मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था···कि आप कांग्रेस पार्टी में शिकायत नहीं करेंगी। मैंने उससे कहा—यहाँ जो कुछ करते हैं, वह कौन कराता है, यह मत पूछो, यहाँ हमारे पं० जवाहरलाल जी नेहरू जो चाहते हैं, वही होता है। हम लोग तो केवल भाषण देते हैं, लेकिन होता वही है जो वह चाहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जमाना बदल गया है, आपको इस पर गम्भीरत से विचार करना पड़ेगा। यहां भाषण दे देने से या बजट पास कर देने से या बाहर रैली करने से समस्याओं का हल नहीं हो सकता। आज एक पढ़ा-लिखा नौजवान विद्यार्थी डाका डालने को तैयार होता है, लूट करता है या कोई अपराध करता है—क्यों करता है ? क्या इसलिए करता है कि वह अपराधी है ? वह अपराधी नहीं है, सम्मान के साथ रहना चाहता है, लेकिन बाध्य होकर करता है, इसलिए करता है कि आज एक मजदूर को 8 रुपये रोज मिलते हैं, एक राज को 16 रुपए रोज मिलते हैं, लेकिन उस पढ़े-लिखे नौजवान को 2 रुपए रोज की नौकरी भी नहीं मिलती। उसके साथ तो रहम करना चाहिए, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं अपराधियों को जेल में बन्द कर दो। उन अपराधियों को बन्द न करो जो गरीबों का शोषण पूंजीपति होकर करते हैं, उनकी रक्षा की जाती है, लेकिन उस गरीब-नौजवान को जेल में बन्द करना चाहते हैं। इन शोषण करने वालों की

रक्षा के लिए तरह-तरह के कानून बने हुए हैं---पुलिस भी उनकी मदद करती है, वकील भी उनकी मदद करते हैं, जज भी उनकी मदद करते हैं। मैं आज यह बात यहां इसलिए कह रहा कि यहाँ पुलिस मेरे मुंह को बन्द नहीं कर सकती। सजा तो पुलिस को देनी चाहिए, उन जजों को देनी चाहिए, उन वकीलों को देनी चाहिए, जो इनको अपराधी बतलाते हैं, बल्कि उन लोगों को भी सजा दी जानी चाहिए जो ऐसे कानून बनाते हैं। जिनके साथ दया की जानी चाहिए, उनके लिए इनका कानून कहता है कि उनको सजा दी जाय। वे नहीं, समाज दोषी है।

गुजरात में आज आन्दोलन चल रहा है—इसको कौन चला रहा है ? आज एक चपरासी का या जूते साफ करने वाले का लड़का या किसी गरीब का लड़का फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा पास कर ले और दूसरी तरफ एक करोड़पति का लड़का, सैक्रेटरी का लड़का मिनिस्टर का लड़का थर्ड डिवीजन में परीक्षा पास करे, आता है परीक्षण में लेकिन नौकरी के लिए जाते हैं तो जिसके कम नम्बर हैं, वह चुन लिया जाता है और जिसके ज्यादा नम्बर हैं, वह बेचारा निराश होकर बैठ जाता है। मैं जानना चाहता हूं—उस लड़के को जिसका फर्स्ट डिवीजन है, क्या कह कर समझायेंगे, कैसे उसको शान्त करेंगे ? अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करता, मैं भी खड़ा हो जाता—क्रांति करने के लिए, चाहे आप मुझे जेल में बन्द कर देते। जेल में भी कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान तो मिलेगा, बाहर तो वह भी नहीं मिलता है।

अब मैं एक बात कहकर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। सरकार कौन चलाते हैं ? दुर्गापुर में ए० आई० सी० सी० की मीटिंग हो रही थी। मैं भी उस समय ए० आई० सी० सी० का मेम्बर था। मैंने वहाँ पर कहा था --जो मोस्ट-इन्टेलीजेन्ट होता है, जिसके पास पूंजी होती है, वह बिजनेस में जाता है, इन्डस्ट्रीयलिस्ट बन जाता है।

जिसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन इन्टैलिजैन्ट होता है वह आइ० ए० एस० हो जाता है। जिसके पास दोनों नहीं होते—वह न बिजनेस-मैन बन सकता है और न आइ० ए० एस० बन सकता है, वह पोलिटिक्स में आ जाता है और इस तरह से वह कुर्सी पर बैठ कर फर्स्ट-ग्रेड और सैकेण्ड ग्रेड पर हुकूमत करता है। मुसलमानी जमाने में भी यही होता था, पूंजीपतियों और अफसरों की चलती थी। अंग्रेजों के जमाने में भी उनकी चली। उसके बाद जनता पार्टी का शासन आया---उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, उनकी ही चली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। लोग इस सरकार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम हमेशा सरकार में रहेंगे।

लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए और मैं आप के माध्यम से यह निवेदन सरकार से करना चाहता हूं कि दुनिया में हमारे भारतवर्ष की जनता ऐसी है, जिसने हमेशा ही जो ताकत में आया है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है और उसका समर्थन नहीं किया है। आप पुराने जमाने को ही देखें। रामचन्द्र जी जब जंगल में घूमते

थे, तो उन्होंने रावण को हराया और जब वे गद्दी पर बैठ गए, तो लव-कुश ने उन्हें हराया। इसी तरह से पांडव जब जंगल में घूमते थे, तो कौरवों को उन्होंने हराया और जब वे गद्दी पर बैठ गए, तो भीलों ने उनकी गोपियों को लूट लिया और वे उनकी मदद नहीं कर सके और न ही अर्जुन उनको बचा सका। इसी तरह से आप देखिए कि जब गांधी जी जंगलों में घूमते थे तो उन्होंने अंग्रेजों को हटा दिया और उसके बाद आप देखिए कि जब कांग्रेस का प्रभाव कम होता गया, तब कांग्रेस के नेताओं ने एक योजना बनाई और यह कहा कि इन्दिरा जी, को निकालो। उस वक्त इन्दिरा जी बहुमत में नहीं थी लेकिन जब 1971 का चुनाव हो गया, तब जनता ने इन्दिरा जी का समर्थन किया लेकिन उसके बाद जब इन्दिरा गांधी जी गद्दी पर आ गई तो उन्होंने स्वको जेल में बन्द कर दिया और सख्ती से काम लिया। इसके बाद उसी जनता ने उनको गद्दी से उतार दिया और जनता पार्टी की हुकूमत आई और जनता पार्टी के लोग यह सोचने लगे कि अब तो हमारी हुकूमत आ गई है, इसको बन्द करो, इसको पकड़ो और उसको पकड़ो। जब वे यह सोचने लगे कि हम तो हमेशा गद्दी पर रहेंगे, तो जनता ने उस जनता पार्टी को भी दिखा दिया कि किस तरह से गद्दी से उतारा जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार में बैठने वाले इस बात का ध्यान रखें कि जनता इस बात को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वह तो उन नेताओं की पूजा करने वाली है, जो त्यागी हैं और तपस्वी हैं चाहे वह महाराणा प्रताप हो, चाहे वह स्वामी शंकराचार्य हों और चाहे वह गौतम बुद्ध हों, कोई भी हो। जो इस तरह के नेता होते हैं, उनकी पूजा होती है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का यह दुर्भाग्य हो गया है कि आज हमारे देश में जो पहले क्वालीफिकेशन थी, वह अब डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। पहले ऐसा जमाना नहीं था। गांधी जी के जमाने में राजनैतिक पार्टी के वही नेता होते थे जो जनता के नेता होते थे। आज स्थिति बदल गई है चाहे वह विरोधी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। नेताओं के नेता हों, यह एक क्वालिफिकेशन बन गई है। आज आप देखेंगे कि जो योग्य नेता हैं उनकी उपेक्षा की जाती है और जो अयोग्य आदमी है, उनको प्राथमिकता मिलती है। इससे समस्या हल नहीं होगी। जो प्रभावशाली जनता के नेता हैं, जो बिना नेताओं के सहारे के चलते हैं और जो मन में आया वह नहीं करते हैं बल्कि जो जनता पसन्द करती है, उस बात को करते हैं, ऐसे नेताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जनता का विश्वास जिन नेताओं में है। उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मैं यह इसलिए कह रहा हूं, मुझे सभापति जी क्षमा करेंगे, कि मेरी जो उम्र हो गई है, वह आज कल के जमाने में एक डिस्क्वालीफिकेशन हो जाती है और मैं समझता हूं कि अगले चुनाव में शायद टिकट मिले या न मिले लेकिन मैं जो सच्ची बात है, उसको कह रहा हूं। जो सच्चाई है, मेरे मन में आया, उसको कहूं। इसलिए मैं सच्ची बात आपके सामने कह रहा हूं और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, उन पर यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, जो आऊट

आफ कन्ट्रोल हो जाएगी और उसको आप कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे ।

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि सरकार ऐसा बजट बनाए, जिसमें इन समस्याओं का ध्यान रखे और किसानों के हित की, मजदूरों के हित की बात सोचे और पूंजीपति, जो शोषण करता है, उस पर कुछ अंकुश लगाए । मैं समझता हूं कि इस देश की समस्याओं को हल करने का और इस काम को करने का एक यही तरीका है । इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । और समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री आर०एस० स्पैरो (जालन्धर) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमान, माननीय वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है । श्रीमान आर्थिक समस्या महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही जटिल भी है । ऐसी कौन-सी चीज है जो इससे प्रभावित नहीं होती । श्रीमान दुनिया भर में झगड़े और युद्ध हो रहे हैं जीवन यापन के स्तर में जो भेद है जो मानवनिर्मित क्रांतियां सारे संसार में हो रही हैं और जो उथल-पुथल हो रहा है उस सब के पीछे सामान्यतः यही एक कारण है । शुरू से अन्त तक यही एक बड़ा कारण है । जो बड़े माने रखता है ।

एक समर्थवान विकासशील देश के बारे में ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है जो कुछ कठिन है । इस देश की एक साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । आर्थिक तथा अन्य समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं । हमारे जैसे देश में, जो विकास के इस चरण से गुजर रहा है आज आवश्यकता इस बात की है कि बजट बनते समय हमारा ज्ञान और हमारा निर्णय बहुत सतुलित हो । ऐसी स्थिति में भी जिस तरह से गणितीय विशेषता के साथ माननीय वित्त मंत्री ने अपनी सुयोग्य तीन की सहायता से और प्रधान मन्त्री के निर्देशन में भारत की आर्थिक नीति को इतनी आसानी से तथा इतने सही ढंग से संतुलित किया है और चलाया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं । बात संतुलन की है । यह सारा ढांचा संतुलन के आधार पर कार्य कर रहा है यदि सभी बातों को ध्यान में रखा जाए सभी तरफ के दबावों को तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाए और तनिक संतुलन बनाए रखा गए थे न्याय सुचारू ढंग से चल सकता है तथा ऐसा किसी भी देश के हित में होगा ।

वर्ष 1980 के शुरू में भारत की आर्थिक तस्वीर कुछ धुंधली-सी नजर आती थी । बल्कि मैं कुछ कहूंगा यह तस्वीर निराशाजनक थी । अब उसमें पुनः चमक आने लगी है । और हम बाधाओं का जंगल साफ होता जा रहा है । और हम आशा के साथ प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं । यह सामान्यः निष्कर्ष है कि जो मैंने लोगों से मिलजुलकर तथा उनकी राय जानकर निकला है । और इसमें मुझे कोई खेद नहीं है कि इसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं । परन्तु यदि हमें विश्व के बड़े-बड़े देशों में गणना किए जाने का अपना लक्ष्य पूरा करना है तो एक अनुशासित राष्ट्र के नाते हमें बहुत-सी कठिनाइयों और मुसीबतों को झेलना होगा । वास्तव में सामर्थ्य हमारे पास है । हमारी पास सब कुछ है साधन हैं,

जानकारी है और सुयोग्य कर्मचारी वर्ग है। यानि कि हर चीज है हमारे पास। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस देश में कोई कमी है। इसे देखते हुए मैं तो कहूंगा कि जो योगदान हमें मिल रहा है, यो योगदान हमें विरोध पक्ष से और हमारे सुविज्ञ लोगों से मिल रहा है उसके सहारे हम स्थिति को संभाल पायेंगे। तो, वह तस्वीर ठीक नहीं थी। इस बारे में कोई संदेह नहीं। परन्तु, यह देखकर बड़ी तसल्ली होती है कि हम ठीक तरीके से और ठीक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति का यह चक्र हमारे हक में चल रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रगति के चक्र में विश्व हमारे ऊपर आने की बारी है। एक पुराना शेर है जिससे इस बात की पुष्टि होती है, कम से कम मुझे इतना पता है उस दृष्टि से पुष्टि होती है। फारसी में कहा गया है कि :

हरदम रविश पूदअस्त है गुम्बद मीनारा
गोई के नगू करद अस्त इवाने फलक सारा
हिकमें फलक गरदा या हकी में फलक गरदा

कुछ लोग तो इसे प्रगति का आन्दोलन भी कहते हैं।

हर कमाले रा जवाले हर जवाले रा कमाल

हम प्रगति के पथ पर हैं। हम उन्नयन की तरफ जा रहे है। प्रगति हो रही है। सारे उतार-चढ़ाव, सारे विरोध, सभी तरह के झगड़े विद्यमान हैं। लेकिन उनसे हमें ऊपर आने में सहायता मिलेगी, अंतत: विश्व के सभी से शक्तिशाली देशों में से एक देश हमारा भी होगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। मैं आज के अहलात को देखते हुए ऐसा कह रहा हूं।

जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी क्षेत्रों में जो सर्वांगीण आर्थिक प्रगति हुई है उसका प्रतिबिम्ब इसमें है और यह वास्तव में प्रशंसनीय सफलता है। मैं इस संदर्भ में कई आंकड़े दे सकता हूं। वास्तव में वित्त मन्त्री के भाषण में सभी कुछ खोलकर आपके सामने रख दिया गया है। जिसमें से आप सब कुछ जान और समझ सकते हैं। मैं अपनी बात के समर्थन में केवल एक-दो महत्वपूर्ण उदाहरण ही दूंगा।

उदाहरण के लिए आप देखिए पैट्रोलियम उत्पादन की समस्या को किस तरह अति कठिन परिस्थितियों में भी संभाला गया है तथा आज भी संभाला जा रहा है। तेल संकट की संकटपूर्ण अवधि में किस तरह हमने ऐसी व्यवस्था की कि हमारे खेतों में हल चला, पम्पों की सहायता से सिंचाई हुई और आने जाने के लिए हमारी बसें मोटर कारें सकूटर तथा सब कुछ चला। हम इस परिस्थिति में से निकल पाए। वह स्थिति ऐसी थी जिसमें बहुत सुयोग्य विचार तथा सुयोग्य प्रबन्ध की आवश्यकता थी। किस तरह इतने परिमाप में डीजल तथा तेल के उत्पाद बाहर से मंगा सके। बातचीत के जरिए, दोस्ती के जरिए और सही तरह का संतुलन बनाकर तथा पैसे का लेन देन करके। वास्तव में यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक समय हमें लगा था कि भारत में सब कुछ बिखर जाएगा। पूर्वोत्तर आसाम के इलाके से हमें 1.30 लाख टन डीजल प्रति मास मिलता था,

एक वर्ष से अधिक समय तक वह नहीं मिल सका। स्थिति ही ऐसी थी कि तेल नहीं लाया जा सकता था। इसके बावजूद हम आगे बढ़े और बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े।

मैं एक छोटे से इलाके का किसान हूं और मुझे पता है कि हालात कैसे थे। यदि डीजल उपलब्ध न होती तो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में फसल नहीं बोई जा सकती थी। हमने डीजल का प्रबन्ध किया और जिस तरीके से भी संभव हो सका हमने इसका प्रबन्ध किया। हमारे अपने देश के अन्दर भी इसका प्रबन्ध करना बहुत कठिन था। इसका प्रबन्ध हमने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है।

उर्वरक जैसी वस्तुएं सीधे हमारे खेतों तक पहुंच जाती है। हमारे सामने कठिनाइयाँ थीं परन्तु हमने उनको पार किया और उत्पादन से ही यह बात सिद्ध हो सकती है कि हम प्रगति कर रहे हैं। यह ठीक है कि इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी हुई और इससे हमें जो राहत मिली उसमें हमने अपने तापीय बिजली घरों को ठीक करने का द्रुत कार्यक्रम बनाया इससे हमें और लाभ हुआ। किसानों तथा लघु उद्योगों के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं। धन कर समाप्त कर दिया गया है और कृषि वस्तुओं के मूल्य संतुलित किए गए हैं तथा लाभप्रद विक्रय मूल्य उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ठीक प्रकार से संतुलन अभी हुआ है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि प्रयोक्ता को, जो उत्पादन नहीं करता है, उसका अपना भाग प्राप्त होना चाहिए, न्यायोचित मूल्य ढांचे की व्यवस्था की गई है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं।

इसके अतिरिक्त अधिक बैंककारी सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। देश पर्यन्त विभिन्न गाँवों में छोटे किसानों, कारीगरों के लिए 270 बैंक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई, रोजगार, विद्युतीकरण और ग्रामीण विकास आदि के लिए काफी बड़ी राशि रखी गई है। जैसा कि सभी को ज्ञात है लघु उद्योग के लिए मद संख्या 68 के अंतर्गत नियत उत्पादन शुल्क सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों की एक अन्य मद, नट एण्ड बोल्ट के लिए भी उत्पादन शुल्क सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर साढ़े सात लाख कर दिया गया है। इस प्रकार हम एक संतुलित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा अपनाई जा रही उचित नीतियों के कारण औद्योगिक उत्पादन में पूंजीनिवेश की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। स्वीकृत राशियाँ, वर्ष 1980-81 के पहले नौ महीनों में, गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दुगने से भी अधिक हो गई। वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए कुल आवधिक ऋणों की राशि में अप्रैल-सितम्बर, 1980 में, अप्रैल से सितम्बर, 1979 की तुलना में, 55.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोगों के हितों की दृष्टि से हम निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 1980 में, वर्ष 1979 की इसी अवधि की तुलना में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई राशि में 39.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ मैंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना बड़ा अन्तर आया है। पिछले वर्ष जब जनता पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने सैकड़ों क्विंटल सोना आवारा व्यक्ति की सम्पति समझकर उद्देश्यहीन ढंग से बरबाद किया। इससे फारसी के कवि हाफिज शिराजी की कविता की पंक्तियाँ याद आ जाती हैं :

अगर चां तुर्के शिराजी, बदस्तारद दिले पारा,
बखाले हिन्दुयश बखशम, समरकन्दों तुखाराम।

सम्पति किसी की है और इसे उड़ा कोई रहा है। सोना भारतवासियों का था और एक सनकी कल्पित अर्थशास्त्री ने अकारण ही उसे उड़ाने का प्रयास किया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस समय (व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते : यदि आप अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लोक सभा के पहले ही सत्र में वित्त मन्त्री से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जब जनता पार्टी सत्ता में आई तब सोने की मात्रा कितनी थी तथा उसके सत्ता से निकल जाने के पश्चात कितनी थी और इसका उत्तर यह दिया गया था कि सोने के स्टाक में भारी वृद्धि हुई। (व्यवधान)

श्री आर०एस० स्पैरो : इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं होगा इससे वाद-विवाद बढ़ेगा। उस समय पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में किसानों के खेतों में ही 26 लाख टन आलू सड़ गया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बारे में कोई विवाद नहीं।

श्री आर०एस० स्पैरो : मैं माननीय मित्र प्रो० दंडवते की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि उस समय भारत के इतिहास में पहली बार गन्ने के खड़े खेतों में आग लगाई गई जिससे बाजार में चीनी की स्थिति अस्तव्यस्त हो गई। तुलना के लिए इतना ही पर्याप्त है। और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं।

अब मैं आपकी अनुमति से कुछ सिफारिशें रखना चाहता हूं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समस्त देश से ही इनका सम्बन्ध है। मैं कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जिन पर निष्पक्ष रूप में विचार किया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं को बदलने तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, और इस सम्बन्ध में आम आदमी से लेकर सभी राज्यों तक का परामर्श लिया जाना चाहिए क्योंकि हमें समस्त देश की अर्थव्यवस्था बनानी है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं असमान नगरीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह पूरे प्रश्न का केन्द्र बिन्दू है। भारत में गाँवों की संख्या बहुत अधिक है। भारत के 7,70,000 गाँव में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं।

यह बात कहते हुए मुझे खेद नहीं है कि हमारी स्वतन्त्रता की तीन दशाब्दियों में

महात्मा गाँधी की दूर-दृष्टि और नेहरू जी के कठिन परिश्रम के उपरांत भी ग्रामीण और नगरीय आर्थिक प्रगति के बीच ठीक संतुलन नहीं हो पाया है। क्या हमने उन लाखों किसानों और खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी है जो यहाँ नई दिल्ली में किसान रैली में आए थे। सर्दी के मौसम में थेगली लगे कपड़ों से ढके उनके शरीर उनके दयनीय जीवन-स्तर का प्रमाण है। शहरों में पले पोसे अफसर और नेता लोग ग्रामीण जनता के पिछड़ेपन की वास्तविकता का पता नहीं लगा सकते। यह देखकर कोई किसान कितना प्रोत्साहित होगा कि अब हमारे मान्य प्रधान मन्त्री और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब लोगों के हित साधन के लिए पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यही महत्वपूर्ण बात है और इस बारे में मुझे कुछ सुझाव देना है।

मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण केन्द्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भविष्य में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में छोटे मिनी मध्य स्तर के तथा भारी उद्योग और सभी प्रकार के अन्य संस्थान संस्थापना और केन्द्र, घने उद्योग, घनी आबादी तथा पर्यावरण की दृष्टि से दूषित शहरों और नगरों को छोड़कर, देश के दूरस्थ क्षेत्रों में और गाँवों में स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बिना किसी व्यय के एक साथ देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरे देशों में इसके लिए अन्य साधन हो सकते हैं परन्तु हमें अपने देश में अपने तरीके निकालने होंगे। इससे क्या होगा ? इससे भारत में ग्रामीण और नगरीय आर्थिक प्रगति में सन्तुलन आयेगा। लाखों कारीगरों तथा अन्य ग्रामीण श्रमिकों, छोटे किसान परिवारों को उनके आवास क्षेत्रों में ही अथवा उनके निकट रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त दूर-दूर स्थानों से श्रमिक बुलाने का सिर दर्द भी खत्म हो जाएगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सिफारिश पर कार्यवाही करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें जो इस बात का अध्ययन करे कि देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक ढांचे को एक समान बनाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन लाए जाएं। यह एक बड़ी चीज है। और मेरे विचार से इसे तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए जैसाकि अब करना ही पड़ेगा।

कृषि तथा कृषि उद्योग के आगे और विकास के लिए यह आवश्यक है कि छोटे तथा सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और गाँव के कारीगरों की आर्थिक उन्नति के लिए अखिल भारतीय आधार पर (खंड-वार) टैक्टर आदान तथा अन्य सहायता केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इनके साथ ही हथकरघा, हस्तशिल्प तथा अन्य कुटीर उद्योग केन्द्र भी स्थापित किए जाने चाहिए ताकि देश के गांव आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ सकें। इस कार्य में राज्यों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राज्य अपने आर्थिक ढाँचे के सुधार के लिए केन्द्र के साथ मिलकर कार्यवाही करने में सहयोग देंगे।

ऋणों की सुविधा भी एक समस्या है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा ऐसी ही अन्य

एजेंसियों से ऋणों की राशि गॉवों तक पहुंचते-पहुंचते ब्याज से बोझिल हो जाती है आरम्भ में इस पर 5 प्रतिशत ब्याज होता है परन्त गांव तक पहुंचते-पहुंचते यह ब्याज दर बढ़कर 15 से 17 प्रतिशत तक पहुंच जाती है, यह बहुत बड़ा अन्तर है। और इस अन्तर को किसी तरह कम करना होगा। यही नहीं जब गरीब किसान अथवा कारीगर बिचौलियों अथवा आढ़तियों के पास जाते हैं तब वे प्रति माह 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज मांगते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि वर्ष में ब्याज 60 प्रतिशत हो जाता हैं। इस प्रकार की ठगी को खत्म करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं। इस बात पर भी मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए।

प्रधान मन्त्री की नीति के अनुसार वित्त मन्त्री महोदय ने बजट में रक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, 294 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि नियत की है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इससे भारत का हित होगा। रक्षा के बारे में मैं बाद में बोलूंगा। इस समय में वित्त मन्त्री का ध्यान भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में असमानता की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि यह असमानता शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जानी चाहिए। सदन में भी इस बारे में चर्चा हुई है। परन्तु इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। पेंशन की संगणना के लिए सही मापदण्ड अपनाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले, श्री मगनभाई बरोट ने इस बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि उन्हें इस बात की विश्वस्त खबरें थीं कि जब बजट के बारे में पता चला था अथवा 28 फरवरी के दिन इस सदन में वित्त मन्त्री का बजट भाषण समाप्त हुआ था, बहुत सारे लोग खुशी के कारण नाचने लगे थे। मैं उनसे सहमत हूं। श्री बरोट ने केवल यह नहीं बताया कि किस वर्ग के लोग खुशी से नाचने लगे थे। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि मेरे मित्र श्री वेंकटरामन एक अत्यन्त बुद्धिमान तथा चतुर व्यक्ति हैं।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मुझे इस प्रकार की प्रशंसा नहीं चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इतने कठोर क्यों बनना चाहते हैं ? मैं वास्तव में यही कहना चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अच्छे आदमी के रूप में प्रशंसित होना चाहता हूं। मैं चतुर व्यक्ति के रूप में प्रशंसित होना नहीं चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहाँ अच्छे व्यक्ति अथवा बुरे व्यक्ति से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि आप यहाँ व्यक्तिगत हैसियत से कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो मैं यह कहने को तैयार हूं।

असल बात यह नहीं है । आप सरकार की कुछ निश्चित नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं ।

यदि आप इस बजट पर इसके व्यापक रूप में विचार करें तो मेरा विचार है कि इसने निश्चित रूप से हमारे समुदाय के कुछ वर्गों को कुछ सीमा तक सन्तुष्ट अथवा प्रसन्न रखने का प्रयास किया है । इस बारे में कोई सन्देह नहीं है । यदि वे खुशी से नाच रहे हैं तो मैं उनको दोष नहीं देता हूं । मैं अनिच्छा से यह स्वीकार करता हूं कि कम से कम 30 हजार रु० तक की प्रतिवर्ष आय वाले मध्यम वर्ग के उन लोगों को जो कि आयकर देने की सीमा के अंतर्गत आते थे, वित्त मन्त्री के द्वारा पर्याप्त राहत प्रदान की गई है तथा यह स्वाभाविक है कि कम से कम इस बात के लिए वे उनसे खुश हों । इन लोगों में शहर में रहने वाला मध्यम वर्ग, वेतन भोगी कर्मचारी तथा ऐसे ही अन्य लोग हैं जो इस प्रकार का कर लगाने का बहुत विरोध करते हैं। यह समझने की बात है कि श्री वेंकटरामन का ध्यान इनकी ओर एकाएक क्यों गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ जीवन बीमा कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर रहे थे —ये लोग भी मध्यम वर्ग के वेतन भोगी कर्मचारियों का एक भाग है—तो वित्त मन्त्री ने इनकी अधिक प्रशंसा नहीं की थी। इन्होंने इन लोगों को बूर्जुआ तक भी कहा था । इन्होंने कहा था कि ये लोग समाज का एक विशिष्ट वर्ग बन गए हैं । अतएव, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनके अनुसार वे लोग, जिनकी वार्षिक आय 30 हजार रु० तक है तथा जिन्हें इन्होंने यह आयकर राहत दी है, एक विशिष्ट बूर्जुआ वर्ग के लोग हैं । वित्त मन्त्री इनके प्रति इतने दयालु क्यों रहे हैं ? क्योंकि यह वर्ग बहुत शोर मचाने वाला तथा बहुत विरोध करने वाला वर्ग है; यह वर्ग दिल्ली से बहुत दूर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उन लोगों की तरह नहीं हैं जो कि कठिनाइयों को चुपचाप सहते रहते हैं। परन्तु ये लोग कठिनाइयों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तथा मैं जानता हूं कि आप उनसे डरते हैं। दिल्ली, कलकत्ता अथवा बम्बई जैसे शहरों में ये शहरी मध्यम वर्ग का अधिकांश भाग रहता है तथा ये लोग आजकल सरकार की उन आर्थिक नीतियों से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे हैं; जिनके कारण उन पर कई अन्य तरीकों से इनका सीधा प्रभाव पड़ता है । इन लोगों को कम से कम कुछ समय तक चुप रखने के लिए आप इन्हें कुछ घूस देना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त, धनवान किसानों का भी एक वर्ग है । मैंने यहाँ अनेक बार कहा है कि लोग हमारे खेती करने वाले किसानों तथा मजदूरों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इन किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं है । इनमें छोटे किसान, गरीब किसान, मध्यम आय वर्ग के किसान तथा अमीर किसान हैं । इनमें पूंजीपतियों की तरह बड़े-बड़े फार्मों के मालिक-किसान भी हैं, जिनके पास मजदूर तथा सब प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं । इसके दूसरी ओर, ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें अपनी जमीन पर खेती करने के अतिरिक्त वर्ष में कुछ समय तक किसी दूसरे की जमीन पर मजदूरी करने को भी बाध्य होना पड़ता है । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति किसान है । किसानों का धनवान

वर्ग कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष बजट के समय थोड़ा भयातुर तथा आशंकित रहता था विभिन्न व्यक्तियों ने सुझाव दिया था कि इतने वर्षों के पश्चात् किसानों के अधिक धनवान वर्ग पर आय कर लगाया जाना चाहिए । परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है । उन्हें बिल्कुल कर-मुक्त कर दिया गया है । मैं समझता हूं कि श्री वेंकटरामन को हमें यह बताना चाहिए कि क्या कृषक समुदाय का यह धनवान वर्ग अब एक प्रकार की पवित्र वस्तु बन गई है जिसे कभी भी छुआ नहीं जा सकता । अतएव, वे लोग खुशी से नाच रहे होंगे । मुझे पूरा यकीन है क्योंकि इतने वर्षों से जो उन्हें राज सहायता दी जा रही है, वह अभी भी जारी है तथा उन पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है ।

इसके अतिरिक्त पुराने मित्रगण, बड़े व्यापारी भी खुश होने वाले लोगों में हैं । मुझे उनके बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कहना है कि इस बजट ने, कुल मिलाकर, संसाधनों को जुटाने की सरकारी क्षेत्र की हमारी निर्भरता को बदल दिया है; इस बजट के माध्यम से उस महत्व को सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में बदला जा रहा है । उत्पादन बढ़ाने तथा संसाधनों को जुटाने में वित्त मंत्री की प्रमुख निर्भरता अब सरकारी क्षेत्र पर नहीं है, अपितु निजी क्षेत्र पर है । जैसे कि सरकारी क्षेत्र अब अवरोधक बन गया है, हमारे ऊपर एक प्रकार का ऐसा भार बन गया है, जिसे हम अब उठाना नहीं चाहते । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी अर्थ व्यवस्था को उन्नत शिखर तक पहुंचाने में तथा राष्ट्र को दिशा-निर्देश प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र की भूमिका की जैसी परिकल्पना की थी, हमारी सरकार द्वारा अब उस बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है बजट में अब प्रमुख महत्व निजी क्षेत्र को खुश तथा संतुष्ट रखने पर दिया जा रहा है ताकि ये निजी क्षेत्र स्वेच्छा से पूंजीनिवेश तथा विकास की प्रक्रिया में योगदान दें । निश्चय ही इसमें कोई नई बात नहीं है । पिछले वर्ष भी श्री वेंकट रामन ने इन पर बहुत विश्वास किया था । पिछले वर्ष के दौरान मैंने वित्त मंत्री से पूछा था कि यदि निजी क्षेत्र के मालिक आपसे ईमानदारी से पेश नहीं आते तथा आप इनके ऊपर इतना अधिक विश्वास तथा भरोसा कर रहे हैं, ये टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया तथा अनेकानेक भद्रपुरुष यदि आपसे ईमानदारी से पेश नहीं आते, यदि ये देश की भलाई की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्व देते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका सारा अनुमान गलत हो जाएगा तथा इसलिए मैं कहता हूं कि श्री वेंकटरामन एक भले आदमी हैं क्योंकि उन्होंने उसके उत्तर में सदन में कहा था कि "उस हालत में मुझे त्याग पत्र दे देना पड़ेगा", यदि मेरा अनुमान गलत हो गया तो मुझे पद त्याग करना पड़ेगा ।" केवल इसी विशिष्ट मुद्दे के विषय में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे अपने दिल पर हाथ रख कर देखें तथा हमें ईमानदारी से बतायें कि क्या उनके विचार से इन बड़े व्यापारिक घरानों ने, इन एकाधिकारिक घरानों ने, इन बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पिछले एक वर्ष के दौरान उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है । मेरा विचार है कि यह बताने में उन्हें ईमानदारी बरतनी चाहिये ।

अब मैं उन सब रियायतों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, जो बजट में दी गई हैं। ये समस्त रियायतें अधिकतर निजी क्षेत्र को दी गई हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं हैं कि वित्त मंत्री निजी क्षेत्र पर निर्भर कर रहें हैं। उदाहरणतया मैं यहां तक कहूंगा कि—मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता—लेकिन इस बजट को पेश करके एक जुआ खेला गया है। आप जुआ खेल रहे हैं। इस बजट में जुए का एक खतरनाक तत्व है जो कि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं है। आप जिन लोगों पर भरोसा करना चाहते हैं, वे भरोसा करने लायक नहीं हैं तथा उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस बजट को एक जुआरी का बजट कह रहा हूं। संसार की इच्छाशक्ति के बावजूद भी आपको उनसे निराशा ही मिलेगी। उदाहरणतया, यह एक अच्छी बात है—बेशक मजबूरी में हीं हमें यह करना पड़ रहा है तथा केवल हमें ही नहीं, बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी ऐसा करना पड़ रहा है—कि यदि आप इतने अधिक ऊंचे दामों पर तेल के आयात में खर्च की जाने वाली राशि में कटौति करना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही अपने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। दुर्भाग्यवश, शायद विश्व का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का ऊर्जा संकट उत्पन्न होने की भविष्यवाणी नहीं कर सका था, खासकर जब मध्य-पूर्व के ये अरब राष्ट्र स्वयं को अपने तेल का मालिक घोषित करके अपनी इच्छानुसार कीमत वसूल करेंगे। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम पिछड़ रहें है। अब हमें इस कमी को पूरा करना है तथा मंत्री महोदय मुझसे बेहतर जानते हैं कि हम चाहे जितना भी आयात विभिन्न मित्र देशों से कर लें, एक अल्पकालिक उपाय के रूप में हमें आयात करना पड़ेगा, परन्तु यह आयात तेल के हमारे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। परन्तु यहाँ हम उनसे स्वदेशी तेल की खोज सम्बन्धी नीति के बारे में अधिक विस्तृत वक्तव्य सुनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे अपने संसाधन, तकनीशियन, इन्जीनियर तथा विशेषज्ञ विश्व के अन्य भागों के व्यक्तियों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं जो कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इस कार्य में लगे हुए हैं। इस कार्य में उनसे किस प्रकार की भूमिका की आशा की जाती है ? सारा जोर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस काम में उत्पादन में भागीदारी के आधार पर तेल प्राप्त की सम्भावनाओं तथा उसकी खोज में मदद करने पर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि यदि उन्हें तेल मिल जाता तो उस तेल का एक भाग उन्हें देना पड़ेगा। यह सच है कि हमें इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है क्योंकि अभी तक समझौतों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मैं जानता हूं कि उन समझौतों की शर्तें क्या होंगी। यदि आप उन लोगों को इस कार्य में सम्मिलित करने के इतने इच्छुक हैं तो तेल की भागीदारी के प्रश्न पर कुछ हद तक आपको उनकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी तथा मेरा विचार है कि शायद हमारे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ही कुछ सलाह तथा कुछ विशेषज्ञीय सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। यह एक अलग बात है। यह अपने तेल के कुछ भाग को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने जैसी बात नहीं है। अतएव मेरा यह कहना है कि इस

मामले में हमें अपने व्यक्तियों पर अधिक निर्भर रहना चाहिए तथा बाहरी व्यक्तियों की मदद केवल आवश्यकता पड़ने पर केवल अत्यन्त आवश्यक तथा थोड़े बहुत मामलों में ही लेनी चाहिए, न कि इस प्रकार से, जैसा कि आप कर रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में कुछ आँकड़े दिए गए हैं जिनके अनुसार अनेक देशों की 23 कम्पनियों ने पहले ही तेल प्राप्ति की खोज हेतु आवेदन किया है क्योंकि इससे उन्हें तेल का एक अंश प्राप्त होगा। मैक्सिको तथा वेनेज्युएला जैसे भारत से कहीं अधिक छोटे तेल उत्पादक देशों ने खुले आम यह घोषणा की है कि वे भी विदेशी तकनीक तथा अन्य सभी प्रकार की मदद लेने को तैयार है परन्तु वे उत्पादन में भागीदारी की शर्त पर सहमत होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारा तेल हमारा ही है। यदि आप इस शर्त पर मदद करने को तैयार हो तो आपको आपकी फीस इत्यादि की अदायगी कर दी जायगी, परन्तु आपको हमारे तेल का कुछ भी भाग नहीं दिया जायेगा। यदि ये देश इस प्रकार की बात कह सकते हैं तो मेरे विचार से भारत को भी जो कि एक बहुत बड़ा देश है, और अधिक कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त निर्यात संवर्द्धन पर भी पर्याप्त जोर देने का प्रश्न है। समस्त बजट प्रस्तावों में इस रूख पर जोर दिया गया है। चूंकि हमारे यहां आयात तथा निर्यात के बीच बहुत अधिक अन्तर है, इसलिए हमें अपना निर्यात अवश्य बढ़ाना चाहिए। परन्तु इस मामले में, आप क्या कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, इन उन्मुक्त व्यापार क्षेत्रों के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं कि जो भी प्रतिष्ठान इन उन्मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा निर्यात कार्यों के लिए निर्माण करते हैं, उन पर पांच वर्षों के लिए कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा।

प्रोत्साहन के रूप में इसी की व्यवस्था है। आप उन्हें मुक्त व्यापार क्षेत्र में लाना चाहते हैं मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि क्या ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्रों के विकास से देश में जो पहले से विद्यमान असंतुलन है और अधिक बढ़ नहीं जाएगा? ब्रिटिश शासनकाल में क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने जिस ढंग से अपनी रेल-प्रणाली और कलकत्ता, बंबई और मद्रास की बंदरगाहों का विकास किया था उससे क्या हुआ? सभी उद्योग और व्यापार इन्हीं क्षेत्रों में पनपें और बढ़े जिसके परिणाम हमें अभी तक भुगतने पड़ रहे हैं। यद्यपि मैं कलकत्ता का हूं फिर भी मैं यह कह रहा हूं। क्या वे ऐसे स्थान नहीं हैं जहां व्यापार और उद्योग का केंद्रीकरण हुआ, जिसके कारण उसी क्षेत्र के भीतरी प्रदेशों से संतुलन बना नहीं रह सका? कलकत्ता में क्या हम यह नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में लाखों लोग यहां आते हैं, जिनके रोजगार और अर्जन की कोई अन्य संभावना नहीं होती है, वे कलकत्ता महानगर की ओर चुम्बक की तरह खिंचे चले आते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कलकत्ता बन्दरगाह और रेल मार्ग प्रणाली के कारण सभी उद्योग और व्यापार वहीं केन्द्रित हैं। क्या इससे क्षेत्रीय असंतुलन नहीं हो जाता है यदि आप कुछ बन्दरगाहों में, तटवर्ती क्षेत्रों में मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, जहां कि उनके अनुसार सभी व्यापार

और उद्योग का केंद्रीकरण हो जाएगा क्योंकि उन्हें पांच वर्ष के लिए कर में रियायत दी जाएगी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या पूर्वोपाय कर रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन में और वृद्धि न होने पाएगी।

मैं छठी पंचवर्षीय योजना की चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारत की प्रभुसत्ता संपन्न संसद की अब तक यही स्थिति रही है कि उस योजना के अन्तिम रूप से तैयार कर कर लिए जाने के बाद ही उस पर हमें चर्चा या वाद-विवाद करने का अवसर दिया जाता है। यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। आज से 15 या 20 वर्ष पहले स्वयं सरकार ही योजना के प्रारूप-स्तर पर सभा में वाद-विवाद करने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करती थी। तीसरी और चौथी योजना पर सभा में विचार-विमर्श किया गया था। यह संसद किसलिए है ? सरकार को यहां कम से कम यह तो सुनना चाहिए कि सभा में लोग योजना के प्रारूप के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या सुझाव हैं, वे किस पक्ष की आलोचना करते हैं और उनकी क्या सिफारिशें हैं। किन्तु कुछ भी बड़ी किया गया अब इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् को सौंप दिया गया हैं। उन्होंने इसे अंतिम रूप दे दिया है। संसद से उस पर चर्चा करने के लिए नहीं कहा गया है। यह बड़ी विचित्र बात है। हमने कार्य मंत्रणा समिति में अनेक बार यह मुद्दा उठाया है कि पिछले सत्र में और इस सत्र में भी कुछ समय निश्चित किया जाए, ताकि सभा को इस योजना पर चर्चा करने का अवसर मिल सके और काफी समय मिल सके। किन्तु वैसा नहीं किया गया। क्या योजना को इन दिनों इतनी कम प्राथमिकता दी जाती है ? मैं छठी योजना के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। वह पुस्तकज्ञान हमें देने का क्या अर्थ है, जबकि सब कुछ अंतिम रूप से तै हो चुका है। स्वाभाविक है कुछ प्रश्न उभर कर सामने आएं।

लघु उद्योग और मशीनों के निवेश की परिभाषा के बारे में निर्धारित सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की कर दी गई है ताकि लघु उद्योग को दी जाने वाली रियायत 20 लाख रुपए तक निवेश वाले उद्योगों को भी मिल सके। मैं नहीं जानता कि ऐसा करने के पीछे उनकी नीयत क्या है। श्री वेंकटरामन को चाहिए कि वे इसके बारे में बताएं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या ऐसे उद्योग को लघु उद्योग कहा जाना चाहिए जिनमें 20 लाख रुपए तक का निवेश किया गया है। जब हम लघु स्तर के उद्यमियों के बारे में सोचते हैं तो कुछ एक चित्र आँखों के सामने आता है हम जानते हैं, कि उनमें से अनेक ऐसे हैं जो 20 लाख रुपये का निवेश नहीं कर सकते। वे केवल बेनामी ही हैं। ऐसे बहुत सी तथाकथित छोटी इकाइयां हैं, जो केवल बेनामीदार ही हैं और बड़ी इकाइयों की बेनामियां है, जिन्होंने भिन्न साइन बोर्ड लगा कर तथाकथित लघु उद्योग शुरू कर दिए हैं। क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ पूर्वोपाय किए हैं कि वे औचित्यपूर्ण हैं या नहीं और वे वाकई में लघु उद्योग इकाइयां ही हैं किसी बड़े व्यापारिक घराने के लिए पर्दे का काम नहीं करतीं हैं। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है।

उस पारंपरिक विभेदों का क्या हुआ जो कि प्राथमिकता प्राप्त और गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के बीच किया जाता रहा था ? यदि हमें एक सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था चाहिए तो राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विनियमन से संबंधित कार्य करे। राज्य को चाहिए कि वह उद्योगो की प्राथमिकता विनियमित करने के बारे में निर्णय ले कि किन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए किन्हें प्राथमिकता न दी जाए । किन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाए और किन्हें निम्न-प्राथमिकता दी जाए । मुझे ऐसा लगता है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाओं में जिस पारंपरिक प्रक्रिया का पालन किया जाता था, उसे छोड़ दिया गया है । आप उसे बिल्कुल ही छोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं । इसीलिए यह गलत नहीं कि दर्जनों उद्योग जिन्हें गैर-प्राथमिक उद्योग कहा जाता था, उन्हें वह नहीं कहा जा सकता । अतः उन्हें प्राथमिकता सूची में लाया जाए और कर में रियायतें और अन्य लाभ दिए जाएं । अतः मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या करना चाह रहे हैं । यह तो आप ही को बताना चाहिए ।

आयात की जाने वाली वस्तु के प्रतिस्थापन के मामले में भी बड़े अजीब अन्तर्विरोध पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जिस राजस्व पर आप 1981-82 में निर्भर करने जा रहे हैं वह आयात पर सीमा शुल्क की वसूली के कारण ही प्राप्त होगा जिसे कि सहायक शुल्क द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है । श्री वेंकटरामन को यह तो पता ही होगा कि हमारा आयात का खर्च जो पहले ही बहुत अधिक हैं और भी अधिक होने जा रहा है, क्योंकि दुर्भाग्यवश जिन देशों से आयात करना है वे विकसित देश हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने विश्व की इस समय की अर्थ-व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं । वे हमारे जैसे देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रहे हैं, हमें उसे अधिक मंहगी दर पर खरीदना पड़ता है और आयात पर होने वाला खर्च निरंतर बढ़ता ही जा रहा है । किन्तु वित्त मन्त्री ने अगले वर्ष की आय के बारे में जो गणना की है, उसके अनुसार ये सीमा शुल्क महत्वपूर्ण हैं क्यों कि हम आयात शुल्क से पर्याप्त राशि अर्जित करते हैं, इसका अर्थ है कि सरकार आयात को और अधिक प्रोत्साहित करेगी, ताकि वे और उन आयातों से और अधिक शुल्क प्राप्त कर राजस्व के रूप में दर्शा सकें । ऐसा तो होगा ही क्योंकि आपको धन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि लगभग 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि कम है । इसलिए आपकी यह प्रवृत्ति ही हो जाएगी कि आयात शुल्क, सीमा-शुल्क की दर को बढ़ाते रहें और आयात को भी बढ़ाएं ताकि इन आयातों से आप को और सीमा-शुल्क मिल सकें । स्थिति तो यही है ।

इससे हम आत्म निर्भर नहीं हो पाएंगे । अभी ही मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि आत्म-निर्भरता की बात करना अच्छी बात है । किंतु अनुकूलतम उपयोग करना और बेहतर होगा । माननीय मंत्री तमिलनाडु के हैं । नेवेली परियोजना के लिए आपने बिजली के जेनरेटरों और उपकरणों का आयात करने के लिए सहमति दी । यदि बिल्कुल उन्हीं विशिष्टियों के अनुरूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अपने देश में ही उसे बना सकता है, तो इतने

ज्यादा मूल्य पर आप इसका आयात क्यों करना चाहते हैं ? उसका विनिर्माण अपने ही देश में किया जा सकता हैं । इसे विदेश से मंगवाने का क्या प्रयोजन है ? एक प्रयोजन तो यह होगा कि आपको सीमा-शुल्क से राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी । मेरे विचार से बजट-संतुलन का यह सबसे विकृत और गलत तरीका है और इसे आत्म-निर्भरता को क्षति पहुंचा कर पूरा किया जाता है ।

मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हू कि इस बजट में जब साधारण से राशि एक एकत्र करने के लिए गैर सरकारी कंपनियों को अधिक स्वतंत्रता दी गई है । राष्ट्रीयकृत बैंक प्रणाली की अवहेलना है । इसका मतलब यह कि आप जन सामान्य को बैंक में धन जमा करने से निरुत्साहित कर रहे हैं और इन बड़ी-बड़ी कंपनियों में धन का निवेश करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो कि समाचार-पत्रों में 13 प्रतिशत 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत ब्याज देने के बारे में विज्ञापन देती हैं । वे पूछती हैं : आप बैंक क्यों जाते हैं ? आप अपनी जमा पूंजी गैर सरकारी कंपनियों में ही लगाएं ।" इसे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं । इस तरह से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए था । आपका अपना बजट ही उन्हें यह अवसर दे रहा है । मेरे विचार से तो एक कारण यह भी हैं जिसके लिए बजट में प्रत्यक्ष करों पर कम बल दिया गया है । आप चाहते हैं, कि जन साधारण के पास अधिक धन रहे, ताकि वे उसे जमा कर देने को लालायित हों, किंतु राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं वरन् इन गैर सरकारी कंपनियों में, जिसमे से अनेक पर पहले से ही उनके पास जन-साधारण की जमा राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है ।

आपने कहा था कि निजी कंपनियों के आय कर अधिभार को 7·5 प्रतिशत से घटाकर 2·5 प्रतिशत करने से उनके पास अधिक पूंजी बचेगी जिससे कि वह अपने संसाधनों से प्राप्त राशि से और अधिक निवेश कर सकेंगे । मैं यह जानना चाहूंगा कि इसकी क्या गारंटी है कि वह अधिक निवेश करेंगे । वर्तमान पद्धति में आपने क्या व्यवस्था की है आपके पास ऐसी कौन-सी शक्ति है, जिससे आप यह देखें कि जो पूंजी आप उनके पास छोड़ रहे हैं और जो उनके लाभ में जुड़ रही है वह वास्तव में निवेशित की ही जाएगी ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने लाभांश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है । यदि आप लाभांश की कोई सीमा निर्धारित करें तो बेहतर होगा । इससे शेयर होल्डरों को एक निश्चित प्रतिशत से अधिक पूंजी नहीं दी जा सकेगी । तब बाकी पूंजी का वह क्या करेंगे । उन्हें मजबूरन उसे निवेशित करना ही पड़ेगा । परन्तु यदि लाभाँश की कोई सीमा नहीं होगी तब वह शेयर होल्डरों को जितनी चाहे उतनी पूंजी लाभाँश के रूप में दे सकते हैं ।

बोनस के शेयर जारी करने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है । वह जितनी चाहे उतनी पूंजी रिजर्व में से निकालकर उसे बोनस शेयर में परिवर्तित करके उसका वितरण कर कर सकते हैं और उस पर लाभांश अदा कर सकते हैं । मेरे पास अधिक समय नहीं है

वरना मैं यह बताने के लिए आपको आँकड़े दे सकता हूं कि इन कंपनियों द्वारा बोनस शेयर कैसे जारी किए जा रहे हैं। यह एक बड़े कमाल का व्यवसाय है। वर्ष 1979-80 में, और 28 फरवरी, 1981 की सारी अवधि में 568 निजी कंपनियों को 231.52 करोड़ रुपये के बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1980 के दौरान, यदि आप जनता सरकार की अवधि छोड़ दें, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, में आपको यह आश्वासन दिलाता हूं; मैं इस विवाद में नहीं पड़ता कि दोनों में से कौन अच्छा है, दोनों ने ही काफी हानि पहुंचाई हैं –

श्री आर० आर० भोले (बम्बई, दक्षिण मध्य) : आप जनता पार्टी के साथ थे···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम कभी भी जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए, आपको अपनी राजनीति अच्छी तरह ज्ञात होनी चाहिए। मैं प्रो० मधु दंडवते के सामने कह रहा हूं, उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : परन्तु वह तो आपके साथ थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री भोले हम काफी समय तक आपके साथ थे, न कि उनके साथ।

वर्ष 1980 में तथा 28 फरवरी, 1981 तक 305 कंपनियों मे लगभग 143·87 करोड़ रुपये की कीमत के बोनस शेयर जारी किए। इस पूंजी का उनके द्वारा निवेश भी किया जा सकता था, परन्तु वह इसे बोनस शेयरों में परिवर्तित कर रहे हैं। आपके पास क्या आश्वासन अथवा गारंटी है कि यह पूंजी जो आप उनके लाभ में जमा होने के लिए छोड़ रहे हैं वह वापस आएगी। इसीलिए वह खुश हैं, और यह बहुत आश्चर्यजनक भी नहीं है, उनमें से मेरे पास सूची मौजूद है—बहुत-सी बहु-राष्ट्रीय कंपनियां, उन की स्वदेशी कंपनियां, उनकी शाखाएं, बड़े-बड़े व्यावसायिक दल, तथा ऐसी कंपनियां, जिनमें छः महीने और आठ महीने से लगातार तालाबन्दी चल रही है, उन्होंने भी काफी बड़ी रकम के बोनस शेयर जारी किए हैं, बिड़ला की केशोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल, कलकत्ता और हिन्दुस्तान फाइबर ग्लास वर्क्स में पिछले एक वर्ष से तालाबन्दी चल रही है, वहां कोई उत्पादन नहीं हुआ है, परन्तु वह लाखों रुपए की कीमत के बोनस शेयर जारी कर रहे हैं। क्या इन सबकी इजाजत दी जाएगी, इन्हे रोकने के लिए क्या आप कुछ नहीं करेंगे ?

यहाँ पर किसी ने यह भी जिक्र किया था कि इस देश की जनता मूल्यों से विशेषकर दैनिक उपयोगिता की वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों से, बहुत अधिक चिन्तित हैं। इसके लिए इस बजट में कोई आशा नहीं है। क्योंकि श्री शुक्ल ने अभी पीछे ही, सदन सदन में यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का

सम्बन्ध है, वह अब जो है वैसी ही रहेगी, किसी प्रकार की व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं बनाई जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को वह अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, न ही वह गैर सरकारी पार्टियों को वितरण केन्द्र—सहकारी वितरण केन्द्र खोलने के लिए ही आमन्त्रित कर रहे हैं।

जनता खुश है कि इस वर्ष कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। परन्तु श्री रवीन्द्र वर्मा ने ठीक ही कहा था कि उत्पान-शुल्क में कोई छूट भी नहीं दी गई है। उत्पाद शुल्क का भार, जो पहले भी था, और जिससे आपको अवगत भी होना चाहिए, एक रुपये में 16 पैसे हैं, सरकार द्वारा एकत्र किए गए प्रत्येक रुपए में 16 पैसे उत्पादन शुल्क होता है, जबकि उस रुपये में केवल सात पैसे निगम करों से आता है, अर्थात उद्योगों से जहां तक उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है यह पहले जैसा ही है। परन्तु निगम करों का हिस्सा कम कर दिया गया है, और मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री वेंकटरामन ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब प्रश्नों के उत्तर में आपके प्रतिदिन आंकड़े दे रहे हैं कि बड़े व्यवसायिक गृहों की सम्पत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो उन पर अतिरिक्त कर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। देश को इस संकट से निकालने की कीमत किसे अदा करनी होगी। उन्हें क्या कुछ भी अदा नहीं करना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं वर्ष 1972 में टाटा और बिड़ला की सम्मिलित पूंजी 1,231.35 करोड़ थी और 1978 तक यह 2,273.26 करोड़ हो गई है, कम्पनी कार्य मन्त्री श्री शिव शंकर ने 24 फरवरी, को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि टाटा की पूंजी 1978 में 1,102.11 करोड़ रुपए थी। परन्तु मैं श्री वेंकटरामन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि न्यूयार्क हैरल्ड, ट्रिब्यून में दिसम्बर, 1979, दिसम्बर की सही तारीख मैं आपको बाद में भी दे सकता हूं, मैं टाटा की ओर से एक बड़ा विज्ञापन छपा था। उस विज्ञापन में यह दावा किया गया था कि उनकी पूंजी 2200 करोड़ रुपए की है, जबकि श्री शिवशंकर ने कहा था कि वह 1102.21 करोड़ है। मुझे नहीं मालूम कौन सच बोल रहा है। सरकारी आंकड़ों में टाटा की कुल सम्पत्ति का आधा भाग दिखाया गया है। परन्तु ऐसे लोगों पर आप निगम करों का भार नहीं बढ़ाना चाहते। सच तो यह है कि उन्हें अधिक छूट और अवकाश दिया है। आप यह उम्मीद कर कर रहे हैं कि उनके पास अधिक पूंजी बचेगी जिसको वह देश के हित में निवेश करके प्रयोग करेंगे। वह क्यों निवेश करेंगे। उसे वह लाभांश के तौर पर वितरित कर देंगे। वह और अधिक बोनस शेयर जारी करेंगे। उनके रिकार्ड से यही पता चलता है कि उनके मन में देश का हित करने की भावना कभी नहीं रही। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

प्रत्येक सदस्य ने इस तथ्य का जिक्र किया है। इसे मैं 'जुए का बजट' कहूंगा। क्योंकि इसमें धारक बांड, जिससे कि आप इस वर्ष 200 करोड़ रुपए की और अगले वर्ष 800 करोड़ रुपए की आय की आशा कर रहे हैं, जैसा अनिश्चित तत्व भी सम्मिलित हैं। यह एक जुए और अकलबाजी का दृष्टिकोण है। यह लक्ष्य तो हमें प्राप्त भी हो सकता है नहीं भी। आपको भी इसमें सन्देह है। आप अपने बजट का संतुलन इस प्रकार कर रहे

हैं । आज 11 मार्च है तथा यह वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : आज हड़ताल है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : 31 मार्च तक काले धन के बाँडों से 200 करोड़ रुपए एकत्र करना चाह रहे हैं । श्री वेंकट रामन ने अपने बजट भाषण में अभी कहा है कि 'हमें 54 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं ।' परन्तु समाचार-पत्रों के अनुसार केवल 34 या 36 करोड़ ही प्राप्त हो पाए हैं । यदि हम यह भी मान लें कि 54 करोड़ रुपए आए हैं तब भी केवल 20 दिन बचे हैं जिनमें आप 150 करोड़ रुपए की आशा कर रहे हैं । यह आपको मिल भी सकते हैं, यदि मिल जाते हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छा होगा । इसीलिए मैं इसे जुए का बजट कह रहा हूं । आप एक प्रकार का जुआ खेल रहे हैं ।

विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा में भी आप जुआ खेल रहे हैं । इसीलिए आपने कहा है कि इस वर्ष हमें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बाजार से अधिक ऋण लेना पड़ेगा । अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से जिस ब्याज की दर पर वह ऋण देना चाहेंगे आपको लेना पड़ेगा । क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अथवा अमेरिका से जो ऋण मिलेगा उसके बारे में आपको सन्देह है । आपको मालूम नहीं हैं कि वह क्या देंगे और क्या नहीं देंगे । कार्यभार सम्भालने के बाद श्री रोनाल्प रीगन कह चुके हैं कि अमरीकी अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा उसे मजबूत करने और उसे मन्दी से बचाने के लिए वह विदेशों को दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती करेंगे । यह आप भी जानते हैं एक ओर शस्त्रों पर अधिक व्यय, तथा दूसरी ओर कुछ करों में कटौती और तीसरा विदेशों को दी जाने वाली सहायता में कटौती आपको नहीं मालूम कि आपको क्या मिलेगा । परन्तु आपने कालेधन की राशि निर्धारित कर रखी है । आपने यह राशि निर्धारित कर रखी है जो आपको निजी व्यवसाय वाले बड़े-बड़े लोगों से प्राप्त होगी । यह सब एक प्रकार का जुआ है । महोदय, मेरे विचार में कोई भी अच्छा लेखाकार अपना बही-खाता इस प्रकार संतुलित नही करता ।

अन्त में, मैं उन दो या तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगा जिनका विवरण बजट भाषण में कही भी नहीं है । किसानों को दिए जाने वाले लाभकारी मूल्यों का कहीं भी जिक्र नहीं है । यह सच है कि हमारा कृषि-उत्पादन अनेक कारणों से बढ़ गया है । हम सभी इसका स्वागत करते हैं । परन्तु यदि आप इस विशाल देश के देहात में, जिसका जिक्र जनरल स्पैरो कर रहे थे और जहाँ की 70 से 75 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, निर्धनता और समृद्धि के सन्तुलन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या वह बिना भूमि सुधारों के किया जा सकता है ? परन्तु यहाँ भूमि सुधारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । गरीब लोगों के लिए भी कुछ करना होगा । आप केवल समृद्ध वर्ग को छूट नहीं दे सकते । तथा किसानों को उनके उत्पाद की लाभकारी दरें देने का फायदा अमीर तथा गरीब दोनों प्रकार के किसानो को होगा । अब तो उन्हें कृषि-मूल्यों सम्बन्धी आयोग द्वारा

घोषि तथाकथित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। जनरल स्पैरो का यही आग्रह रहा कि ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है ? औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरा नामक एक ऐसा स्थायी तन्त्र है जिसे सरकार ने उद्योगों के औद्योगिक सूचकांक पर नियमित रूप से नजर रखने का कार्य सौंपा हुआ है तथा जब वह यह देखता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है तो वह आवश्यकतानुसार औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर देता है। ऐसा हमेशा होता है। कृषिक उत्पादों के लिए भी इसी प्रकार का तन्त्र होना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग को इस प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं सौपा गया है और मेरे विचार से तो यह बात इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है कि उसने गन्ने का मूल्य 12 या 13 रुपए प्रति क्विन्टल घोषित किया था। अब जबकि छः-सात राज्यों में कुछ आन्दोलन हुए हैं तो उन्होंने इस मूल्य को बढ़ाकर 23 या 24 रुपए कर दिया है। क्या इसके फलस्वरूप समूचा चीनी उद्योग समाप्त हो रहा है ? यह क्या बात है ? उन्हें लूटा जा रहा था तथा उन्होंने अपने खेतों में खड़ी फसल को जला दिया था। उस समय तो मूल्य 6 या 7 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए थे। मुझे खेद है कि उस समय श्री चरणसिंह सत्ता में थे। उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब कृषि मूल्य आयोग ने बहुत ज्यादा ढील देते हुए 12 या 13 रुपए पर मूल्य निश्चित कर दिए जो एकदम अलाभप्रद मूल्य थे। जब वे लूट रहे थे उस समय बाजार में चीनी ४ या 10 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। यह कैसी प्रणाली है ? उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल के प्रबन्धक ने मुझे बताया था कि कारखाने में प्रति किलो चीनी की उत्पादन लागत 2.50 रुपए आती है। तब बाजार में लोगों को 8 या 10 रुपए किलो चीनी क्यों मिलती है ? इसके लिए कौन जिम्मेंवार है ? मेरे विचार से तो सर्वप्रथम कृषि मूल्य आयोग की संरचना में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस समय यह देश के एक क्षेत्र के पक्ष में अधिक है। दूसरे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलें, विशेषकर वाणिज्यिक फसलें, तथा विभिन्न वस्तुएं उगायी जाती हैं। इसके अलावा आयोग को औद्योग औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की समान शक्तियाँ दी जानी चाहिए ताकि वह उत्पादन लागत, निवेश लागत तथा किसानों के सम्मुख उपस्थित अन्य कठिनाइयों पर निरन्तर नजर रख सके। किसानों को मिलने वाले मूल्य का निर्धारण निरन्तर वृद्धि के आधार पर तथा किसी वैज्ञानिक विधि के जरिए किया जाना चाहिए।

इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। मैं एक बात पूछना तो भूल ही गया था। जनता में यह प्रश्न उठ रहा है कि आप जो धारक बाँडों से धन इकट्ठा करेंगे उसमें आय कर की चोरी की राशि भी होगी तो क्या आप उस राशि में से कुछ राशि राज्यों को भी देंगे या नहीं, मेरे विचार से तो उन्हें कुछ अंश मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्हें आय-कर से प्राप्त होने वाली राशि से कुछ अंश मिलता है उसी प्रकार से उन्हें इस राशि में से भी कुछ अंश मिलना चाहिए। श्री वेंकटरमन, आपने इस बात का बिल्कुल

भी जिक्र नहीं किया है ? मैं समझता हूं कि उन्हें इससे वंचित रखा गया है तथा जिसके फलस्वरूप काफी मुसीबत पैदा होगी। आप विधेयक के पक्ष में काफी कुछ कह रहे हैं। मैं तो अन्ततः यही कहूंगा कि मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। हमने रोजगार के अवसरों आदि के बारे में पिछले वर्ष काफी कुछ सुना था। लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं हुआ। मैं यह मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था ही इस प्रकार की है जो मुद्रास्फीति में हित रखने वाली शास्त्रियों पर निर्भर करती है। उनका तो मुद्रास्फीति में ही हित है। आप तो उन पर अधिकाधिक निर्भर हो गए हैं। पिछले वर्ष मैंने यह कहा था कि यह कहना गलत है कि मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था समाज के हरेक वर्ग को क्षति पहुंचाती है। वस्तुतः इससे तो केवल निश्चित आय वाले वर्गों और गरीब लोगों को ही नुकसान पहुंचता है। विश्व में जहां कहीं मुद्रास्फीति हो रही है वहां धनी वर्गों बड़े-बड़े व्यवसायियों को इससे कोई नुकसान नहीं होता अपितु वे तो मुद्रास्फीति के दौरान कम उत्पादन की स्थिति में भी अधिकतम लाभ कमाते हैं। वे अपने उत्पादन को स्थिर रखकर अपने लाभ को बढ़ाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है ? आप इन तत्वों, इन शक्तियों को बढ़ावा क्यों देते हैं ? इससे तो केवल मुद्रास्फीति की आग को हवा ही मिलेगी।

मैं अपनी बात पिछले वर्ष श्री वेंकटरमन के प्रथम बजट के समय दिए गए अपने वक्तव्य के एक पैरा को पढ़कर समाप्त करूंगा। यह वक्तव्य के अन्त में है। मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं उद्धरण देकर उन्हें कुछ स्मरण कराना चाहता हूं :—

> "मुझे डर है कि कुल मिलाकर यह बजट अगले दस महीनों में देश को और भी बदतर स्थिति में ले जाएगा। मुझे डर है कि मुद्रास्फीति काबू से बाहर हो जाएगी और इसके फलस्वरूप कुछ लोग नुकसान उठाएंगे तथा कुछ लोग फायदा उठाएंगे। इससे तो देश में केवल लोगों में तनाव बढ़ेगा और आपसी झगड़े होंगे तथा जिन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो किन्हीं लोगों द्वारा षडयन्त्रकारी तरीकों से की जा रही हो। ये तो अर्थव्यवस्था की प्रणाली में स्वतः हो रही है और लोग यह महसूस करते हैं कि जबकि उन्हें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा है वही दूसरी ओर कुछ लोग प्रतिदिन ऊंचे उठते जा रहे हैं। आप समाज में बढ़ने वाले तनाव तथा आपसी झगड़ों को नहीं रोक सकते। गरीब लोगों, सामान्य मजदूर वर्ग को अपने अधिकारों तथा माँगों के लिए लड़ने का अधिकार जरूर है।"

आपने देखा कि वर्ष शुरू होने से पूर्व एक ओर तो लोग बेचैन हो रहे थे तथा दूसरी ओर सरकार ने पिछले दिसम्बर में जनता सरकार द्वारा गठित भूतलिंगम समिति की रिपोर्ट दबाए रखना उचित नहीं समझा। यह अच्छा होगा यदि आप इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दें। आप भूतलिंगम समिति के नाम का उपयोग न करें और श्रमिक वर्ग पर इसके वे निर्णय लादने का प्रयास न करें जो आप जनवरी से उन पर लाद रहे हैं।

यह सब अनजाने में नहीं हो रहा है । यह बात बंगलौर की हड़ताल या जीवन बीमा निगम सम्बन्धी अध्यादेश तथा आपके द्वारा उठाए गए कदमों से एकदम स्पष्ट हो गई है । मेरा तो यही कहना है कि आप इन लोगों के वेतन, बोनस भत्तों आदि को कम करके उन्हें नुकसान पहुंचाकर इस संकट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । ऐसा करेंगे तो जो सामाजिक तनाव होगा उसे रोका नहीं जा सकेगा बल्कि इससे तो झगड़े पैदा होंगे । झगड़ों का न होना ही हमारे तथा सरकारी क्षेत्र के लिए ही हितकर होगा । लेकिन चूंकि आपको स्पष्टत: सरकारी क्षेत्र की कोई चिन्ता नहीं है इसलिए शायद आप इस बात से परेशान न हों । आपको तो इस बात की दस गुणा चिन्ता है कि निजी क्षेत्र की किस तरह से सहायता की जाए और उन पर निर्भर रहा जाए ।

इसलिए महोदय अन्त में भी वही बात दोहराऊंगा जो मैंने आरम्भ में कही थी कि यह बजट तो किसी जुआरी का बजट है । वे एक अच्छे आदमी हैं लेकिन उनको राष्ट्र के वित्तीय स्रोतों से इस प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए । इसका कुछ फायदा नहीं होगा । वे तो मुख्यत: अटकलों पर विश्वास कर रहे हैं । यद्यपि उनसे वे कुछ प्रसिद्धि तों जरूर हासिल कर लेंगे लेकिन वे कोई ऐसी बात सामने नहीं रख पाए हैं जिनके लिए उनके दल के सदस्यों ने उस दिन जोर-जोर से तालियाँ बजाई थी । मूलत: अर्थव्यवस्था को जो दिशा दी गई है वही हमारे लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है । वे यह कहेंगे कि हम किसी एक मतवाद के विचारों से ग्रस्त हैं लेकिन उनके ऐसा कहने के बावजूद भी हम उन विचारों से प्रभावित हैं । इसलिए हम इस बजट की मुख्य दिशा का विरोध करते रहेंगे । मुझे केवल इतना ही कहना है ।

श्री कमालुद्दीन अहमद (वारंगल) : सभापति महोदय मैं इस बजट का समर्थन करने के साथ-साथ प्रधानमन्त्री तथा वित्त मन्त्री जी को यह सबसे बढ़िया बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं । मैं ऐसे राज्य से हूं जहां से रोजगार तथा व्यवसाय के लिए विदेशों में अनेक लोग गए हैं । इसलिए मैं वित्त मन्त्रालय के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा । आंध्र प्रदेश को विदेशों में स्थिति लोगों द्वारा भेजी गई रकम 5000 लाख डालर से कम नहीं होगी । हालांकि विदेशों को गए हुए अनेक लोग नियमित रूप से रकम भेजते रहते हैं फिर भी हवाई अड्डे पर आने पर उनके साथ घटिया व्यवहार किया जाता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय स्वयं गुप्त रूप से वहां जायेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे । हमारे स्वयं के लोग जब विदेशों से लौटते हैं तो उनके साथ धोखेबाजों और चोरों जैसा व्यवहार किया जाता है । वस्तुत: यह बहुत ही दु:खदायी स्थिति है । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे इस बात का सुनिश्चय करें कि उनके साथ बढ़िया व्यवहार हो । बिना किसी भेदभाव की गुंजाइश के सामान लाने ले जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए क्योंकि जहाँ कहीं आप स्वनिर्णय की व्यवस्था रखेंगे वहाँ भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रहेगी । हमें केवल दो तरह के नियम बनाने चाहिए या तो उन्हें कुछ

वस्तुओं के लाने की अनुमति दी जाए या उन्हें कोई भी वस्तु लाने की अनुमति न दी न दी जाए। चूंकि शुल्क-स्लैबों के होने से अधिकारियों को मनमाते ढंग से निर्णय लेने की छूट होगी तथा जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार फैलेगा इसलिए शुल्क की कोई स्लैब प्रणाली नहीं होनी चाहिए।

जिस अन्य बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह प्रणाली भारतीयों द्वारा विनियोग करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए कार्यविधि संबंधी प्रतिबन्धों के बारे में है। यदि कोई भारतीय प्रवासी भारत में निवेश करना चाहता है और वह यह वचन भी देता है कि वह किए गए निवेश या उस पर मिलने वाले लाभ को विदेश में नहीं ले जाएगा तो भी उसे भारतीय रिजर्व बैंक से निवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। यह पद्धति काफी बोझिल है। देश में प्रवासी भारतीयों को निवेश करने हेतु बढ़ावा देने के स्थान पर ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे ये लोग हतोत्साहित ही होते हैं। मुझे एक ऐसे स्पष्ट मामले की जानकारी है जिसमें उद्योग ने प्रवासी भारतीय, जो कम्पनी का भागीदार भी था, से राशि ली थी। उस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी को नोटिस जारी किया था कि 'उसने यह राशि क्यों ली थी ?' जबकि यह बचन पहले ही दिया गया था कि कोई भी राशि विदेश को नहीं भेजी जाएगी तब इस प्रकार के प्रतिबन्ध क्यों लगाए गए हैं ? हमें तो ऐसे नियम तथा कार्य विधियां बनानी चाहिए जिससे देश में अधिक राशियाँ आने तथा विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होने को बढ़ावा मिले। महोदय, हमने पिछले वर्ष अत्याधिक मूल्यवृद्धि सम्बन्धी कठिनाई का सामना किया था। हम जानते हैं कि देश को कितनी तकलीफ हुई थी और हमने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कितना ज्यादा भुगतान किया था।

इसलिए इन परिस्थितियों में हमें ऐसे तौर-तरीकों का पता लगाना चाहिए जिनसे देश में प्रवासी भारतीयों से अधिक राशि आकर्षित की जा सके। मध्यपूर्वी देशों से व्यापार के सम्बन्ध में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि फारमोसा और कोरिया की अपेक्षा हमारा उनसे कम व्यापार है। यदि हम देखें कि भारत का मध्यपूर्वी देशों के साथ कितना व्यापार हैं तो हम देखेंगे कि यह 5 प्रतिशत से भी कम है। जो भारतीय व्यापारी मध्यपूर्वी देशों से व्यापार कर रहे हैं उन्होंने वहाँ भारत का नाम डुबोया है। अब यह स्थिति है कि कोई भी मध्यपूर्वी देश पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के (एफ०ओ०बी०) आधार पर क्रयादेश नहीं दे रहा है। इसका यह परिणाम है कि इन देशों के साथ हमारा व्यापार काफी कम हो गया है। इन देशों के साथ इतने अधिक सामीप्य तथा शताब्दियों से उनके साथ चले आ रहे सम्बन्धों को देखते हुए उनके साथ हमारा व्यापार 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि विदेशी व्यापार के बारे में हमें कुछ नियम तथा विनियम बनाने चाहिए तथा सरकार को किस्म नियंत्रण की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। नमूनों के अनुसार ही वस्तुएं विदेशों में भेजनी चाहिए। केवल तभी इन देशों से हमारा व्यापार बढ़ेगा और हम लाभ कमा सकेंगे।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय के उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं जो उन्होंने जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के बारे में पेश किया है। वे निगम को पांच एककों में बाँटने की बात कहते हैं। मेरा सुझाव है कि इन पांच एककों के अलावा प्रवासी भारतीयों के बीमा के लिए एक और एकक बनाया जाए।

अब हम उत्प्रवासियों से 1400 रुपए उत्प्रवाशन शुल्क वसूल कर रहे हैं। लेकिन अनेक मामलों में उनसे कोई राशि वसूल नहीं की जाती है। कुछ आदमी तो शुल्क का भुगतान करते हैं और कुछ व्यक्ति भुगतान नहीं करते। मेरा सुझाव यह है कि वे सभी व्यक्ति जो विदेशों में जाते हैं उन्हें अपना बीमा करना चाहिए और ऐसा बीमा कराने के बाद ही वे व्यक्ति देश से बाहर जा सकते हैं। कई लाख व्यक्ति जो इस समय विदेशों में हैं उन्हें अपना बीमा कराना चाहिए और मेरा विचार है कि अगर वे अपना बीमा करा लेते हैं तो हमारे देश को काफी धनराशि प्राप्त होगी। मेरा सुझाव यह है कि जीवन बीमा निगम की एक यूनिट केवल गैर-आवासीय व्यक्तियों के बारे में होनी चाहिए।

श्रीमान, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान ग्रामीण जल-सप्लाई की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की स्वाधीनता के 33 वर्ष बीत जाने के बावजूद हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें सुरक्षित जल सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की तरह ग्रामीण जल-सप्लाई निगम की स्थापना भी हमें करनी चाहिए। ऐसा निगम ग्रामों के एक समूह को जल-सप्लाई की व्यवस्था कर सकता है।

अब अपने राज्य में पड़ी रूई की ओर दिलाना चाहता हूं। रूई की खरीद में काफी कदाचार हो रहा है। वित्त मन्त्री महोदय को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे किसानों को संरक्षण प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि जो रूई इकट्ठी हो रही है उसकी खरीद की जाये और लोगों को परेशानी से बचाया जाय।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कुछ समय बोलने के लिए और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा बंगलौर में की जा रही हड़ताल के बारे में कहने का अवसर दिया। यह बड़े खेद की बात है कि 75 दिन बीत चुके हैं लेकिन हड़ताल समाप्त होने में नहीं आ रही और यह अफसोस की बात है कि देश को 2 हजार करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हुई है और श्रमिकों को अपने वेतन से वंचित होना पड़ा है और उन्हें कर्जा लेना पड़ा है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी कि यह हड़ताल किसी न किसी तरह समाप्त हो जाए। इस सिलसिले में मुझे यह पता चला है कि मजदूरों के साथ बातचीत करके कुछ समाधान निकालने के बजाय यह कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हड़ताल को तोड़ा जाए और किस प्रकार से मजदूरों को प्रबन्धकों का आदेश मानने के लिए बाध्य किया जाए। मुझे विशेष रूप से इस बात का खेद है कि सत्तारूढ़ पार्टी के संसद सदस्य जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी

श्रीमान, मेरे विचार से यह एक ऐसा बजट है जिसमें बचत के साथ-साथ विकास पर प्रमुख जोर दिया गया है। श्रीमान यह ऐसा बजट नहीं है जिससे किसी भी नागरिक पर करों का भार पड़ेगा। वास्तव इसमें मुश्किल से ही नये कर लगाये हैं। इस बजट में 271 करोड़ रुपये के कर लगाये गए हैं और वे भी आयातीत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में पांच प्रतिशत वृद्धि और अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के कारण लगाए गए हैं। इसलिए यह एक ऐसा बजट है जिसमें एक सामान्य नागरिक पर करों का भार नहीं डाला गया है।

श्रीमान, यह एक ऐसा बजट है जिसमें रोजगार और निर्यात के लिए पर्याप्त सम्भावना और गुंजाइश रखी गई है। इस बजट में शहरी जरूरतों और ग्रामीण जरूरतों बीच पर्याप्त संतुलन रखा गया है।

श्रीमानजी, पिछले वर्ष जब बजट पेश किया गया था, तो विपक्ष के लोगों ने और देश में तथा हममें से कुछ व्यक्तियों का यह विचार था कि भारी मात्रा में कर लगाए जाएंगे। लेकिन जब वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत किया तो सभी ने राहत की सांस ली। इस वर्ष भी बजट प्रस्तुत करने से एक महीना पहले अथवा उससे भी अधिक समय पहले इस देश के लोग और विपक्षी सदस्य यह काना-फूसी कर रहे थे। "आप सब देखेंगे कि क्या होने जा रहा है जब कि इस सदन में बजट पेश किया जायेगा। उनको यह उम्मीद थी कि बहुत बड़ी मात्रा में कर लगाए जाएंगे लेनि इस वर्ष भी कर नहीं लगाए गए हैं। इसलिए विपक्षी सदस्यों को अथवा अथवा हमारी पार्टी के आलोचकों को यह कहने के लिए कोई बात ही नहीं है कि हमने गरीबों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया अथवा हमने मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। जहां तक गैर-सरकारी उद्योग और मध्यम वर्ग के लिए लाभ देने का सम्बन्ध है आयकर में राहत दी गई है। अब छूट की सीमा 15 हजार रुपए तक बढ़ा दी गई है। 12 हजार रुपए से 15 हजार रुपये तक के आयकर—ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है। इससे हमारे समाज के लगभग 25 लाख लोगों को, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग है और जो आयकर भार से दबा हुआ था, राहत मिलेगी।

इसके अलावा निगम आयकर में अधिभार में 5 प्रतिशत की कमी की गई है। जहां तक उद्योग का और लघु उद्योगों का सम्बन्ध है उन्हें भी काफी राहत मिली है। उद्योगों के 14 नए वर्ग को भूमि निवेश से सम्बन्धित आयकर रियायतें दी गई हैं। निर्बाध व्यापार क्षेत्रों में स्थिति एककों को कर अवकाश प्राप्त है जिसे वित्त मन्त्री ने पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है इसलिए यह बजट व्यक्तिगत कराधान के आधार पर ही तैयार नहीं किया गया है बल्कि यह उपभोग, उत्पादन तथा निर्यातोन्मुख बजट है।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त यह कह रहे थे कि इस बजट में गरीबों को राहत नहीं दी गई है। बल्कि अमीर व्यक्तियों को राहत दी गई है, लोगों को बैंकों में धनराशि जमा

करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था लेकिन इस बजट के अन्तर्गत उन्हें केवल कम्पनियों में धनराशि जमा कराने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। मैं उनकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि अब भविष्य में कम्पनियों जितने ब्याज की अदाएगी करेगी उसके लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह 15 प्रतिशत है। बैंकों से भी यह कहा गया है कि वे 5 वर्ष से कम अवधि के लिए ब्याज की अपनी दरों में वृद्धि करें इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कम्पनियों को अधिक मात्रा में जमा राशि प्राप्त होगी और बैंकों को कम मात्रा में जमा राशि प्राप्त होगी।

लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा क्योंकि 72 वस्तुओं के लिए उत्पादन-शुल्क में रियायत दी गई है। उनके लिए शुल्क मुक्त छूट की सीमा अब 7.5 लाख तक रखी गई है। रियायती शुल्क सामान्य शुल्क का 75 प्रतिशत होगा और यह 7.50 लाख मे 15 लाख की सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं शहरी जरूरतों औय ग्रामीण जरूरतों के बीच पर्याप्त संतुलन रखा गया है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पिछले वर्ष पिछले वर्ष प्रारम्भ किया गया था। पेय जल योजना भी पिछले वर्ष प्रारम्भ की गई थी। इस वर्ष 180 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है और 180 करोड़ रुपए का राज्यों द्वारा योगदान किया जाएगा। पेय जल योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पिछले वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसलिए इससे पता चलता है कि इस बजट में हमारे राष्ट्र के कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। इस बात की काफी चर्चा है और यह सही भी है कि हम काले धन का पता लगाने और उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरे देशों में मुद्रास्फीति है, अतः इसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़ता है। मुद्रा-स्फीति कृत्रिम भी है, क्योंकि व्यापारी लोगों से सरकार के साथ जितने सहयोग की आशा की जाती है उनसे उतना सहयोग नहीं मिलता है। किन्तु इन सभी मुसीबतों और कष्टों के होते हुए भी पिछले वर्ष यह 21 प्रतिशत थी और उसकी तुलना में इस बार यह केवल 13.5 प्रतिशत है। मैं इस बात पर जोर देने का प्रयास कर रहा हूं कि हम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

पिछले वर्ष हम जिस अर्थव्यवस्था को लेकर चले थे वह पूर्णतः अस्त-व्यस्त थी। हमने कभी यह आशा नहीं की कि अर्थव्यवस्था इतनी खराब होगी। किन्तु, जब सरकार बनी, उन्होंने देखा कि यह अत्यन्त ही बुरी अवस्था में है। अब, कुछ घटनायें ऐसी बताई गई हैं जैसे हजारों टन सोना गंवा दिया गया था, हजारों टन आलू भी सड़ गए, हजारों टन गन्ना भी सड़ गया। अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत के बारे मे सोचा भी नहीं जा

श्रीमान, मेरे विचार से यह एक ऐसा बजट है जिसमें बचत के साथ-साथ विकास पर प्रमुख जोर दिया गया है। श्रीमान यह ऐसा बजट नहीं है जिससे किसी भी नागरिक पर करों का भार पड़ेगा। वास्तव इसमें मुश्किल से ही नये कर लगाये हैं। इस बजट में 271 करोड़ रुपये के कर लगाये गए हैं और वे भी आयातीत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में पांच प्रतिशत वृद्धि और अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के कारण लगाए गए हैं। इसलिए यह एक ऐसा बजट है जिसमें एक सामान्य नागरिक पर करों का भार नहीं डाला गया है।

श्रीमान, यह एक ऐसा बजट है जिसमें रोजगार और निर्यात के लिए पर्याप्त सम्भावना और गुंजाइश रखी गई है। इस बजट में शहरी जरूरतों और ग्रामीण जरूरतों बीच पर्याप्त संतुलन रखा गया है।

श्रीमानजी, पिछले वर्ष जब बजट पेश किया गया था, तो विपक्ष के लोगों ने और देश में तथा हममें से कुछ व्यक्तियों का यह विचार था कि भारी मात्रा में कर लगाए जाएंगे। लेकिन जब वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत किया तो सभी ने राहत की सांस ली। इस वर्ष भी बजट प्रस्तुत करने से एक महीना पहले अथवा उससे भी अधिक समय पहले इस देश के लोग और विपक्षी सदस्य यह काना-फूसी कर रहे थे। "आप सब देखेंगे कि क्या होने जा रहा है जब कि इस सदन में बजट पेश किया जायेगा। उनको यह उम्मीद थी कि बहुत बड़ी मात्रा में कर लगाए जाएंगे लेनि इस वर्ष भी कर नहीं लगाए गए हैं। इसलिए विपक्षी सदस्यों को अथवा अथवा हमारी पार्टी के आलोचकों को यह कहने के लिए कोई बात ही नहीं है कि हमने गरीबों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया अथवा हमने मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति को बढावा दिया है। जहां तक गैर-सरकारी उद्योग और मध्यम वर्ग के लिए लाभ देने का सम्बन्ध है आयकर में राहत दी गई है। अब छूट की सीमा 15 हजार रुपए तक बढ़ा दी गई है। 12 हजार रुपए से 15 हजार रुपये तक के आयकर—ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है। इससे हमारे समाज के लगभग 25 लाख लोगों को, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग है और जो आयकर भार से दबा हुआ था, राहत मिलेगी।

इसके अलावा निगम आयकर में अधिभार में 5 प्रतिशत की कमी की गई है। जहां तक उद्योग का और लघु उद्योगों का सम्बन्ध है उन्हें भी काफी राहत मिली है। उद्योगों के 14 नए वर्ग को भूमि निवेश से सम्बन्धित आयकर रियायतें दी गई हैं। निर्बाध व्यापार क्षेत्रों में स्थिति एककों को कर अवकाश प्राप्त है जिसे वित्त मन्त्री ने पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है इसलिए यह बजट व्यक्तिगत कराधान के आधार पर ही तैयार नहीं किया गया है बल्कि यह उपभोग, उत्पादन तथा निर्यातोन्मुख बजट है।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त यह कह रहे थे कि इस बजट में गरीबों को राहत नहीं दी गई है। बल्कि अमीर व्यक्तियों को राहत दी गई है, लोगों को बैंकों में धनराशि जमा

करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था लेकिन इस बजट के अन्तर्गत उन्हें केवल कम्पनियों में धनराशि जमा कराने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। मैं उनकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि अब भविष्य में कम्पनियों जितने ब्याज की अदाएगी करेगी उसके लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह 15 प्रतिशत है। बैंकों से भी यह कहा गया है कि वे 5 वर्ष से कम अवधि के लिए ब्याज की अपनी दरों में वृद्धि करें इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कम्पनियों को अधिक मात्रा में जमा राशि प्राप्त होगी और बैंकों को कम मात्रा में जमा राशि प्राप्त होगी।

लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा क्योंकि 72 वस्तुओं के लिए उत्पादन-शुल्क में रियायत दी गई है। उनके लिए शुल्क मुक्त छूट की सीमा अब 7.5 लाख तक रखी गई है। रियायती शुल्क सामान्य शुल्क का 75 प्रतिशत होगा और यह 7.50 लाख मे 15 लाख की सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं शहरी जरूरतों औय ग्रामीण जरूरतों के बीच पर्याप्त संतुलन रखा गया है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पिछले वर्ष पिछले वर्ष प्रारम्भ किया गया था। पेय जल योजना भी पिछले वर्ष प्रारम्भ की गई थी। इस वर्ष 180 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है और 180 करोड़ रुपए का राज्यों द्वारा योगदान किया जाएगा। पेय जल योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पिछले वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसलिए इससे पता चलता है कि इस बजट में हमारे राष्ट्र के कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। इस बात की काफी चर्चा है और यह सही भी है कि हम काले धन का पता लगाने और उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरे देशों में मुद्रास्फीति है, अतः इसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़ता है। मुद्रा-स्फीति कृत्रिम भी है, क्योंकि व्यापारी लोगों से सरकार के साथ जितने सहयोग की आशा की जाती है उनसे उतना सहयोग नहीं मिलता है। किन्तु इन सभी मुसीबतों और कष्टों के होते हुए भी पिछले वर्ष यह 21 प्रतिशत थी और उसकी तुलना में इस बार यह केवल 13.5 प्रतिशत है। मैं इस बात पर जोर देने का प्रयास कर रहा हूं कि हम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

पिछले वर्ष हम जिस अर्थव्यवस्था को लेकर चले थे वह पूर्णतः अस्त-व्यस्त थी। हमने कभी यह आशा नहीं की कि अर्थव्यवस्था इतनी खराब होगी। किन्तु, जब सरकार बनी, उन्होंने देखा कि यह अत्यन्त ही बुरी अवस्था में है। अब, कुछ घटनायें ऐसी बताई गई हैं जैसे हजारों टन सोना गंवा दिया गया था, हजारों टन आलू भी सड़ गए, हजारों टन गन्ना भी सड़ गया। अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत के बारे में सोचा भी नहीं जा

सकता । इसलिए अर्थव्यवस्था की यह हालत है । इस अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में, यह सब राहतें, न केवल निर्धन लोगों, मध्यम वर्ग को दी गई किन्तु अन्यों को भी दी गई । मैं यह समझता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री ने इन परिणामवादी बजट को बनाने में काफी कार्य किया है । उन्होंने काले धन को भी समाप्त करने का प्रयास किया है । हम सभी जानते हैं कि काले धन के कारण एक समानान्तर अर्थव्यवस्था तैयार हो गई है । यह सच है कि जहां तक धारक बांड का सम्बन्ध है, यह कोई आदर्श सीमा नहीं है किन्तु, यह भी समाधानों में से एक है । हमारे संविधान के और अनुच्छेद 292 मे यह उपबन्ध है कि "भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर जिन्हें संसद विधि द्वारा नियत करें, उधार लेने के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है....." इसलिए सरकार का यह अधिकार है । संविधान के अधीन कार्यपालिका को ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है, और यही कारण है, कि वित्त मन्त्री ऐसा कर रहे हैं । यह पहली ही घटना नहीं है कि काला धन समाप्त किया जा रहा है । 1953-54 में स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना चालू की गई थी । फिर 1974-75 में दुबारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना चालू की गई थी । 1965 में स्वर्ण बांड जारी किए गए थे जिनका भुगतान 1980 में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया गया । इसलिए धारक बांड जारी करना असमान्य नहीं है । यह फ्रांस और इटली में भी किया गया था । ऐसी बात नही है कि सरकार उस मुद्रा पर कर नहीं लगाएगी जो धारक बांडों में रखी जाएगी । इसलिए इस पर कर की कोई हानि नहीं है । दूसरी ओर, 8 प्रतिशत तक कर लाभ भी होगा ।

हमें यह बताया गया है कि अब तक, इस महीने के अन्त तक 54 करोड़ रु० के धारक बांड बेचे जा चुके हैं । हम यह आशा करते हैं कि इनकी और अधिक बिक्री होगी । हम यह जानते हैं कि दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है । स्वैच्छिक प्रकटीकरण अथवा स्वर्ण बोडों के खिलाफ कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी । जहाँ तक मैं जानना चाहता हूं यह पहला अवसर है कि धारक बांडों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है । मैं प्रसन्न हूं कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है । बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश रहने के कारण मेरा अपना यह अनुभव है कि अदालत में दायर की गई ऐसी याचिकाओं में जब कोई दम न हो तो स्थगन नहीं दिया जाता ।

यही तथ्य कि इस याचिका में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया, दर्शाता है कि इस याचिका में प्रत्यक्ष रूप से कोई मामला नहीं बताया गया है । यही कारण है कि क्यों सामान्यत: इसे खारिज कर दिया जाता है ।

मुझे यह देखकर दुख हुआ कि इस रिट याचिका को अप्रैल महीने में ही निपटाने का निर्णय लिया गया है जबकि यह मामला काफी महत्वपूर्ण और तत्कालिक है । मैं यह आशा करता हूं कि इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा । क्या मैं इस सदन के ध्यान में

यह ला सकता हूं कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय को कुछ न्यायाधीशों द्वारा कुछ मामलों में उनकी सुनवाई पूरी करने के एक वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय तक निर्णय नहीं दिया जाता। यह अपवादात्मक है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मामला किसी हरिजन न्यायाधीश का नहीं है कि वे निर्णय देने में इतनी देर लगाते हैं। गैर-हरिजन जाति के न्यायाधीश भी एक वर्ष से अधिक समय तक निर्णय नहीं देते।

मैं कुछ शब्द बजट में बताई गई परियोजनाओं और नीतियों को क्रियान्वित करने के बारे में भी कहूंगा। यह अत्यावश्यक है कि, सारा पैसा जो हम खर्च करते हैं, सारी मुद्रा जो सरकार कमजोर वर्गों, किसानों, सीमान्त लोगों और कृषि श्रमिकों पर खर्च करती हैं यह उनकी जेबों में तथा उनके लाभ के लिए ही जाना चाहिए। यह अत्यावश्यक है जब तक कि निर्धन व्यक्ति और मध्यम व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचता, सभी स्तरों पर और उच्चतम स्तर पर खर्च और उपलब्धियों की प्रगति पर निगरानी नहीं रखी जाती।

दिल्ली से लेकर राज्य, जिला और गांवों तक पाइप-लाइन इतनी लम्बी है कि इसमें कई जगह दराड़ें पड़ी हुई हैं और हर हालत में इन सभी दराड़ों को भरना होगा और मैं सोचता हूं कि जब हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और हम में अपने निर्धन लोगों को सहायता देने की इच्छा भी है और जब हम निर्धनता रेखा को 50 प्रतिशत तक ऊंचा उठाने की बांधा रखते हैं तो हम सभी को सारे कार्य को समन्वित ढंग से करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य अति आवश्यक, अति तत्काल और अति महत्वपूर्ण है। इस-लिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को मद्दे नजर रखकर कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें।

एक अन्य मुद्रा भी है जिसका मै अवश्य जिक्र करूंगा। यद्यपि पिछले वर्षों में हमने काफी बड़ी संख्या में मानवदिन खराब किए है तब भी मैं खुश हूं कि पिछले वर्ष कुछ कम खोए हैं। श्रमिक हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं किन्तु हमें श्रमिकों से अधिक सहयोग प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। हमें उनमें अनुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए। मैं अपने विरोधी सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है और अगर हमें देश को ऊंचा उठाना है ताकि वह अच्छे देशों की श्रेणी में आ जाए, तो उन्हें भी इस दिशा में सहयोग करना होगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्हें कम लाभकारी मूल्य दिए जाएं। मैं यह भी नहीं कहता कि उन्हें कम मजदूरी अथवा वेतन दिया जाए। मैंने स्वयं महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। मैं यह जानता हूं कि मजदूरी और वेतन की समस्याएं क्या हैं किन्तु उसी समय ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन व मजदूरी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। अब काफी अन्तर है और कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा जब वह यह सुनेगा कि गांवो में अब भी 2 रु० अथवा ढाई रुपया मजदूरी दी जाती है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। कोई व्यक्ति तो संयुक्त सचिव के

बराबर वेतन पा रहा है और कोई जो 8 बजे रात तक काम करता है और आधी रात तक जागता है वह कम पा रहा है । इतना अन्तर नहीं होने दिया जाना चाहिए । इसलिए, मैं यह भी आशा करता हूं कि औद्योगिक और संगठित वर्ग के श्रमिक सरकार से सहयोग करेंगे और विरोधी पक्ष भी यह प्रयास करेगा कि वे समस्या पैदा नहीं करेंगे जैसाकि अब बंगलौर में हो रहा है ।

हमें समयोपरि भत्ते की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए । जहाँ तक मैं जानता हूं समयोपरि भत्ता तभी दिया जाता है जब कोई कार्य के घंटों में न किया जा सके । यह 1978-79 में 50 करोड़ रुपये का था तथा 1980-81 में 39 करोड़ रु० । हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि ओवर-टाइम का उचित प्रयोग हो । अगर ओवर-टाइम ही देना है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि ओवर-टाइम में काम न करवाकर अधिक कर्मचारी लगाने चाहिए और कार्य को पूरा करवाना चाहिए ताकि कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके । किन्तु, जहां तक मैं जानता हूं, अतिरिक्त रोजगार आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि मेरे एक मित्र ने बताया है कि अफसरशाही में नियमित 8 घण्टों में पर्याप्त कार्य नहीं किया जाता । इसलिए, उनसे जितने काम की अपेक्षा है उतना लेना चाहिए ।

गुजरात के बारे में कुछ उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता । जो कुछ वहां हो रहा है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । यह जारी नहीं रहना चाहिए । यह कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा चलाया गया है । अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर ने उल्लेख किया कि अधिवक्ता श्री शांति भूषण, जो जनता सरकार में विधि मन्त्री रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, ने न्यायालय को धमकी दी कि अगर इस मामले का फैसला उनके हक में नहीं दिया जाएगा तो याचिकादाता और अन्यों की यह लड़ाई गलियों में होगी । दूसरे शब्दों में श्री शांति भूषण, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, का विचार हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह षड्यन्त्र रचा जा रहा है कि कमजोर वर्गों को यह सांविधानिक हक न दिया जाए । यही कारण है कि गुजरात में यह हिंसा और आंदोलन चल रहा है । मुझे अब यह बताया गया है कि—प्रैस में यह समाचार प्रकाशित हुआ गया है—कि कुछ कागजात ऐसे पकड़े गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कुछ हाथ है । श्री शांति भूषण ने उच्चतम न्यायालय में स्वयं यह स्वीकार किया है कि लड़ाई सड़कों पर ले जाई जाएगी । इसलिए वे सभी इसमें शामिल हैं । यह मामला निर्धनों को रियायतें देने का नहीं है, किन्तु यह मामला हमारी सरकार और हमारे दल को बदनाम करने का है पर उन्हें सफलता नहीं मिलेगी । लोग समझदार हैं । समझदारी आएगी । यह आकर रहेगी । साथ ही मैं इस देश के सभी नागरिकों से यह अपील करूंगा कि जहाँ तक जातिवाद की लड़ाई का सम्बन्ध है, गरीब और कमजोर लोगों का अनावश्यक शोषण न किया जाए और ना ही उन्हें मारा जाए ।

उनके घर न जलाए जाएं। यह कायरता है। सबको एक जुट होकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लोगों को भी, जो इस देश के नागरिक हैं, रहने का अधिकार हो जैसेकि अन्य नागरिक रहते हैं और उन्हें वे सब अधिकार मिलने चाहिएं जो संविधान ने उन्हें दिए हैं।

इन शब्दों के साथ ही, मैं फिर से बजट का समर्थन करता हूं और प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : श्रीमान जी, सबसे पहले, मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है जो किन्हीं राजनैतिक स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री की ओर से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, मैं प्रधान मन्त्री जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने उन्हें वित्त मन्त्री नियुक्त करने के लिए 3 बार सोचा क्योंकि वे देश में काफी गतिशील व्यक्ति व अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने सही मायने में जगन्नाथ श्रुति अथवा जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप बजट प्रस्तुत किया है :

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे मुद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुखभाक् भवेत् ॥

इसका अर्थ यह हुआ कि सभी लोगों को शाँति से रहना चाहिए। किसी के साथ दुश्मनी या लगाव नहीं होना चाहिए। हम सब बराबर हों। दूसरे शब्दों में हमारे यही समाजवाद और प्रजातंत्र होना चाहिए।

विपक्ष के कुछ मित्र एक मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न कर रहे हैं, कि घाटे के इस बजट के कारण आने वाले वर्ष में मुद्रास्फीति और मूल्य-वृद्धि अनिवार्य है। वस्तुतः जैसा कि विनियोग लेखे से पता चलता है कई मन्त्रालयों ने अपने योजनामात लेखाओं में न्यूनतम 1300 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया है। इसका अर्थ हुआ कि यदि योजनागत आवंटन पिछले वर्ष के आंकड़ों तक रखा जाता है तो घाटे में से 1300 करोड़ रुपये कम हो जाएंगे और 200 करोड़ रुपये का घाटा रह जाएगा। इससे लोगों के मन में यह बात नहीं आएगी कि इस घाटे के कारण मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति होगी। इसके साथ ही, हमें विगत को भी देखना है। मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम 1980-81 में प्रबंधकीय संकट से निकले हैं और अब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 1976 में देश कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर था और हमारे पास 2800 करोड़ रुपए की आरक्षित विदेशी मुद्रा थी। ऐसा श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा कृषि और निर्यात संवर्द्धन दोनों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण हो सका।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

विपक्ष के अनेक नेता अब यह कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार के पास 145 लाख मीटरी टन अनाज और 5000 करोड़ रुपये की आरक्षित विदेशी मुद्रा छोड़ी थी किन्तु ऐसा उनके कार्य-निष्पादन से नहीं हुआ था। जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है उन्होंने तो अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित कर दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनियोजित अर्थव्यवस्था में ह्रास हुआ और वह अव्यवस्थित हो गई। इसीलिए देश को संकट से निबटने के दौर से गुजरना पड़ा है।

उनके तीन वर्षों के शासन काल में बिजली का कुल उत्पादन 3000 मैगावाट हुआ। कोयले के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। रेलवे का कार्यकरण निराशाजनक रहा। एक विभाग से दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी सौंपी जाती रही। अतः श्री वेंकटरमण के बजट ने संकट से निबटने के आर्थिक उपाय किए थे। बुनियादी सुविधाओं में आने वाली कठिनाइयों की जाँच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की गई। फलस्वरूप, कोयले का उत्पादन 1060 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1150 लाख मीटरी टन हो गया है। बिजली की क्षमता का उपयोग 44 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया है। रेलवे ने भी अधिक कार्यकुशलता दिखाई है। साथ ही, मुद्रास्फीति की दर घटाकर 13.5 प्रतिशत तक लाई गई है जिसके बारे में श्री वेंकटरामन ने अपने भाषण में बताया है कि यह प्रतिशतता विश्व में न्यूनतम की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हैं। हमें इसका भी विश्लेषण करना चाहिए।

जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे कि सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर झुक रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दूसरी योजना में सही विश्लेषण किया था और देश की प्रगति के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के महत्व पर जोर दिया था। छठी योजना में 975 करोड़ रुपये की विशाल राशि सरकारी क्षेत्र में लगाई जानी है। अतः यह आरोप कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र पर निर्भर कर रही है, निराधार है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस आरोप का खण्डन करने के लिए और अधिक तथा और आंकड़े प्रस्तुत करेंगे।

अब मैं पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों को लेता हूं। इस समय हमारा पैट्रोलियम बिल 5000 करोड़ रुपये का होता है। हमारा कुल पैट्रोलियम उत्पादन 1985 तक 200 से 240 लाख मीटरी टन तक पहुंचाने की आशा है जोकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः हमें इसका आयात करना होगा। इस सम्बन्ध में तेल का पता लगाने व उसके उत्पादन के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करने की नीति स्वागत योग्य है क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। यह सच है कि हमने बजट में इस प्रयोजन के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है किन्तु यह राशि पर्याप्त नहीं है।

अतः विशेषज्ञता प्राप्त विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करने का स्वागत है। किन्तु मैं पैट्रोलियम मंत्री को एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूं। सभी कम्पनियाँ सही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक अमरीकी कम्पनी है कार्ल्स बर्ग लिमिटेड जिसने बंगाल की खाड़ी में पारादीप के निकट अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की थी। कई समाचार पत्रों में यह छपा है कि इस फर्म ने अन्वेषणात्मक काम में गड़बड़ी की है। अतः हमें इस दिशा में सावधान रहना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देता हूं कि देश में पैट्रोल और डीजल के उपयोग की एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। श्रीलंका और कई देशों में पैट्रोल के राशन की व्यवस्था की है। यदि हम एक दिन की, कम से कम गैर सरकारी और सरकारी वाहनों की छुट्टी रखें, तो हम पैट्रोल की काफी बचत कर सकते हैं।

विपक्षी सदस्यों ने माननीय वित्त मन्त्री द्वारा पेश किए गए बजट का काफी आलोचनापूर्ण विश्लेषण किया है किन्तु उन्होंने ऐसा कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया कि देश को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। वे लोग बजट के आकार की ओर ध्यान दे रहे हैं किन्तु वे देश की जनसंख्या को ध्यान में नहीं रख रहे हैं जो कि त्वरित गति से बढ़ती जा रही है। इस समय देश की जनसंख्या 66 करोड़ है। यदि जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती रही तो 2000 ईसवी तक एक व्यक्ति को 5.5 फुट भूमि भी नहीं मिलेगी। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस मामले की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के प्रतिनिधि हों। और इस विकास को परिवार नियोजन विभाग के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। हमने इसके लिए 155 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। क्योंकि यह एक नाजुक समस्या है, अतः इस पर राष्ट्रीय सहमति ली जानी चाहिए।

मुझे अनेक बातें कहनी हैं। मैं उड़ीसा से आता हूं। अतः मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय, मैं उड़ीसा से आता हूं और उड़ीसा देश का सर्वाधिक निर्धन राज्य है। उड़ीसा की 84 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। उड़ीसा के प्राकृतिक संसाधन देश के कुल प्राकृतिक संसाधनों का 30 प्रतिशत बैठते हैं। वहाँ वन संसाधन बहुत अधिक हैं। वहाँ 600 किलो मीटर से भी अधिक लम्बा समुद्र तट है। जब श्री बीजूपटनायक राज्य के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक समय तक शासन किया। अतः उड़ीसा में राजनैतिक रूप से सामन्तशाही और अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी का बोलबाला रहा। अब हम उनके शिकंजे से बाहर हैं। अतः वित्त मन्त्री महोदय, आप इस बात का ध्यान रखें कि उड़ीसा को आर्थिक विकास के लिए अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्त में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोलूंगा।

श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जैसी बात क्या है ?

(व्यवधान)

डा० कृपासिंधु भोई : प्रत्येक व्यक्ति जानता है । हमें किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए ।

अब मैं केवल पश्चिमी उड़ीसा के बारे में, जहाँ से मैं आता हूं, बोलूंगा । जैसा उड़ीसा के साथ पहले व्यवहार किया गया था, अब पश्चिमी उड़ीसा के लोगों की उपेक्षा की जा रही है । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा में जनसंख्या का 33 प्रतिशत पश्चिमी उड़ीसा में रहता है । उन्होंने केवल 6·5 प्रतिशत रोजगार अवसरों का लाभ प्राप्त किया है । आज तक केन्द्रीय क्षेत्र का कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तटवर्ती उड़ीसा क्षेत्र और पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र के बीच जो भावनात्मक अलगाव है उसे रेल लाइन के द्वारा जिसके लिए हमने रेल मंत्री श्री केदार पांडे से कई बार अनुरोध किया है और उन्होंने उसे पूरा करने का वचन भी दिया है, दूर किया जा सकता है किन्तु दुर्भाग्यवश इसकी व्यवस्था इस वर्ष के बजट में नहीं की गई है । सम्बलपुर को तलचेर से जोड़ कर भी उनके बीच भावनात्मक अलगाव को समाप्त किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि अल्यूमीना—अल्यूमीनियम समूह जिसे पहले टिटलागढ़ में लगाने का विचार था, अब कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है । अल्यूमीनियम के लिए बाक्साइट कच्चा माल है । बाक्साइट भण्डार जो उड़ीसा में 1974 में पाये गए थे, विश्व में दूसरे नम्बर पर हैं । उत्पादन और उपयोग के बीच अन्तराल को देखते हुए समूह की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान टिटलागढ़ में की जानी चाहिए । मन्त्री महोदय से अनुरोध हैं कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें और टिटलागढ़ में अल्यूमीना -- अल्युमीनियम समूह की स्थापना की व्यवस्था करें ।

बृजराज नगर में कोयले के बड़े भण्डार हैं जो कि एशिया में सबसे बड़े भण्डार हैं । ये भण्डार 72 किलो मीटर लम्बे और 32 किलो मीटर चौड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं । इनमें 3 बिलियन मीटरी टन कोयला विद्यमान है । जो कि सुपर ताप बिजलीघर के लिए पर्याप्त है । इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

मैं और भी मुद्दों पर बात करता और सुझाव देता किन्तु समय कम है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्रियान्वयन की जो कमी है उसकी जाँच की जानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना में इतना अधिक धन खर्च कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री के सचिवालय में एक विशेषज्ञ समिति बनायी जानी चाहिए जिसमें तकनीकी कार्मिक शामिल हों और जो इसके कार्यकरण सम्बन्धी ब्योरे को देखें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं डाक्टर और वैज्ञानिक समुदाय से सम्बन्धित हूं। अतः मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी कुछ बोलना चाहता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में इसे कुछ प्रोत्साहन दिया गया है किन्तु वह सन्तोषजनक नहीं है। इस कारण से नौकरशाही के मुकाबले विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व देकर दूर किया जाना चाहिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उर्दू में बोलिए।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनंतनाग) : मैं काश्मीरी में बोलूंगा, लेकिन उसके लिए ट्रांसलेटर नहीं हैं।

जरूरत ईजाद की माँ है। मैं इतना ही कहूंगा कि जरूरत होने पर आदमी को कभी भिखारी बनना पड़ता है, कभी किसी से उधार लेना पड़ता है और कभी चोरी भी करनी पड़ती है। जो पालिसी और बजट एस्टीमेट्स हमारे सामने हैं, मैं उनका एक अलग संदर्भ में स्वागत कर चुका हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह बजट ग्रामोन्मुखी है; निर्यातोन्मुखी हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक ऐसा बजट हैं जो चली आ रही परम्परा से हटकर तैयार किया गया है। इसकी सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच रहने वाला अन्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे ध्यान में नहीं रखते हैं तो बजट का महत्व और उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी।

अब देखना यह है कि हम इन लक्ष्यों की पूर्ति किस सीमा तक कर पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी आर्थिक नीतियों में कितना परिवर्तन ला सकते हैं और यह कि हमारा संवैधानिक ढ़ांचा किस सीमा तक हमें इसकी अनुमति देता है तथा हमारी सीमाएं क्या हैं ताकि आर्थिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से और राज्य-केन्द्र सम्बन्धों की दृष्टि से और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न असमानता की दृष्टि से और जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है उनको ध्यान में रखते हुए हम इन लक्ष्यों की पूर्ति कहाँ तक कर सकते हैं।

हमारे पास कोई बना बनाया फार्मूला नहीं हो सकता जिससे कि एक ही बजट में हम सभी समस्याओं का हल निकाल लें। ऐसे कई बजटों के बाद ही हम कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वे लक्ष्य इस बजट में बहुत स्पष्ट हैं।

हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं; मेरा विचार है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान की इस वित्तीयनीति को हमें अनेक वर्षों तक निरन्तर लागू रखना होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति को कठोरता से क्रियान्वित करना

होगा क्यों कि इसका बहुत कुछ इस बात पर ही निर्भर नहीं करता है कि प्राक्कलनों को किस प्रकार हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है वरन् इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सम्पूर्ण आर्थिक नीति देश में किस प्रकार सक्रिय तथा सुचारू रूप से क्रियान्वित होती हैं। किन्तु ऐसी स्थिति में मूल्य में स्थिरता आयेगी, फिर मुद्रा स्फीति होगी जिससे मूल्यों में फिर वृद्धि होगी और फिर विकास में कमी आयेगी। किन्तु इस बजट में हमने इसे किसी विशेष दिशा में कार्योन्मुख किया तो इससे हमें देश में बुनियादी सुविधाओं में और अधिक विकास करके मुद्रा स्फीति को कम करना होगा अथवा हमें देश में और अधिक रेल लाइनों के द्वारा एक स्थान को दूसरे से जोड़ना होगा तथा संचार व्यवस्था स्थापित करनी होगी—यह भी बुनियादी ढांचे का एक अन्य भाग है-- और इस प्रकार हम और अधिक कोयले का उत्पादन करेंगे, और अधिक ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार यदि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस बात भी ध्यान देना होगा कि बजट से सम्बन्धित सभी आर्थिक तत्त्वों पर ध्यान दिया जाए। बजट का मूल उद्देश्य उसे आर्थिक कार्यों को दिशा प्रदान करता है तथा उसके लिए आधार तैयार करना है। इसके लिए अन्य तत्त्वों को परस्पर सहयोग से संगठित होकर कार्य करना होगा जिससे कि सम्पूर्ण उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। बजट से अपने आप विकास नहीं हो सकता। आर्थिक नीतियों की क्रियान्विति की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह इनके बीच समन्वय स्थापित किया जा सकेगा जिसकी आवश्यकता है।

यह बजट जैसा भी है हमें इस कड़वी गोली को निगलना होगा 1800 करोड़ रुपए के घाटे की चर्चा की जाती है। प्रश्न यह है कि क्या इससे बचा जा सकता है।

प्रश्न यह नहीं है कि बजट में कितना घाटा दिखाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बजट में घाटा दिखाए जाने के क्या कारण हैं ? मैं इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझता हूं ? यह घाटा मुख्य रूप से अनियन्त्रित निरर्थक व्यय तथा नई योजनाओं अथवा परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि के कम व्यय किये जाने के कारण से है।

मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि देश को आज एक सन्तुलित बजट की आवश्यकता है। इससे सरकारी व्यय पर बहुत अधिक भार डाला गया है। इस व्यय की मात्रा अब बहुत अधिक हो गई है। 1951 में सरकारी व्यय केवल 860 करोड़ रुपए था। 1981 में यह बढ़कर 4267 करोड़ रुपए हो गया। इससे हम समस्या की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हमें निरर्थक व्यय को कम करना होगा। व्यर्थ के व्यय तथा अपव्यय को कम किया जाना चहिए ? निरर्थक का व्यय हमारे देश की आर्थिक जड़ को खोखला कर रहा है। हमारा व्यय अत्यधिक बढ़ता जा रहा है तथा हमें ऐसे व्यय को रोकना होगा जिससे कोई आय प्राप्त नहीं होती हो। व्यय में कमी करने के लिए हमें मितव्ययता बरतनी होगी। 1800 रुपये के घाटे की राशि बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती किन्तु उसको पूरा करने के लिये जो साधन बताये गये हैं उनका सुनिश्चित किया

जाना आवश्यक है। तभी हम मूल्यों को स्थिर रख सकते हैं तथा आर्थिक विकास की परिस्थितियों में सुधार कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि यह उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए या तो हमें कोई सुधार समिति स्थापित करनी होगी जो कि मामले की जांच करके सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करे जिससे इस विशाल व्यय को बचाया जा सके अथवा सरकारी व्यय में कमी करने के सुझाव देने के लिए कार्य विशेषज्ञ समिति स्थापित करनी होगी। यदि हम सरकारी व्यय को कम करने का तरीका निकाल सकते तो यह घाटा नहीं होता।

यह 1400 करोड़ रुपए घाटे की राशि मामूली राशि है। किन्तु इस घाटे को कैसे पूरा किया जाए यह एक समस्या है। इस घाटे को सभी संभव उपायों से पूरा करने की बात कही जा रही है। यह ठीक है किन्तु इस घाटे को पूरा करने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए जाने चाहिए। केवल अनुमानों से कार्य सिद्ध नहीं होगा।

इस बात की भी संभावना है कि हम इस घाटे को पूरा करने के लिए संसाधनों को ढूंढ़ने के प्रयास में कहीं और अधिक वित्तीय कठिनाईयों में न पड़ जाये। हमें इस खतरे से सावधान रहना होगा।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट से अपने आप कोई विकास नहीं हो सकता। यह केवल आधार प्रस्तुत कर सकता है। हमें देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का समुचित विश्लेषण करके बजट तैयार करने में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। केवल एकांकी दृष्टिकोण से कार्य पूरा नहीं होगा। किन्तु सामने आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए क्या यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए? संभव है कि इसके लिए हम लोग किसी फारमूले पर सहमत हो गए हैं किन्तु हो सकता है कि इस घाटे को कम करने के लिए कोई रास्ता खोज निकाला गया हो। किन्तु दुर्भाग्यवश जो स्थिति है वह बड़ी खराब है, लेकिन हम वकील होने के नाते हार नहीं मान सकते हम यही कहते हैं हम जीते हैं किन्तु इसमें न किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है इसमें सम्पूर्ण देश को ही हानि होती है। मेरा यही दृष्टिकोण है।

किन्तु जहाँ तक इस बजट का सम्बन्ध है हमने यही मान लिया है कि केवल इस माननीय सभा की ही प्रतिक्रियाएं ही अन्तिम प्रतिक्रियाएं हैं। किन्तु इस बजट को जन-साधारण, जनता के बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना है तथा उसे ग्रामीण जनता शहरी जनता औद्योगिक तथा प्राइवेट सरकारी उपक्रमों की दृष्टि से देखना है। सभी ने इसका स्वागत किया है। स्पष्ट है कि यह एक अच्छा बजट है। इस सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रियाओं पर विचार करना होगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि वे इसके द्वारा जनसाधारण की कृतज्ञता की भावनाओं को प्राप्त कर सके हैं।

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : महोदय मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में

दो अथवा चार मिनट में कितना बोल सकूंगा ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण 6 बजे तक जारी रख सकते हैं । आप अपना भाषण कल भी जारी रख सकते हैं ।

श्री पी० वी० जी० राजू : मुझे खेद है कि मुझे आज सांय को अधूरा भाषण देना होगा ।

हम लोग सामान्य बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं । इसलिए मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं जिनका कराधान से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । मैं कराधान के सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं श्री वेंकटरामन को इस बजट के पेश करने के लिए बधाई ही दे सकता हूं जिसे एक बहुत लोकप्रिय बजट कहा गया है । एक सामान्य व्यक्ति के रूप में—क्योंकि मैं वित्त सम्बन्धी मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं—केवल यही कह सकता हूं कि उद्योग, प्रशासन तथा आयोजना में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और इसलिए प्रशासन, आयोजना और उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मेरा विचार है कि प्रशासन, आयोजना तथा उद्योग को और अधिक वरीयता हो जानी चाहिए ।

जहाँ तक प्रशासन का सम्बन्ध है मैं बोबिली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं । क्योंकि 1977 तक मैं विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करता था जो कि एक औद्योगिक केन्द्र है । उद्योग और कृषि एक ही सिक्के के दो रूख है और यह सिक्का भारत है, इसमें एक ओर उद्योग है तो दूसरी ओर कृषि है । मैं कृषि और उद्योग के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । जहाँ तक उद्योग का सम्बन्ध है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उद्योग के रूप में बोबिली में चीनी की एक फैक्टरी है । चीनी फैक्टरियों को पानी की आवश्यकता होती है । पानी के बिना चीनी का उत्पादन नहीं हो सकता । इसके लिए जितना पानी सिंचाई माध्यम के द्वारा ही दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में मैं सिंचाई के बारे में कुछ शब्द कहूंगा । श्री वेंकटरामन मद्रास के हैं, मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि 1939 मे मद्रास सरकार ने गोदावरी पर रामपद सागर नामक एक स्कीम की योजना बनाई थी, श्री सोन्ती राममूर्ति मद्रास सरकार के तत्कालीन आई० सी० एस० सलाहकार थे । रामपद सागर गोदावरी पर सबसे बडी एक परियोजना थी । तथ्य यह है कि यदि रामपद सागर योजना को पूरा कर लिया जाता तो सम्पूर्ण तमिलनाडु की सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती···

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

श्री पी० वी०जी० राजू : धन्यवाद ?

आधे घंटे की चर्चा

टाटा ट्रक और बस चैसिस की बुकिंग के लिए नकद धनराशि जमा कराया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न टाटा कम्पनी के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछा था, जिसका उत्तर 18 तारीख को दिया गया । टाटा कम्पनी जो बसेस और चेसेज बनाती है, वह नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध काम करती है । यदि आप टाटा के आंकड़े देखेंगे, तो आप पायेंगे कि 1974 में टाटा चेसेज की कीमत 61 हजार रु० थी, लेकिन आज उसकी कीमत 1 लाख 68 हजार रु० है -- तीन गुना कीमत उसने बढ़ा दी है और इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति जो चेसेस लेना चाहता है, उससे छः हजार रुपया जमा करवाती है । मुझे मालूम है 1978 से लाखों आदमी उस लाइन में लगे हैं, लेकिन उन लोगों को चेसेस नहीं मिलती हैं, परन्तु वह 50-60 हजार रु० ब्लैक में बिकतीं है । आज हमारे देश के अन्दर रेलवे के बाद यदि माल ढोने या आदमियों को ले जाने का नम्बर आता है, तो यह बसेस और ट्रक्स का ही हैं । खास करके यदि आप आज गाँवों में देखेंगे, तो आप पायेंगे कि जितने आदमी बस के अन्दर बैठे हुए हैं, उतने ही ऊपर बैठे हुए हैं । बसेज न मिलने के कई बार ग्रामीण लोग मीलों पैदल चलते हैं और कई जगह तो ऐसी खटारा बसें चलती हैं कि उनको डर रहता है कि वे ठीक से पहुंच भी पायेंगे या नहीं पहुंच पायेंगे । ऐसी बसें खास करके पहाड़ी एरिया में ज्यादा होती हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, हरिजन लोग रहते हैं ।

हमारे देश के अन्दर बहुत सारे गरीब लोग, पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जिनके पास लाइसेंस है, बस चलाने का और ट्रक चलाने का, परन्तु यह जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्दर वह गरीब आदमी कभी भी बस या ट्रक का मालिक नहीं बन सकता है, बस को नहीं खरीद सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था इस कम्पनी ने कर रखी है । वहाँ पर 6 हजार रु० जमा करने के लिए गरीब आदमी कहां से लायेगा और वह जमा भी कराता है, तो उसका ब्याज नहीं दिया जाता है । मैं अभी एक माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था कि 15 परसेंट इन्टेरेस्ट रखा है, वह किसको मिलता है ? वहां पर सब फर्जी एकाउन्ट तैयार होता है । कोई भी गरीब आदमी आज के जमाने में न बस चला सकता है, न ट्रक चला सकता है । इसलिए मैं माननीय मन्त्रीं जी से जानना चाहता हूं कि हमको इस देश के अन्दर कितनी बसों और चेसेस की हर साल आवश्यकता होती है ? दूसरे यह कि टाटा ने जो नियम के विरुद्ध रकम जमा करवाई है, उसका ब्याज वह नहीं देता है, उसके खिलाफ आप कौन से कानून के अन्दर उसको दंड देना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या दंड दिया है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं—यदि इस देश में चेसिज बनाने में सिर्फ टाटा की ही मोनोपोली है तो आप दूसरी किसी कम्पनी को इन्ट्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं ? मैं

चाहता हूं कि आप दूसरी कम्पनियों को भी उतनी ही तादाद में चेसिज बनाने का लाइसेंस दें, जिससे जनता को लाभ मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज टाटा के खजाने में कम से कम 200 करोड़ रुपया जमा है, जिस पूरा बैनिफिट टाटा लेता है । अगर यह पैसा बैंकों में जमा हो तो इस 200 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की जनता कर सकती है । इसके बारे में मन्त्री जी क्या करना चाहते हैं, अपने उत्तर में बतलाएं ?

मैंने पेपर में पढ़ा है कि टाटा अपने चेसिज को बाहर भी भेजता है, जिसका लाभ भारत की जनता नहीं उठा सकती है । ये चेसिज काफी तादाद में बाहर जाते हैं—मैं जानना चाहता हूं कि इसके खिलाफ आप कौन सा कानून ला रहे हैं । अगर ये चेसिज बाहर न भेजे जाएं, तो भारत में बने हुए चेसिज का लाभ भारत के लोग उठा सकते हैं । यहाँ के चेसिज बाहर जाएं और यहाँ के लोग तकलीफ उठाएं, यह उचित नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप क्या प्रतिबन्ध लगाएंगे ताकि वे भारत के लोगों को मिल सकें ? यह सितम्बर, 1970 की बात है, उस समय टाटा ट्रक के चेसिज 44 देशों को भेजता था तथा हर साल 15 हजार चेसिज बाहर जाते थे । अब मैं समझता हूं, वह संख्या और ज्यादा बढ़ गई होगी । अगर उसको रोककर जो यहाँ के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको दिए जाएं तो इससे बहुत सुविधा हो सकती है ।

राजस्थान में एक कारखाना खोला जाना था, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने करीब 250 एकड़ जमीन कम्पनी को दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस, कम्पनी में कब तक चेसिज बननी शुरू हो जाएंगी, कितनी चेसिज ईयरली बनेंगी तथा उनके वितरण का क्या प्रोसीजर होगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज इस पर जो 50-60 हजार का ब्लैक चल रहा है, उस ब्लैक को रोकने के लिए भारत सरकार क्या प्रतिबन्ध लगाना चाहती है तथा जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं ? क्या आप के पास कम्पनी की दी हुई कोई वेटिंग लिस्ट है कि 1978 से लेकर आज तक कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, उनका कितना रुपया जमा है तथा उनको कब तक चेसिज मिलेगी ? यदि कम्पनी उनको चेसिज दे सकती है, तब तो ठीक है, वरना उनका रुपया लौटाया जाना चाहिए । कम्पनी चार-पाँच सालों से उनके रुपये का उपयोग कर रही है—मैं चाहता हूं कि इस कम्पनी के खिलाफ ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं जिससे भविष्य में ये लोग देश का करोड़ों रुपया इस प्रकार से बरबाद न करें ।

जहाँ तक मुझे मालूम है—1973 में टाटा ने करीब-करीब 22400 चेसिज बनाई थीं और ईयरली 36 हजार बनाने का प्लान था, अब तो शायद 50 हजार बनाते होंगे । इतने चैसिज बनने के बाद भी पहाड़ों में रहने वालों को चेसिज नहीं मिलते हैं जिससे उनके अन्दर भयंकर असंतोष व्याप्त है । वहाँ पर खटारा बसें चलती हैं । मैं मध्यप्रदेश का रहने

वाला हूं, हमारे यहाँ अगर आप रोडवेज में बैठ जाएं तो पता नहीं आप अपनी मंजिल पर भी पहुंच सकेंगे या नहीं । कण्डक्टर कहता है कि बीमा कराकर आए हो या नहीं ? कारण यही है कि चेसिज नहीं मिलती हैं, बरसात के दिनों में छाता लेकर चलना पड़ता है, अगर छाता नहीं है तो सफर नहीं कर सकते हैं, सामान गीला हो सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : महोदय माननीय सदस्य ने बसों के चेसिस की कमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । उनकी चिन्ता जायज है और सरकार को भी इस विषय में इतनी ही चिन्ता है । मैं, माननीय सदस्य ने जिस कमी का मामला उठाया है उसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में बताऊंगा ।

मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि इस कार्य में सम्पर्क का अभाव हैं । पहली बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह है :

"कम्पनी ब्याज नहीं देती है, जो ब्याज न दे उसको क्या सजा मिलनी चाहिए ?"

माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि कम्पनी 12 प्रतिशत ब्याज देती है और यह ब्याज निर्धारित अवधि के लिए नहीं होता । यदि कोई व्यक्ति 6 महीने बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करा देता है तब भी उसको उस अवधि के लिए ब्याज मिलेगा ।

श्री दिलीपसिंह भूरिया (झाबुआ) : ब्याज बिल्कुल नहीं देते हैं, आप खाते उनके देख लीजिए ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : ब्याज नहीं दिया जाता है, यह मैंने स्वयं देखा है ।

श्री चरणजीत चानना : किन्तु कम्पनी का कहना है कि वह 12 प्रतिशत दर पर ब्याज देती है । तथ्य यह है कि बहुत से सदस्य चेसिस के आवंटन के सिलसिले में हमसे सम्पर्क करते हैं तथा हम हमेशा उनसे यही कहते हैं कि यदि चेसिज दिए जाने के क्रम में नाम दर्ज किए जाने के क्रम के अलावा कुछ और गड़बड़ हो तथा क्रम में किसी को छोड़ दिया गया है तो उस मामले को हमारी जानकारी में लायें, हम उस पर कार्यवाही करेंगे । ब्याज भावी क्रेता और कम्पनी के बीच करार का एक हिस्सा है । उस करार के अंतर्गत कम्पनी को उसकी अदायगी करनी होगी । यह कानून के उल्लंघन का मामला बन जाता है । यदि करार के उल्लंघन के मामले हों तो मैं चाहूंगा कि सदस्य के मामले को हमारी जानकारी में लायें । हम अवश्य ही कम्पनी को लिखेंगे कि यह अनियमितता क्यों बरती जा रही है ।

जहाँ तक सदस्य के इस वक्तव्य का सम्बन्ध है कि कम्पनी ने अग्रिम के रूप में 200 करोड़ रुपया एकत्र कर लिया है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम्पनी ने जानकारी दी है कि गत दो वर्षों के दौरान 18 करोड़ रुपए की जमा राशि प्राप्त हुई है। कम्पनी ने यह भी जानकारी दी है कि चैसिस के उपलब्ध होने में ढ़ाई वर्ष से तीन वर्ष का समय लग जाता है। इस सम्बन्ध में भी हमारा सदस्यों से यह कहना है कि यदि सदस्यों को ऐसा लगता है कि इससे अनावश्यक विलम्ब हुआ है तो उन्हें यह हमारी जानकारी में लाना चाहिए और इस बात की ओर ध्यान देंगे कि यह अनियमितता आगे जारी रहे।

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि टाटा चैसिस दोषपूर्ण हैं इसलिए उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह समझ लें कि जब कोई चीज का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर के अनुरूप बनाया जाता है इसके अलावा माननीय सदस्य यह मानना होगा कि हमारे देश में निर्मित चैसिस को, चाहे वे टाटा के द्वारा बनाई गई हो। अथवा अशोक लेलैण्ड द्वारा वे सड़क पर चलाए जाने के उपयुक्त होने की जाँच परीक्षण में गुजरना होता है। यह महत्वपूर्ण बात है। किन्तु इसके बावजूद यदि किसी सदस्य की जानकारी में कोई शिकायत है जिसमें कि उसके सड़क पर चलाए जाने की उपयुक्तता के बारे में कोई सन्देह हो तो उसे हमारी जानकारी में लाया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि हम आटोमोबील यूनिटों पर निर्यात की बाध्यकारी शर्त लगा रहे हैं जिसमें दो उद्देश्य हैं कि इससे एक तो वे उत्पाद का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी तथा दूसरे हमारी कठिन विदेशी मुद्रा की स्थिति में कुछ सुधार होगा।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न चैसिस तथा ट्रकों की काला बाजारी से बिक्री करने के बारे में हैं। यह वास्तव में कानून का उल्लघंन है। और यदि उस मामले जैसा कोई मामला माननीय सदस्य की जानकारी में आता है तो उसे सबसे पहले पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज कराना चाहिए। और पुलिस में मामला दर्ज कराना चाहिए। यह एक कानूनी मामला है। वह इसे हमारी जानकारी में ला सकते हैं। वास्तविकता यह है कि यह मामला गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित है। लेकिन फिर भी यदि वह इसे हमारी जानकारी में लाना चाहते हैं तो हम उन मामलों को देखने की कोशिश करेंगे और जो भी कार्यवाही करना आवश्यक होगा वह कार्यवाही भी करेंगे।

चेसिस की कमी के मामले में, मैं यह कहना चाहूंगा। उन्होंने वर्ष 1972 के कुछ आंकड़े दिए हैं। तब उन्होंने अद्यतन आंकड़े दिए हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि वाणिज्य वाहनों के विनिर्माण के आंकड़े इस प्रकार है। उनकी जानकारी के लिए मैं उनसे यह कहना चाहूंगा। कुल लाइसेंस क्षमता टेल्कों, अशोक लेलैन्ड, सिम्प्सन एण्ड कम्पनी, हिन्दुस्तान मोटर, प्रीमियर आटोमोबाइल्स आदि जैसी नौ कम्पनियों में बंटी हुई है।

ये मध्यम आकार के वाणिज्यिक वाहन हैं। हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, स्टेन्डर्ड मोटर्स, बजाज टेम्पो लिमिटेड, तथा इन्सोव आटो जैसी कम्पनियों द्वारा किया जाता है। कुल लाइसेंस क्षमता 138,890 है तथा अधिष्ठापित क्षमता 95,000 है। अब 95,000 की अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले 1980-81 के लिए अनुमानित मांग 73,200 वाहनों की थी। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ व्यक्ति झूठा रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। सच्चाई यह है कि जो भी बयाना स्वीकार करने की एक कार्य-पद्धति अपनाई जाती है। मैं एक्स वाई जेड कम्पनियों का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन जिन बड़े उद्योगों में भारी मात्रा में कार्यशील पूंजी लगी हैं उनके उत्पादों की खरीद तथा बिक्री के बारे में यह एक तरीका है। इस प्रकार की वस्तुओं जिनमें भारी मात्रा में कार्यशील पूंजी लगी है, उनके विनिर्माता उनके लिए कुछ बयाना चाहेंगे ताकि खरीदारों की सदाशयता का पता लग सके और इस तरह की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली सभी कम्पनियों ने इसे स्वीकार किया है। टाटा के वाणिज्यिक वाहनों की कुल कीमत की तुलना में 6000 रुपए की धन राशि केवल 4 प्रतिशत है। और जैसा कि मैंने उन्हें बताया है कुल धनराशि 18 करोड़ रुपए हैं।

अब माननीय सदस्य ने राजस्थान राज्य तथा पहाड़ी क्षेत्रों की बसों की शिकायत की है। मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह हमारी जानकारी में उस विशिष्टि राज्य परिवहन को लाये जहां पर ऐसी समस्याएं हैं। चूंकि जहाँ तक राज्य परिवहनों का सम्बन्ध है हमारा मन्त्रालय इस मामले में विशेष सतर्कता रखता है और उन पर दबाव डालने की भी कोशिश करता है। जिस प्रकार के आवंटन के लिए हम दबाव डालते हैं वह राज्य परिवहनों को चेसिसों का आवंटन सम्बन्धी मामला होता है। मुझे इस बात से प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य इस मामले को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उठाए और मुझे विश्वास है कि जहाँ तक हमारी ओर से दबाव डालने का सम्बन्ध है इसमें कोई अन्तर नहीं होगा।

मेरा विचार है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

मैं केवल एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि चेसिसों की कमी की समस्या का वास्तविक उत्तर प्रत्येक स्तर पर उनके उत्पादन में वृद्धि करना है। वास्तविकता यह है कि हम योजनाएं बना रहे हैं। यदि सरकारी क्षेत्र की एककों में से किसी भी एकक में लाइसेंस क्षमता है तो हम उस एकक में इस कमी को दूर करने का विचार कर रहे हैं। इस विशेष मामले में हम आपात कालीन आधार पर कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी स्थान पर एक अन्य उद्योग स्थापित करने के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री चरणजीत चानना : श्रीमन ऐसा नहीं है। मैं अपनी परियोजना का नाम भी

बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमारी कुछ परियोजनाओं से कुछ सामूहिक प्रयत्न किए जा सकते हैं जिससे कि हम बाजार में और अधिक चैसिस ला सकें जिससे कि वहाँ चैसिसों की कमी न रहे। हमें इस सम्बन्ध में बहुत चिन्ता है।

मैं मैसर्स टेल्कों के बारे में एक बात सभा को बताना चाहूंगा। सरकार ने अब जो कमद उठाए हैं, वे चैसिसों का निर्माण बढ़ाने और हमारे बाजारों में चैसिसों की सप्लाई बढ़ाने से सम्बन्धित हैं। (1) मैसर्स टेल्कों को जमशेदपुर तथा पूना में 'स्वत: वृद्धि की सुविधाएं' के अंतर्गत कुल 8500 अतिरिक्त वाहनों का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है। वे इस संबंध में कार्य कर रहे हैं। (2) मैसर्स अशोक लेलैण्ड को उनके प्रतिवर्ष 12 500 वाहनों के वर्तमान विनिर्माण को तीन नई एककों की स्थापना करके बढ़ाकर प्रतिवर्ष 40,000 वाहन करने की अनुमति दी गई है। अब मैं तीन एककों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य राजस्थान में वाणिज्यिक वाहक एकक की स्थापना के बारे में पूछ रहे थे। अब ये तीन एककें तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में स्थापित की जानेवाली हैं। इसका परिणाम यह होगा कि मैसर्स अशोक लेलैंड की 27,500 चैसिस और विनिर्माण करने की क्षमता हो जाए। (3) वर्ष 1963 में मैसर्स सिम्प्सन एण्ड कम्पनी लि० को वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण हेतु जो लाइसेंस दिया गया था उसे सरकार ने फिर से चालू किया और कम्पनी को 7.5 म० टन के भार की क्षमता वाले 12,000 वाहन प्रतिवर्ष विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है। कम्पनी के इन वाहनों को बनाना शुरू कर दिया है और इनके बनाने के लिए कम्पनी ने ब्रिटेन के फोर्ड से सी० के० डी० पैकों का आयात किया है तथा इन वाहनों में इनके पार्किंग इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(4) वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से रियायती शुल्क पर दुर्लभ कल-पुर्जों को आयात करने की सुविधाएं दी गई हैं।

अन्त में उत्पादन के कम होने के कारणों में एक कारण इन एककों को कम बिजली सप्लाई करना भी था। बिजली की सप्लाई में कमी की गई थी इसलिए विनिर्माण में कमी हुई थी। लेकिन हमने अब इस सम्बन्ध में जो कुछ भी किया है वह यह है कि हमने (7) बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए डीजल पावर जनरेटिंग सेट लगाने के लिए विनिर्माताओं को लाइसेंस दिए हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1975-76	...	40,376
1976-77	...	46,242
1977-78	...	41,244
1978-79	...	58,255
1979-80	...	57,441

चालू वर्ष 1980-81 में उत्पादन के आंकड़े 65,000 और 70,000 के बीच होंगे। हमें इसके बारे में विश्वास नहीं है क्योंकि हमें एक महीने के आंकड़े नहीं मिले हैं। जहां तक कम्पनी का सम्बन्ध है, कम्पनी ने हमें बताया है कि वर्ष के अन्त तक वह 36,000 वाहन तैयार कर लेगी।

श्री दिलीपसिंह भूरिया : मेरे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उसके लिए कह सकते हैं।

श्री दलीपसिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय मेरी दो बातों का जवाब नहीं आया है। एक तो यह कि 10 तारीख को जो जवाब दिया गया था उसमें लास्ट में प्रश्न "बी" के उत्तर में बताया गया था कि अग्रिम जमा राशि एकत्रित करना कम्पनी जमा नियमों की नियंत्रक धाराओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।" मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। दूसरी बात यह है कि चैसिस डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई पालिसी बनाई जा रही है या उसको आप अपने अधिकार में ले रहे हैं।

श्री चरणजीत चानना : मेरा विचार है कि इसमें कुछ गलतफहमी है। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं केवल स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि कम्पनी निक्षेप नियम इस प्रकार की जमा राशियों की वसूली करने पर कोई रोक नहीं लगाते हैं इसलिए यह जमा राशियां विद्यमान विनियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं। और अब जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए वितरण सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है मैं केवल यही कहूंगा कि यह मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आता है। जैसा कि मैंने पहले से सभा में बताया है एक बार उत्पादन ज्यादा होने पर समस्या का समाधान केवल चैसिस खरीदने में ही हैं। वितरण की कोई समस्या नहीं है। यदि उत्पादन फालतू है तो कम्पनी को हमसे इनके खरीदने का अनुरोध करना चाहिए जिससे ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें और वे केवल अपनी कुछ बातों को ही रखें क्योंकि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और हम सबसे उस कार्यक्रम में सम्मिलित का भी अनुरोध किया गया है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : एक स्थान से दूसरे स्थान को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने में ट्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मालगाड़ियों के देर से चलने तथा उनमें माल की चोरी होने के कारण, जनता कश्मीर से गोहाटी तथा दिल्ली से त्रिवेंद्रिम तक अपना माल ले जाने के लिए ट्रकों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों वृद्धि होने के फलस्वरूप ज्यादातर लोग बसों पर निर्भर करते हैं। "अग्रिम जमा पद्धति" की शुरुआत होने के बावजूद भी ट्रक तथा बसों के मालिकों को अपनी चैसिसों को प्राप्त करने के लिए एक साल से भी ज्यादा इन्तजार करना पड़ता है।

यह उनके अग्रिम जमा के बावजूद होता है। उन्हें तंग किया जाता है तथा उन्हें समय पर चैसिसें नहीं मिलती हैं। इससे अंत में उन्हें सामान तथा यात्रियों को ले जाने में परेशानी होती है।

इस सम्बन्ध में दुर्गापुर ट्रक एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल बस सिंडीकेट तथा विभिन्न राज्यों की अन्य संस्थाओ ने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजे थे और मैंने उन अभ्यावेदनों को तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री अनंत प्रसाद शर्मा के पास भेज दिया था और अब भी मैंने बहुत से अभ्यावेदन माननीय राष्ट्रपति के पास भेजे हैं। मुझे केवल इनकी पावतियां मिली थी लेकिन कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार कौन से उपचारात्मक उपाय करना चाहती है। प्रश्न के भाग छः के उत्तर में यह कहा गया था कि अग्रिम जमाओं की वसूली करना कम्पनी के निक्षेप नियमों के विनियम सम्बन्धी उपबन्धों के क्षेत्र के बाहर है। क्या सरकार अग्रिम जमा की वसूली को समाप्त करने के सम्बन्ध में कम्पनी निक्षेप नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएगी।

माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि चेसिसों की कमी है उन्होंने यह नहीं बताया है कि ट्रक तथा बस चेसिसों की वास्तविक मांग कितनी है और वे कितनी चेसिस सप्लाई कर सकते हैं।

सप्लाई तथा मांग के बीच कितना अन्तर है। ट्रक तथा बसों की चेसिसों की कम सप्लाई को पूरा करने में कितना समय लगेगा ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यदि आप इस मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आवश्यक वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने प्रश्न का साफ-साफ उत्तर चाहता हूं।

श्री के० मालिन्ना (चित्र दुर्ग) : प्रश्न के भाग 'घ' में यह कहा गया था कि अग्रिम जमा की बसूली करना कम्पनी निक्षेप नियमों विनियम सम्बन्धी उपबन्धों के क्षेत्र के बाहर है। माननीय मंत्री महोदय के अनुसार कम्पनी निक्षेप नियम वसूली करने पर कोई रोक नहीं लगाते हैं या कम्पनी नियमों में वसूली करने पर कोई विचार किया गया है।

इसका तात्पर्य यह है कि टाटा कम्पनी ने उपबन्धों का उल्लंघन किया है। दो वर्षों के दौरान 6000 रुपए प्रति चेसिस के हिसाब से वसूल की गयी जमा राशि इकठ्ठी होकर 18 करोड़ रुपए हो गई है श्रीमन, जमा पर कम्पनी अधिनियम या कम्पनी निक्षेप नियमों के अनुसार विचार नहीं किया गया है। कम से कम यह धन राशि कालाधन या पले-खावद राशि की श्रेणी में आती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस जमा राशि का प्रयोग करने जा रही है और 18 करोड़ रुपए पर कितना लाभ हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, टाटा हिन्दुस्तान का दूसरा

इजारेदार पूंजीपति है, जिसकी माया कहां तक फैली हुई हैं, हम और आप सभी जानते हैं टाटा की माया, यहां तक, सरकार तक पहुंची हुई है। इसलिए मुझे तो संदेह है कि अगर कोई गड़बड़ी टाटा के द्वारा टेल्को में की जाती होगी।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, श्री रामावतार शास्त्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। प्रश्न यह है कि क्या वह ऐसी बातें विश्वास से कह रहे हैं अथवा ज्ञान से कह रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं विश्वास और ज्ञान दोनों से कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री जी को यह मालूम नहीं है कि टाटा रूस में एक उद्योग शुरू करने वाला है।

श्री रामावतार शास्त्री: उन्हें वैसा करने दीजिए। वे उनके (रूस) के साथ निपट लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल सभा की जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह आपकी सूचना हो सकती है।

यहां इस बात की शंका प्रकट की गई कि टाटा जिन लोगों से 6 हजार रुपया जमा करते हैं, उनको वह सूद नहीं देते हैं। मंत्री जी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि देते हैं। आपको यह खबर है और यहां के कई माननीय सदस्यों को खबर हैं कि वह नहीं देते हैं। क्या आप उसकी जांच करके सदन को सही सूचना देंगे ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि टैल्को में जो चेसिस ट्रक और बस का बनता है या और कंपनियों में बनता है, जो सारी की सारी कंपनियां निजी प्राइवेट सैक्टर में हैं तो उनका सम्बन्ध हमारे देश की ट्रांसपोर्ट से है। अगर पीपल्स ट्रांसपोर्ट पालिसी होती सरकारी की, जो कि मेरी समझ में नहीं है, तो निश्चय ही ट्रक बस के चेसिस बनाने वाली टैल्को या दूसरी कंपनियों के साथ इनका व्यवहार दूसरा होता। वह नहीं हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ट्रक बनाने के लिए क्या हम अभी टैल्को पर ही सीमित अपने को करना चाहता हैं ?

एक ट्रक का चेसिस बनाने में कुल खर्चा आपने जरूर पता लगाया होगा कि कितना होता है और टाटा एक चेसिस को बेचता कितने में है ? अगर आप यही बता देंगे तो देशवासियों को मालूम की जायेगा कि टाटा की लूट किस तरह से होती है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसके वितरण और उत्पादन दोनों में किसी भी स्टेज पर क्या सरकार का कोई नियंत्रण है ताकि आप जान सकें कि उत्पादन की स्थिति क्या है ? इनकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी क्या है, कितना बना रहे हैं, कितना ब्लैक में बेच रहे

हैं कितना सही दाम पर बेच रहे हैं ? इसका पता लगाने के लिए क्या आपने कोई माप-दंड तय किया है ?

मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको ब्याज मिलता है, हम कहते हैं कि ब्याज नहीं मिलता है । तो उनको ब्याज मिले, इसके लिए उस राशि को टाटा के पास जमा करवाने के बजाय बैंक या पोस्ट आफिस में उनके नाम जमा से क्यों नहीं करवाते हैं ? इसमें क्या कठिनाई हैं ?

देश में ट्रकों और बसों की बहुत कमी है । सरकार ने मारुति को ले लिया है और अपने लोगों को पैसा दे दिया है, हालांकि उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है और ऐसा करने की जरुरत नहीं थी । क्या सरकार ट्रको और बसों की कमी को पूरा करने के लिए टेलको और अशोक लेलेंड वगैरह सब कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार है, अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : उनके समय को मैं ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है ।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं उनसे केवल यही कहूंगा कि उन्हें मेरा पहला उत्तर सुनना चाहिए था । मैं वक्तव्य को दोबारा पढ़ देता हूं । माननीय सदस्य ने दुर्गापुर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की समस्याओं तथा जनता को तंग किए जाने का हवाला दिया हैं । जहाँ तक तंग किए जाने का सम्बन्ध है, जब आपको कोई चीज आपके चाहने हर भी नहीं मिलती हैं, तो यह स्वयं ही तंग किया जाना है । और हमारा सम्बन्ध तंग किए जाने के उस भाग से है । लेकिन किसी व्यक्ति को उस ढंग से तंग किया जाता है जिसके बारे में वह सोचता है, तो उसे भी तंग किया गया है । मुझे इस बात की खुशी होगी यदि माननीय सदस्य उस विशिष्ट प्रकार के तंग किए जाने के मामले को मेरी जानकारी में लायें । यदि यह नियम अथवा कानून के विरुद्ध है और वह इसे मेरी जानकारी में लाते हैं तो मैं उस विशिष्ट मामले में उसी प्रकार की कार्यवाही करूंगा जो इसके लिए की जानी चाहिए ।

माननीय सदस्य ने मुझसे जो दूसरा प्रश्न पूछा है वह यह है कि सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ? मैं पहले ही पांच बातें बता चुका हूं । यदि आप चाहते हैं तो मैं उन्हें दोबारा पढ़ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्वक नहीं है ।

श्री चरणजीत चानना : मुख्य बात यह है कि समस्या का समाधान अधिक उत्पादन करने में ही है । एक दूसरे माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि मैंने सभा को अनुमाति मांग के बारे में सूचित नहीं किया । उसके सम्बन्ध में भी वास्तविकता यह है कि यदि मैं

अपने पहले दिए गए वक्तव्य को पढ़ं तो यह केवल पुनरावृत्ति ही होगी । मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा । मैंने यह कहा था कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुमानित मांग 73200 थी । इस अनुमानित मांग की तुलना में लाइसेंस शुदा क्षमता, 1,38,890 चेसिसों की थी और मैंने इस सभा में भी यह कहा है कि इसके मुकाबले में अधिष्ठापित क्षमता 95,00 की है । मैं माननीय सदस्य को कुल (व्यवधान) उत्पादन के आँकड़े दूंगा । उप्पादन आँकड़े इस प्रकार हैं—वर्ष 1973-74 के लिए ये 43,000 हैं । मैंने इस बारे में पहले बता चुका हूं और मैंने यह कहा था कि आज के उत्पादन के आकड़े 65,000 और 70,000 के बीच में होंगे अब अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन के बीच का अन्तर मुख्य रूप से आधारभूत ढांचे के अन्तर के कारण है और हम उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीमन उठाए जाने वाले कदमों के बारे में मेरा विचार है कि मुझे उन्हें दोहराना पड़ेगा ताकि माननीय सदस्य इसे जान सके (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : 8,000 की कमी होगी ।

श्री चरणजीत चांनना : श्रीमन, क्या आप चाहते हैं कि मैं उठाए गए कदमों का पुन: उल्लेख करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानते ; यह आवश्यक नहीं है ।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने यहाँ मुझसे कम्पनी कानून के विषय में सवाल पूछा है और मैं कम्पनी कानून के बारे में वक्तव्य पहले ही दे चुका हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अग्रिम जमाओं के बारे में नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में मैंने अन्य प्रश्न रखा था ।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि भारी उद्योग के उत्पादों की संख्या एक नहीं है, मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही कहा है । ये अनेक है अर्थात—छपाई मशीन, ट्रैक्टर्स, वाणिज्यिक वाहन कार आदि । उनमें यह रुपया लग रहा है । मैं एक्स वाई या जैड कम्पनी को औचित्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं । मैं यह बात पहले भी कही है । इससे उत्पाद की मांग की सदास्यता साबित होती है । जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि लोग बेनामी बातें भी करवाना चाहते हैं । उस विशेष बात से बचने के लिए हम यह चाहते हैं कि केवल उचित तथा सदास्यता के मामले ही वाहन के आवंटन के लिये किए जाए ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप अग्रिम राशि जमा करने सम्धन्धी नियमों के बारे में कुछ बताएं हैं ताकि सही व्यक्तियों को यह मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना नाम रजिस्टर कराए तो यह कठिन होगा ।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य से एक विशेष चीज देखने की प्रार्थना करूंगा जिसे वह भी जानते होंगे। मेरे पास उनको दिखाने के लिए यह चीज नहीं है। यह तारीख 10 का "पेट्रियाट" समाचार पत्र है। इसमें इंडियन बैंक ऐसोसिएशन का एक विज्ञापन है यदि आप ब्याज की दर को देखें तो आपको इसके बारे में पता लगेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आपका खरीददारों से सम्बन्ध है। यदि आपका सम्बन्ध खरीददारों से है, यदि कोई खरीददार अपना रुपया बिना किसी निश्चित शर्त के बिना किसी निश्चित अवधि के जमा करता है तो उसे बैंक से 5 से 6 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा जबकि यह कम्पनी 12 प्रतिशत ब्याज दे रही है। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा था कि उन्होंने भुगतान नहीं किया है, मुझे आश्चर्य है कि ये शिकायतें हमारी जानकारी में क्यों नहीं लाई गई हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : यह ब्याज देने का प्रश्न नहीं है, यह नियमों के उल्लंघन का प्रश्न है। वे कम्पनी निक्षेप के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन नहीं है।

श्री चरणजीत चानना : यह नियमों का उल्लंघन नहीं है। मैंने सदस्यगणों को हले ही बताया है। मैंने इसका पहले ही स्पष्टीकरण भी दिया है कि यह इसके अन्तर्गत नहीं है।

(व्यवधान)

यह कम्पनी नियम के अन्तर्गत है। (व्यवधान) शास्त्री जी लोक प्रिय परिवहन नीति के बारे में आश्चर्यजनक बातें कर रहे थे। मैं यह नहीं जानता हूं कि उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं। यदि वे इनकी व्याख्या करें तो मैं उनकी सराहना करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दूसरी आधा घण्टे की चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप परिवहन मंत्री नहीं हैं।

श्री चरणजीत चानना : लेकिन हमें उनको इसका स्पष्टीकरण देना है।

फिर शास्त्री जी ने जो मापदण्ड की बात की है, मैंने पहले भी यह कहा है कि ब्लैक में कोई भी चीज बेचना ला के खिलाफ है और जो ला को तोड़ेगा वह तो एक क्रमिनल होगा। उसके लिए ला है और उसका मापदण्ड आलरैडी ला में बना हुआ है।

फिर आप ने कास्ट और प्राफिट की बात कही, तो वह आप को मेरे से ज्यादा पता होगा क्योंकि आप तो उसके विशेषज्ञ हैं। आप जानते हैं कि जब ये कम्पनीज बैलेंस शीट बनाती है तो उसमें दो कालम्स होते हैं—असैट्स एंड लायबिलिटीज। उसके अन्दर यह होता है और वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अन्दर पड़ता है। वह इन सारी चीजों को देखते हैं। उसका पूरा रैगूलेशन मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या होता है, यह तो बताइए ।

श्री चरणजीत चानना : कास्ट आफ प्रोडक्शन के लिए आप अलग से सवाल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा । (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : चैसिस बनाने में कितना खर्च पड़ता है और वह क्या प्राइस चार्ज करते हैं, यह तो बताइए ।

एक माननीय सदस्य : इसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों नहीं सम्बन्ध है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मूल्य वृद्धि के अनुसार यह वर्ष प्रतिवर्ष भिन्न होगा ।

श्री चरणजीत चानना : कृपया आप माननीय सदस्य को कम्पनियों के तुलन पत्रों का अध्ययन करने की सलाह दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कम्पनी के सभी तुलन पत्रों का अध्ययन कर लिया होगा । इसमें आप विशेषज्ञ हैं । आप यह जानकारी मन्त्री महोदय से क्यों चाहते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : चेसिस का उत्पादन लागत क्या है और इसका कुल मूल्य क्या है ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य तुलन पत्रों की प्रति कम्पनी कानून प्रशासन के पुस्तकालय से ले सकते हैं तथा उन्हें इसका अध्ययन करना चाहिए । आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

मध्यान्ह पश्चात 6.44 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बृहस्पतिवार 12 मार्च, 1981/21 फाल्गुन, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।